



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 15, 2013/आश्विन 23, 1935

No. 520]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2013/ASVINA 23, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कांध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 687(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में यथा निर्धारित कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी मण्डल द्वारा निर्मित कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2013 को एतद्वारा अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2013

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संदर्भ में गठित सभी नियमों, विनियमों, उपनियमों के अधिक्रमण में, उक्त अधिक्रमण के पूर्व उक्त नियम, विनियम अथवा उपनियमों के तहत किए गए अथवा हटाए जाने को छोड़कर कोलकाता पत्तन का न्यासी मंडल एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) इन विनियमों का नाम कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता, और पदोन्नति) विनियम, 2013 है।
- (ii) यह महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 व 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन का भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

लागू होना

2. अधिनियम की धारा 24 के उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत पदों सहित मंडल के तहत अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सृजित सभी पदों के लिये ये विनियम लागू होंगे।

परिभाषा

3. इस विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
- (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 38) ।
- (ख) 'सदृश पद' से अभिप्रेत है वह पद जिसका ड्यूटी तथा दायित्व का स्तर व वेतन स्तर उस पद के सदृश है जिसका चयन किया जाना है ।
- (ग) किसी ग्रेड या पद से संबंधित, 'नियोक्ता प्राधिकारी' से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1987 के साथ परवर्ती संशोधन के तहत उक्त ग्रेड या पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त है।
- (घ) (i) 'मंडल', 'अध्यक्ष', 'उपाध्यक्ष' और 'विभागाध्यक्ष' से अभिप्रेत है -वे अर्थ जो इन पदों का क्रमशः अधिनियम के अधीन दिया गया है ।
- (ii) 'प्रभागाध्यक्ष' से अभिप्रेत है - हल्दिया गोदी परिसर में सम्बद्ध प्रभाग के प्रभारी अधिकारी ।
- (ङ) 'श्रेणी I पद', 'श्रेणी II पद', 'श्रेणी III पद' और 'श्रेणी IV पद' का अर्थ वही होगा जो उन पदों के लिए कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1987 समय-समय पर यथा संशोधित के विनियम 4 में वर्णित है ।
- (च) 'विभागीय पदोन्नति समिति' से अभिप्रेत है - वह समिति जो समय-समय पर इन विनियमों के विनियम 26 के तहत किसी ग्रेड या पद पर पदोन्नति या पुष्टिकरण हेतु अनुशंसा करने के उद्देश्य से गठित किया जाए ।
- (छ) 'सीधी भर्ती' से अभिप्रेत है - वह व्यक्ति जो सेवा चयन समिति द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा अथवा परीक्षण और साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किया गया हो ।
- (ज) 'कर्मचारी' से अभिप्रेत है - मंडल का कर्मचारी ।
- (झ) 'ग्रेड' से अभिप्रेत है - कर्मचारियों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी ग्रेड जो अधिनियम के धारा 23 के तहत निर्मित और स्वीकृत की गई हो ।
- (ञ) 'लियन' अर्थात् 'ग्रहणाधिकार' से अभिप्रेत है - किसी कर्मचारी का उस पद को नियमित रूप से धारण करने का अधिकार चाहे तत्काल या अनुपस्थित रहने की अवधियों के समाप्त होने पर, जिस पर उसे नियमित रूप से नियुक्त किया गया है तथा जिस पर वह परिवीक्षा पर नहीं है । परन्तु नियमित पद धारण करने का हक इस शर्त के अधीन होगा कि यदि उक्त ग्रेड में उपलब्ध पदों की संख्या के मुकाबले में जो व्यक्ति उसके हकदार हैं, यदि उनकी संख्या अधिक हो तो, उस ग्रेड में कनिष्ठतम व्यक्ति निम्नतर ग्रेड में वापसी के भागी होंगे ।
- (ट) 'स्थायी कर्मचारी' से अभिप्रेत है- वह कर्मचारी जो स्थायी पद पर अधिष्ठाई रूप से (SUBSTANTIVELY) नियुक्त है।
- (ठ) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है- इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची ।
- (ड) 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित जनजाति' से अभिप्रेत है - भारत के संविधान की धारा 366 के खंड (24) और (25) में क्रमशः उनके लिए दिए गए अर्थ ।
- (ढ) किसी ग्रेड अथवा पद के संबंध में 'चयन सूची' से अभिप्रेत है - उस ग्रेड अथवा पद के लिए विनियम 13 के अनुरूप बना चयन सूची ।
- (ण) 'चयनित पद' से अभिप्रेत है - इन विनियमों के विनियम 5 के अन्तर्गत ऐसे घोषित पद ।
- (त) 'सेवा चयन समिति' से अभिप्रेत है - इन विनियमों के विनियम 12 के तहत सीधी भर्ती हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और अथवा साक्षात्कार के माफत उम्मीदवारों का चयन करने हेतु गठित समिति ।
- (थ) 'अस्थायी कर्मचारी' से अभिप्रेत है - कर्मचारी द्वारा अस्थायी पद धारण किया जाना अथवा स्थायी पद में स्थानापन्न अथवा मंडल की सेवा में उसकी नियुक्ति में परिवीक्षा पर होना ।
- (द) 'कैंडर' से अभिप्रेत है - कोलकाता पत्तन न्यास में कुछ पदों को या कुछ वर्ग के पदों को लेकर कर्मचारियों की एक सेवा या सेवा का अंश, जिसे एक पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिसमें कार्य करने वाले पदधारी स्थानान्तरण या चयन या गैर-चयन के आधार पर पदोन्नति के विचारार्थ पात्र है ।

नियुक्ति की विधि

4. उन सभी पदों की नियुक्तियाँ जिन पर ये विनियम लागू हैं इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। नियुक्ति पदोन्नति द्वारा अथवा समावेशन अथवा डेपुटेशन अथवा सीधी नियुक्ति द्वारा की जा सकती है। पदों के लिए निर्धारित अर्हता की शर्तों को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्वायत्तशासी निकायों, सरकारी कम्पनियों के कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा। प्रतिनियुक्ति के लिए सामान्य अवधि 3 वर्ष है जिसे 4 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अपवादिक परिस्थितियों में इसे पाँच साल तक बढ़ाया जा सकता है।

4(ए). परन्तु विभागाध्यक्ष के रूप में मानी जाने वाली पदों तथा विभागाध्यक्षों के पद से एक स्तर नीचे वाली पदों के संदर्भ में सभी रिक्तियों को 'नियोग की सामासिक विधि द्वारा भरी जाएगी' अर्थात् पदोन्नति/समावेश के माफ़त जिसके न होने पर डेपुटेशन द्वारा इन दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी। पदोन्नति/समावेशन महापत्तन न्यासों के उन अधिकारियों में से किया जाएगा, जो विनियम के साथ संलग्नित अनुसूची में निर्धारित अर्हता की शर्तों को पूरा करते हैं।

4(बी). चाहे 'चयन' या 'गैर-चयन', के आधार पर उच्चतर पदों पर स्थानापन्न नियुक्ति होने पर ऐसे नियुक्त व्यक्ति को उस पद पर भविष्य में नियुक्त होने का अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

अनुसूचियाँ

5. नियुक्ति की विधि अर्थात् सीधी भर्ती के द्वारा अथवा विभागीय पदोन्नति द्वारा अथवा समावेशन अथवा डेपुटेशन द्वारा, अर्हता उम्र, शिक्षा, प्रशिक्षण, अपेक्षित अनुभव, चयन पद अथवा गैर चयन पद के रूप में पदों का वर्गीकरण तथा विभिन्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय श्रेणी-I पद के संदर्भ में इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शाया जाएगा। श्रेणी-II, श्रेणी-III और श्रेणी-IV पदों के संदर्भ में नियुक्ति की विधि समय-समय पर मंडल द्वारा निर्धारित निदेशानुसार होगी। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के धारा 23 के प्रावधानों के तहत निर्मित कर्मचारियों की अनुसूची में यथा प्रदर्शित विभिन्न ग्रेडों का प्राधिकृत स्थायी और अस्थायी बल भी अनुसूची में दर्शाया जाएगा। यह बल महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 27 के प्रावधानों के तहत समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता की आवश्यकता पदोन्नति के मामले में उस हद तक लागू होगा जैसा अनुसूची के कॉलम 9 में दर्शाया गया है और पदोन्नति के लिए अनुभव की आवश्यकता अनुसूची के कॉलम 12 में निर्धारणानुसार होगा।

परन्तु विभागाध्यक्षों के मामले में निर्धारित उच्चतम आयु सीमा में केन्द्रीय सरकार द्वारा छूट दी जा सकती है और अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा निम्न प्रकार छूट दिया जा सकता है, सीधी नियुक्ति/समावेशन/डेपुटेशन हेतु छूट का कारण लिखित रूप में अभिलिखित किया जाए :-

- (i). 5 वर्ष तक, जहाँ न्यूनतम अनुभव 10 वर्ष अथवा अधिक निर्धारित हो तथा 3 वर्ष तक, जहाँ न्यूनतम अनुभव 5 से 9 वर्ष तक निर्धारित हो।
- (ii). उस उम्मीदवार के मामले में जो एक्स सर्विसमें है अर्थात् भारत के प्रतिरक्षा बल का पूर्व कर्मचारी है और उसने प्रतिरक्षा बल में कम से कम 6 महीने लगातार काम किया है, उसके लिए उसके द्वारा प्रतिरक्षा बल में की गई सेवा की अवधि तक, तथा जहाँ भरी जाने वाली रिक्ति उन एक्स-सर्विसमें और उनके आश्रितों के लिए आरक्षित है जो कार्रवाई के दौरान शहीद हो गए, उनके लिए उनके द्वारा प्रतिरक्षा बल में किए गए नौकरी की अवधि के साथ तीन वर्ष जोड़े जाएंगे तथा जहाँ भरी जाने वाली रिक्ति आरक्षित है, उसके द्वारा प्रतिरक्षा बल में की गई सेवा-अवधि तक; और

(iii). अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के मामले में इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जो आदेश जारी किए जाएं उनके अनुसार ।

परंतु और यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ी जाति से आने वाले उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी स्तर पर केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले समुचित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार के विवेचनानुसार अपेक्षित अनुभव को शिथिल किया जा सकता है ।

रिक्तियों का रोस्टर

6. प्रत्येक ग्रेड के लिए एक रोस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जो दर्शाएगा कि क्या कोई विशेष रिक्ति सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरी जानी चाहिए । तथापि, यदि कोई एक रिक्ति जो सीधी भर्ती के लिए आरक्षित है, सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरी जा सकती, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है तथा अगली रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा । इसी प्रकार पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्ति यदि पदोन्नति द्वारा नहीं भरी जा सकती है तो इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है ।

आरक्षण

7. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पदों के लिए चाहे सीधी नियुक्ति या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के बारे में समय-समय पर जारी किए गए आदेश यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इन विनियमों के अधीन सभी नियुक्तियों पर लागू होगा ।
(2) अन्य पिछड़े वर्गों, एक्स-सर्विसमेन तथा कार्रवाई में मारे गए शहीदों के आश्रितों, खिलाड़ियों तथा शारीरिक विकलांग व्यक्तियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य संवर्गों के पक्ष में पदों के आरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेश आवश्यक परिवर्तन सहित इन विनियमों द्वारा आच्छादित नियुक्तियों पर लागू होगा जिन में सीधी भर्ती होती है ।

सीधी भर्ती के लिए राष्ट्रीयता, चरित्र, शारीरिक योग्यता इत्यादि:-

8. (1) किसी ग्रेड अथवा पद पर सीधी भर्ती की पात्रता के लिए, उम्मीदवार को अवश्य होना चाहिए:-

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया तथा वियतनाम से प्रवर्जन कर आया है ।

बशर्ते कि प्रवर्ग (क) से संबद्ध उम्मीदवार को अपनी राष्ट्रीयता का प्रमाण देना होगा जब भी समय-समय पर, अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, परंतु शर्त यह भी है कि प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबद्ध उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

परंतु यह भी कि जिस उम्मीदवार के मामले में राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र या पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे, यथास्थिति, उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त उसके पक्ष में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तक अनंतिम रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अनंतिम नियुक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी।

(2) जब किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए नियुक्ति की जानी हो, तथा ऐसे उम्मीदवार का मिलना संभव नहीं हो, जो इन विनियमों के अपेक्षाओं को पूरा करे, तब अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से उपविनियम(1) की किसी भी अपेक्षा को उपांतरित या अधित्यक्त कर सकते हैं।

(3) कोई व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की हो या शादी के लिए करार की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो; या

(ख) जो पति/पत्नी के जीवित काल में किसी अन्य व्यक्ति से शादी की हो या शादी के लिए करार किया हो किसी ग्रेड या पद में, जिन पर यह विनियम लागू होते हैं नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा;

परंतु विभागाध्यक्ष के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष यदि इस बात पर संतुष्ट हों कि इस प्रकार का विवाह उस व्यक्ति के तथा विवाह के दूसरे पक्ष के स्वीय विधि के तहत अनुज्ञेय है, तथा ऐसा करने के लिए अन्य कारण हैं, तो वे ऐसे किसी व्यक्ति को इस उप-विनियम के लागू होने से छूट दे सकते हैं।

(4) उम्मीदवार द्वारा अपने नियोक्ता प्राधिकारी को अवश्य संतुष्ट करना होगा कि उसका चरित्र और पूर्ववृत्त किसी ग्रेड अथवा पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। कोई उम्मीदवार यदि उसे अदालत नैतिक अधमता के कारण दोषी सिद्ध करता है या जो न्याय निर्णीत दिवालिया है किसी ग्रेड पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

(5) उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होगा जो बोर्ड के कर्मचारी के रूप में उसे अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा सृष्टि करे। यदि कोई उम्मीदवार विभागाध्यक्ष के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट चिकित्सा परीक्षा में, उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

(6) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई उम्मीदवार इस विनियम के सभी अपेक्षाओं को, या किसी अपेक्षा को पूरा करता है या नहीं, तो, विभागाध्यक्षों के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा इस बारे में निर्णय क्रिया जाएगा।

नियुक्ति के लिए विद्यमान कर्मचारियों की पात्रता

जब किसी पद को सीधे नियुक्ति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो तथा विज्ञापित किया गया हो तो सेवारत कर्मचारीगण भी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें निर्धारित अर्हता और अनुभव प्राप्त हो। ऐसे मामलों में उम्र की सीमा लागू नहीं होगी।

रिक्तियों हेतु विज्ञापन

10.(1) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी-III व श्रेणी-IV के पदों की रिक्तियों के लिए क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया जाएगा यदि योग्य और अर्हता प्राप्त उम्मीदवार समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं, रिक्तियों को राज्य के अन्दर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा। श्रेणी-I, श्रेणी-II तथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों और/अथवा रोजगार समाचार में विज्ञापित किया जाएगा।

(2) अर्हता, अनुभव और उम्र निर्धारित करने के लिए जो प्रमाणिक स्थिति निश्चित की जाए वह उस महीने की पहली तारीख ही हो जिस महीने में उक्त पद को अधिसूचित/विज्ञापित किया गया हो जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो

कुछ मामलों में लिखित अथवा दक्षता परीक्षा का संचालन:

11.नियोक्ता प्राधिकारी यह निर्णय लेये कि लिखित अथवा दक्षता परीक्षा अथवा दोनों परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए या नहीं, और परीक्षा लेने वाले अधिकारी का नाम तथा परीक्षा आयोजन की विधि तथा उसके अन्य विवरण का निर्णय लेगे। नियोक्ता प्राधिकारी को यह छूट होगी कि वे लिखित अथवा दक्षता परीक्षा के लिए परामर्शदाता अथवा परामर्शदाताओं के फर्म की नियुक्ति कर सकते हैं।

सेवा चयन समिति

12.(1) उप विनियम (2) में यथा वर्णित प्रत्येक ग्रेड अथवा पद के लिए एक सेवा चयन समिति होगी जो सीधी भर्ती द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार और/अथवा लिखित परीक्षा सहित चयन करेगी।

(2) उप विनियम (1) में उल्लिखित पदों का संवर्ग तथा सेवा चयन समिति का गठन निम्नवत होगा:-

(क) (i)विभागाध्यक्षों के लिए

- | | | |
|---|-----|---------|
| i). पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन) | --- | अध्यक्ष |
| ii). पत्तन के अध्यक्ष | --- | सदस्य |
| iii). अन्य कोई पत्तन के अध्यक्ष अथवा क्षेत्र में व्यापक अनुभव वाले अधिकारी को पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा | --- | सदस्य |
| iv). पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित एससी/एसटी ओबीसी के प्रतिनिधि यदि लागू हो | --- | सदस्य |

(क) (ii)महाप्रबंधकों, एचडीसी के लिए

- | | | |
|--|-----|---------|
| i). अध्यक्ष | --- | अध्यक्ष |
| ii). उपाध्यक्ष (केडीएस) | --- | सदस्य |
| iii). उपाध्यक्ष (एचडीसी) | --- | सदस्य |
| iv). अध्यक्ष द्वारा नामित एससी/एसटी व ओबीसी के प्रतिनिधि यदि लागू हो | --- | सदस्य |

(ख) (i)केडीएस के श्रेणी-I पदों के लिए जिनका अधिकतम वेतनमान रु 50,500/- से अधिक (दिनांक 01.01.2007 से वेतन संरचना में) है:-

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| i). | उपाध्यक्ष | — | अध्यक्ष |
| ii). | विभागाध्यक्ष उस विभाग का प्रभारी जिसमें रिक्ति हुई है | — | सदस्य |
| iii). | जीएडी के प्रभारी विभागाध्यक्ष | — | सदस्य |
| iv). | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी/एसटी व ओबीसी के प्रतिनिधि, यदि लागू हो | — | सदस्य |

(जीएडी के प्रभारी विभागाध्यक्ष के तहत कोई रिक्ति उत्पन्न होने पर अध्यक्ष द्वारा कोई अन्य विभागाध्यक्ष नामित किए जा सकते हैं)

(ख) (ii)केडीएस के उन श्रेणी- I पदों के लिए जिनका उपर कोई उल्लेख नहीं है तथा केडीएस के श्रेणी- II के पद

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| i). | जीएडी के प्रभारी विभागाध्यक्ष | — | अध्यक्ष |
| ii). | उस विभाग का प्रभारी विभागाध्यक्ष जिसमें रिक्ति हुई है | — | सदस्य |
| iii). | वित्त सलाहकार व मुख्य लेखाधिकारी | — | सदस्य |
| iv). | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी/एसटी व ओबीसी के प्रतिनिधि, यदि लागू हो | — | सदस्य |

(जीएडी के प्रभारी विभागाध्यक्ष/वित्त विभाग के तहत रिक्ति होने पर अध्यक्ष द्वारा कोई अन्य विभागाध्यक्ष नामित किए जा सकते हैं)

(ग) (i)एचडीसी में श्रेणी- I के पदों के लिए जिसका अधिकतम वेतनमान (1.1.2007 से लागू वेतन संरचना में) रु 58000/- से अधिक हो :-

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| i). | उपाध्यक्ष | — | अध्यक्ष |
| ii). | जिस प्रभाग में रिक्ति हुई है उसके प्रभारी महा प्रबंधक | — | सदस्य |
| iii). | पीएण्ड आईआर प्रभाग के प्रभारी महा प्रबंधक | — | सदस्य |
| iv). | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी/एसटी व ओबीसी के प्रतिनिधि, यदि लागू हो | — | सदस्य |

(यदि रिक्ति पीएण्डआईआर प्रभाग के प्रभारी महाप्रबंधक के अधीन है तो उपाध्यक्ष (ह) किसी और प्रभारी महाप्रबंधक को नामित करेंगे)

(ग) (ii)उपर्युक्त के अतिरिक्त श्रेणी- I पदों तथा एचडीसी के श्रेणी- I पदों के लिए

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| i). | जिस प्रभाग में रिक्ति हुई है उसके प्रभारी महा प्रबंधक | — | अध्यक्ष |
| ii). | पीएण्ड आईआर प्रभाग के प्रभारी महा प्रबंधक | — | सदस्य |
| iii). | उपाध्यक्ष (ह) द्वारा नामित किये जाने वाले कोई अन्य महाप्रबंधक | — | सदस्य |
| iv). | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी/एसटी व ओबीसी के प्रतिनिधि, यदि लागू हो । | — | सदस्य |

(यदि रिक्ति पीएण्डआईआर प्रभाग के प्रभारी महाप्रबंधक के अधीन है तो उपाध्यक्ष (ह) किसी और प्रभारी महाप्रबंधक को नामित करेंगे)

(घ) के डी एस में श्रेणी III के पदों के लिए

- | | | | |
|------|---|---|---------|
| i). | एक ऐसा अधिकारी जो जीएडी के उपविभागाध्यक्ष के पद से नीचे का न हो | — | अध्यक्ष |
| ii). | जिस विभाग में रिक्ति हुई है, उसके ऐसे एक अधिकारी | — | सदस्य |

जो विभाग के उप विभागाध्यक्ष पद से नीचे न हों

- iii). एक ऐसा अधिकारी जो वित्त विभाग के उपविभागाध्यक्ष — सदस्य
के पद से नीचे का न हो
- iv). अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी/एसटी — सदस्य
व ओबीसी के प्रतिनिधि, यदि लागू हो ।

(जीएडी/वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष के अंतर्गत अगर रिक्तियाँ हुई हैं तो अध्यक्ष द्वारा नामित एक अधिकारी जो उप विभागाध्यक्ष के पद से नीचे न हो)

(ड) के डी एस में श्रेणी-IV पदों के लिए

- i). जीएडी का एक श्रेणी-I अधिकारी जो — अध्यक्ष
उप विभागाध्यक्ष के पद से नीचे का न हो
- ii). जिस विभाग में रिक्ति हुई, उस विभाग का एक ऐसा — सदस्य
सदस्य श्रेणी-I अधिकारी जो उप विभागाध्यक्ष के पद
से नीचे न हो
- iii). वित्त विभाग का एक श्रेणी-I अधिकारी जो
उप विभागाध्यक्ष के पद से नीचे का हो
- iv). अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी/एसटी व ओबीसी, — सदस्य
का प्रतिनिधि यदि लागू हो ।

(जीएडी/वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष के अंतर्गत अगर रिक्तियाँ हुई हैं तो अध्यक्ष द्वारा नामित एक अधिकारी जो उप विभागाध्यक्ष के पद से नीचे का हो)

(च) एच डी सी में श्रेणी III के पदों के लिए

- i). एक ऐसा अधिकारी जो उस प्रभाग, जिसमें रिक्ति उत्पन्न — अध्यक्ष
हुई हो, के रु. 32,900-58,000/- के ग्रेड से नीचे का न हो
- ii). एक ऐसा अधिकारी जो पी एंड आईआर प्रभाग, में — सदस्य
रु. 32,900-58,000/- के ग्रेड से नीचे का न हो
- iii). एक ऐसा अधिकारी जो किसी अन्य प्रभाग में — सदस्य
रु. 32,900-58,000/- के ग्रेड से नीचे का न हो,
उपाध्यक्ष(ह) के द्वारा नामित किया जाएगा जाएगा ।
- iv). अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी/एसटी व, — सदस्य
ओबीसी का प्रतिनिधियदि लागू हो ।

(अगर पी एंड आईआर प्रभाग के अंतर्गत रिक्ति उत्पन्न होती है तो ऐसे मामलों में एक समतुल्य रैंक का अन्य अधिकारी उपाध्यक्ष(ह) द्वारा नामित किया जाएगा ।)

(छ) एच डी सी में श्रेणी IV के पदों के लिए

1. एक ऐसा श्रेणी-I अधिकारी जो उस प्रभाग, जिसमें — अध्यक्ष
रिक्ति उत्पन्न हुई हो, के रु. 24,900-50,500/-
के ग्रेड से नीचे का न हो
2. एक ऐसा श्रेणी-I अधिकारी जो पी एंड आईआर प्रभाग, — सदस्य
में रु. 24,900-50,500/- के ग्रेड से नीचे का न हो
3. एक ऐसा श्रेणी-I अधिकारी जो किसी अन्य प्रभाग में — सदस्य
रु. 24,900-50,500/- के ग्रेड से नीचे का न हो,
उपाध्यक्ष(ह) के द्वारा नामित किया जाएगा जाएगा ।
4. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी/एसटी व, — सदस्य
ओबीसी का प्रतिनिधि यदि लागू हो ।

(**कमर पी एंड आईआर प्रमाग के अंतर्गत रिक्ति उत्पन्न होती है तो ऐसे मामलों में एक समतुल्य रैंक का अन्य अधिकारी उपाध्यक्ष(ह) द्वारा नामित किया जाएगा ।)**

नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को सेवा चयन समिति में नामित कर सकते हैं, जो कि बोर्ड की सेवा में नहीं है, यदि ऐसे व्यक्ति संबद्ध क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, जहां सेवा चयन समिति में कोई सदस्य उपलब्ध न हो, नियुक्ति प्राधिकारी उनकी जगह उपयुक्त स्तर के अन्य अधिकारी को बैठक में हिस्सा लेने के लिए नामित कर सकते हैं ।

(3) जहाँ समान ग्रेडों में रिक्तियाँ एक से ज्यादा विभागों में समान होती हैं, वहाँ सामान्य चयन किया जाता है, समिति के गठन का निर्णय, हर मामले में, अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा ।

13. चयन सूची

मेरिट के अनुसार सेवा चयन समिति अनुशंसा कर सकती है, जैसा कि वे निर्णय लें, सीधी नियुक्ति/पदोन्नति के लिए विहित पदों पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु चयनित उम्मीदवारों के नाम चयन सूची में रखे जाएंगे । ऐसी सूची की वैधता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाने की तिथि से 12 महीने तक मान्य होगी । सूची की वैधता आगामी 6 महीने तक अथवा नये चयन सूची के अनुमोदन तक बढ़ाना, जो भी पहले हो, नियुक्ति प्राधिकारी के उपर निर्भर करता है ।

14. सेवा चयन समिति और तदर्थ नियुक्तियों की अनुशंसाओं पर विचार

संबद्ध सेवा चयन समिति की अनुशंसाओं पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सभी सीधी नियुक्तियों की जाएंगी ।

बशर्ते कि यह नियुक्ति प्राधिकारी को यह खुली छूट होगी कि वे सेवा चयन समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं करे और स्वीकार न किए जाने की दशा में इसके कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड किया जाए ।

बशर्ते कि, जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष के अधीनस्थ प्राधिकारी हैं तथा उक्त प्राधिकारी ऐसे किसी मामले में, ऐसी अनुशंसाओं से सहमत नहीं हों तो वे असहमति के कारणों को रिकार्ड करेंगे और अध्यक्ष के समक्ष मामले को प्रस्तुत करेंगे, जो उसका निर्णय करेंगे ।

बशर्ते यह भी कि शुद्ध अस्थायी पदों, छुट्टी रिक्ति अथवा रिक्ति जो सीधी नियुक्ति द्वारा शीघ्र भरा जानी वांछित है, के मामलों में, अध्यक्ष ऐसे किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं जो एक ही समय में 6 महीने के लिए हो मगर एक साल से अधिक न हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि

- (1) तदर्थ नियुक्ति, जहाँ अपरिहार्य है, तभी की जाना चाहिए जब नियुक्ति नियमों में वांचित अर्हता, अनुभव आदि पूरे होता हों ।
- (2) अस्थायी पद पर नियुक्ति की कुल अवधि पदावधि से अधिक नहीं होगी ।
- (3) अन्य मामलों में, अस्थायी नियुक्ति, चयन सूची से यथासंभव शीघ्र स्थायी नियुक्ति द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ।

15. कैनवासिंग सपोर्ट – एक अयोग्यता

किसी पद पर नियुक्ति अथवा उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु किसी व्यक्ति द्वारा नियुक्ति अथवा पदोन्नति हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कैनवास सपोर्ट का कोई भी प्रयास उसे अयोग्य ठहराएगा ।

16. तथ्यों को दबाना

एक अयोग्यता कोई उम्मीदवार जिसने ऐसे किसी विवरण को जानबूझ कर दिया है जो गलत है अथवा चरित्रगत सूचना की सामग्री को छुपाया है, जिसकी जानकारी सामान्यतरु होने पर, उसे किसी पद अथवा ग्रेड पर नियुक्ति हेतु वंचित कर देता, तो वह अयोग्यता का पात्र होगा और यदि नियुक्ति होती है तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा ।

17. नियुक्ति आदेश का निरस्तीकरण

यदि कोई उम्मीदवार सीधी नियुक्तियों के लिए चिह्नित पद के लिए चयनित होता है, तथा नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि के अन्दर ज्वाइन नहीं करता है जहाँ, तथा जहाँ ऐसी किसी तिथि का उल्लेख न हो, नियुक्ति प्रस्ताव के जारी करने की तिथि के 30 दिनों के अन्दर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा परिवर्द्धित अवधि तक, कार्य में पदभार ग्रहण नहीं करता है तो नियुक्ति का प्रस्ताव निरस्त माना जाएगा ।

18. साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान

सीधी नियुक्ति द्वारा भरे गए पदों के मामले में, उम्मीदवारों द्वारा की गयीं सभी यात्राएं (जो बोर्ड की सेवा में पहले से शामिल हैं) लिखित, प्रायोगिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं, वे यात्रा का खर्च स्वयं वहन करेंगे। तथापि, अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को लिखित अथवा ट्रेड टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर यात्रा भत्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिया जाएगा ।

19. परिवीक्षा अवधि

1. (1). प्रत्येक व्यक्ति जो सीधी नियुक्ति या पदोन्नति या समावेशन द्वारा पद पर नियुक्त होते हैं, वे उप नियम(2) व (3) के प्रावधानों के अंतर्गत दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि के अधीन होंगे सिवाय ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जिनकी नियुक्ति समावेशन के आधार पर नियुक्ति की एकीकृत पद्धति के जरिए रु.32,900/- 58,000/- और उससे अधिक के वेतनमान पर विभागाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों पर हुई हैं ।

बशर्ते कि, जहाँ नियुक्ति आदेश में निर्धारित अवधि के लिए नियोजन किया गया हो, ऐसी नियुक्ति उस अवधि के बीत जाने पर समाप्त समझी जाएगी, यदि ऐसी अवधि को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया न जाए ।

बशर्ते कि, नियुक्ति सीधी नियुक्ति द्वारा होती और पदों का वेतनमान रु.32,400/- से अधिक नहीं हो, परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होगी ।

बशर्ते कि, श्रेणी-I और श्रेणी-IV के वर्गों में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

बशर्ते कि, यदि कोई कर्मचारी किसी ग्रेड या पद पर परिवीक्षा पर होते हुए उसकी नियुक्ति उच्चतर ग्रेड अथवा पद में स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु हुई हो तो उसे अपने न्यूनतर ग्रेड अथवा पद में परिवीक्षा अवधि पूरा करने की गणना उच्चतर ग्रेड अथवा पद करने का हक होगा। इसी प्रकार यदि कोई कर्मचारी किसी ग्रेड अथवा पद में पहले स्थानापन्न नियुक्ति पर रहा हो, वह अनुरूप ग्रेड अथवा पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त होने पर, वह उस ग्रेड अथवा पद में परिवीक्षा पूरा करने के लिए ऐसी स्थानापन्न स्थापन अवधि (तदर्थ सेवा को छोड़कर) को गिनने के लिए पात्र होंगे।

2. यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त समझे परिवीक्षा अवधि को एक समय में निश्चित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकती है, पर ऐसी वृद्धि की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि कर्मचारी के खिलाफ लम्बित किसी विभागीय या कानूनी कार्यवाही के कारण अवधि के विस्तार की जरूरत न हो।
3. कर्मचारी की अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान ऐसा विभागीय प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसे विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा, जैसा कि इस सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

20. परिवीक्षा पर कर्मचारियों का पुष्टीकरण

1. सामान्य:

- (i). कर्मचारी के सेवा काल में एक बार पुष्टीकरण होगा, जो प्रारंभिक ग्रेड में किया जाएगा।
- (ii). ग्रेड में स्थायी रिक्ति की उपलब्धता से पुष्टीकरण अलग किया जाता है। अन्य शब्दों में अधिकारी जिन्होंने सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि को पूरा किया हो, उन्हें पुष्टीकरण के लिए विचार किया जा सकता है।

2. उस ग्रेड में पुष्टीकरण जिसमें प्रारंभिक नियुक्ति हुई है

- (i). जैसा कि वर्तमान में है नियोग पाने वाले को परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप से पूरी करनी चाहिए।
- (ii). मामले को डीपीसी (पुष्टीकरण हेतु) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii). जब सभी दृष्टिकोण से मामला सही हो तो पुष्टीकरण का निश्चित आदेश जारी किया जाएगा।

3. पदोन्नति पर

- (i). यदि नियुक्ति नियमों में कोई परिवीक्षा निर्धारित नहीं की गई है, कोई अधिकारी नियमित आधार पर पदोन्नति होता है (निर्धारित डीपीसी इत्यादि प्रक्रिया के पालन के पश्चात्) उन्हें सभी लाभ दिए जाएंगे, जो उक्त ग्रेड में पुष्टिकृत व्यक्तियों को मिलते हैं।
- (ii). जहाँ परिवीक्षा निर्धारित है, परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के पूरा होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अधिकारी के कार्य और आचरण का मूल्यांकन करेंगे और यदि वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधिकारी उच्च पद धारण के लिए उपयुक्त हैं, वे इस आशय से आदेश पारित करेंगे और घोषित करेंगे कि संबद्ध

अधिकारी ने परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा किया है । यदि, अधिकारी का कार्य संतोषप्रद नहीं हुआ अथवा कुछ और समय तक उसे परखें जाने की आवश्यकता है, वे उस अधिकारी को उस पद या ग्रेड में लौटा सकते हैं, जहां से उनकी पदोन्नति हुई है अथवा परीक्षा अवधि बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मामले की आवश्यकता हो ।

चूंकि किसी आधिकारिक को संतोषप्रद परीक्षा पूरी किए जाने की घोषणा करने से पहले उनकी पदोन्नति पर पुष्टीकरण नहीं होगा, उनके कार्य-पालन की कड़ी जांच की जाएगी और यदि परीक्षा के दौरान उस अधिकारी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है उसे उस पदग्रेड से जिससे उसे पदोन्नत किया गया है, पर वापस भेजने में कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए ।

परीक्षार्थियों का पुष्टीकरण: परीक्षा की निश्चित शर्तों सहित सीधी नियुक्ति के रूप में किसी व्यक्ति की स्थायी पद पर नियुक्ति होती है, उस ग्रेड में पुष्टीकरण, परीक्षा अवधि की सफलता पूर्वक पूरा किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा । यह निर्णय कि क्या उसकी पुष्टि की जानी चाहिए अथवा उसकी परीक्षा अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा अवधि के पूरा होने के बाद शीघ्र जो सामान्यतरु 6 से 8 सप्ताह के अन्दर लिया जाना चाहिए और कर्मचारी को और उन कारणों का उल्लेख सूचित किया जाना चाहिए और करते हुए जिस के लिए परीक्षा अवधि बढ़ाई गई है । यद्यपि, डीपीसी की बैठक सीधी नियुक्ति की परीक्षा अवधि के शेष होने के पश्चात् होती है, व्यक्ति स्थायी पद पर परीक्षा की निर्धारित शर्तों के साथ नियुक्त होता है, उसे ग्रेड में परीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने की तिथि के प्रभाव से पुष्टि की जाएगी । यदि परीक्षार्थी संतोषप्रद प्रगति नहीं करता है अथवा वह सेवा के लिए स्वयं को अपर्याप्त दर्शाता है, तो उसे मूल परीक्षा अवधि के पूरा होने के पर्याप्त समय रहते उसकी कमियों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह अपनी उन्नति हेतु कठिन प्रयास कर सके ।

परीक्षा के मामले में डीपीसी द्वारा, अधिकारी के संबंधित ग्रेडिंग का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए किंतु वह सिर्फ यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या उन्हें संतोषप्रद परीक्षा पूरी किए जाने की घोषणा की जानी चाहिए । यदि किसी परीक्षार्थी का निष्पादन संतोषप्रद नहीं होता है, डीपीसी परामर्श देगी कि क्या परीक्षा की अवधि बढ़ायी जानी चाहिए अथवा सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए ।

21. परीक्षा पर कर्मचारियों की बर्खास्तगी अथवा प्रत्यावर्तन

1. नियम 19 में निर्धारित परीक्षा अवधि के अंत में पुष्टीकरण हेतु यदि किसी कर्मचारी को उसकी प्रथम नियुक्ति में परीक्षा पर उसके आचरण और कार्यपालन के आधार पर उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो उसे मण्डल की सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा ।
2. यदि कोई कर्मचारी परीक्षा पर हो, जो किसी पद पर ग्रहणाधिकार रखता हो, और विनियम 19 के तहत यथानिर्धारित परीक्षा की अवधि नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार पूरी नहीं करता है, उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पर वह ग्रहणाधिकार रखता है ।
3. यदि किसी पद पर परीक्षा अवधि के दौरान किसी कर्मचारी को उस पद पर बनाए रखने के 'अनुपयुक्त' समझा जाता है, जो उसके कार्य-निष्पादन अथवा आचरण अथवा विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर, यदि निर्धारित होता है, वे सेवा से किसी भी

समय बर्खास्त योग्य माना जाएगा यदि उन्हें किसी पद पर ग्रहणाधिकार नहीं हो अथवा उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जाएगा जिस पर ग्रहणाधिकार है ।

22. कुछ मामलों में पदोन्नति, पुष्टीकरण के लिए विभागीय परीक्षा

अध्यक्ष समय-समय पर, पद में पुष्टीकरण अथवा उसमें पदोन्नति जिसमें विभागीय परीक्षा पास की जानी है, यदि कोई हो, निर्दिष्ट कर सकते हैं । अध्यक्ष समय-समय पर अर्हकारी विभागीय परीक्षा के विवरण तय कर सकते हैं, जैसा कि परीक्षा लेने की प्रक्रिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम, आयोजित की जाने वाली परीक्षा का अंतराल, उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा पास करने की अधिकतम अवधि, आदि ।

23. विभागीय परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के कारण प्रत्यावर्तन

किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी को अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे अर्हकारी विभागीय परीक्षा तथा उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर पास करनी होती है, जिससे चूक जाने पर कर्मचारी को प्रत्यावर्तित किया जाएगा । उच्चतर पद पर पदोन्नति की स्थापित शर्तों के अनुसार जब परीक्षा पास करनी निर्धारित होती है, किसी भी कर्मचारी को निर्धारित परीक्षा पास किए बिना उसकी पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

24. वरीयता सूची

प्रत्येक ग्रेड के लिए कर्मचारियों की वरीयता दर्शाती अद्यतन ग्रेडेशन सूची अनुरक्षित की जाएगी । प्रत्येक ग्रेड में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को पृथक रूप से सूची में दर्शाया जाएगा । सूची प्रत्येक वर्ष परिचालित की जाएगी ।

25. वरीयता का निर्धारण

- 1). किसी ग्रेड में सीधे नियुक्त किए गए व्यक्तियों और विभागीय पदोन्नति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की वरीयता, सीधी नियुक्ति और पदोन्नति के मध्य रिक्तियों के क्रमावर्तन के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जो अनुसूची में दर्शाई गई सीधी नियुक्तियों और पदोन्नति के लिए आरक्षित ग्रेड में रिक्तियों के कोटे पर आधारित होगी, जैसा कि सूची में उल्लिखित है । ऐसे मामलों, जहाँ नियम 6 के अनुसार रिक्तियों का आदान-प्रदान किया गया है, वहां पदों पर नियुक्तियां वरीयता के आधार पर की जाएंगी ।
- 2). सीधी नियुक्ति मेरिट के आधार पर परस्पर क्रमबद्ध की जाएगी, जिसमें उन्हें परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों में उनके निष्पादन के आधार पर चयन सूची में रखा जाता है, पूर्ववर्ती चयन सूची के व्यक्ति परवर्ती चयन सूची से वरिष्ठ होते हैं ।
- 3). रिक्त पदों के पदोन्नति कोटा के सापेक्ष नियुक्त व्यक्ति की परस्पर क्रमबद्धता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति के लिए अनुमोदित की जाएगी ।
- 4). उपरोक्त उप विनियम (1) से (3) में निहित किसी के न होने पर इन विनियमों के प्रारंभ के पूर्व से निर्धारित वरिष्ठता अप्रभावी रहेगी ।

26. विभागीय पदोन्नति समिति

- 1). इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु कर्मचारियों की तालिका की अनुशंसा हेतु प्रत्येक ग्रेड व पद के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति होगी ।
- 2). जैसा कि विनियम 12 में निहित है , विभागीय पदोन्नति समिति का गठन सेवा चयन समिति के अनुसार होगा और तालिका की वैधता विनियम 13 के अनुसार होगा ।

27. पदोन्नति हेतु चयन के क्षेत्र

- 1). फीडर ग्रेड में धारित पदों के कर्मचारियों से चयन विधि के मार्फत पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु जहां एक अथवा एकाधिक पद वांछित हो, वहां निर्धारित चयन नियमों के अनुसार, पात्र पदधारक कर्मचारी, जिन्हें पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता और अनुभव प्राप्त हैं, पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा, यदि वे विचारयोग्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हों ।
- 2). चयन विधि के मार्फत पदोन्नति हेतु कर्मचारियों की अनुशंसा करते समय निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।
 - (क) विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार उन अधिकारियों की योग्यता निर्धारित की जाएगी, जिनकी पदोन्नति हेतु समीक्षा की जा रही है और तदनुसार अधिकारियों को 'उपयुक्त' या 'अनुपयुक्त' के रूप में वर्गीकृत करेगी और तदनुसार केवल मात्र उन्हें, जो कि डीपीसी द्वारा "उपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे तथा उन्हें शामिल किए जाएंगे और उन्हें चयन सूची में फीडर ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के क्रम में रखा जाएगा । वे अधिकारी जिन्हें डीपीसी द्वारा 'अनुपयुक्त' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा ।
 - (ख) विभागीय पदोन्नति समितियां योग्य कर्मचारियों के मामले पर भी विचार करेंगी, जो विदेश सेवा पर हैं अथवा अध्ययन अवकाश पर हैं ।
 - (ग) सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में, अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का आवश्यक परिवर्तनों सहित डीपीसी कार्यवाही में, अनुपालन किया जाएगा ।

नोट: वेतमान रु.32,900-58,000 और इससे ऊपर के पदों पर समावेशन हेतु और जिसके लिए चयन की एकीकृत प्रक्रिया ग्रहण की जाती है, समग्र ग्रेडिंग का बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' रहना होगा। अन्य सभी मामले में बेंचमार्क 'अच्छा' रहना होगा।

- 3). गैर-चयन पदों पर पदोन्नति हेतु जहाँ बेंचमार्क निर्धारित नहीं है, चयन प्रक्रिया वरिष्ठता-सह- उपयुक्ता होगी

28. तदर्थ नियुक्ति

तत्काल आवश्यकता की दशा में, जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित तालिका का उपयोग किया जा चुका हो, पद की विशुद्ध तदर्थ नियुक्ति फीडर ग्रेड के वरिष्ठतम योग्य एवं उपयुक्त कर्मचारी की नियुक्ति नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है, अथवा छरू महीने की अवधि हेतु एक समय में तैनात किया जा सकता है और इसकी अवधि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नई तालिका की अनुशंसा किए जाने तक अथवा एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो भी पहले हो। तदर्थ नियुक्ति, जहाँ अपरिहार्य हो, नियुक्ति तमी की जानी चाहिए जबकि नियोग नियम में दी गई अर्हताएं, अनुभव को सक्रियता से परीपूर्ण पाया जाता है।

29. अनुकम्पा नियुक्ति

इन विनियमों में किसी के न होने के बावजूद, अध्यक्ष इन विनियमों में निर्धारित सामान्य नियुक्ति की प्रक्रिया को अलग रखते हुए मंडल के किसी कर्मचारी, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में होती है, उनकी पत्नी अथवा वैध पुत्र अथवा पुत्री की नियुक्ति श्रेणी—III अथवा श्रेणी—IX पदों पर कर सकते हैं, यदि नियुक्ति किए जाने वाले ब्याक्ति के पास निर्धारित अर्हता और अनुभव हो और उसे अन्यथा उपयुक्त पाया गया हो।

30. व्याख्या

इन विनियमों को लागू करने में, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सभी अनुदेशों का जो इन विनियमों के प्रावधानों के विरोधी न हों, जो मामले को निश्चित रूप से आच्छादित करते हो, अनुपालन किया जाएगा। इन विनियमों के किसी व्याख्या में किसी संदेह के उठने पर निर्णय हेतु मामले को अध्यक्ष के समक्ष संदर्भित किया जाएगा।

इन विनियमों को, अधिसूचना की वर्तमान तिथि से विभिन्न वेतनमान और वेतन बिन्दुओं आदि के लिए लागू किया जाएगा और भविष्य में समय-समय पर यथा संशोधित होता रहेगा।

31. निरस्त और बचत

इन विनियमों के अनुक्रम में सभी विनियमनों प्रक्रियाओं, रीतियों और रिवाजों तथा इन विनियमों के शुरु होने के पूर्व तत्काल लागू और एतद्वारा निरस्त होता है।

बशर्ते कि विनियमों के अंतर्गत दी गई प्रक्रियाओं, रीति-रिवाजों के तहत दिए गए आदेशों, जो कि निरस्त किए गए हैं, यह समझा जाएगा कि इन विनियमों के अनुरूप प्रावधानों के तहत किए गए हैं।

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2013

कोलकाता गोदी प्रणाली

कोलकाता गोदी प्रणाली की अनुसूची

सामान्य प्रशासन विभाग(जीएडी) के अंतर्गत (मुख्य प्रशासन) विभाग के श्रेणी-I पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा नैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र (ख) शैक्षिक योग्यता अनुभव पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के लागू होने	परिष्कार की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	वरिष्ठ सहायक सचिव/ वरिष्ठ सहायक सचिव (पीआर)	4	श्रेणी-I	रु. 20,600 -46,500 / --	चयन	30	अनिवार्य किसी भी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। वांछनीय (1). कार्मिक प्रबंधन/ औद्योगिक संपर्क/ सामाजिक कार्य/ श्रमिक कल्याण अथवा अनुबंधिक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कानून	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा 66. 2/3% पदोन्नति द्वारा 33. 1/3%	पदोन्नति: सहायक सचिव, पद से वेतनमान रु. 16,400 -40,500/- के पद में 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ, जिसके न होने पर अधिकारी ने अगर सहायक सचिव के समतुल्य पद पर, जीएडी की संबद्ध विधाओं में वेतनमान रु. 16,400 -40,500/- पर उस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, से पदोन्नति	कनि.सहायक सचिव, पीआरओ और सहायक सचिव के वर्तमान पद को वरि. सहायक सचिव/ वरि. सहायक सचिव (पीआर) के रूप में पदनामित किया जाएगा
2	वरिष्ठ सहायक सचिव/ वरिष्ठ सहायक सचिव (पीआर)	4	श्रेणी-I	रु. 20,600 -46,500 / --	चयन	30	अनिवार्य किसी भी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। वांछनीय (1). कार्मिक प्रबंधन/ औद्योगिक संपर्क/ सामाजिक कार्य/ श्रमिक कल्याण अथवा अनुबंधिक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कानून	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा 66. 2/3% पदोन्नति द्वारा 33. 1/3%	पदोन्नति: सहायक सचिव, पद से वेतनमान रु. 16,400 -40,500/- के पद में 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ, जिसके न होने पर अधिकारी ने अगर सहायक सचिव के समतुल्य पद पर, जीएडी की संबद्ध विधाओं में वेतनमान रु. 16,400 -40,500/- पर उस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, से पदोन्नति	कनि.सहायक सचिव, पीआरओ और सहायक सचिव के वर्तमान पद को वरि. सहायक सचिव/ वरि. सहायक सचिव (पीआर) के रूप में पदनामित किया जाएगा

3	वरि उप सचिव	2	श्रेणी-I	रु. 32900 -58000 /-	चयन	37	<p>अनिवार्य</p> <p>(i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से किसी भी क्षेत्र में स्नातक।</p> <p>(ii). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संपर्क आदि के क्षेत्र में कार्यपालक कैडर के रूप में 9</p>	<p>(क) नहीं</p> <p>(ख) हाँ</p> <p>(ग) नहीं</p>	लागू नहीं	<p>सामासिक विधि द्वारा समावेशन, जिसके न होने पर अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>सामासिक विधि के माफ़त समावेशन हेतु अधिकारी जो समतुल्य पदधारित हैं अथवा किसी महापत्तन न्यास में उपसचिव और जीएडी की संबद्ध विधाओं में समतुल्य पद वेतनमान रु. 24,900-50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हैं अथवा जीएडी की संबद्ध विधाओं में उपसचिव और समतुल्य</p>	<p>विशेष कार्यधिकारी (ओएनडब्ल्यू) का वर्तमान पद वरि उप सचिव के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।</p>	<p>-46,500/- पर उस ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हैं।</p> <p>समावेशन/प्रतिनियुक्त अधिकारी जो सदृश पद धारित हैं अथवा किसी महापत्तन न्यास में वरि. सहायक सचिव के पद पर और अन्य समतुल्य पद पर, वेतनमान. रु. 20,800 -46500/- के पद से 4 वर्षों की नियमित सेवा में रह चुके हों।</p>
---	-------------	---	----------	------------------------------	-----	----	--	--	-----------	--	--	---	--

वांछनीय

(i). कार्मिक प्रबंधन/ औद्योगिक संपर्क/ सामाजिक कार्य/ श्रमिक कल्याण अथवा आनुवंशिक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्थान से कानून की डिग्री अथवा

(ii). जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा और जन संपर्क के क्षेत्र में कार्यपालक कैडर में 5 वर्षों का अनुभव भी वांछनीय है

4	सचिव	1	श्रेणी-I (विभागा ध्यक्ष)	रु. 51,300- 73,000 /-	चयन	40	वांछनीय (i). कार्मिक प्रबंधन/ औद्योगिक संपर्क/ सामाजिक कार्य/ श्रमिक कल्याण अथवा आनुवंशिक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्थान से कानून की डिग्री अथवा (ii). जन संपर्क में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा और जन संपर्क के क्षेत्र में कार्यपालक कैडर में 9 वर्षों का अनुभव भी वांछनीय है	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	सामासिक विधि द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	सामासिक विधि के मार्फत समावेशन हेतु अधिकारी जो समतुल्य पदधारित हों अथवा संवर्ग-II पोर्ट में सचिव के पद पर उक्त ग्रेड में दो वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों अथवा अधिकारी जो वेतनमान रु. 36,600-62,000/- के ग्रेड में 4 वर्षों की	पद में, उस ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा और महापत्तन न्यास में वेतनमान रु. 20,800-46,500/- और रु. 24,900-50,500/- में 7 वर्षों की सम्मिलित नियमित सेवा धारित पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकारी जो सद्दु श पद धारित हैं अथवा सरकारी/पीएसयू अथवा स्वायत्तशासी निकाय में वेतनमान. रु. 24,900-50,500/- में जीएडी की किसी संबद्ध विधाओं में उपस्थित और अन्य समतुल्य पद के ग्रेड पर 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगी जिसके लिए एपीएआर की ग्रेडिंग में समग्र रूप से बहुत अच्छा से कम नहीं होगा।
---	------	---	--------------------------------	-----------------------------	-----	----	--	---------------------------------	--------------	--	--	--

सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य प्रशासन) के हिन्दी अधिकारी व कल्याण अधिकारी(खेल) के लिए नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा गैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र शैक्षिक योग्यता अनुभव पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिसेसे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	हिन्दी अधिकारी	1	श्रेणी-I	रु. 20600-46500 / -	चयन	30	(i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से हिन्दी में एम.ए. की योग्यता अनिवार्य, साथ ही स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय अथवा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी में बी.ए. (आनर्स) के साथ हिन्दी में डिग्री अथवा स्नातकोत्तर की डिग्री (ii). हिन्दी में शब्दावली कार्य में और अनुवाद कार्य में अंग्रेजी से हिन्दी और विलोमतः 5 वर्षों का अनुभव अथवा शिक्षण, अनुसंधान, लेखन अथवा हिन्दी में	(क) नहीं (ख) हों (ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति: प्रशासन विभाग में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर, वेतनमान रु. 13,600-32,400/- के उक्त ग्रेड पर 6 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव होने पर, उक्त पद से पदोन्नति द्वारा, अथवा हिन्दी सहायक के पद पर वेतनमान रु. 11,000-29,400/- पर 10 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव होने पर, समावेशन/प्रतिनियुक्ति: सदृश पदधारित अधिकारी अथवा किसी महापत्तन न्यास में वरि. हिन्दी अनुवादक, वेतनमान रु. 13600-32400 के ग्रेड	13 हिन्दी अधिकारी का वर्तमान पद वरि. सहायकसचिव (हिन्दी) के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य प्रशासन) (सुरक्षा स्कंध) के श्रेणी-I पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा गैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र शैक्षिक योग्यता (ख) अनुभव तथा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए होने	परिवर्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	सहायक अधीक्षक (सुरक्षा)	1	श्रेणी-I	रु. 20,600-48,500/-	चयन	30	अनिवार्य (1). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक की डिग्री - अनुभव : भूतपूर्व आर्मी ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट के पद के नीचे का न हो अथवा समतुल्य पदधारित अथवा भूतपूर्व पुलिस ऑफिसर जो इंसपेक्टर के पद के नीचे का न हो, जिसकी कम से कम 6 वर्ष का अनुभव हो	9 (क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	10 2	11 सीधी भर्ती द्वारा 66.2/3% पदोन्नति द्वारा 33.1/3% इसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा (*)	12 पदोन्नति: सुरक्षा अधिकारी के पद से, वेतनमान रु. 16,400/-—40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, समावेशन/प्रतिनियुक्ति समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा किसी महापत्तन न्यास में सुरक्षा अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 16,400/-—40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित, पदधारित अधिकारी पात्र होंगे	13

* जिन विभागों/प्रभागों में, जहाँ सीधी नियुक्ति का प्रतिशत, अब निर्धारित प्रतिशत से ज्यादा है, वहाँ वही जारी रहेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य प्रशासन) में निजी सचिव हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा नैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उन्न सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उन्न शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव तथा पदोन्नति/समावेशन/प्रतियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के निजी सचिव	2	श्रेणी-I	रु. 20,600-46,500/-	चयन	30	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक की डिग्री (ii). स्टेनोग्राफी और टाइपिंग में क्रमशः 120/40 शब्द प्रति मिनट की गति में प्रवीणता (iii). कम्प्यूटर प्रयोग की जानकारी (iv). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में स्टेनोग्राफर / पी. ए. के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) नहीं (ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर समावेशन/प्रतियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति: विभागाध्यक्ष के पी.ए. वेतनमान रु. 16400-40500/- में इस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, समावेशन/प्रतियुक्ति किसी महापत्तन न्यास में सदृश पदधारित अथवा फीडर पद पर उस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	

2	अध्यक्ष के दफ्तर निजी सचिव	1	श्रेणी—I	रु. 24900- 50,500 /-	चयन	35	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की डिग्री (ii). स्टैमोप्राफी और टाइपिंग में क्रमशः 120/40 शब्द प्रति मिनट की गति में प्रवीणता (iii). कम्प्यूटर प्रयोग की जानकारी	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	प्रदोन्ति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा,	प्रदोन्ति उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के निजी सचिव वेतनमान रु. 20600-48500/- के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा से प्रदोन्ति, जिसके न होने पर, उपाध्यक्ष के निजी सचिव/अध्यक्ष के निजी सचिव के पद से जो वेतनमान रु. 20,600-48,500/- में 2 वर्षों की नियमित सेवा की हो और वेतनमान रु. 20,600-46,500/- तथा वेतनमान रु. 16,400-40,500/- में 8 वर्षों की सम्मिलित नियमित सेवा की हो। समावेशन/प्रतिनियुक्ति किसी महापतन न्यास में समुत्पन्न पदधारित अधिकारी अथवा उपाध्यक्ष के निजी सचिव/अध्यक्ष के निजी सचिव पद पर वेतनमान रु. 20600-46500/- के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	अध्यक्ष के निजी सचिव - सह कार्यालय के सहायक के पद को अध्यक्ष के दफ्तर निजी सचिव के रूप में पदनामित किया जाएगा
---	----------------------------	---	----------	-------------------------------	-----	----	---	---------------------------	---	--	---	---

संयोजक, असाधारण विभाग के लिये प्रस्तावित विधि प्रभाग में असाधारण पद का लिए शैक्षणिक नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पूर्व की संख्या	वर्गीकरण	वर्तमान अथवा नया दर	वर्धमान दर	सीमा के लिए उर्ध्व उन्नत सीमा (वर्षों में)	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री। वाछनीय (i). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्थाओं सरकारी उपक्रमों की विधि स्थापना में दो वर्षों का कार्यपालक स्तर का अनुभव। (ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री	श्रेणी भर्ती के लिए (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिष्कार की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क) सीधी भर्ती (ख) 2/3% पदोन्नति द्वारा (ग) 1/3%	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में यह प्रश्न जिससे यह किण जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वरि. विधि अधिकारी	5	श्रेणी-I	₹20,600 -48,500 /-	चयन	30	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री। वाछनीय (i). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्थाओं सरकारी उपक्रमों की विधि स्थापना में दो वर्षों का कार्यपालक स्तर का अनुभव। (ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री	(क) नहीं (ख) हों (ग) नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा 66.2/3% पदोन्नति द्वारा 33.1/3%	पदोन्नति: विधि प्रभाग के इस क्षेत्र में श्रेणी-III कर्मचारी के पद से, जिसका वेतनमान कार्यालय अधीक्षक के समतुल्य हो, उस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, जहां उस क्षेत्र में श्रेणी-II का पद न हो, की जाएगी, जिसके न होने पर कार्यालय अधीक्षक के समतुल्य अधिकारी (श्रेणी-III पर्यवेक्षक पद) जो जीएडी के संबद्ध विद्याओं में समतुल्य पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, पात्र होंगे।	सहायक विधि सलाहकार और उपविधि सलाहकार का वर्तमान पद, वेतनमान रु. 20,600-46,500/- को वरि. विधि अधिकारी के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।
2	उप. मुख्य विधि	1	श्रेणी-I	₹24,900 -50,500	चयन	35	अनिवार्य (i). किसी किसी	(क) नहीं (ख) हों	2	पदोन्नति द्वारा,	पदोन्नति वरिष्ठ विधि अधिकारी	

अधिकारी	1	श्रेणी-I	₹32,900 -58,000 /-	चयन	37	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री (ii). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम की विधिक स्थापना में 5 वर्षों का कार्यपालक स्तर का अनुभव। वाछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री।	(ग) नहीं	जिसके न होने पर, समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पद पर, वेतनमान रु. 20,600-46,500/- में इस ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा की हो, से पवॉलन्ति, जिसके न होने पर, (ii). जीएडी के संबद्ध क्षेत्रों में वरिष्ठ विधि अधिकारी के समतुल्य पद पर, वेतनमान रु. 20,600-46,500/- में इस ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा की हो। समावेशन/प्रतिनियुक्ति किसी महापत्तन न्यास में समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर, वेतनमान रु. 20,600-46,500/- में 4 वर्षों की नियमित सेवा की हो।	विधि सलाहकार के वर्तमान पद को मुख्य विधि अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाएगा।
मुख्य विधि अधिकारी	3	श्रेणी-I	₹32,900 -58,000 /-	चयन	37	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री (ii). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम की विधिक स्थापना में 9 वर्षों का कार्यपालक स्तर का अनुभव वाछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री।	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	सामासिक विधि से समावेशन द्वारा, जिसके न होने पर किसी अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर, सीधी नियुक्ति द्वारा	समावेशन के लिए सामासिक विधि के मार्फत समतुल्य पदधारित अधिकारीगण अथवा किसी महापत्तन न्यास में जीएडी के अनुवर्ती क्षेत्रों में उप मुख्य विधि अधिकारी अथवा समतुल्य पदों पर, वेतनमान रु. 24,900-50,500/- के इस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो अथवा जीएडी के अनुवर्ती क्षेत्रों में उप मुख्य विधि अधिकारी अथवा समतुल्य पद पर,	

विषय
विभाग
केंद्र

संयुक्त निदेशिका
अधिकांश
वैद्यकीय
2017-18-19-2018-19
अधिकांश

24,500-50,500/-
इस प्रेषण में 7 वर्षों की
संयुक्त निदेशिका सेवा
की हो, दे पाए होंगे।
प्रतिभियुक्ति हेतु
समस्त पदधारित
अधिकारी अथवा
सरकारी, सामाजिक
उपक्रमों अथवा
स्वायत्तशासी निकायों में
उप मुख्य विधि
अधिकारी अथवा जीएडी
के सबख विधाओं में
समस्त पदधारित
अधिकारी जो वेतनमान
रु 24,900 रु 50,500
के प्रेषण में 3 वर्षों की
नियमित सेवा की हो, वे
पात्र होंगे।
चयन समितियों के अध्यक्ष
पर होंगे किन्तु के लिए
एपीएडस के प्रेषण में
अन्य पदों के लिए
अनुसंधान के लिए
होंगे।

विषय
विभाग
केंद्र

संयुक्त निदेशिका 2017-18-19-2018-19 अधिकांश

सामान्य प्रशासन विभाग के तहत श्रम और औद्योगिकसंपर्कविभाग/एल एड आईआर) के श्रेणी-1 पदों के लिए नियुक्ति नियम।

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयनित अथवा नैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (ख) योग्यता अनुभव पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए लाए होंगे	परिवर्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	उप कार्मिक अधिकारी		श्रेणी-1	रु. 20,600-46,500 /-	चयन	30	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री बांछनीय (ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संपर्क/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा आनुवंशिक विषयों में स्नातक की डिग्री/डिप्लोमा अथवा कानून की डिग्री (iii). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/	(क) नहीं (ख) हों (ग) नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा 66.2/3% पदोन्नति द्वारा 33.1/3%	पदोन्नति: सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 16,400/-—40500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, से पदोन्नति अथवा एल एड आईआर प्रभाग के संबद्ध विधाओं में कार्यलय अधीक्षक के पद के वेतनमान पर श्रेणी III कर्मचारी, जिन्होंने उक्त ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो, जहां श्रेणी-II का पद न हो, अथवा जिसके न होने पर जीएडी के संबद्ध विधाओं में सहायक कार्मिक अधिकारी के समतुल्य पद धारित अधिकारी ने वेतनमान रु.	13 श्रम अधिकारी कल्याण अधिकारी कार्मिक अधिकारी जो वेतनमान रु. 20,600-46,500 /- के वर्तमान पद पर हैं उनके पदों को उप कार्मिक अधिकारी के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा

2	कार्मिक अधिकारी	1	श्रेणी-I	रु24900 --50,500	चयन	35	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से स्नातक (ii). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संपर्क, इत्यादि के क्षेत्र में कार्यपालक कैडर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव वाछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संपर्क/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा आनुषंगिक विषय में स्नातक डिग्री/डिप्लोमा अथवा कानून की डिग्री	(क) नहीं (ख)हाँ (ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति (i). उप कार्मिक अधिकारी वेतनमान रु. 20600/—46500/— के ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा सहित, से पदोन्नति जिसके न होने पर (ii). जीएडी की संबद्ध विधाओं में कार्मिक अधिकारी समतुल्य पद धारित अधिकारी, जिन्होंने वेतनमान रु. 20600/—46500/— के ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा सहित । समावेशन/प्रतिनियुक्ति समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा महापत्तन में जीएडी के संबद्ध विधाओं में उपकार्मिक अधिकारी/उप कल्याण अधिकारी अथवा समतुल्य पदधारित अधिकारी, वेतनमान रु. 20600/—46500/— के ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा सहित ।	उप श्रम सलाहकार व औद्योगिक संपर्क अधिकारी, वेतनमान रु. 24900--50,500/— के वर्तमान पद, को कार्मिक अधिकारी के रूप में पुनरुप पदनामित किया जाएगा	16,400/—40500/— के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो,
---	-----------------	---	----------	---------------------	-----	----	--	--------------------------------	---	--	--	---	---

3	वरी कार्मिक अधिकारी	1	श्रेणी-I	रु32900-58000	चयन	37	<p>अनिवार्य</p> <p>(i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्थान से स्नातक</p> <p>(ii). किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संपर्क इत्यादि के क्षेत्र में कार्यपालक केंद्र के रूप में नौ वर्ष का अनुभव</p> <p>वांछनीय</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/ औद्योगिक संपर्क/ सामाजिक कार्य/ श्रम कल्याण अथवा आनुवंशिक विषय में स्नातक की डिग्री/ डिप्लोमा अथवा कानून की डिग्री।</p>	<p>(क) नहीं</p> <p>(ख) हाँ</p> <p>(ग) नहीं</p>	2	<p>सामासिक विधि से समावेशन द्वारा जिसके न होने पर किसी अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर, सीधी नियुक्ति द्वारा</p>	<p>सामासिक विधि से समावेशन हेतु, समतुल्य पद धारित अधिकारी जीएडी के संबद्ध विधाओं में कार्मिक अधिकारी, अथवा समतुल्य पदधारित अधिकारी वेतनमान रु. 24900/-—50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा जीएडी के संबद्ध विधाओं में कार्मिक अधिकारी और समतुल्य पदधारित अधिकारी, उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित। तथा किसी महापत्तन न्यास में जीएडी की संबद्ध विधाओं में वेतनमान रु. 20600/-—46500/- तथा 24900/-—50,500/- में संयुक्त रूप से 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित अधिकारी पात्र होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति हेतु समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा सरकारी लोक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय में कार्मिक अधिकारी अथवा जीएडी के संबद्ध विधाओं में समतुल्य पद वेतनमान रु.</p>	<p>उप श्रम सलाहकार व औद्योगिक संपर्क अधिकारी, वेतनमान रु. 24900-50,500/- के वर्तमान पद, को कार्मिक अधिकारी के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा</p>
---	---------------------	---	----------	---------------	-----	----	--	--	---	--	---	---

<p>अथवा (ii). भौतिकी और रसायन में मान्य डिग्री तथा पत्तन अथवा सदृश्य स्थानों में सामान्य क्षमता में कार्य का व्यवहारिक अनुभव जो न्यूनतम 5 वर्ष अवश्य हो । अथवा (iii). इंजीनियरिंग अथवा तकनीकी के किसी भी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा तथा पत्तन अथवा सदृश्य स्थानों में पर्यवेक्षकीय क्षमता में व्यवहारिक अनुभव जो न्यूनतम 2 वर्ष अवश्य हो (iv). केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुरक्षा में डिग्री अथवा डिप्लोमा ।</p>

सामान्य प्रशासन विभाग के तहत भूसम्पदा प्रभाग में श्रेणी-I पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	श्रेणी	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा गैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उन्न सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक तथा अन्य अहंताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उन्न शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव तथा (ख) पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिचीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (यथा सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वह वेतन जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	वरि सहायक भूसम्पदा प्रबंधक	4	श्रेणी-I	रु. 20,600-46,500 / -	चयन	30	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से आर्किटेक्चर/टाउन तथा कंट्री प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा अथवा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री अथवा इस्ट्रीट्यूट ऑफ सर्वेयर (इंडिया) की कॉर्रेस्पॉन्डेंट सदस्यता वांछनीय (ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कानून की डिग्री (iii). किसी औद्योगिक	9 (क) नहीं (ख) नहीं, तथापि, मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से डिप्लोमा अनिवार्य है किन्तु केओपीटी के कार्यरत कार्मिकों के लिए आरएसपी विनियम के अधिसूचित होने की तिथि से यह डिप्लोमा आवश्यक नहीं होगा और उनके मामले में किसी भी	2	सीधी भर्ती द्वारा 66. 2/3% पदोन्नति द्वारा 33. 1/3%	पदोन्नति सहायक भूसम्पदा प्रबंधक वेतनमान रु. 16,400 / -—40,500 / - के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित, से पदोन्नति जिसके न होने पर जीएडी के संबद्ध विधाओं में सहायक भूसम्पदा प्रबंधक समतुल्य पद धारित अधिकारी. वेतनमान रु. 16,400 / -—40,500 / - के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित ।	13 सहायक भूमि प्रबंधक और उप भूमि प्रबंधक, वेतनमान रु. 20,600-46,500 / - के वर्तमान पद, को वरि. सहायक भूसम्पदा प्रबंधक के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा

2	उप भूसम्पदा प्रबंधक	1	श्रेणी—I	रु. 24900— 50,500 /—	चयन	35	<p>/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में भूसम्पदा प्रबंधन मूल्यांकन अथवा लैंड रिकार्डों में कार्यपालक के रूप में दो वर्षों का अनुभव</p>	<p>क्षेत्र में डिग्री आवश्यक होगा । (ग) नहीं</p>	2	<p>पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>पदोन्नति (i). वरि. सहायक भूसम्पदा प्रबंधक वेतनमान रु. 20,600/—46,500/ — के ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा सहित, से पदोन्नति जिसके न होने पर (ii). जीएडी के संबद्ध विधाओं में वरि. सहायक भूसम्पदा प्रबंधक के समतुल्य पद धारित अधिकारी, वेतनमान रु. 20,600/—46,500/ — के ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा सहित ।</p>
2	उप भूसम्पदा प्रबंधक	1	श्रेणी—I	रु. 24900— 50,500 /—	चयन	35	<p>अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से आर्किटेक्चर/टाउ न तथा कंस्ट्रि प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा अथवा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ सरवेयर (इंडिया) का कॉरपोरेट सदस्यता (ii). किसी औद्योगिक /वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में भूसम्पदा प्रबंधन मूल्यांकन अथवा लैंड रिकार्डों में कार्यपालक के रूप में पांच वर्षों का अनुभव वाछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्व</p>	<p>(क) नहीं (ख) नहीं, तथापि, किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संर थान से डिप्लोमा अनिवार्य है किन्तु इस आरएसपी विनियम के अधिसूचित होने की तिथि पर केंओपीटी के कार्यरत कार्मिकों के लिए यह डिप्लोमा आवश्यक नहीं होगा और उनके मामले में किसी भी क्षेत्र में डिग्री आवश्यक होगा । (ग) नहीं</p>			

3	भूसम्पदा प्रबंधक	1	श्रेणी-I	रु. 32,900- 58,000 /-	चयन	37	विद्यालय से आनून की डिग्री। अतिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से आक्रेडिटेड एम/टाच न तथा केंद्री प्लानिंग में स्नातकोत्तर सहित डिग्री / डिप्लोमा अथवा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर (इंडिया) का कॉरपोरेट सदस्यता (ii). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में भूसम्पदा प्रबंधन मूल्यांकन अथवा लैंड रिकार्डों में कार्यपालक के रूप में नौ वर्ष का अनुभव वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कानून की डिग्री।	(क) नहीं (ख) हां, तथापि, इस आरएसपी विनियम के अधिसूचित होने की तिथि पर केओपीटी के कार्यरत कार्मिकों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा और उनके मामले में किसी भी क्षेत्र में डिग्री आवश्यक होगा। (ग) नहीं	लागू नहीं	सामासिक विधि से समावेशन द्वारा जिसके न होने पर किसी अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर, सीधी नियुक्ति द्वारा	सामासिक विधि से समावेशन हेतु, समतुल्य पद धारित अधिकारी महापत्तन न्यास में जीएडी के संबद्ध विधाओं में उप भूसम्पदा प्रबंधक, अथवा समतुल्य पदधारित अधिकारी वेतनमान रु. 24,900 /—-50,500 /— के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा जीएडी के संबद्ध विधाओं में उप भूसम्पदा प्रबंधक और समतुल्य पदधारित अधिकारी, उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित। तथा किसी महापत्तन न्यास में जीएडी के संबद्ध विधाओं में वेतनमान रु. 20,600 /—-46,500 /— तथा 24,900 /—-50,500 /— में संयुक्त रूप से 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित अधिकारी मात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा सरकारी लोक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय में उप भूसम्पदा	भूमि प्रबंधक के पद को सम्यदा प्रबंधक के रूप में पुनःपदनामित किया जाएगा।
---	------------------	---	----------	--------------------------------	-----	----	---	--	-----------	---	--	---

1	सहायक भूसम्पदा प्रबंधक (विधि)	1	श्रेणी-I	रु. 20,600- 46,500 /-	चयन	30	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से प्रचलित पाँच वर्षों का कानून की डिग्री। (ii). दस्तावेजों के मसौदा लेखन में अनुभव। सिविल और वाणिज्यिक कानून में प्रक्रिया और अभ्यास का ज्ञान तथा लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल में श्रम कानून और अभ्यास तथा प्रक्रिया का ज्ञान।	प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण हेतु। (क) नहीं (ख) हाँ, (ग) नहीं	2	लागू नहीं	स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा	सहायकभूसंप या प्रबंधक (एल) के वर्तमान पद को सहायक सम्पदा प्रबंधक (विधि) के रूप में पदनामित किया जाएगा।
	प्रबंधक अथवा जीएडी के संबद्ध विधाओं में समतुल्य पद वेतनमान रु. 24900/-—50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगी जिसके लिए एसीआर के ग्रेडिंग में समग्र रूप से 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होगा।											

*जिन विभागों/प्रभागों में, जहाँ सीधी नियुक्ति का प्रतिशत, अब निर्धारित प्रतिशत से ज्यादा है, वहाँ वही जारी रहेगा।

यातायात विभाग के श्रेणी-I पदों के लिए नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयनित अथवा गैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उन्न सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उन्न शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	वरि सहायक यातायात प्रबंधक	40	श्रेणी-I	₹20,600 -46,500	चयन	30	अनिवार्य (1). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक वांछनीय किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक सरकारी उपक्रम में पोत परिवहन/माल प्रचालन/रेलवे परिवहन में कार्यपालक के रूप में दो वर्षों का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा 66.2/3% पदोन्नति द्वारा 33.1/3%	12 पदोन्नति: वेतनमान रु. 16400/-—40500 पर सहायक यातायात प्रबंधक के ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा से पदोन्नति अथवा यातायात विभाग के कार्यालय अधीक्षक के वेतनमान पर श्रेणी III के कर्मचारियों से 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ, जहां उस क्षेत्र में वेतनमान रु. 16,400/-—40,500/- में श्रेणी-II का कोई पद न हो.	13 सहायक/अधीक्षक/सहायक रेलवे प्रबंधक/अधीक्षक/उपरेलवे प्रबंधक का वेतनमान रु. 20,800—46,500/- के वर्तमान पद, को वरि. सहायक यातायात के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा.
2	उप यातायात प्रबंधक	8	श्रेणी-I	₹24,900 -50,500 /-	चयन	35	(1) किसी भी विषय में स्नातक (II) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/	पदोन्नति: वेतनमान रु. 20,600—48,500/- के ग्रेड के 4 वर्षों की नियमित सेवा वाले वरि.	उप यातायात प्रबंधक/उप गोदी प्रबंधक के वर्तमान पद को उप

3	वरि उप यातायात प्रबंधक	2	श्रेणी-I	रु32,900 -58,000 /-	चयन	37	<p>सरकारी उपक्रम में पोत परिवहन/माल प्रचालन/रेलवे परिवहन में कार्यपालक कैंडर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव</p>	<p>सरकारी उपक्रम में प्रबंधक से पदोन्नति समावेशित/प्रतिनियुक्त किया जाएगा जो अनुरूप पद पर काम कर रहे हो या किसी महापत्तन में वरि सहायक यातायात प्रबंधक के पद पर वेतनमान रू. 20,600-46,500/- के ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>सहायक यातायात प्रबंधक से पदोन्नति समावेशित/प्रतिनियुक्त किया जाएगा जो अनुरूप पद पर काम कर रहे हो या किसी महापत्तन में वरि सहायक यातायात प्रबंधक के पद पर वेतनमान रू. 20,600-46,500/- के ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।</p>	<p>यातायात प्रबंधक के रूप में पदनामित किया जाएगा।</p>
							<p>(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>सामासिक विधि से समावेशन द्वारा जिसके न होने पर किसी अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर, सीधी नियुक्ति द्वारा</p>	<p>सामासिक विधि से समावेशन हेतु, समतुल्य पद धारित अधिकारी महापत्तन च्यास में उप यातायात प्रबंधक, का पद और यातायात विभाग के संबद्ध विधाओं में समतुल्य पदधारित अधिकारी वेतनमान रू. 24,900/-—50,500/ - के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा यातायात विभाग के अनुवर्ती क्षेत्र में उप यातायात प्रबंधक और समतुल्य पदधारित अधिकारी, उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित तथा किसी महापत्तन च्यास में यातायात विभाग के संबद्ध विधाओं में वेतनमान रू. 20,600/-—46,500/</p>	<p>गोदी प्रबंधक / रेलवे प्रबंधक के वर्तमान पद को वरि, उप यातायात प्रबंधक के रूप में पदनामित किया जाएगा।</p>

4	यातायात प्रबंधक	1	श्रेणी-I (विभागाध्यक्ष)	₹ 51,300- 73,000	चयन	40	(1). किसी भी विषय में स्नातक (ii). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में पेत परिवहन/माल प्रचालन/रेलवे परिवहन कार्यपालक कैंडिड के रूप में तेरह वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	सामासिक विधि से समावेशन द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर, सीधी नियुक्ति द्वारा	सामासिक विधि से समावेशन हेतु, समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा संवर्ग II पदतनों में यातायात प्रबंधक के पदधारित अधिकारी उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित, अथवा वेतनमान ₹. 36,600/- - 62,000/- में उक्त ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा सहित पदधारित अधिकारी	गोदी प्रबंधक / रेलवे प्रबंधक के वर्तमान पद को बरि. उप यातायात प्रबंधक के रूप में पदनामित किया जाएगा।	तथा 24,900 / - - 50,500 / - में संयुक्त रूप से 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु, समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय में यातायात विभाग के संबद्ध विधाओं में उप यातायात प्रबंधक और समतुल्य पद वेतनमान ₹. 24,900-50,500 / - के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित, पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगी जिसके लिए एपीएआर के ग्रेडिंग में समग्र रूप से बहुत अच्छा से कम नहीं होगा।
---	-----------------	---	----------------------------	---------------------	-----	----	--	---------------------------------	-----------	---	---	--	--

	<p>अथवा महापत्तन न्यास के यातायात विभाग में तथा किसी महापत्तन न्यास में यातायात विभाग के वेतनमान रु. 32,900 /—-58,000 /— के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय में यातायात विभाग के संबद्ध विधाओं में यातायात प्रबंधक और समतुल्य पद वेतनमान रु. 43,200 /—-68,000 /— के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित, अथवा अपर यातायात प्रबंधक तथा समतुल्य पद वेतनमान रु. 32,900-58,000 /— और इसके ऊपर के पद 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगी जिसके लिए एपीएआर के ग्रेडिंग में समग्र रूप से 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होगा।</p>

यांत्रिकी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के श्रेणी-I पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा गैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उन्न सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उन्न (ख) शैक्षिक योग्यता अनुभव पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिचीका की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	कार्यपालक अभियंता (मैकेनिकल / इलेक्ट्रीकल / इलेक्ट्रॉनिकस व कम्प्यूटिकेशन्)	55	श्रेणी-I	₹20,600—46,500	चयन	30	अनिवार्य (1). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिकस व कम्प्यूटिकेशन् इंजीनियरिंग में डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) अथवा उसके समतुल्य। वांछनीय किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक सरकारी उपक्रम में पोट परिवहन/माल प्रचालन/रेलवे परिवहन में संबद्ध क्षेत्र में कार्यपालक कैडर के रूप में दो वर्षों का अनुभव	9 (क) नहीं (ख) नहीं, तथापि किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से संबद्ध विधा में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा 66. 2/3% पदोन्नति द्वारा 33. 1/3%	12 पदोन्नति: सहायक कार्यपालक अभियंता से पदोन्नति अथवा सुरक्षा अधिकारी वेतनमान रु. 16,400/—40,500 के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित जिसके न होने पर सामग्री प्रबंधन प्रभाग में सहायक कार्यपालक अभियंता के समतुल्य पदधारित अधिकारी वेतनमान रु. 16,400—40,500 /— के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित।	13 सहायक अभियंता के पदों को वेतनमान रु. 20,600—46,500 /— के वर्तमान पद, कार्यपालक अभियंता के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा

2	सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर (मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्यूनिकेशन)	10	श्रेणी-I	₹24,900 --50,000	चयन	35	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्यूनिकेशन में डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) अथवा उसके समतुल्य। (ii). किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के संबद्ध क्षेत्र में कार्यपालक संवर्ग के रूप में पांच वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं (ख) नहीं, तथापि किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्थान से संबद्ध क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति: मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद से अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग / जीएडी के कार्मिक प्रभाग के सुरक्षा अधिकारी, वेतनमान रु. 20,600-46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा में हों, जिसके अभाव में, सामग्री प्रबंधन प्रभाग में कार्यपालक अभियंता के समतुल्य पद धारित अधिकारी जो वेतनमान रु.20,600-46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा में हों, से पदोन्नति समावेशन/ प्रतिनियुक्ति समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा किसी महापत्तन न्यास में 4 वर्षों की नियमित सेवा सहित फीडर पद, पर हो	वर्ति: कार्यपालक अभियंता का वर्तमान पद सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।
3	उप मुख्य यांत्रिक अभियंता	4	श्रेणी-I	₹32,900 --58,000	चयन	37	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्यूनिकेशन	(क) नहीं (ख) हां, नहीं (ग) नहीं	लागू नहीं	सामासिक विधि से समावेशन हेतु, समतुल्य पद धारित अधिकारी अथवा महापत्तन न्यास के एम एंड ई इंजीनियरिंग विभाग/ एमएम प्रभाग के संबद्ध क्षेत्र में सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर	उप मुख्य अभियंता और टर्मिनल मैनेजर का वर्तमान पद उप मुख्य अभियंता के रूप में पुनः पदनामित	

<p>इजीनियरिंग में डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) अथवा उसके समतुल्य। (ii). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालक संवर्ग के रूप में नौ वर्षों का अनुभव</p>	<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर, सीधी नियुक्ति द्वारा</p>	<p>और समतुल्य पदों पर जो वेतनमान रु. 24,900-50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा में हो, अथवा सुपरिटेडिंग इजीनियर और एम एंड ई इजीनियरिंग विभाग के संबद्ध विधा में समतुल्य पद जो उक्त ग्रेड में 2 वर्षों के नियमित सेवा में हों, और किसी महापत्तन न्यास के संबद्ध विधा क्षेत्र में वेतनमान रु. 20,600-46,500/- तथा रु. 24,900-50,500/- में 7 वर्षों का संयुक्त रूप से नियमित सेवा में हो, पात्र होंगे।</p>	<p>किया जाएगा।</p>
		<p>प्रतिनियुक्ति हेतु समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा सार्वजनिक लोक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय इत्यादि के संबद्ध क्षेत्र में एम एंड ई इजीनियरिंग विभाग के संबद्ध विधा में सुपरिटेडिंग इजीनियर और उसके समतुल्य पद के पदधारी जो वेतनमान रु. 24,900 / -- -50,500 / -- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा में हों,</p>	

		4	मुख्य यात्रिक अभियंता	1	श्रेणी-I (विभाग ध्यक्ष)	रु 51,300- 73,000 /-	चयन	40	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / से संस्थान मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रानिक्स व कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग/ नेवल आर्किटेक्चर में डिग्री (4वर्षों का डिग्री कोर्स) अथवा उसके समतुल्य या मार्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत जारी एमओटी प्रथम श्रेणी मोटर सर्टिफिकेट । (ii). मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/ मैरिन/ इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग कार्यो से संबंधित प्रबंधकीय क्षमता में 13 वर्षों का अनुभव जिसमें से 10 वर्षों का अनुभव किसी महापत्तन न्यास/ से	(क) नहीं (ख) हां, (ग) नहीं	लागू नहीं	सामासिक विधि से समावेशन द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर, सीधी नियुक्ति द्वारा	सामासिक विधि से समावेशन हेतु, समतुल्य पद धारित अधिकारी अथवा स्वर्ग II पत्तन में मुख्य यात्रिक अभियंता के पद पर उक्त ग्रेड में 2 वर्षों का नियमित सेवा अथवा वेतनमान रु. 36,600-62,000/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा में हों, अथवा किसी महापत्तन न्यास के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में (मैरिन इंजीनियरों के स्वर्ग मात्र हेतु प्रयोज्य) वेतनमान रु. 32,900-58,000/- पर पाँच वर्षों की नियमित सेवा में हो, पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति हेतु, समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में उप मुख्य यात्रिक अभियंता के पदधारित अधिकारी और समतुल्य	पात्र होंगे । चयन योग्यता के आधार पर होगा, जिसके लिए एपीएआर की ग्रेडिंग में समग्र रूप से 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होगा ।
--	--	---	-----------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	-----	----	--	----------------------------------	--------------	---	---	---

	<p>औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में माल संचालन उपस्कर/ विद्युतीकरण/ पोत मरम्मत किए जाने वाले वर्कशाप में कार्य का अनुभव ।</p>					<p>पद जो वेतनमान रु. 43,200/-66,000/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा में हों, सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में उप मुख्य यांत्रिक अभियंता का पदधारी अधिकारी तथा समतुल्य पद जो वेतनमान रु. 32,900-58,000 /- तथा इससे अधिक के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा में हों, पात्र होंगे ।</p> <p>चयन योग्यता के आधार पर होगी जिसके लिए एपीएआर की ग्रेडिंग में समग्र रूप से 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होगा ।</p>
--	---	--	--	--	--	---

*जिन विभागों/प्रभागों में, जहां सीधी नियुक्ति का प्रतिशत, अब निर्धारित प्रतिशत से ज्यादा है, वहां वही जारी रहेगा ।

यांत्रिक इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा नैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र शैक्षिक योग्यता अनुभव पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	सुरक्षा अधिकारी	1	श्रेणी-1	20,600 / -48,500 / -	चयन	30	किसी प्रसिद्ध फैक्टरी के उत्पादन/अनुरक्षण/सुरक्षा विभाग में 2 वर्षों के पर्यवेक्षी अनुभव सहित इंजीनियरिंग या तकनीकी की किसी शाखा में स्नातक की डिग्री या किसी फैक्टरी में उत्पादन/अनुरक्षण/सुरक्षा विभाग में 5 वर्षों के पर्यवेक्षी अनुभव सहित भौतिक एवं रसायन शास्त्र की शाखा में स्नातक की डिग्री या किसी फैक्टरी के उत्पादन/अनुरक्षण/सुरक्षा विभाग में 5 वर्षों के पर्यवेक्षी अनुभव सहित राज्य सरकार द्वारा	लागू नहीं	2	कार्यपालक अभियंता की श्रेणी से अस्थायी स्थानांतरण के द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति / सीधी नियुक्ति के द्वारा	12 लागू नहीं	13

यात्रिक एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत सामग्री प्रबन्धन विभाग की श्रेणी-I के पदों के नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा नैर चयनित	सौधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सौधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सौधी भर्ती के लिए (क) उम्र शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिष्कार की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में यह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	उप सामग्री प्रबन्धक	9	श्रेणी-I	20,600-46,500 / -	चयन	30	अनिवार्य- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यात्रिक / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता वांछनीय- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सामग्री प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा (ii). किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रमों में योग्यता पश्चात दो	9 क) नहीं ख) नहीं फिर भी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सम्बद्ध विद्या प्राप्त डिप्लोमा अनिवार्य है। यह डिप्लोमा केओपीटी के अधिकारियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा, जो कि आरएसपी विनियमों की अधिसूचना की तिथि को है और उनके मामले किसी भी	2	सीधी नियुक्ति के द्वारा -66. 2/3% पदोन्नति के द्वारा -33. 1/3%	12 पदोन्नति वेतनमान 16,400/- 40,500/- के वर्ग में 3 वर्षों के अनुभव वाले सहायक प्रबन्धक से या सामग्री प्रबन्धन विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र के कार्यालय अधीक्षक के वेतनमान में श्रेणी-III के 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले कर्मचारियों के ग्रेड से, जहाँ उक्त क्षेत्र में रु 16,400/--- 40,500/- के वेतनमान का कोई श्रेणी- II पद नहीं है। यह न होने पर यात्रिक अभियंता विभाग के वेतनमान रु 16,400 - 40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों के नियमित सेवा वाले सहायक	13 रु 20,600 / --- 46,500 / - के वेतनमान के सहा. सामग्री प्रबन्धक के वर्तमान पदों को पूर्ण पदनामकरण उप सामग्री प्रबन्धक के तौर पर किया जाएगा

2	वरि उप सामग्री प्रबन्धक	2	श्रेणी-I	24,800 - 50,500 /-	चयन	35	वर्षों का अनुभव	विधा में स्नातक का होना अनिवार्य है ग) नहीं	2	पदोन्नति के द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/प्रशिक्षण/द्वारा, इन दोनों के माध्यम से न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	सामग्री प्रबन्धक के पद के समकक्ष अधिकारियों से।	पदोन्नति के वेतनमान 20,800/- से 46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों के नियमित सेवा वाले उप सामग्री प्रबन्धक से, जिसके न होने पर यात्रिक अभियंता विभाग के वेतनमान 20,800 रु 46,500/- के वर्ग में 4 वर्षों के नियमित सेवा वाले वरिष्ठ उप सामग्री प्रबन्धक के पद के समकक्ष पदधारक अधिकारियों से। समावेशन/प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति समतुल्य पदों के धारक अधिकारियों से होगा या किसी महापतन न्यास में 4 वर्षों के अनुभवी वर्ग के फौडर पद से होगा।	वेतनमान रु. 32,900-58,000/- के
3	सामग्री प्रबन्धक	1	श्रेणी-I	32,900 - 58,000 /-	चयन	37	वर्षों का अनुभव	विधा में स्नातक का होना अनिवार्य है ग) नहीं	क) नहीं ख) हां, लेकिन यह	पदोन्नति के द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/प्रशिक्षण/द्वारा, इन दोनों के माध्यम से न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	सामग्री प्रबन्धक के पद के समकक्ष अधिकारियों से। समावेशन/प्रतिनियुक्ति समतुल्य पदों के धारक अधिकारियों से होगा या किसी महापतन न्यास में 4 वर्षों के अनुभवी वर्ग के फौडर पद से होगा।	एकीकृत पदोन्नति के जरिए, समावेशन के लिए समतुल्य पदधारक	वेतनमान रु. 32,900-58,000/- के

	<p>केओपीटी के अधिकारियों के लिए अनिवार्य नहीं होगा, जो कि आरएसपी विनियमों अधिसूचना की तिथि को है और उनके मामले किसी विधा स्नातक होना अनिवार्य है ग) नहीं</p>	<p>समावेशन के द्वारा, जिसके न होने पर अन्य सरकारी संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति के द्वारा और इन दोनों के माध्यम से न होने पर सीधी नियुक्ति के द्वारा</p>	<p>अधिकारियों या वरिष्ठ उप सामग्री प्रबन्धक और किसी महापत्तन के सामग्री प्रबन्धन विभाग में रु. 24,900-50,500/- के वेतनमान के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले पद या किसी महापत्तन के रु. 24,900/- - 50,500/- के वेतनमान के व 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले अधीक्षक अभियंता (यांत्रिक/ इलेक्ट्रिकल) पद या वरिष्ठ उप सामग्री प्रबन्धक और सामग्री प्रबन्धन विभाग/ अधीक्षक अभियंता (यांत्रिक/ इलेक्ट्रिकल) में दो वर्षों की नियमित सेवा वर्ग के समकक्ष पद और किसी महापत्तन न्यास में सामग्री प्रबन्धन विभाग/ अधीक्षक अभियंता (यांत्रिक/ इलेक्ट्रिकल) के वेतनमान रु.20,000-48,500/- और रु. 24,900-50,500/- के 7 वर्षों की नियमित एकीकृत सेवा वाले पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारी, जो कि समतुल्य पदों के धारक हैं या अधिकारी, जो कि</p>	<p>वेतनमान के मुख्य सामग्री प्रबन्धक पद का पुनः पदनामकरण के सामग्री प्रबन्धक के तौर पर किया जाएगा।</p>
<p>/ संस्थान से यांत्रिक/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता</p>	<p>2) किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रमों में सामग्री प्रबन्धन / यांत्रिक इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अधिकारी संवर्ग में 9 वर्षों का अनुभव</p>	<p>वांछनीय- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सामग्री प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा</p>		

	<p>वरिष्ठ उप सामग्री प्रबन्धक / अधीक्षक अभियंता (यांत्रिक / इलेक्ट्रिकल) और किसी सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्त निकायों के सामग्री प्रबन्धन विभाग / यांत्रिक एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में पेटन्तमान रु.20,600-48,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले समकक्ष पदधारक पात्र होंगे। चयन गुणागुण के अनुसार है, जिसके कारण एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग का बैचमार्क " बहुत अच्छा " से नीचे नहीं होगा।</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) जिन विभागों / प्रभागों में, सीधी नियुक्ति का प्रतिशत, अब निर्धारित प्रतिशत से ज्यादा है, चालू रहने दिया जा सकता है।

वित्त विभाग की श्रेणी -I के पदों के लिए नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा गैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उन्न सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए होंगे	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए होंगे	परिवर्तन की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी	
1	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	22	श्रेणी-I	20,600-46,500/-	चयन	30	अनिवार्य भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य बांछनीय किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों के वित्त, लेखा के क्षेत्र में अधिकारी संवर्ग में दो वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) नहीं फिर भी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का होना अनिवार्य है। ग) नहीं	2	सीधी नियुक्ति के द्वारा -66.2/3% पदोन्नति के द्वारा -33.1/3%	12	पदोन्नति रु वेतनमान रु.16,400-40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की सेवा वाले लेखा अधिकारी से पदोन्नति	13	वेतनमान रु. 20,600-46,500/- के लेखा अधिकारी के पदों को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के तौर पर पुनः पदनामकरण किया जाएगा।
2	कोषाध्यक्ष	1	श्रेणी-I	20,600-46,500/-	चयन	30	वाणिज्य में स्नातक	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति के द्वारा, जिसके न होने पर समावेश/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों	पदोन्नति कम से कम 15 वर्षों की नियमित सेवा वाले, जिसमें से 2 वर्ष सहायक कोषाध्यक्ष के तौर पर होना चाहिए, सहायक कोषाध्यक्ष के			

3	उप मुख्य लेखा अधिकारी	5	श्रेणी-I	24,900- 59,500 /-	चयन	35	अनिवार्य 1) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य 2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रमों के वित्त लेखा के क्षेत्र में अधिकारी सर्वग में पाँच वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) नहीं फिर भी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का होना अनिवार्य है। ग) नहीं	2	पदोन्नति के द्वारा, जिसके न होने पर समावेश/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	पद से पदोन्नति, जिसके न होने पर, ट्रांसफर/ प्रतिनियुक्ति / सीधी नियुक्ति द्वारा	पदोन्नति वैतनमान रु से 20,600/- 46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों के नियमित सेवा वाले वरिष्ठ लेखा अधिकारी से, जिसके न होने पर वित्त विभाग के सम्बद्ध विधा में वैतनमान रु 20,600 - 46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों के नियमित सेवा वाले वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद के समकक्ष पदधारक अधिकारियों से पदोन्नति। समावेशन/प्रतिनियुक्ति समतुल्य पदों के धारक अधिकारियों से होगा या किसी महापत्तन न्यास में वैतनमान रु 20,600 - 46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों की सेवा वाले वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद से होगा।	वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी का पद का पुनः पदनामकरण वरिष्ठ मुख्य
4.	वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी	2	श्रेणी-I	32,900 - 58,000 /-	चयन	37	अनिवार्य भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान	क) नहीं ख) हों, फिर भी इस आरएसपी विनियमों अधिसूचना की	लागू नहीं	एकीकृत पद्धति के जरिए समावेशन के द्वारा, जिसके न	सामासिक विधि के जरिए, समावेशन के लिए समतुल्य पदधारक अधिकारियों या उप मुख्य लेखा अधिकारी अथवा किसी महापत्तन	वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी का पद का पुनः पदनामकरण वरिष्ठ मुख्य	

लेखा	
अधिकारी के तौर पर किया जाएगा ।	
न्यास के वित्त विभाग के सम्बद्ध विधा में रु. 24,900- 50,500 / - के वेतनमान ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले पद या किसी महापत्तन के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा वाले वित्त विभाग की सम्बद्ध विधा में उप मुख्य लेखा अधिकारी और वेतनमान रु. 20,600- 46,500 / - तथा रु. 24,900- 50,500 / - के 7 वर्षों की एकीकृत सेवा वाले मात्र होंगे ।	
होने पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा और इन दोनों के माध्यम से न होने पर सीधी नियुक्ति के द्वारा	
तिथि पर स्थित केओपीटी के अधिकारिकों के लिए एम. कॉम/ एमबीए (वित्त) भी पर्याप्त होगा। ग) नहीं	
का सदस्य बाह्यनीय किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रमों के वित्त, लेखा के क्षेत्र में अधिकारी सर्वग में नौ वर्षों का अनुभव	

प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारी, जो कि समतुल्य पदों के धारक हैं या वित्त विभाग की सम्बद्ध विधा में किसी सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्त निकायों में उप मुख्य लेखा अधिकारी या उसके समकक्ष पद में रु. 24,900- 50,500 / - के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले उप मुख्य लेखा अधिकारी या उसके समकक्ष पदधारक मात्र होंगे। चयन गुणागुण के अनुसार है जिसके कारण एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग का बैचमार्क ' बहुत अच्छा ' से नीचे नहीं होगा।

5.	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	1	श्रेणी-I (विभा- गाध्यक्ष)	51,300 — 73,000 /—	चयन	40	अनिवार्य (i). भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत तथा सकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य (ii). किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रमों के वित्त, लेखा के क्षेत्र में अधिकारी संवर्ग में 13 वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) हों, ग) नहीं	लागू नहीं	एकीकृत पद्धति के जरिए समावेशन के द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा और इन दोनों के माध्यम से न होने पर सीधी नियुक्ति के द्वारा	सामाजिक विधि के जरिए समावेशन के लिए समतुल्य पदधारक अधिकारियों तथा श्रेणी-II पदतनों में इस ग्रेड में दो वर्षों की नियमित सेवा सहित एफएण्डसीएओ के पद धारक हों अथवा किसी महापत्तन न्यास के वित्त विभाग में रु. 36,600- 62,000/- के वेतनमान ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा वाले पद या किसी महापत्तन न्यास के वित्त विभाग में रु. 32,900- 58,000/- के वेतनमान के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले अधिकारी पात्र होंगे। <u>प्रतिनियुक्ति के लिए</u> अधिकारी, जो कि समतुल्य पदों के धारक हैं या वेतनमान रु. 43,200 - 66,000 /- के ग्रेड में दो वर्षों की नियमित सेवा वाले, वित्त विभाग के सम्बद्ध विधा में एफ एण्ड सीएओ के पदों और समकक्ष पदों के धारक अधिकारियों या किसी सरकारी / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्त निकायों के वित्त विभाग में वेतनमान रु. 32,900- 58,000 एवं उससे
----	--	---	---------------------------------	-----------------------------	-----	----	--	-------------------------------	--------------	--	---

												अधिक के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले अपर मुख्य अधिकारी और समकक्ष पदों के अधिकारी पात्र होंगे । चयन गुणागुण के अनुसार है, जिसके कारण एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग का बैचमार्क "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होगा ।
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(*)जिन विभागों/प्रभागों में, सीधी नियुक्ति का प्रतिशत, अब निर्धारित प्रतिशत से ज्यादा है, चालू रहने दिया जा सकता है ।

वित्त विभाग के अंतर्गत योजना व अनुसंधान प्रभाग में श्रेणी-I पदों हेतु नियुक्ति नियम

इडीपी स्कन्ध

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा गैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उन्न सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उन्न शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के लिए लाए होंगे	परिवर्द्धा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	उप निदेशक (इडीपी)	13	श्रेणी-I	रु. 20,600-46,500 / -	चयन	30	अनिवार्य (1). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर साइंस में डिग्री/ एमसीए	9	10	11	12	13
								(क) नहीं (ख) नहीं यद्यपि इस आर एस पी अधिनियम की अधिसूचना के तिथि के अनुसार रोल	2	सीधी नियुक्ति द्वारा 86. 2/3% पदोन्नति द्वारा 33. 1/3%	इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित रु. 18,400 / - के वेतनमान में प्रोग्रामर / डाटा प्रोसेसिंग अधिकारी के पदोन्नति से ।	रु. 20,600 / - 46,500 / - के वेतनमान में प्रोग्रामर व सहायक प्रणाली प्रबंधक के

<p>अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन साफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ई कर्म्स, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित गणित / सांख्यिकी / परिचालनात्मक अनुसंधान / अर्थशास्त्र में स्नातक अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ कम्प्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से इंजीनियरिंग डिग्री के साथ पीएच. डी. एप्लीकेशन / कम्प्यूटर साइंस आई. टी. वांछनीय (1) गणित/ सांख्यिकी / परिचालनात्मक अनुसंधान / अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर</p>	<p>पर केओपीटी के अफिसियलस के लिए किसी भी विषय में डिग्री होना आवश्यक है ।</p>		<p>या इस ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा सहित पी एण्ड आर प्रभाग के सम्बन्धी क्षेत्र में कार्यालय अधीक्षक के वेतन मान श्रेणी-III कर्मचारियों से पदोन्नति, जहां इस क्षेत्र में रु. 18,400/- 40,500/- के वेतनमान में श्रेणी -II पद नहीं हों । इसके सफल न होने पर, इस ग्रेड में 3 वर्ष के नियमित सेवा के साथ 18,400/- - 40,500/- के वेतनमान में वित्त विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र में प्रोग्रामर प्रोसेसिंग अधिकारी समतुल्य पद पर कार्यरत हों ।</p>	<p>वर्तमान पद को उपनिदेशक (ईडीपी) के पद से अभिहित किया जाएगा ।</p>
---	---	--	--	--

2	वरिष्ठ उप निदेशक (इडीपी)	2	श्रेणी-I	रु. 24,900 /--50,500 /--	चयन	35	अनिवार्य (1). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कम्प्यूटर/इजीनियरिंग/ कम्प्यूटर	(क) नहीं (ख) हों (ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन /प्रतिनियुक्ति	पदोन्नति (i). इस ग्रेड में उप प्रबंधक (प्रणाली) व रु. 20,600 /-- के 46,500 /-- के वेतनमान में 4 वर्ष के	24,900 /-- 50,500 /-- के वेतनमान में प्रणाली प्रबंधक और उपनिदेशक
							अथवा कम्प्यूटर साईंस में स्नातकोत्तर अथवा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग प्रणाली अथवा सूचना प्रणाली अथवा एमआईएस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (पीजी डिग्री/डिप्लोमा) साथ ही प्रणाली में अथवा सूचना प्रणाली अथवा एमआईएस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधानिक विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्था से योग्यता (ii). प्रोग्रामिंग/इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग/सिस्टम एनालाइसिस में 2 वर्ष का अनुभव ।					

कम्प्यूटर का वर्तमान पद बरिष्ठ उपनिदेशक (इडीपी) पदनामित होगा।	नियमित सेवा के साथ पदोन्नति, इसके न होने पर (ii). इस ग्रेड में 4 वर्ष के नियमित सेवा के साथ रु. 20,800 /— 48,500 /— के वेतनमान में वित्त विभाग में इससे सम्बन्धित क्षेत्र में उप प्रबंधक (प्रणाली) या समतुल्य पद का अधिकारी हो, (iii). समावेश / प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी समतुल्य पद पर हो या उप प्रबंधक (प्रणाली) / उप निदेशक (अनुसंधान) और अन्य समतुल्य पद रु. 20,600 /— 48,500 /— के वेतनमान में व 4 वर्ष के नियमित सेवा के साथ महा पत्तन के वित्त विभाग में हों।
क द्वारा दोनों के सीधी भर्ती द्वारा	
साइंस में एमसीए या इससे संबंधित विषय यथा -कम्प्यूटर एप्लीकेशन, साफ्टवेयर इंजीनियरिंग, /ई कर्स, आइ टी इत्यादि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित गणित/सांख्यिकी /परिचालनात्मक अनुसंधान/अर्थशास्त्र में स्नातक अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित इंजीनियरिंग में स्नातक या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इंजीनियरिंग डिग्री के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन / कम्प्यूटर साइंस	

1	उप निदेशक (अनुसंधान)	4	श्रेणी-I	20,600 /- 46,500 /-	चयन	30	अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या मेथमेटिक्स या सम्बन्धित विषय यथा - इकनोमेट्रिक्स / आपरेशनल रिसर्च इत्यादि में डिग्री। वास्तवीय (i). दो वर्ष का कार्यपालक अनुभव - संग्रह संकलन, डाटा की ब्याख्या या फील्ड सर्वे के संचालन में व खोज इत्यादि। (ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी। (iii). एम्बीए / पीजीडीएम अर्थशास्त्र सांख्यिकी मेथमेटिक्स या या या या या	कोनहीं खोंहीं। यद्यपि, इस आरएसपी अधिनियम की अधिसूचना की तिथि केओपीटी आफिसियाल्स के रोल पर है - किसी भी विषय में पोस्टग्रेजुएट होना आवश्यक हों -	2	सीधी नियुक्ति द्वारा 68. 2/3% पवोलन्ति द्वारा 33. 1/3%	इस ग्रेड में रु. 16,400 /- 40,500 /- के साथ 3 वर्ष के नियमित सेवा के साथ सहायक निदेशक से पवोलन्ति, इसके न होने पर, इस ग्रेड में रु.16,400 /- 40,500 /- के रेतनमान में 3 वर्ष के अनुभव के साथ वित्त विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र में सहायक निदेशक के समतुल्य पद पर हो।	रु. 20,600 /- रु.46,500 /- के रतनमान में सांख्यिकी अधिकारी का वर्तमान पद वरिष्ठ उप निदेशक (अनुसंधान) के पद पर पदनामित होगा।						

अनुसंधान स्कन्ध

2	वरिष्ठ उप निदेशक (अनुसंधान)	2	श्रेणी-I	24,900 /— /— 50,500 /—	चयन	35	<p>आपरेशनल रीसर्च व सम्बन्धित विषय में पीजी डिग्री / डिप्लोमा ।</p> <p><u>अनिवार्य</u> (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अर्थशास्त्र या मैथमेटिक्स या सम्बन्धित विषय में यथा - इकनोमेट्रिक्स / आपरेशनल अनुसंधान इत्यादि में डिग्री। (ii). पाँच वर्ष का अनुभव योजना में या कलेक्शन, कम्पाइलेशन में और डाटा की ब्याख्या या फिल्ट सर्व में संचालन व खोज इत्यादि। <u>वांछनीय</u> (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से एमबीए / पीजीडीएम या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या मैथमेटिक्स या आपरेशनल रीसर्च व सम्बन्धित विषय में पीजी डिग्री । (iii). कम्प्यूटर</p>	<p>क) नहीं ख) हाँ । यहपि, केओपीटी के केस में इस आर एस पी अधिनियम की अनुसूची की विधि पर आफिसियल्स रोल पर हाँ किसी भी विषय में पोस्टग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक है । ग) नहीं ।</p>	2	<p>पदोन्नति के द्वारा इसके न होने पर समावेश / प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा ।</p>	<p>(i). इस ग्रेड में 4 वर्षों के नियमित सेवा के साथ रु. 20,800/- के वेतनमान में उपनिदेशक (अनुसंधान) से पदोन्नत, इसके न होने पर (ii). समतुल्य पद पर है । इस ग्रेड में 4 वर्षों के नियमित सेवा के साथ रु. 20,800/- के वेतन मान व वित्त विभाग के सम्बन्धित क्षेत्र में 4 उप निदेशक (अनुसंधान) के समतुल्य पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा में हो</p> <p>- समावेश / प्रतिनियुक्ति पर ये अधिकारी होंगे जो किसी महापत्तन में वित्त विभाग में 4 वर्ष के नियमित सेवा के साथ रु. 10,750/- के वेतनमान में समतुल्य पद या उप निदेशक (अनुसंधान) / उप प्रबंधक (प्रणाली) और अन्य समतुल्य पद पर हैं</p>	<p>रु. 24,900 /— 50,500 /— के वेतनमान में उप निदेशक पद को वर्तिष्ठ उप निदेशक (अनुसंधान) के पद पदनामित होगा ।</p>
---	-----------------------------	---	----------	------------------------------	-----	----	---	--	---	---	--	--

3	संयुक्त निदेशक	1	श्रेणी - I	32,900 / - 56,000 / -	चयन	37	<p>आपरेशन की जानकारी ।</p> <p>अनिवार्य - (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से या अर्थशास्त्र सांख्यिकी मैथमेटिक्स कम्प्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में डिग्री हो । (ii). 9 वर्षों का कार्यपालक के रूप में अनुभव योजना में या संप्रदाय, संकलन व डाटा की ब्याख्या, या फील्ड सर्वे का संचालन, इत्यादि अन्वेषण, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग / आइ टी ।</p> <p>वांछनीय मान्यता किसी विश्वविद्यालय या संस्था से या अर्थशास्त्र सांख्यिकी मैथमेटिक्स आपरेशनल रीसर्च या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कम्प्यूटर साइंस में</p>	<p>क) नहीं ख) हाँ यद्यपि केओपीटी आफिसियल्स के केस आरएसपी अधिनियम का अधिसूचना के अनुसार रोल पर है। किसी भी विषय में पोस्टग्रेजुएट होना पर्याप्त है ।</p>	<p>लागू नहीं ।</p>	<p>समावेशन के दिधि माध्यम समावेशन के दिधि द्वारा, इसके होने सरकारी संगठन प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने सीधी नियुक्ति द्वारा।</p>	<p>सामाजिक विधि के माध्यम से समावेशन हेतु अधिकारी का समतुल्य पद या व.उपनिदेशक (अनुसंधान) / व.उप प्रबंधक प्रणाली में इस ग्रेड में 3 वर्ष के नियमित सेव के साथ रु.24,900/- के वेतनमान में वित्त विभाग के संबंधित क्षेत्र में समतुल्य पद पर हो या किसी महापत्तन में पीएण्डआर प्रभाग में वित्त विभाग में रु. 20,600/- और 46,500/- के साथ व 24,900/- के वेतनमान में इस ग्रेड में 2 वर्षों का नियमित सेवा और 7 वर्षों का एकीकृत सेवा के साथ व 20,600/- और 46,500/- के वेतनमान में इस ग्रेड में 2 वर्षों का नियमित सेवा एकीकृत नियमित सेव के साथ व. निदेशक (अनुसंधान) / प्रणाली और अन्य समतुल्य पद अधिकारी पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति हेतु इस ग्रेड में 3 वर्षों के नियमित सेवा के साथ सरकारी सरकारी उपक्रम स्वायत्त निकाय में पी</p>	<p>किसी महापत्तन पी एण्ड आर प्रभाग वित्त विभाग में रु 20,600/- 46,500/- और 24,900/- 50,500/- के वेतनमान में इस ग्रेड में 2 वर्षों का नियमित सेवा और 7 वर्षों का एकीकृत सेवा के साथ व 20,600/- और 46,500/- के वेतनमान में इस ग्रेड में 2 वर्षों का नियमित सेवा एकीकृत नियमित सेव के साथ व. निदेशक (अनुसंधान) / प्रणाली और अन्य समतुल्य पद अधिकारी पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति हेतु इस ग्रेड में 3 वर्षों के नियमित सेवा के साथ सरकारी सरकारी उपक्रम स्वायत्त निकाय में पी</p>
---	----------------	---	------------	--------------------------	-----	----	---	---	--------------------	--	---	--

एण्ड प्रभाग वित्त विभाग में रु.	एण्ड प्रभाग वित्त विभाग में रु.
24,900 / — 50,500 / —	
के में सम धारक य. निदेशक (अनुसंधान) / व. उप प्रबंधक (प्रणाली) और अन्य समतुल्य पद धारक पास होंगे । चयन मेरीट के आधार पर होता है जिसके एसीआर ओवरऑल रेडिंग बेच मार्क वेरी गुड नीचे होगा ।	
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या कम्प्यूटर इजीनियरिंग या आइ टी या सूचना प्रणाली या सूचना एमआइएस या प्रणाली या कम्प्यूटर या एप्लीकेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (पी जी डिग्री) / डिप्लोमा विशेषज्ञता के साथ प्रणाली या सूचना प्रणाली या एमआइएस था सूचना तकनीकी या सम्बन्धित विषय में हो ।	

(*) स्निन विभागों / प्रभागों में, सीधी नियुक्ति का प्रतिशत, अब निर्धारित प्रतिशत से ज्यादा है, चालू रहने दिया जा सकता है ।

सिविल अभियंता विभाग के श्रेणी I पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा नैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिपूर्णा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	कार्यपालक अभियंता (सिविल)	44	श्रेणी-I	रु. 20,600 /- /--- 46,500 /-	चयन	30	अनिवार्य (1). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) या उसके समतुल्य हो - वांछनीय किसी कार्यपालक केडर में योजना/ संरचना/ डीजाइन/ रखरखाव के क्षेत्र में औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में बेहतर हो कि पतन/ समुद्री संरचना में दो वर्षों का अनुभव हो।	को नहीं ख) नहीं यद्यपि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अनिवार्य है। ग) नहीं	2	सीधी नियुक्ति द्वारा 66. 2/3% पदोन्नति द्वारा 33. 1/3%	पदोन्नति -- सहायक अभियंता के श्रेणी-II पद से पदोन्नति रु.16,400/- के वेतन मान में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो अथवा श्रेणी III कर्मचारियों जो सुपरवाइजर के वेतन मान में हो, य सिविल अभियंता के विभाग के स्वच्छ क्षेत्र में हो व 5 वर्षों की नियमित सेवा में इस ग्रेड में हो।	रु.20,600 /- 46,500 /- के वेतनमान में सहायक अभियंता के वर्तमान पद पर हो, कार्यपालक अभियंता के रूप में पदनामित किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता के कुल पदों में से वरिष्ठता क्रम से प्रथम 35: कार्यपालक अभियंता के रूप में मान जाएंगे। श्रेणी-I के परिवर्ती

2	अधीक्षक अभियंता (सिविल)	10	श्रेणी -I	24,900 / -- 50,500 / --	चयन	35	(i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) या उसके समतुल्य हो। (ii). औद्योगिक व्यावसायिक सरकारी उपक्रम में 5 वर्षों का कार्यपालक केडर का अनुभव, जो बेहतर हो यदि किसी भी पतन / समुद्री संरचना के योजना/निर्माण/डीजाइन/अनुसंधान में हो।	को नहीं खोजें। यद्यपि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है। ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा उसके समावेशन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा।	पदोन्नति कार्यपालक अभियंता (सिविल) से पदोन्नति हेतु इस ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा व रु 20,600 / -- के वेतनमान में हो। समावेशन/ प्रतिनियुक्ति उन अधिकारियों के लिए होगी, जो किसी महा पतन न्यास में उक्त अनुभव सहित समतुल्य पद या फीडर पद पर हों।	वरिष्ठ कार्यपालक अभियंता वर्तमान पद को अधीक्षक अभियंता (सिविल) के रूप में पदनामित किया जाएगा।	15% कार्यपालक अभियंता के रूप में पदनामित होंगे। ग्रुप-II व शेष 40% कार्यपालक अभियंता के रूप में पदनामित होंगे ग्रुप-III कार्य सुबिधा हेतु।
3	उपमुख्य	4	श्रेणी-I	रु.	चयन	37	(i). किसी मान्यता	को नहीं	लागू	समावेशन			

अभियंता (सिविल)	32,900 /- 58,000 /-	प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था सिविल इंजीनियरिंग डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) या उसके समतुल्य हो। किसी (ii). औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में 9 वर्षों का कार्यपालक केंद्र में, बेहतर हो कि पत्तन या मरीन से स्ट्रक्चर संबंधित योजना / निर्माण / डीजाइन अनुरक्षक का अनुभव हो।	ख) हाँ ग) नहीं	नहीं	विधि के माध्यम से समावेश द्वारा किसी महा पत्तन में इस ग्रेड में 03 वर्षों की नियमित सेवा सहित रु. 24,900/- - 50,500/- के वेतनमान में सिविल अभियंता के संबंध रु. विद्या में अधीक्षकीय अभियंता व समतुल्य पद अथवा समतुल्य पद का अधिकारी हो / अथवा किसी महापत्तन के सिविल अभियंता विभाग में रु. 20,600/- - 46,500/- व रु. 24,900/-
--------------------	------------------------------	---	-------------------	------	--

<p>46,500/- के वेतनमान में इस ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा व 7 वर्षों की एकीकृत नियमित सेवा सहित संबद्ध विधाओं में अधीक्षकीय अभियंता व समुल्लय पद पास होयें । प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र / स्वायत्त निकाय में इस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित रु . 24,900/- 50,500/- के वेतनमान में सिविल अभियंता विभाग के संबद्ध विधाओं में अधिकारी अधीक्षक</p>

4	मुख्य अभियंता	1	श्रेणी-I (विभागाध्यक्ष)	₹51,300 -73,000 /-	चयन	40	अनिवार्य (क) (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) या उसके समतुल्य हो - (ii). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में पत्तन और समुद्री सरचनाओं के मुख्यतः योजना/निर्माण / डिजाइन / अनुसंधान से	(क) नहीं (ख) हां, (ग) नहीं	लागू नहीं	अभियंता के पद पर हो या उसके समतुल्य पद पर हो - पास होगा। चयन गुणागुण के आधार पर होगा जिसमें समग्र प्रोडिंग का बेन्चमार्क एपीएआर में वेशी गुड से कम नहीं होगा।	सामासिक विधि से समावेशन हेतु, सदृश पदधारी अधिकारी अथवा श्रेणी -II पत्तन में मुख्य अभियंता के पद अथवा इस ग्रेड में 2 वर्षों का नियमित सेवा सहित समतुल्य पद अथवा वेतनमान रु. 36,600-62,000/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा में पदधारित अधिकारी, अथवा महापत्तन न्यास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में वेतनमान रु. 32,900-58,000/- पर पाँच वर्षों की नियमित सेवा में हो, पात्र होंगे।
---	---------------	---	----------------------------	--------------------------	-----	----	--	----------------------------------	-----------	---	--

<p>संबंधित कार्यपालक कैंडर में 13 वर्षों का अनुभव । अथवा (ख) पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ संबद्ध क्षेत्र में 13 वर्षों का अनुभव ।</p>	<p>अथवा महापत्तन न्यास में पर्यावरण अनुभाग में निर्धारित शैक्षिक अर्हता साहित्य वेतनमान रू. 32,900-58,000/- पर उक्त ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा में हो, पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति हेतु सदृश पदधारी अधिकारी अथवा सिविल इंजीनियरिंग विभाग में मुख्य अभियंता का पद और समतुल्य पद जो वेतनमान रू. 43,200/-66,000/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा में हों, अथवा सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में उप-मुख्य अभियंता अथवा समतुल्य पद जो वेतनमान रू. 32,900-58,000/- तथा इससे अधिक के ग्रेड में 5 वर्षों के नियमित सेवा में हों, पात्र होंगे । चयन योग्यता के आधार पर होगी जिसके लिए एपीएआर की ग्रेडिंग में समग्र रूप से बहुत अच्छा से कम नहीं होगा ।</p>

* जिन विभागों/प्रभागों में, जहाँ सीधी नियुक्ति का प्रतिशत, अब निर्धारित प्रतिशत से ज्यादा है, वहाँ वही जारी रहेगा ।

सिविल अभियंत्रण विभाग (पर्यावरण स्कंध) हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा नैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र (ख) शैक्षिक योग्यता अनुभव पदान्ति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के लिए होंगे	परिदीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदान्ति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	12	13
1	प्रबंधक (पर्यावरण)	1	श्रेणी-I	रु32,900-58,000	चयन	37	अनिवार्य पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री अथवा इकोलॉजी/पर्यावरण में डॉक्टरेट अथवा सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री साथ ही अनुसंधित इंजीनियरिंग इस्टीमेट की कॉरपोरेट संस्थता हो तथा संबद्ध क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव ।	(क) नहीं (ख) हां, (ग) हां	2	सामासिक विधि से समावेशन द्वारा, जिसके न होने पर अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर, सीधी नियुक्ति द्वारा	सामासिक विधि से समावेशन हेतु, सदृश पद धारी अधिकारी अथवा महापत्तन न्यास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबद्ध विधाओं में सुपरिटेण्डिंग इंजीनियर और समतुल्य पद जो वेतनमान रु. 24,900-50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों के नियमित सेवा में हों, अथवा महापत्तन न्यास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबद्ध विधाओं में उक्त ग्रेड में 2 वर्षों का नियमित सेवा में हों और वेतनमान रु. 20,600-46,500/- तथा रु. 24,900-50,500/- की ग्रेड में संयुक्त रूप से	सहायक अधीक्षक/ सहायक रेलवे प्रबंधक/अधीक्षक/उप रेलवे प्रबंधक का सहायक अभियंता वेतनमान रु. 20600-48500/- के वर्तमान पद, कार्यपालक अभियंता के रूप में पुनःपदनामित किया जाएगा

												7 वर्षों की नियमित सेवा में हों, पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति हेतु समतुल्य पद धारित अधिकारी सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबद्ध विधा में सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर तथा समतुल्य पद धारी अधिकारी जो वेतनमान 24,900/-50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमत सेवा में हों, पात्र होंगे । चयन योग्यता के आधार पर होगी जिसके लिए एसीआर की ग्रेडिंग में समय रूप से 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होगा ।
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

शिक्षित्वा विभाग के श्रेणी-I पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा गैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व चयन सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिवेशा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मैट्रॉन	1	श्रेणी-I	रु. 20,800-46,500/-	चयन	40	अनिवार्य (i). सामान्य नर्सिंग व सिद्धवाक्यकी में	(क) नहीं (ख) हां, (ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा	सहायक मैट्रॉन अथवा समतुल्य रैंक से पदोन्नति द्वारा, जिसमें उस ग्रेड में 4 वर्षों की	

4413 6/13-10

2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	37	श्रेणी-I	20,600-46,500 /-	लागू नहीं	35	अनिवार्य (i). किसी किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री अथवा वरि. मेडिकल ऑफिसर (डेंटल), हेतु किसी किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से बीडीएस की डिग्री - (ii). एक वर्ष के इन्टरनशिप पूरा करने के पश्चात् किसी अस्पताल में 1 वर्ष का अनुभव वांछनीय किसी किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री।	लागू नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	नियमित सेवा आवश्यक है।	चिकित्सा अधिकारी वेतनमान रु. 20,600-46,500/- के वर्तमान पद को वरि. चिकित्सा अधिकारी के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा -
---	-------------------------	----	----------	------------------	-----------	----	--	-----------	---	-------------------	-----------	------------------------	--

3	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (जेनरल ड्यूटी)	6	श्रेणी-I	24,900-50,500 / -	चयन	40	अनिवार्य (i). किसी किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री अथवा उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (डेंटल), हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से बीडीएस की डिग्री - (ii). एक वर्ष के इन्टर्नशिप पूरा करने के पश्चात् किसी अस्पताल में 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री।	(क) नहीं (ख) हां (ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति वरि. चिकित्सा अधिकारी (जीडी), जो वेतनमान रु.20,600-46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा में हों। समावेशन/प्रतिनियुक्ति सदृश पद धारी अधिकारियों अथवा महापत्तन न्यास में उक्त ग्रेड में 4 वर्षों के अनुभव सहित फीडर पदधारी अधिकारी।	
4	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) (मेडिसीन, सर्जरी, गार्नेकोलॉजी व आबस्टेट्रिक्स, पैडियाट्रीक और	6	श्रेणी-I	24,900-50,500 / -	चयन	40	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री (ii). किसी किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से चिकित्सा में स्नातकोत्तर	(क) नहीं (ख) हां (ग) नहीं	2	सीधी भर्ती	लागू नहीं	

6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	I	श्रेणी-I (विभागाध्यक्ष)	51,300-73,000 / -	चयन	45	(i). किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री	(क) नहीं (ख) हां (ग) नहीं	2	सामासिक विधि से समावेशन हेतु, सदृश पद धारित अधिकारी अथवा संगर्ग-II पल्लन में मुख्य	सामासिक विधि से समावेशन हेतु, सदृश पद धारित अधिकारी अथवा संगर्ग-II पल्लन में मुख्य
							संस्थान से होस्पिटल मैनेजमेंट में डिग्री / डिप्लोमा (iv). किसी अस्पताल में विशेषज्ञता के संबद्ध क्षेत्र में अर्हता प्राप्ति के पश्चात् 9 वर्षों का अनुभव (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारकों के मामले में 11 वर्षों का अनुभव)				(विशेषज्ञ) और समतुल्य पदधारी अधिकारी जो उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा में हों और वेतनमान रु. 20,600-46,500 / - तथा रु. 24,900-50,500 / - की ग्रेड में विशेषज्ञ केंद्र में 7 वर्षों की सम्मिलित नियमित सेवा में हों, पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु सदृश पद धारित अधिकारी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय के चिकित्सा विभाग में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी(विशेषज्ञ) तथा समतुल्य पद धारित अधिकारी जो वेतनमान 24,900 / -50,500 / - के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा में हों, पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगी जिसके लिए एपीएआर की प्रोडिंग में समग्र रूप से 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होगा।

<p>चिकित्सा अधिकारी जो उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की अथवा वेतनमान रु. 36,600-62,000/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा में हों, अथवा किसी महापत्न न्यास के चिकित्सा विभाग में वेतनमान रु. 32,900-58,000/- के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा में हों, पात्र होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति हेतु सदृश पद धारित अधिकारी सरकारी/अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा समतुल्य पद धारित अधिकारी जो वेतनमान 43,200/-68,000/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा में हों, अथवा सरकारी सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्तशासी निकाय के चिकित्सा विभाग में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा समतुल्य विशेषज्ञ पद धारित अधिकारी जो वेतनमान 32,900/-58,000/- और इससे ऊपर की ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा में हों, पात्र होंगे।</p> <p>चयन योग्यता के आधार पर होगी जिसके लिए एपीएआर की प्रेडिग में समग्र रूप से बहुत अच्छा से कम नहीं होगा।</p>	<p>हान पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर, सीधी नियुक्ति द्वारा</p>	
<p>(ii). अर्हता प्राप्ति के पश्चात् किसी अस्पताल में 13 वर्षों का अनुभव (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारकों के मामले में 15 वर्षों का अनुभव)</p>		

सतर्कता विभाग के श्रेणी-I पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयनित अथवा गैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र शैक्षिक योग्यता (ख) अनुभव पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक सतर्कता अधिकारी ग्रेड-I	2	श्रेणी-I	रु. 20,600— 46,500 /—	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	(क) (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय की डिग्री (ग)	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	सदृश पदधारित अधिकारी अथवा किसी महापत्तन न्यास/केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्तशासी निकाय में वेतनमान रु. 16,400—40,500 /— के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा में हो, प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन व्यक्तियों को जिन्हें सतर्कता कार्यों की अनुभव हो, प्राथमिकता दी जाएगी।	सामान्यतः प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों की अवधि हेतु होगी और, किसी भी मामले में 5 वर्ष से अधिक नहीं।
2	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	श्रेणी-I	32,900— 58,000 /—	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	(क) (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय की डिग्री (ग)	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	समस्तुल्य पदधारित अधिकारी अथवा वेतनमान रु. 24,900—50,500 /— की ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित पदधारित अधिकारी	सामान्यतः प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों की अवधि हेतु होगी और किसी भी स्थिति में 5

वर्ष से अधिक नहीं होगी।	अथवा किसी महापत्तन न्यास/केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्तशासी निकाय में वेतनमान रु. 24,900-50,500/- पर कम से कम एक वर्ष नियमित सेवा सहित, वेतनमान रु. 24,900-50,500/- और रु. 20,600-26,500/- पर 7 वर्षों की संयुक्त सेवा में हों, पात्र होंगे। उन व्यक्तियों को जिन्हें सतर्कता कार्यों की अनुभव हो, प्राथमिकता दी जाएगी। चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए एपीएआर की ग्रेडिंग में समग्र रूप से बहुत अच्छा से कम नहीं होगा।	सामान्यतः प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों की अवधि हेतु होगी और किसी भी मामले में 5 वर्ष से अधिक नहीं।
		सर्वभारतीय केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा
		लागू नहीं
		लागू नहीं
		लागू नहीं
		लागू नहीं
		चयन
		रु. 51,300-73,000/-
		श्रेणी-I (विभागाध्यक्ष)
		1
		मुख्य सतर्कता अधिकारी
3		

हाइड्रॉलिक अध्ययन विभाग के श्रेणी-I पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयनित अथवा गैर चयनित	सीबी भर्ती के लिए वर्षव उत्तर सीमा (वर्षों में)	सीबी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीबी भर्ती के लिए (ख) शैक्षिक योग्यता अनुभव पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे	परिवर्तन की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (व्या सीबी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	वैज्ञानिक अधिकारी/कार्यपालक अभियंता/सहायक हाइड्रॉलिक अभियंता / इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर	18	श्रेणी-I	20,600-46,500 / -	चयन	30	अनिवार्य सिविल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रिकल / कंप्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी की डिग्री अथवा समतुल्य या मैथेमेटिक्स / स्टैटिस्टिक्स / फिजिक्स / जियोलॉजी / पर्यावरण इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा हाइड्रॉलिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च से संबंधित विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वांछनीय	9 (क) नहीं, (ख) नहीं, किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से संबद्ध विधा में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (ग) नहीं,	10 2	11 सीबी भर्ती द्वारा 86.2/3% पदोन्नति द्वारा 33.1/3%	12 पदोन्नति कनि. सहायक अभियंता/ साइंटिफिक सहायक अथवा समतुल्य पद पर जो वेतनमान रु 16,400-40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा में हो।	13

3	उपमुख्य हाइड्रॉलिक अभियंता	4	श्रेणी-I	रु. 32,900— 58,000 /—	चयन	37	ऑसियन फिजिक्स / कंप्यूटर इंजीनियरिंग (रिमोट सेंसिंग और रिवर हाइड्रॉलिक्स में जीआईएस के प्रयोग सहित) रिसर्च कार्य।	(क) नहीं, (ख) हां, (ग) नहीं,	लागू नहीं	सामासिक विधि से समावेशन द्वारा, जिसके न होने पर किसी अन्य सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर, सीधी नियुक्ति द्वारा	सामासिक विधि से समावेशन हेतु, समस्तुल्य पद धारित अधिकारी अथवा उप निदेशक का पद और महापत्तन न्यास के हाइड्रॉलिक अध्ययन विभाग में समस्तुल्य पद, जो वेतनमान रु. 24,900—50,500 /— के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा में हो, अथवा किसी महापत्तन न्यास के	उपमुख्य हाइड्रॉलिक अभियंता वेतनमान रु. 14,500—18,7 00 /— का वर्तमान पद प्रोन्नत कर उपमुख्य हाइड्रॉलिक अभियंता के रूप में वेतनमान रु. 16,000 — 20,800 /— पर पुनः पदनामित किया जाएगा —
							अनिवार्य सिविल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स / कंप्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / में प्रथम श्रेणी की डिग्री अथवा उसके समस्तुल्य या मैथेमेटिक्स / स्टैटिस्टिक्स / फि- जिक्स / जियोर्लॉजी / पर्यावरण इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा हाइड्रॉलिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च से संबंधित विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वांछनीय किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रमों में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव अथवा			हाइड्रॉलिक अध्ययन विभाग में उप निदेशक और समस्तुल्य पदधारित जो उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा में हो, जो वेतनमान रु. 20,800—46,500 /— तथा रु. 24,400—50,500 /— में 7 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा में हो, पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु समस्तुल्य पद धारित		

4	मुख्य हाइड्रोलिक अभियंता	1	श्रेणी-I (विभागा ध्यक्ष)	51,300- 73,000 /-	चयन	40	अनिवार्य सिविल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल / कंप्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / में प्रथम श्रेणी की स्नातक डिग्री अथवा उसके समतुल्य या मैथेमेटिक्स / फि- स्टेटिस्टिक्स / फि- जिक्स / केमिस्ट्री /	(क) नहीं, (ख) हां, (ग) नहीं,	2	सामासिक विधि से समावेशन द्वारा, जिसके न होने पर किसी अन्य सरकारी संगठन से प्रतियुक्ति द्वारा, वानों के न होने पर, सीधी	सामासिक विधि से समावेशन हेतु, समतुल्य पद धारित अधिकारी अथवा संवर्ग- II पदतनों में मुख्य हाइड्रोलिक अभियंता के पदधारित अधिकारी जो 2 वर्षों की नियमित सेवा में हों, अथवा वेतनमान रु. 38,600-62,000/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा सहित	अधिकारी सरकारी लोक उपक्रम या स्वायत्तशासी निकाय में एचएसडी के संबद्ध विधा में उप निदेशक तथा समतुल्य पद धारित अधिकारी जो वेतनमान 24,900/-50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा में हों, पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर होगी जिसके लिए एपीएआर की प्रेडिग में समग्र रूप से बहुत अच्छा से कम नहीं होगा।																												

<p>जियोर्लॉजी / पर्यावरण इजीनियरिंग / इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा हाइड्रॉलिक इजीनियरिंग एवं रिसर्च से संबंधित विषयों में प्रथम श्रेणी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाणिज्य इजीनियरिंग रिसर्च में प्रमाणित योग्यता सहित 13 वर्ष का अनुभव अथवा किसी औद्योगिक वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रमों में ज्वारीय या रिवर हाइड्रॉलिक / हाइड्रॉलॉजी / सिविल / इलेक्ट्रॉनिक्स / टेलिकम्यूनिकेशन / इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी / सॉल मेकानिक्स / मैथेमेटिकल साइंस / सेडिमेंटलॉजी / मेरिन जियोर्लॉजी / कोस्टल इजीनियरिंग / ओसियन फिजिक्स / से संबंधित क्षेत्र में.</p>	<p>नियुक्ति द्वारा</p>	<p>पदधारित अधिकारी अथवा किसी महापत्तन न्यास के हाइड्रॉलिक अध्ययन विभाग में वेतनमान रु. 32,900-58,000/- के ग्रेड पर 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित पदधारित अधिकारी, पात्र होंगे प्रतिनियुक्ति हेतु समतुल्य पद धारित अधिकारी अथवा मुख्य हाइड्रॉलिक अभियंता का पदधारित अधिकारी और समतुल्य जो वेतनमान 43,200-66,000/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा में हों, अथवा किसी सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्तशासी निकाय के हाइड्रॉलिक अध्ययन विभाग में उप सीएचई पद धारित अधिकारी तथा समतुल्य जो वेतनमान 32,900/-58,000/- के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा में हों, पात्र होंगे।</p> <p>चयन योग्यता के आधार पर होगी जिसके लिए एपीएआर की ग्रेडिंग में समग्र रूप से बहुत अच्छा से कम नहीं होगा।</p>
--	------------------------	--

2	उप निदेशक-1 समुद्री विभाग	1	श्रेणी-I	38,800 /- 62,000 /-	व्यय	39	अनिवार्य (i). एम्ओएस / ड्रेज मास्टर ग्रेड-I या समतुल्य द्वारा जारी किया गया मास्टर (एफजी) का प्रमाण-पत्र अथवा प्रथम श्रेणी में एम्ओटी । (ii). किसी पतन के शरीर सेवा में 12 वर्षों का अनुभव है । जिसमें कम से कम 5 वर्षों का वरिष्ठ प्रशासनिक पद के रूप में हैं।	2	सामासिक विधि से समावेशन हेतु - समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा महापतन न्यास में उपनिदेशक-II के पद या उसके समतुल्य पद पर हो तथा उक्त ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति हेतु, समतुल्य पदधारी अधिकारी / सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्तशासी निकाय में उपनिदेशक-II के पद पर या उसके समतुल्य पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो । व्यय गुणगुण के आधार पर होगा जिसके	सामासिक विधि से समावेशन हेतु - समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा महापतन न्यास में उपनिदेशक-II के पद या उसके समतुल्य पद पर हो तथा उक्त ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति हेतु, समतुल्य पदधारी अधिकारी / सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्तशासी निकाय में उपनिदेशक-II के पद पर या उसके समतुल्य पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो । व्यय गुणगुण के आधार पर होगा जिसके	नियुक्ति द्वारा ।							क) नहीं ख) हों, केवल ग्रेजुएट एट्ट्री स्क्रीम के लिए निर्धारित प्रवेश अर्हता वाले कार्यरत अधिकारियों या जिनके पास टीएस डफरिन या टीएस राजेन्द्रा, टीएस चाणक्य से पासिंग आऊट प्रमाण-पत्र है, या बी.एस.सी (नॉटिफिकल साइंस) या		सामासिक विधि से समावेशन द्वारा जिसके न होने पर सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।		
	(नाटकल साइंस) या ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाण पत्र धारी को छोड़कर या सेक्रेण्ड मेट (एफजी) प्रमाण-पत्र या फर्स्ट मेट (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड-I प्रमाण पत्र के साथ अर्हता प्राप्त पाइलट ग्रेड-I कमाण्डर, मुख्य अभियंता के रूप में काम किया हो । ग) हों																					

निदेशक समुद्री विभाग	3	1	श्रेणी-I विभागाध्यक्ष	51,300- 73,000 /-	चयन	40	अनिवार्य (i). एमओएस मास्टर या द्वारा समवुल्य जारी किया गया मास्टर (एफजी) का सक्षमता प्रमाण-पत्र या अथवा प्रथम श्रेणी में एमओटी । (ii). किसी पत्तन के मेरीन सेवा में 15 वर्षों का अनुभव है । जिसमें कम से कम 5 वर्षों का अनुभव वरिष्ठ प्रशासनिक पद के रूप में हो ।	क) नहीं ख) हैं, केवल ग्रेजुएट एन्ट्री स्कीम के लिए निर्धारित प्रवेश अर्हता वाले कार्यरत अधिकारियों या जिनके पास टीएस डफरिन या टीएस राजेंद्रा, टीएस चाणक्य से पॉसिंग आऊट प्रमाण-पत्र है, या बी.एस.सी (नॉटिकल साइंस) या ग्रेजुएट ग्रेड- I प्रमाण पत्र धारी को	2	समावेशन विधि के माध्यम से समावेश द्वारा, इसके न होने पर सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति पर, दोनों के असफल होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा ।	सामासिक समावेशन हेतु केडीएस में उप डीएमडी-I अथवा हार्बर मास्टर(पत्तन) अथवा हार्बर मास्टर(नदी) अथवा अधीक्षक ड्रेजर व डिस्पैच सेवा अथवा इंजीनियरिंग सुपरिटेण्डेंट अथवा चीफ हाइड्रोग्राफर के रूप में 5 वर्षों की नियमित सेवा अथवा हल्दिया गोदी परिसर में प्रबंधक(मेरिन प्रचालन) के साथ उक्त पदों में से किसी पर और उसके नीचे के पद पर एक साथ गणना कर 5 वर्षों की नियमित सेवा, सभी सेवाओं को जोड़कर प्रतिनियुक्त अधिकारी	लिए एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग बहुत अच्छा से कम नहीं होगा ।	ग्रेजुएट ग्रेड- I प्रमाण पत्र धारी को छोड़कर या सेक्रेण्ड ग्रेड (एफजी) प्रमाण-पत्र या फर्स्ट ग्रेड (एफजी) / ग्रेजुएट मास्टर ग्रेड-II प्रमाण पत्र के साथ ग) हैं																																																																																																																																																											

<p>पाइलट / प्रशिक्षु समूह अधिकारी</p>	<p>16,400- 20,600 / -, 24,900 / -32,9 00 / - का (प्रस्तावि त) जो के प्रवेश के समय के अर्हता के अनुसार होगी। अपेक्षित परीक्षा पास करने पर उच्चतर स्तर में समायोज न, प्रवेश पर निर्भर करता है। साइंस ग्रेजुएट का 16400 / से शुरू होगा बी.एससी नॉटिकल साइंस /सेकेंड मेट्स /ड्रेज मेट ग्रेड-</p>	<p>इस ग्रेजुए ट और बी.एस. सी नॉटिक ल साइंस ग्रेजुए ट के लिए 25 वर्ष से अधिक नहीं। ख)द्वि तीय मेट्स(एफजी)/प्रथ म मेट्स (एफज ी)/ड्रे ज मास्टर ग्रेड- II / ड्रे ज मेट ग्रेड - I धारक उम्मीद वारों के मामले में 30 वर्ष से अधिक</p>	<p>भारतीय नौसेना / तट रक्षक द्वारा जारी मास्टर (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-I अथवा समतुल्य अथवा प्रथम मेट्स (एफजी)/ डिग्री मास्टर ग्रेड-II। अथवा द्वितीय मेट्स (एफजी)/ डिग्री मेट ग्रेड-I। अथवा बी.एससी नॉटिकल साइंस अथवा साइंस ग्रेजुएट जो भौतिकी और गणित में 50: अंक प्राप्त किया हो अथवा आनर्स ग्रेजुएट जो भौतिकी में आनर्स के साथ गणित पास विषय के रूप में हो अथवा गणित आनर्स तथा भौतिकी पास विषय के रूप में हो।</p>	<p>द्वारा अथवा केओपीटी में अपेक्षित अर्हताएं सहित अन्य मेरिट से उपयुक्त अधिकारियों के स्थानांतरण द्वारा।</p>
<p>नहीं।</p>	<p>नहीं।</p>	<p>नहीं।</p>	<p>नहीं।</p>	<p>नहीं।</p>

7	सहायक भूरिंग मास्टर	1	श्रेणी-I	36,600— 62,000 /—	चयन	38	राजेंद्रा या टीएस चाणक्य से या फिजिक्स और मेथमेटिक्स में 50: के साथ ग्रेजुएट या पास फिजिक्स आनर्स मेथ के साथ या ग्रेजुएट फिजिक्स के साथ मेथमेटिक्स आनर्स पास । (ii). पाइलट में विशिष्टा	अनिवार्य (i). मास्टर एफजी प्रमाण पत्र/इंज मास्टर ग्रेड-I (ii). किसी पोर्ट में पाइलट के रूप में 10 वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) हॉ. किंग्जु प्रथम एफजी सर्टीफिकेट अथवा ग्रेड मास्टर ग्रेड-III द्वितीय मेट्स एफजी सर्टीफिकेट अथवा इंज मेट ग्रेड-I सर्टीफिकेट या टीएस इफरिन अथवा टीएस राजेंद्र अथवा टीएस चाणक्य से पास किया हुआ प्रमाण पत्र या बी. एससी. (नॉटिकल	2	के अन्य समुद्री सेवा से, इसके अभाव में / समावेश / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति के द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	कलकत्ता पाइलट के पद से पदोन्नति द्वारा जो कलकत्ता पाइलट के रूप में कम से कम कुल 5 वर्षों के सेवा में हों, जिसके न होने पर समावेशन / प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
---	---------------------	---	----------	-------------------------	-----	----	--	---	---	---	---	--	---

8	मूरिंग मास्टर	1	श्रेणी-I	36,600- 62,000 /-	चयन	38	अनिवार्य मास्टर (एफजी) सर्टीफिकेट / ड्रेज मास्टर ग्रेड-I (ii). किसी पत्तन में पाइलट के रूप में 10 वर्षों का अनुभव ।	साइस) अथवा साइस ग्रेजुएट जो पाइलट के रूप में अर्हताएं रखता हो, पात्र होगा। ग) हों।	2	पदोन्नति के द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/ प्रतियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति सहायक मूरिंग मास्टर के पद से पदोन्नति द्वारा जो न्यूनतम 3 वर्ष के नियमित सेवा का सहायक मूरिंग मास्टर के रूप में अनुभव रखना हो या 8 वर्ष का सहायक मूरिंग मास्टर और कलकत्ता पाइलट ग्रेड-I के रूप में सेवा किया हो। इसके न होने पर समावेश / प्रतियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
---	------------------	---	----------	-------------------------	-----	----	--	---	---	---	---

9	कमाण्डार पायलट जलयान	2	श्रेणी-I	36,600 / - 62,000 / -	चयन	38	(i). मास्टर एफजी प्रमाण पत्र / ड्रेज मास्टर ग्रेड-I (ii). नदी मुखी पत्तन में पाइलट के रूप में 5 वर्षों का अनुभव	क) नहीं। ख) हैं। किंतु प्रथम एफजी सर्टीफिकेट अथवा ड्रेज मास्टर ग्रेड-II या द्वितीय एफजी मेट्स एफजी सर्टीफिकेट अथवा ड्रेज ग्रेड-I मेट सर्टीफिकेट या टीएस डफरिन अथवा टीएस राजेन्द्र अथवा टीएस चाणक्य से पास का या प्रमाण पत्र या बी.एससी. (नॉटिकल साइंस) अथवा साइंस ग्रेजुएट जो पाइलट के रूप में अर्हताएं रखतां हो, पात्र होगा।	2	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर समावेशन / प्रतिनियुक्ति दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	सूरिंग मास्टर के पद से पदोन्नति द्वारा जो सूरिंग मास्टर, सहायक सूरिंग मास्टर अथवा पाइलट के रूप में समवेत कम से कम कुल 10 वर्षों तक नियमित सेवा में हो।	
10	गोदी मास्टर	1	श्रेणी-I	36,600 / - 62,000 / -	चयन	38	(i). मास्टर एफजी प्रमाण पत्र / ड्रेज मास्टर ग्रेड-I (ii). नदी मुखी पत्तन में पाइलट का 5 वर्षों का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) हैं। लेकिन अधिकारी फर्स्ट मेट्स एफ जी प्रमाण पत्र या ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाण पत्र या टी ए एस	2	पदोन्नति के द्वारा, इसके न होने पर समावेशन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा।	उप गोदी मास्टर / कमाण्डर पी बी के पद से पदोन्नति द्वारा जो इस ग्रेड में कम से कम कुल 3 वर्ष नियमित सेवा में रहे हों इसके न होने पर स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा।	

11	उप हार्बर मास्टर (पत्तन / नदी)	2	श्रेणी-I	43,200-- 66,000 /-	चयन	39	(i). मास्टर एफजी प्रमाण पत्र/ ड्रेज मास्टर ग्रेड-I (ii). नदी मुखी पत्तन में पाइलटेज में 7 वर्षों का अनुभव	डफरिन या टीएस राजेन्द्र / या टीएस चाणक्य से पास का प्रमाण पत्र या बी एस सी (नॉटिकल साइंस) या पाइलट कार्य में विशिष्टता के साथ साइंस ग्रेजुएट हो, पास होगा । ग) हों ।	2	सामासिक विधि से समावेश हेतु इसके न होने पर सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के असफल होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	सामासिक विधि से समावेश हेतु समकक्ष अधिकारी अथवा किसी महापत्तन न्यास में लोक मास्टर / ओर समतुल्य पद जो गोदी मास्टर / कमाण्डर जलयान के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा में हो या गोदी मास्टर/कमाण्डर पाइलट वेसल और मुरिंग मास्टर के ग्रेड में समवेत रूप से 2 वर्ष की नियमित सेवा में हो । प्रतिनियुक्ति हेतु, समकक्ष पदधारित अधिकारी अथवा किसी महा पत्तन न्यास/ सरकारी/लोक उपक्रम अथवा
----	---	---	----------	--------------------------	-----	----	---	---	---	---	---

12	हाबर मास्टर (पोर्ट/नदी)	2	श्रेणी-I	43,200- 66,000 /-	चयन	39	(i). मास्टर एफ जी प्रमाण पत्र या ड्रेज मास्टर ग्रेड-I (ii). किसी पत्तन में पाइलट के रूप में 8 वर्ष का अनुभव ।	साइस अथवा साइंस ग्रेजुएट जो पाइलट के रूप में योग्यता रखता हो, पात्रहोगा । ग) हॉ	2	सामाजिक विधि से समावेशन द्वारा जिसके न होने पर सकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	स्वायत्तशासी निकाय में 2 वर्ष के अनुभव सहित डॉक मास्टर का पद अथवा डॉक मास्टर/कमांडर पीवी ओ मूरिंग मास्टर के ग्रेड में समवेत रूप से 2 वर्षों का अनुभव अथवा वेतनमान रु.36,600-62,000/- के समतुल्य पद में इस ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित हो । चयन का आधार मेरिट है और एपीएआर का समय ग्रेडिंग बहुत अच्छा से नीचे नहीं होगा ।	सामाजिक विधि से समावेशन हेतु समकक्ष अधिकारी पदधारित अथवा महा पत्तन न्यास में उप हाबर मास्टर / (पोर्ट/नदी) और समतुल्य पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित अधिकारी । प्रतिनियुक्ति हेतु, समकक्ष पदधारित अधिकारी अथवा किसी महा पत्तन न्यास/ सरकारी/लोक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय में उप हाबर मास्टर (पोर्ट/नदी) और समतुल्य पद पर, वेतनमान रु.36,600-62,000/-
----	-------------------------------	---	----------	-------------------------	-----	----	---	--	---	--	---	---

15	जूनियर चीफ ऑफिसर	9	श्रेणी-I	20,600- 46,500 /-	चयन	30	लागू नहीं	लागू नहीं	2	पदोन्नति द्वारा	सेकेंड ऑफिसर के रैंक से पदोन्नति द्वारा जो सेकेंड मैटर्स(एफजी) अथवा मास्टर/मैट होम ट्रेड) अथवा ड्रेज मैटर्स ग्रेड-I सर्टीफिकेट धारक हो व सेकेंड ऑफिसर के रूप में कुल 5 वर्षों का न्यूनतम सेवा में हो।
16	चीफ ऑफिसर	10	श्रेणी-I	24,900- 50,500 /-	चयन	35 (पूर्व सेना अधिकारी हेतु 40)	लागू नहीं	मास्टर(होम ट्रेड) के सक्षमता का प्रमाणपत्र/ फर्स्ट मैटर्स (एफजी) अथवा ड्रेज मास्टर ग्रेड-II सर्टीफिकेट अथवा मास्टर (एनसीवी) सक्षमता प्रमाण पत्र	टग/पाइलट इल्ट सर्टीफिकेट प्राप्त करने के पश्चात् 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा/दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	जूनियर चीफ ऑफिसर के रैंक से पदोन्नति द्वारा जो ड्रेज मास्टर ग्रेड-II फर्स्ट मैटर्स (एफजी)सर्टीफिकेट धारक हो / ड्रेज मैटर्स ग्रेड-II सर्टीफिकेट के साथ टग पाइलट लाइसेंस धारक हो और जो सेकेंड ऑफिसर/जूनियर चीफ ऑफिसर के रूप में विभागीय परीक्षा में पास किया हो व कम से कम 3 वर्षों के नियमित सेवा में हो, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
17	कमाण्डर/कोमोडोर (वरिष्ठतम) कमाण्डर कोमोडोर पदधारित होगा।)	26	1	36,600- 62,000 /-	चयन	38 (पूर्व सेना अधिकारी हेतु 45)	लागू नहीं	(i). मास्टर एफजी सर्टीफिकेट अथवा भारतीय नौ सेना से मास्टर एफजी के रूप में सेवा प्रमाणपत्र अथवा ड्रेज मास्टर ग्रेड-I सर्टीफिकेट	कमाण्डर परीक्षा पास करने के 2 वर्ष बाद	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर	पदोन्नति मास्टर (एफजी) सर्टीफिकेट प्राप्त अथवा भारतीय नौ सेना से मास्टर (एफजी) के रूप में सेवा सर्टीफिकेट अथवा ड्रेजर व डिस्पैच वेसेल पर चीफ ऑफिसर के रूप में 2 वर्षों का न्यूनतम

	अधीक्षक डी एड डी सेवा					62,000 / -				सर्टीफिकेट अथवा भारतीय नौसेना से मास्टर एफजी के रूप में सेवा प्रमाण पत्र अथवा ड्रेज मास्टर ग्रेड-I सर्टीफिकेट (ii). बड़े ड्रेजर के कमांडर के रूप में 5 वर्षों का अनुभव ।	ख) नहीं ग) नहीं			द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्त द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	ग्रेड से पदोन्नति द्वारा जो कमांडर/कमांडर के रूप में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा में हो, जिसके व होने पर स्थांतरण/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा ।	
19	अधीक्षक डी एड डी सेवा			39		43,200- 66,000 / -		चयन		(i). मास्टर एफजी सर्टीफिकेट अथवा भारतीय नौसेना से मास्टर एफजी के रूप में सेवा प्रमाण पत्र अथवा ड्रेज मास्टर ग्रेड-I सर्टीफिकेट (ii). बड़े ड्रेजर के कमांडर के रूप में 10 वर्षों की अनुभव	क) नहीं ख) नहीं ग) नहीं	2	सामासिक विधि से समावेशन द्वारा जिसके न होने पर सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	सामासिक विधि से समावेशन के लिए समकक्ष पद धारित अधिकारी अथवा उप एसडीडीएस का पद और समतुल्य पद जो किसी महापत्तन न्यास के उक्त ग्रेड में 3 वर्ष के नियमित सेवा में हो । प्रतिनियुक्ति के लिए, समकक्ष पदधारित अधिकारी अथवा उप एसडीडीएस और समतुल्य पद, वेतनमान रु. 36,600-62,000 / -के ग्रेड में किसी महापत्तन न्यास / सरकारी/लोक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय में 3 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो । चयन गुणागुण के आधार पर होगा जिसके एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग बहुत अच्छा से कम नहीं		

हाइड्रोग्राफिक सेवा अनुभाग		होगा ।	
20	वरिष्ठ हाइड्रोग्राफर (पाइलट परीक्षा पास करने के पश्चात वरिष्ठ हाइड्रोग्राफर को मास्टर हाइड्रोग्राफर के रूप में पुनर्पदनामि त किया जाता है)	59	1
	साइंस ग्रेजुएट ओ बी. एससी नॉटिकल साइंस ग्रेजुएट के लिए 25 वर्ष से अधिक नहीं य द्वितीय मेट्स (एफज पी)/प्रथम मेट्स (एफज पी)/श्रेज मास्टर ग्रेड-I। श्रेज मेट ग्रेड-I उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष से	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनिवार्य प्रथम मेट्स (एफजी) अथवा मेट्स (एफजी)/बी. एससी साइंस द्वितीय मेट (एफजी)/बी. एससी नॉटिकल साइंस द्वितीय मेट (एफजी)/बी. एससी नॉटिकल के उम्मीदवार वेतनमान रु 20,600-46,500 / - पर डिप्लोमा करेंगे और वरिष्ठ परीक्षा हाइड्रोग्राफर के रूप में पदनामित होंगे ।	लागू नहीं	हाइड्रोग्राफी में तीन विभागीय परीक्षा पास करने के 2 वर्ष
		सीधी भर्ती के अथवा प्रशिक्षण के सफलता पूर्वक करने बाद प्रशिक्षु मरीन अधिकारी के समायोजन द्वारा ।	निर्धारित परीक्षा पास करने पर प्रशिक्षण परियोजना के अनुसार प्रशिक्षु मरीन अधिकारी का समायोजन ।

21	प्रमारी अधिकारी (सर्व)	2	श्रेणी-I	24,900— 50,500 /—	चयन	35	अधिक नहीं।	लागू नहीं	लागू नहीं	2	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	मास्टर हाइड्रोग्राफर के रैंक से पदोन्नति द्वारा जो मास्टर हाइड्रोग्राफर और वरिष्ठ हाइड्रोग्राफर के रूप में समवेत रूप से कुल 3 वर्ष की न्यूनतम सेवा में हो, जिसके न होने पर स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती द्वारा।
22	कमांडर/ कमांडर (अधिकारी) जो 10 वर्षों से कमांडर के रूप में कार्यरत है, कमांडर के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।	16	श्रेणी-I	32,900 /— 58,000 /—	चयन	37		क) नहीं ख) नहीं ग) हाँ	लागू नहीं	2	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	ओसी, सर्वेयर्स/ मास्टर हाइड्रोग्राफर के रैंक से पदोन्नति द्वारा, जो ओसी, सर्वेयर्स, मास्टर हाइड्रोग्राफर और वरिष्ठ हाइड्रोग्राफर के रूप में समवेत कुल 5 वर्षों की नियमित सेवा में हो, जिसके न होने पर स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा।
23	उप मुख्य हाइड्रोग्राफर (एक पद हाइड्रोलिक अध्ययन विभाग में	2	श्रेणी-I	36,600— 62,000 /—	चयन	38		क) नहीं ख) नहीं ग) हाँ	लागू नहीं	2	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्ति	हाइड्रोग्राफिक सेवा के कमांडर/ कमांडर के रैंक से पदोन्नति द्वारा, जो कमांडर और कमांडर के रूप में समवेत कुल 2 वर्षों की

स्थित है)														
24	मुख्य हाइड्रोग्राफर	1	श्रेणी-I	43,200- 66,000/-	चयन	39	(ii). भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्वेयर्स (इंडिया) अथवा समतुल्य का कारपोरेट सदस्य अवश्य हो। या भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य/समतुल्य - (i). भारतीय नौ सेना में कैप्टन के रैंक में हाइड्रोग्राफिक ब्रांच में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव (ii). इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर्स (इंडिया) का कारपोरेट सदस्य अवश्य हो अथवा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत समतुल्य (iii). नदीमुखी जलपथ में अनुभव वांछनीय हो।	क) नहीं ख) नहीं ग) हाँ	2	द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	नियमित सेवा में हों, जिसके न होने पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा।	सामासिक विधि से समावेशन के लिए समकक्ष अधिकारी अथवा उप मुख्य हाइड्रोग्राफर और समतुल्य पद पर किसी महापत्तन न्यास में इस ग्रेड में 3 वर्षों का अनुभव। प्रतिनियुक्ति हेतु किसी महापत्तन न्यास/सरकारी/लोक उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय में समकक्ष पद अथवा उप मुख्य हाइड्रोग्राफर और समतुल्य पद वेतनमान रु. 36,600-62,000/- पर उक्त ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा से। चयन गुणागुण के आधार पर होना है जिससे एपीएआर की समग्र समग्र प्रोडिग 'बहुत अच्छा' से कम नहीं हों।	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

25	एप्रेंटिस गोदी पाइलट	गोदी पाइलट के पद की उपलब्धता के अनुसार	श्रेणी-I	(प्रथम - तृतीय वर्ष) रु 1800 / - 2000 / - 2500 / - भत्ता(सशोषित) ।	चयन	25	अनिवार्य किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट (फिजिक्स, केमिस्ट्री व सांख्यिकी / कम्प्यूटर साइन्स / मैथमैटीक्स कम्बिनेशन के साथ ।)	लागू नहीं ।	लागू नहीं ।	सीधी नियुक्ति द्वारा ।		
25	गोदी पाइलट	36	श्रेणी-I	20,600 / - 46,500 / - (बर्षिक मास्टर के 5 वर्ष की सेवा करने पर व संतोषजनक निष्पादन होने पर 24,900 / - 50,500 / - 500 / - का वेतनमान दिया जाएगा ।	चयन	30 25 25	(i). सेकेंड मेट एफजी प्रमाणपत्र या मास्टरस होम ट्रेड प्रमाण पत्र या (ii). डेक कैंडेट के रूप में 3 वर्षों का अनुभव - 25 वर्ष या (iii). पूर्वानुभव- ग्रेजुएट साइन्स -25 वर्ष	लागू नहीं । को नहीं ख) हों ग) लागू नहीं ।	2	लागू नहीं ।	(क)पत्तन प्रशिक्षण योजना के तहत 3 वर्षों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर गोदी पाइलट एप्रेंटिस के समायोजन द्वारा । (ख)सीधी नियुक्ति के लिए सदस्य के आवश्यक अर्हताएं कालम 8 में दिया गया है । उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए गोदी में जलयान संचालन प्रशिक्षण करना होगा । और उन्हें विभागीय परीक्षा पास करना होगा ।	
26	सहायक गोदी मास्टर	7	श्रेणी-I	29,100-54,500 / -	चयन	36	सेकेंड मेट (एफजी) / मास्टर (एचडी) प्रमाणपत्र डेक कैंडेट / अप्रेंटिस के रूप में 3 वर्षों का अनुभव अनुभव	को नहीं ख) हों किन्तु विभागीय उम्मीदवारों हेतु छुट होगी । (ग) हों	2	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन / प्रतिनियुक्ति	गोदी पाइलट में न्यूनतम 10 वर्षों की नियमित सेवा सहित गोदी पाइलट के रैंक से पदोन्नति द्वारा ।	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति समावेशन / प्रतिनियुक्ति)

27	उप गोदी मास्टर	3	श्रेणी-I	32,900- 58,000 /-	चयन	37	परबद्ध गोदी प्रणाली में सभी आकार के पोलों के संचालन का 10 वर्षों का अनुभव ।	(i). सेकंड मेट(एफजी) / मास्टर (एचटी) प्रमाणपत्र (ii). डेक कैडेट/अप्रैन्टीस के रूप में 3 वर्षों का अनुभव (iii). अनुभव परबद्ध गोदी प्रणाली में सभी आकार के पोलों के संचालन का 12 वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) हाँ, किन्तु विभागीय उम्मीदवारों हेतु छुट होगी ! (ग) हाँ !	2	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	सहायक ड्रॉक मास्टर के रैंक से पदोन्नति द्वारा जो इस ग्रेड में कुल 2 वर्षों के न्यूनतम नियमित सेवा में, जिसके न होने पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा	द्वारा/ दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
28	वरिष्ठ रेडियों अधिकारी	7	श्रेणी-I	20,600- 46,500 /-	चयन	30	(1). संचार मंत्रालय द्वारा जारी वायरलेस ऑपरेटर के रूप में प्रवीणता का कम से कम द्वितीय श्रेणी पद का प्रमाणपत्र अथवा समतुल्य जैसा कि एमओसी द्वारा अधिसूचनानुसार अथवा जीएमडीएसएस में सामान्य परिचालन प्रमाणपत्र के साथ डीजी सिगिंग ।	क) नहीं ख) हाँ, ग) लागू नहीं	2.	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	रेडियो ऑफिसर के रैंक से पदोन्नति द्वारा, जो इस ग्रेड में कुल 3 वर्षों की न्यूनतम सेवा में हो, जिसके न होने पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा		

29	उप मुख्य रेडियों अधिकारी	1	श्रेणी-I	20,600 /- 46,500 /-	चयन	30	(i). संचार मंत्रालय द्वारा जारी वायरलेस ऑपरटर के रूप में प्रवीणता का कम से कम द्वितीय श्रेणी का प्रमाणपत्र अथवा एमओसी द्वारा अधिसूचनानुसार समकक्ष अथवा जीएमडीएसएस में सामान्य परिचालन प्रमाणपत्र के साथ डीजी शिपिंग । (ii). किसी वायरलेस स्टेशन में 2 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव अवश्य होना चाहिए ।	क) नहीं ख) हों, ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	वरिष्ठ रेडियो अधिकारी के रैंक से पदोन्नति द्वारा जो वरिष्ठ रेडियो अधिकारी और रेडियो अधिकारी के रूप में समवेत नियमित सेवा 3 वर्षों से अधिक हो जिसके न होने पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा ।
30	मुख्य रेडियों अधिकारी	1	श्रेणी-I	24,900 /- 50,500 /-	चयन	35	(i). संचार मंत्रालय द्वारा जारी वायरलेस ऑपरटर के रूप में प्रवीणता का कम से कम द्वितीय श्रेणी का प्रमाणपत्र अथवा एमओसी द्वारा अधिसूचनानुसार समकक्ष अथवा जीएमडीएसएस में सामान्य परिचालन प्रमाणपत्र के साथ डीजी शिपिंग । (ii). किसी वायरलेस स्टेशन	क) नहीं ख) हों, ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	उप मुख्य रेडियो अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा जो उप मुख्य रेडियो अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष के नियमित सेवा में हो जिसके न होने पर स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति / सीधी नियुक्ति द्वारा ।

33	वरि. ईआईसी श्रेणी-II पोत	श्रेणी-I	24,900— 50,500 /—	चयन	35	ईआईसी श्रेणी-II पोत से पदोन्नति, साथ में द्वितीय श्रेणी एम्ओटी सर्टिफिकेट सहित 5 वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) नहीं ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	सहित पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा ।	ईआईसी के पद से द्वितीय श्रेणी प्रमाणपत्र के साथ, 5 वर्षों के अनुभव सहित पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा	वरिष्ठतम रिलीफिंग
34	द्वितीय	श्रेणी-I	29,100—	चयन	36	(i). प्रथम श्रेणी	क) नहीं	2	समायोजन	द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	वरिष्ठतम रिलीफिंग	

सर्टिफिकेट के साथ में कम से कम 3 वर्षों के लिए जलयान पर वॉच कीपिंग इजीनियर के रूप में अनुभव अथवा एम्ओटी के साथ श्रेणी-IV प्रमाण पत्र साथ में कम से कम 4 वर्षों के लिए किसी पोत पर वॉच कीपिंग इजीनियर के रूप में अनुभव अथवा एनसीवी श्रेणी-III / श्रेणी-IV प्रमाण पत्र सहित कम से कम 3 वर्षों के लिए किसी पोत पर वॉच कीपिंग इजीनियर के रूप में अनुभव अथवा इनलैंड सर्टिफाइड इजीनियर से पदोन्नति द्वारा ।

	इजीनियर, श्रेणी-I पोत						54,500 /-				एमओटी (कम्बाइड अथवा मोटर) (ii). तत्पश्चात् समुद्रगामी पोत में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव	ख) हों ग) नहीं			इसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	इजीनियर, श्रेणी-I जलयान के समायोजन द्वारा, इसके न होने पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा ।
35	चीफ इजीनियर श्रेणी-I जलयान	33	श्रेणी-I	चयन	37		32,900- 58,500 /-				(i). प्रथम श्रेणी एमओटी (कम्बाइड अथवा मोटर) प्रमाण पत्र (ii). तत्पश्चात् समुद्रगामी पोत में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) हों ग) नहीं	2	समायोजन द्वारा इसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	सेकेण्ड इजीनियर के रैंक से पदोन्नति द्वारा जो उक्त ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा में हो । इसके न होने पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा ।	
36	कमांडोर चीफ इजीनियर श्रेणी-I जलयान	1	श्रेणी-I	चयन	38		36,600- 62,000 /-				(i). फर्स्ट क्लास एम ओ टी (कम्बाइड या मोटर) प्रमाण पत्र (ii). तत्पश्चात् समुद्रगामी जलयान में 3 वर्ष कार्य का अनुभव ।	क) नहीं ख) हों ग) नहीं	2	समायोजन द्वारा, इसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	वरिष्ठतम चीफ इजीनियर श्रेणी-I जलयान के समायोजन द्वारा, इसके न होने पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा ।	
37	सहायक अभियंता अधीक्षक	1	श्रेणी-I	चयन	38		36,600- 62,000 /-				अनिवार्य (i). प्रथम श्रेणी एमओटी (कम्बाइड अथवा मोटर) प्रमाणपत्र (ii). विदेशी समुद्रगामी जलयान का इजीनियर या नदीमुखी पतन में बड़े जलयान का कम से कम 3 वर्ष	क) नहीं ख) हों ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर समावेशन / प्रतिनियुक्ति द्वारा / दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	कमांडोर चीफ इजीनियर अथवा चीफ इजीनियर श्रेणी-I जलयान के पद से न्यूनतम 2 वर्षों की नियमित सेवा कमांडोर चीफ इजीनियर तथा चीफ इजीनियर-I पोत दोनों के रूप में, से एक साथ इसके न होने पर स्थानांतरण /	

38	उप अभियंता अधीक्षक ओसी (पत्तन ड्रेजिंग)	1	श्रेणी-I	36,600- 62,000 /-	चयन	38	का अनुभव / बाछनीय अतिरिक्त फर्सट क्लास I अनिवार्य (i). प्रथम श्रेणी एमओटी (कम्बाइंड अथवा मोटर) प्रमाण पत्र (ii). विदेशी समुद्रगामी जलयान / अथवा नदीमुखी पत्तन में बड़े पोत में न्यूनतम 4 वर्षों की अवधि तक चीफ इंजीनियर के रूप में । वाछनीय अतिरिक्त प्रथम श्रेणी ।	क) नहीं ख) हों ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्ति / द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	सहायक इ.एस या अधीक्षक न्यूकंस्ट्रक्शन के पद से पदोन्नति, सहा. इ.एस, अधीक्षक न्यूकंस्ट्रक्शन, कर्मोडोर चीफ इंजीनियर तथा चीफ इंजीनियर श्रेणी-I पोत सब मिलाकर न्यूनतम कुल तीन वर्षों की नियमित सेवा, इसके न होने पर स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा ।
39	अभियंता अधीक्षक	1	श्रेणी-I	43,200- 66,000 /-	चयन	39	अनुभव / बाछनीय अतिरिक्त फर्सट क्लास I अनिवार्य (i). प्रथम श्रेणी एमओटी (कम्बाइंड अथवा मोटर) प्रमाणपत्र (ii). विदेशी समुद्रगामी पोत अथवा नदीमुखी पत्तन में बड़े पोत में न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि तक चीफ इंजीनियर के रूप में । वाछनीय अतिरिक्त प्रथम श्रेणी	क) नहीं ख) हों ग) नहीं	2	सामासिक विधि के मार्फत समावेशन द्वारा, इसके न होने पर सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	सामासिक विधि के मार्फत समावेशन हेतु समवुल्य अधिकारी, अथवा महापत्तन में सहा. इ.एस, के पद पर संयुक्त रूप से 5 वर्षों की नियमित सेवा में हों, पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति महापत्तन न्यास / सरकारी / सार्वज निक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में वैतनमान र. 36,600-62,000 / - की ग्रेड में समवुल्य पदधारित हों अथवा डेपुटी इ.एस / ओसीपीडी	

42	सूखा व पर्यावरण प्रतिक्रमि अधिकारी	1	श्रेणी-I	20,600-46,500/-	चपन	30	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनप्रयोगिक रसायन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा रसायन अभियांत्रिकी में बी. टेक (आनर्स) (ii) पतन में सुखा तथा पर्यावरण प्रतिरोधी परिचालन संबंधी सांख्यिक नियमों की जानकारी (iii) नौ-सेना स्थापत्य में बी.एस.सी अथवा बी.टेक डिग्री अथवा वृहत मान्यता प्राप्त शिपयार्ड में पोत-शिल्पी के प्रशिक्षु के रूप में पांच वर्षों तक पूर्णकालिक सेवा की हो तथा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ii) सूखी गोदी सुविधाओं वाले वृहत शिपयार्ड में उत्तरदायित्व वाले पद पर सेवा की हो। (iii) पोत-शिल्पी के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।	लागू नहीं	2	सौधी भर्ती	लागू नहीं	अधीभक्त बोट रजिस्ट्रेशन तथा सूखी गोदी से जुड़े पोत-शिल्पी के पद से स्थानांतरण द्वारा, इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।
43	अधीभक्त बोट रजिस्ट्रेशन	1	श्रेणी-I	20,600-46,500/-	चपन	30	(i) नौ-सेना स्थापत्य में बी.एस.सी अथवा बी.टेक डिग्री अथवा वृहत मान्यता प्राप्त शिपयार्ड में पोत-शिल्पी के प्रशिक्षु के रूप में पांच वर्षों तक पूर्णकालिक सेवा की हो तथा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ii) सूखी गोदी सुविधाओं वाले वृहत शिपयार्ड में उत्तरदायित्व वाले पद पर सेवा की हो। (iii) पोत-शिल्पी के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।	लागू नहीं	2	सौधी भर्ती	लागू नहीं	अधीभक्त बोट रजिस्ट्रेशन तथा सूखी गोदी से जुड़े पोत-शिल्पी के पद से स्थानांतरण द्वारा, इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।
44	पोत-शिल्पी	1	श्रेणी-I	20,600-46,500/-	चपन	30	(i) नौ-सेना स्थापत्य में बी.एस.सी अथवा बी.टेक डिग्री अथवा वृहत मान्यता प्राप्त शिपयार्ड में पोत-शिल्पी के प्रशिक्षु के रूप में 5वर्षों तक पूर्णकालिक सेवा की हो तथा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ii) सूखी गोदी सुविधाओं वाले वृहत शिप-यार्ड में उत्तरदायित्व वाले पद पर सेवा की हो। (iii) ड्राइंग ऑफिस में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।	लागू नहीं	2	सौधी भर्ती	लागू नहीं	अधीभक्त बोट रजिस्ट्रेशन तथा सूखी गोदी से जुड़े पोत-शिल्पी के पद से स्थानांतरण द्वारा, इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।

हल्दिया गोदी परिसर
महाप्रबंधकों के श्रेणी-I पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	श्रेणी	वेतनमान (रु.)	चयन त अथवा गैर चयन त	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रयोज्य होगा	परवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की शिथिलता (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	महाप्रबंधक (याता यात)	1	श्रेणी-I	रु.51,300-73,000/-	चयन	40	अनिवार्य : i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। ii) किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में फेज परिवहन/माल संचालन व्यवस्था/रिलवे माल बहन के क्षेत्र में कार्य पालक केंडर में 13 वर्षों का अनुभव।	को नहीं खोहों ग) नहीं	लागू नहीं।	सामाजिक विधि के जरिए समावेशन के द्वारा इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा।	सामाजिक विधि से समावेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ पदधारी अधिकाधिक या रु.43,200-66,000/- के वेतनमान के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा वाले पदधारकों या किसी महापत्तन व्यास में वेतनमान रु.36,600 - 62,000/- के ग्रेड में, 4 वर्षों की नियमित सेवा वाले अथवा वेतनमान 32,900 - 58,000/- के ग्रेड में, अथवा यातायात विभाग में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले पात्र होंगे।	प्रतिनियुक्ति के लिए, वे अधिकारी जो कि

2	महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग)	1	श्रेणी- I	रु.51,300 - 73,000/-	चयन	40	अनिवार्य : i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/यांत्रिक/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्यूटेशन इंजीनियरिंग नेवल आर्किटेक्चर में डिग्री (या	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	लागू नहीं।	सामासिक विधि के लिए समावेशन के लिए न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के सीधी नियुक्ति द्वारा।	सामासिक विधि के लिए समावेशन के लिए रु.43,200-66,000/- के पद पर या उसके सदृश पदधारक अधिकारियों को जिनके पास उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो अथवा वेतनमान 36,600-62,000/- के पदधारी अधिकारी जिनके पास उक्त ग्रेड में 4 वर्षों का नियमित अनुभव अथवा किसी महापत्तन के सिविल/यांत्रिक/इलेक्ट्रिकल /	रु.43,200/--66,000/- के वेतनमान पर अथवा उसके सदृश पद के धारक है तथा 2 वर्षों की नियमित सेवा की हो या रु.32,900-58,000/- के ग्रेड में या उसके उर्ध्व के ग्रेड में यातायात विभाग में किसी सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्तशासी निकायों में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले पात्र होंगे। चयन गुणागुण के अनुसार किया जाएगा, जिसके लिए एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग का बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होगा।
---	-----------------------------	---	--------------	-------------------------	-----	----	---	------------------------------	------------	---	---	--

		<p>इलेक्ट्रानिक्स व कम्प्यूनिवेशन इंजीनियरिंग / सामग्री प्रबंधन के विभाग में वेतनमान 32,900 से 58,000/- के पदधारी जिनके पास उक्त ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो, पात्र होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए वेतनमान रु. 43,200- 66,000 के या उसके सदृश पदधारक अधिकारियों को जिनके पास उक्त ग्रेड में दो वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो, अथवा वेतनमान रु. 32,900/- - 58,000/- तथा उससे उपर के ग्रेड में ,जिनके पास किसी सरकारी /सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों के सिविल/यांत्रिकी/ इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रानिक्स व कम्प्यूनिवेशन इंजीनियरिंग / सामग्री प्रबंधन विभाग में 5 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो, पात्र होंगे।</p> <p>चयन गुणागुण के अनुसार किया जाएगा, जिसके लिए एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग का बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होगा।</p>
समस्तुत्य)।	किसी	
ii)	औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालक कैंडर के पद पर यांत्रिक / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रानिक्स व कम्प्यूनिवेशन इंजीनियरिंग कार्यों में 13 वर्षों का अनुभव। उसमें से 10 वर्षों का किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में संचालक उपस्कर अनुरक्षण/ बिजली संस्थापन/पोत मरम्मत सम्बन्धित कारखानों में हो, अथवा, योजना/निर्माण /डिजाइन/अनुरक्ष	

3	महा प्रबंधक (मरीन)	1	श्रेणी- I	51,300 - 73,000	चयन	40	<p>विशेषतः पत्तन व मरीन संरचना संबंधित कार्य में किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में 13 वर्षों का कार्यपालक कैडर में अनुभव।</p> <p>अनिवार्य :- 1) एमओएस, भारत सरकार या ड्रेज मास्टर ग्रेड- I अधिकारी या एमओएस, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, विदेशगामी पोतों के मास्टर का प्रमाण पत्र या एमओएस भारत सरकार द्वारा स्वीकृत समतुल्य अर्हता या प्रथम श्रेणी में एमओटी (सम्भिलित या मोटर) प्रमाण</p>	<p>क) नहीं ख) हाँ</p> <p>फिरमी, ऐसे अधिकारीगण जिनके पास फर्स्ट (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड- I / सेकेन्ड मेट (एफजी)/ ड्रेज मेट ग्रेड - I / बी.एस.सी (नाटिकल साइंस), टीएस राजेन्द्र/ टीएस चाणक्य/ टीएस डफरिन से पर्सिंग आउट</p>	<p>सामासिक विधि के लिए वेतनमान रु. 43,200-66,000/- के पद पर या उसके सदृश पदधारक अधिकारियों के जिनके पास उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव या वेतनमान (रु. 36,600-62,000/-) के पदधारी अधिकारी जिनके पास उक्त ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा किसी महापत्तन, न्यास में मरीन विभाग में हो, प्राप्त होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए वेतनमान रु. 43,200-66,000/- के या उसके सदृश पदधारी अधिकारी जिनके पास उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो, या वेतनमान रु. 36,600-</p>	<p>सामासिक विधि के लिए वेतनमान रु. 43,200-66,000/- के पद पर या उसके सदृश पदधारक अधिकारियों के जिनके पास उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव या वेतनमान (रु. 36,600-62,000/-) के पदधारी अधिकारी जिनके पास उक्त ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा किसी महापत्तन, न्यास में मरीन विभाग में हो, प्राप्त होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति के लिए वेतनमान रु. 43,200-66,000/- के या उसके सदृश पदधारी अधिकारी जिनके पास उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो, या वेतनमान रु. 36,600-</p>
---	--------------------	---	-----------	-----------------	-----	----	---	---	--	--

	4	महाप्रबंधक (एम एण्ड एस)	1	1	51,300/- - 73,000/-	चयन	40	<p>अनिवार्य :</p> <p>i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान डिग्री।</p> <p>ii) किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन कार्यपालक कैडर के रूप में तेरह वर्षों का अनुभव।</p> <p>बांछनीय :- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक सम्पर्क/सामाजिक कार्य/श्रम</p>	<p>प्रमाण पत्र, या विज्ञान में स्नातक डिग्री/पाइलट रूप में अर्हता प्राप्त की हो, वे भी पात्र होंगे।</p> <p>ग) नहीं</p>	<p>लागू नहीं।</p> <p>(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं</p>	<p>सामासिक विधि से समावेशन द्वारा, जिसके अभाव में प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा।</p>	<p>सामासिक विधि से समावेशन के लिए, किसी महामहान्य न्यास के सामान्य प्रशासन/मानव विकास/ चिकित्सा विभाग में, समतुल्य पदधारी अधिकारी या वेतनमान रु.43,200/- 66,000/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित पदधारी अथवा वेतनमान रु. 36,600/- 62,000/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा वेतनमान रु.32,900/-58,000/- के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित पदधारी पात्र होंगे।</p>	<p>62,000/- या उससे ऊपर के ग्रेड में किसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के मरीन विभाग में 4 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो, पात्र होंगे।</p> <p>चयन गुणगण के अनुसार किया जाएगा जिसके लिए एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग का बेंच मार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होगा।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति के लिए समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय के जीएडी/मानव संसाधन</p>
--	---	-------------------------	---	---	---------------------	-----	----	---	--	--	--	--	--	---

5	महाप्रबंधक (वित्त)	1	1	रु. 51,300/- - 73,000/-	चयन	40	कल्याण अनुषंगिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/ डिप्लोमा अथवा कानून में डिग्री।	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	लागू नहीं।	सामासिक विधि से समावेशन के लिए सदृश पदधारी अधिकारियों को रु.43,200 - 66,000/- के वेतनमान के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा वाले पदधारकों या किसी महापतन न्यास में वेतनमान रु.36,600 - 62,000/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा वाले अथवा वेतनमान 32,900 - 58,000/-के ग्रेड में, किसी महापतन में, जिनका वित्त विभाग में 5 वर्षों के नियमित सेवा का अनुभव हो, पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के लिए, वे अधिकारी जो कि रु.43,200 - 66,000/- के वेतनमान पर अथवा उसके सदृश पद के धारक हैं, 2 वर्षों की नियमित सेवा के हो या वित्त विभाग में किसी सरकारी/सार्वजनिक	विकास/ वित्त विभाग में वेतनमान रु. 43,200/- 66,000/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा अथवा वेतनमान रु. 32,900/- 58,000/- व इससे अधिक के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित पदधारी पात्र होंगे। चयन का आधार गुणागुण है जिसके लिए एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होगा।
---	--------------------	---	---	-------------------------	-----	----	---	------------------------------	------------	---	--

																			उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले पात्र होंगे। चयन गुणामुण के अनुसार किया जाएगा, जिसके लिए एपीएआर में समग्र प्रोडिग का बंचमार्क 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होगा।
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

महाप्रबंधक (एम एंड एस) के अंतर्गत प्रशासन प्रभाग के श्रेणी-। पदों हेतु नियुक्ति नियम

7	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयनित अथवा नैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हता	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव तथा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रयोज्य होगा	परवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (यथा सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में यह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	सहायक प्रबंधक	7	1	रु.20,600 - 46,500/-	चयन	30	अनिवार्य : i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री वाछनीय; ii) कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संपर्क/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण और आनुषांगिक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा मान्यता	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा 66.2/3% पदोन्नति द्वारा 33.1/3%	12	सहायक प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 व सहायक प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-11 के पदनामों को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। वर्तमान कनिष्ठ सहायक प्रबंधक (प्रशा.) प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक
1	सहायक प्रबंधक	7	1	रु.20,600 - 46,500/-	चयन	30	अनिवार्य : i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री वाछनीय; ii) कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संपर्क/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण और आनुषांगिक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा मान्यता	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा 66.2/3% पदोन्नति द्वारा 33.1/3%	12	सहायक प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 व सहायक प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-11 के पदनामों को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। वर्तमान कनिष्ठ सहायक प्रबंधक (प्रशा.) प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक

2	फिल्ड अधिकारी	1	1	रु.20,600/- - 46,500/-	चयन	30	प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि की डिग्री। ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन/कार्मिक व औद्योगिक संपर्क इत्यादि में कार्यपालक कड़ेर में दो वर्षों का अनुभव।	को नहीं खो) नहीं ग) तथापि किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा आवश्यक है ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा।	कनिष्ठ फिल्ड ऑफिसर/सम्पदा सर्वेक्षक, वेतनमान रु.16,400/- - 40,500/- के ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा से पदोन्नति। समावेशन/ प्रतिनियुक्ति : समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा किसी महापत्तन के सम्पदा/भूमि स्कंध में वेतनमान रु.16,400/- - 40,500/- के ग्रेड में उपर्युक्त फीडर पदों (अथवा समतुल्य) से।	अधिकारी (कम्प्यूटर) प्रशासन प्रभाग को सहायक प्रबंधक (प्रशासन) के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।
---	---------------	---	---	------------------------	-----	----	---	---	---	--	---	---

3	सहायक प्रबंधक (विधि)	1	1	20,600/-	46,500/-	चयन	30	अतिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक डिग्री। वांछनीय : i) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	2	समावेशन/प्रतिनियुक्ति जिसके न पर सीधी भर्ती	समावेशन/प्रतिनियुक्ति पदधारी अधिकारी महापत्तन न्यास के विधि क्षेत्र में वेतनमान रु.16,400/- 40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित पदधारी अधिकारी।				

4	सहायक प्रबंधक (रा.भा.)	1	1	20,600/- 46,500/-	चयन	30	<p>में कार्य पालक के रूप में दो वर्षों का अनुभव। ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातकोत्तर डिग्री।</p>	<p>लागू नहीं।</p>	2	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>लागू नहीं।</p>	<p>...</p>
							<p>अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातक साथ ही अंग्रेजी में एक विषय के रूप में हो। बांछित : i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में अंग्रेजी एक विषय सहित हिन्दी स्नातकोत्तर डिग्री। ii) किसी औद्योगिक/वार्णिज्यक/सरकारी उपक्रम में संबद्ध विधा में</p>	<p>लागू नहीं।</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	

5	उप प्रबंधक	4	1	29,40 0/- 50,50 0/-	घयन	35	<p>में कार्यपालक संवर्ग में दो वर्ष का अनुभव साथ ही, हिन्दी में शब्दावली कार्य और हिन्दी से अंग्रेजी तथा विलोमत : में अनवाद कार्य का अनुभव ।</p> <p>अनिवार्य : i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री । ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में कार्यपालक कैडर में पाँच वर्षों का अनुभव ।</p> <p>बांछित : कार्मिक प्रबंधन/ औद्योगिक संपर्क/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण व अनुषंगिक विषय में स्नातकोत्तर</p>	क) नहीं ख) हों ग) नहीं	2	<p>पदोन्नति जिसके न होने पर समावेशन , प्रतिनियुक्ति द्वारा , दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।</p>	<p>सहा. प्रबंधक/सहा. प्रबंधक (विधि)/ सहा. प्रबंधक (रा.भा.)/प्रशासनिक प्रभाग में फिल्टर ऑफिसर , वेतनमान रु.20,600/- - 46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा से पदोन्नति , जिसके न होने पर, सहायक प्रबंधक , पी एंड आई आर प्रभाग , वेतनमान रु.20,600/- - 46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा से पदोन्नति ।</p> <p>समावेशन /प्रतिनियुक्ति : समस्तुल्य पदधारी अधिकारी अथवा किसी महापतन न्यास में प्रशासनिक /पी एंड आई आर विधा में उपरोक्त फीडर पदों (अथवा समतुल्य पदों) से वेतनमान रु. 20,600/- - 46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों</p>	<p>वेतनमान - रु.24,900 50,500/- के उप सचिव (प्रशा.) और सहा.प्रबंधक(प्रशा. 1.) के पदानों को उप प्रबंधक (प्रशा.) के रूप में पुनर्पदानित किया जाएगा ।</p>
---	------------	---	---	------------------------	-----	----	--	------------------------------	---	---	--	---

6	वरिष्ठ प्रबंधक	3	1	32,900 - 58,000/-	चयन	37	डिजी/डिप्लोमा अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की स्नातक डिग्री। अनिवार्य : i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन/कार्मिक एवं औद्योगिक संपर्क के क्षेत्र में कार्यपालक केंडर में नौ वर्षों का अनुभव। बांछित : कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संपर्क/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अनुषंगिक विषय में	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	लागू नहीं।	सामासिक विधि से समावेशन के लिए समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा रु.24,900 - 50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा अथवा किसी महापत्तन न्यास में प्रशासन/पी एंड आई आर क्षेत्र में वेतनमान रु.24,900 - 50,500/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा और वेतनमान रु.24,900-50,500/- तथा रु.20,600 - 46,500/- के ग्रेड में संयुक्त रूप में 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित पदधारी अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु : समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा किसी सरकारी/लोक उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय के प्रशासन व पी एंड आई आर क्षेत्र में वेतनमान रु.24,900 - 50,500/- और उसके	को नियमित सेवा सहित।	सामासिक विधि से समावेशन के लिए समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा रु.24,900 - 50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा अथवा किसी महापत्तन न्यास में प्रशासन/पी एंड आई आर क्षेत्र में वेतनमान रु.24,900 - 50,500/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा और वेतनमान रु.24,900-50,500/- तथा रु.20,600 - 46,500/- के ग्रेड में संयुक्त रूप में 7 वर्षों की नियमित सेवा सहित पदधारी अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु : समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा किसी सरकारी/लोक उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय के प्रशासन व पी एंड आई आर क्षेत्र में वेतनमान रु.24,900 - 50,500/- और उसके	उप प्रबंधन (प्रशा.) वर्तमान वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशा.) वेतनमान रु. 32,900 - 58,000/- प्रोन्नत किया जाएगा।
---	----------------	---	---	-------------------	-----	----	--	------------------------------	------------	--	----------------------	--	--

	<p>ऊपर के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित अधिकारी पात्र होंगे। चयन का आधार गुणागुण होगा जिसके लिए एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होगा।</p>				<p>स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा: अथवा किराी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक की डिग्री।</p>							
	<p>कनिष्ठ बृक्षरोपण व बागवानी अधिकारी जो वेतनमान रु.16,400 - 40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा में हों, से पदोन्नति। समावेशन / प्रतिनियुक्ति: किसी महापत्तन च्यास में प्रशासक व बागवानी विधा में समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा उपरोक्त फीडर पद (अथवा समतुल्य) जो वेतनमान रु.16,400-40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा से।</p>	<p>द्वारा होने पर समावेशन, प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	2	<p>क)नहीं ख)हाँ ग) नहीं</p>	<p>अनिवार्य : i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति-विज्ञान / कृषि में स्नातक की डिग्री। वांछनीय : i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से वनस्पति-विज्ञान /कृषि स्नातकोत्तर डिग्री। ii)किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में कृषि/बृक्षरोपण/</p>	30	चयन	20,600 - 46,500	1	1	बृक्षरोपण व बागवानी अधिकारी	7

8	वरिष्ठ अग्नि शमन व सुरक्षा अधिक ारी	3	1	20,60 0 - 46,50 0/-	चयन	30	बागवानी के प्रबंधन से सम्बन्धित विषयों में कार्यपालक केंद्र के रूप में दो वर्षों का अनुभव ।	अग्निवाय i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थानसे स्नातक की डिग्री । ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से फायर इंजीनियरिंग (अथवा समतुल्य) डिग्री अथवा एनएफएससी नागपुर से प्रभागीय/अधिका री का अग्नि शमन प्रमाणपत्र (अथवा समतुल्य) बांछनीय :	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनिधु क्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	अग्नि शमन व सुरक्षा जो रु.16,400 - के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा में हों।	उप सचिव शमन अधिकारी, वर्तमान रु.16,400 - 40,500/- के वर्तमान पद को अग्नि शमन व सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्रशासक प्रभाग में पुनः पदनामित किया जाएगा ।
---	---	---	---	------------------------------	-----	----	--	---	------------------------------	---	--	--	--

म सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन त अथवा गैर चयन त	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हता	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रयोज्य होगा	परवर्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
	सुरक्षा/संरक्षण/पुलिस/पैरा मिलिटरी संचालित संगठन कार्यपालक कैंडर में दो वर्षों का अनुभव ।											
महा प्रबंधक (एमएंडएएस) के तहत निजी सचिवों के श्रेणी- पदों हेतु नियुक्ति नियम												
1	उपाध्यक्ष के पीएस	1	1	20,600 - 46,500/-	चयन	30	अनिवार्य : i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री । ii) स्टेनोग्राफी व टाइपराइटिंग में क्रमशः 120/40 शब्द प्रति मिनट । iii) कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान । iv) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में 5 वर्षों का अनुभव ।	क) नहीं ख) नहीं ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर समावेशन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	महाप्रबंधक के पीए, वेतनमान 16,400-40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की सेवा से पदोन्नति समावेशन / प्रतिनियुक्ति : किसी महापतन न्यास में, समतुल्य पदधारक अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष के पीए/उपाध्यक्ष के पीएस (और समतुल्य) वेतनमान रु.16,400 - 40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा से ।	13

महाप्रबंधक (एम एंड एस) के तहत पीएंड आईआर प्रभाग के श्रेणी-1 पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयनित अथवा नैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रयोज्य होगा	परिबीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में वह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	सहा. प्रबंधक	12	1	रु.20,600 - 46,500/-	चयन	30	अनिवार्य : 1)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। 2)वाछनीय। 3)कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संपर्क/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा अनुशासनिक विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा	9 क)नहीं ख) हाँ। ग) नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा 66.2/3% पदोन्नति द्वारा 33.1/3%	12 कार्मिक अधिकारी, पीडआईआर प्रभाग वेतनमान रु.16,400 - 40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा से पदोन्नति।	13 सहा. कार्मिक अधिकारी ग्रेड-1 व सहा.कार्मिक अधिकारी ग्रेड-11 के वर्तमान पदनामों को कार्मिक अधिकारी के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। कनिष्ठ सहा. प्रबंधक (पीएंडआईआर) और कार्मिक अधिकारी का

2	उप प्रबंधक	3	1	24,90 0 - 50,50 0/-	चयन	35	अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से विधि की डिग्री । ii) किसी औद्योगिक/वाणि ज्यक/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगि क संपर्क आदि के क्षेत्र में कार्यपालक कैडर में दो वर्षों का अनुभव ।	अथवा क) नहीं ख) हैं । ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर समावेशन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	सहायक प्रबंधक (पीएंडआईआर वेतनमान रु.20,600/- 46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा से पदोन्नति समावेशन/ प्रतिनियुक्ति : महापतन न्यास में पीएंडआईआर क्षेत्र में समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा उपरोक्त फीडर पद (अथवा समतुल्य), वेतनमान रु.20,600/- - 46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों की	वर्तमान पद सहायक प्रबंधक (पीएंडआईआर) के रूप में भी पुनः पदनामित किया जाएगा ।	सहा.प्रबंधक (पीएंडआईआर) को उपप्रबंधक (पीएंडआईआर) के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा ।
---	---------------	---	---	------------------------------	-----	----	---	--	---	---	--	--	---

<p>नियमित सेवा से ।</p>								<p>उप प्रबंधक(पीएंड आईआर), वेतनमान रु.29,100-54,500/- का वर्तमान पद को वरि.उप प्रबंधक (पीएंडआईआर) के रूप में पुनः</p>
<p>में</p>	<p>क्षेत्र कार्यपालक केंडर में पाँच वर्षों का अनुभव - वाछनीय i)कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक क संपर्क/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा अनुषांगिक विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से की विधि डिग्री ।</p>	<p>क)नहीं ख) हैं ग) नहीं</p>	<p>आवश्यक i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से डिग्री । ii) किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में सामान्य</p>	<p>लागू नहीं ।</p>	<p>सामासिक विधि से समावेशन के लिए, समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा रु.24,900 - 50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की अथवा नियमित सेवा रु.24,900-50,500/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतनमान रु.24,900 -</p>	<p>सामासिक विधि से समावेशन के लिए, समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा रु.24,900 - 50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की अथवा नियमित सेवा रु.24,900-50,500/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतनमान रु.24,900 -</p>	<p>सामासिक विधि से समावेशन के लिए, समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा रु.24,900 - 50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की अथवा नियमित सेवा रु.24,900-50,500/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतनमान रु.24,900 -</p>	<p>सामासिक विधि से समावेशन के लिए, समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा रु.24,900 - 50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की अथवा नियमित सेवा रु.24,900-50,500/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतनमान रु.24,900 -</p>
<p>3</p>	<p>वरि.उप प्रबंधक</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>32,900 - 58,000/-</p>	<p>चयन</p>	<p>37</p>		

पदनामित तथा वेतनमान रु.32,900 - पर 58,000/- पर प्रोन्नत किया जाएगा।	50,500/- तथा 20,600 - 46,500/- में पीएडआईआर क्षेत्र में 7 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा से, प्रतिनियुक्ति के लिए किसी सरकारी / लोक उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय में पीएड आईआर क्षेत्र में - वेतनमान रु.24,900 - 50,500/- के ग्रेड या इसके ऊपर के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा से। चयन का आधार मैरीट है जिसके लिए एपीएआर का समग्र प्रोडिंग 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होगा।
प्रशासन/कार्मिक व औद्योगिक संपर्क आदि के क्षेत्र में नौ कार्यपालक कैडर में नौ वर्षों का अनुभव - वाछनीय i) कार्मिक प्रबंधन/औद्योगि क संपर्क/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण अथवा अनुषांगिक विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से विधि डिग्री।	

भारतान्य प्रबंधक (एमएंडएस) के तहत वित्त प्रभाग के श्रेणी - I पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयनित अथवा नैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उन्न सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उन्न शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रयोज्य होगा	परिबीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में यह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहा. प्रबंधक	10	1	20,600-46,500/-	चयन	30	अनिवार्य : इस्टीमेट्युट आफ चार्टर्ड एकाउण्टंटस आफ इंडिया तथा इस्टीमेट्युट आफ कास्ट एण्ड बकर्स एकाउण्टंट आफ इंडिया का सदस्य । वांछनीय किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/संरकारी उपक्रम में वित्त, लेखा के क्षेत्र में 2 वर्षों का अनुभव ।	क) नहीं ख) नहीं तथापि किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय/संस्थान से डिग्री । ग) नहीं	2	सीधी नियुक्ति द्वारा 66.2/3% पदोन्नति द्वारा 33.1/3%	वित्त प्रभाग के लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी रु.16,400 - 40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा से पदोन्नति ।	इंस्पेक्टर आफ एकाउण्टंटस, ग्रेड - I (वित्त) व इंस्पेक्टर आफ एकाउण्टंटस, ग्रेड- II (वित्त) का वर्तमान पदनाम, लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त) के रूप में पुनर्पदनामित किया जाएगा । कनिष्ठ सहायक प्रबंधक (वित्त) अथवा लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी

2	उप प्रबंधक	3	1	24,900 - 50,500/-	चयन	35	अनिवार्य : इस्टीमेट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स आफ इंडिया तथा इस्टीमेट आफ कार्ट वकर्स एण्ड एकाउण्टेंट आफ इंडिया का सदस्य । वाछनीय किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में वित्त, लेखा के क्षेत्र में पाँच वर्षों का अनुभव ।	क) नहीं ख) नहीं तथापि किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री । ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	सहायक प्रबंधक, वित्त प्रभाग में, वेतनमान रु.20,600-46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा से पदोन्नति। समावेशन/प्रतिनियुक्ति : किसी महापत्तन न्यास के वित्त क्षेत्र में समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा उपरोक्त फीडर पद धारक (अथवा समतुल्य) वेतनमान रु.20,600 - 46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा सहित ।	का वर्तमान सहायक प्रबंधक (वित्त) के रूप में पुनर्पदनामित किया जाएगा ।
3	वरि. उप प्रबंधक	2	1	32,900 - 58,000/-	चयन	37	अनिवार्य : इस्टीमेट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स आफ इंडिया तथा इस्टीमेट	क) नहीं ख) हाँ, आरएसपी के अधीनस्थित होने की तिथि को केओपीटी	लागू नहीं ।	सामासिक विधि से समावेशन के लिए, समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा वेतनमान रु.24,900 - 50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित पदधारी	उपप्रबंधक (वित्त) वेतनमान रु.29,100 - 54,500/- के रेंजि.उप प्रबंधक (वित्त) के रूप में	

<p>आफ एण्ड कास्ट वकर्स एकाउन्टेन्ट आफ इडिया का सदस्य । वांछनीय किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सकारी उपक्रम में वित्त, लेखा के क्षेत्र में वर्षों का अनुभव ।</p>	<p>के कार्मिक के लिए एम.काम/एम.बि.ए(वित्त) पर्याप्त होगा । ग)नहीं</p>	<p>पर सीधी भर्ती द्वारा ।</p>	<p>से अथवा रु.24,900- 50,500/- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित रु.24,900 - 50,500/- तथा 20,600 - 46,500/- पर किसी महापत्तन के वित्त विधा में 7 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा सहित पदधारी पात्र होंगे ।</p>	<p>में पुनर्पदनामित किया जाएगा और वेतनमान रु.32,900 - 58,000/- पर प्रोन्नत किया जाएगा।</p>
<p>प्रतिनियुक्ति हेतु, किसी सरकारी / लोक उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय में पीएंड आईआर क्षेत्र में समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा वेतनमान रु.24,900 - 50,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित, पात्र होंगे ।</p>	<p>चयन का आधार गुणागुण है जिसके लिए समग्र ग्रेडिंग 'बहुत अच्छा' से कम नहीं होगा।</p>			

महाप्रबन्धक (मरीन प्रचालन एवं इंजीनियरिंग) के तहत आई एंड सीएफ प्रभाग के श्रेणी-I पदों के लिए नियुक्ति नियम

क्रम सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु)	वया चयन या गैरचयन पद है	सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	सीधी नियुक्ति के लिए (क) उम्र (ख) शैक्षिक योग्यताएं (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे	परिबीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की पद्धति (क्या सीधी नियुक्ति या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वर्ग, जिससे यह किया जाना है	टिप्पणी
1	सहायक प्रबंधक	28	I	20,600 / — 46,500 / —	चयन	30	8 अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) या उसके समतुल्य। वाछनीय किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में बेहतर हो, कि पतन व	9 (क) नहीं (ख) नहीं फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है। (ग) नहीं	10 2	11 सीधी नियुक्ति द्वारा 66.2/3 % पदोन्नति द्वारा 33.1/3%	12 पदोन्नति- इस ग्रेड में 3 वर्षों के नियमित सेवा सहित रु 16,400 /- - 40,500 /- के वेतनमान में आई एण्ड सीएफ प्रभाग के सहायका अभियंता व अन्य समतुल्य पदों से	13 कनिष्ठ सहायक अभियंता ग्रेड-I (आई एण्ड सीएफ) और कनिष्ठ सहायक अभियंता ग्रेड-II (आई एण्ड सीएफ) के विद्यमान पद को कनिष्ठ सहायक (आई एण्ड सीएफ) के रूप में पुनः वर्तनामित किया जाएगा। साथ ही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	उप प्रबंधक	6	1	24,900 / — 59,500 / —	चयन	35	अतिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल इजीनियरिंग में डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) या उसके समतुल्य । (ii) किसी वैश्वविद्यालय / या शिक्षिक / संस्थान से उत्कृष्ट	(क) नहीं (ख) नहीं यदि किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्था से सिविल इजीनियरिंग यदि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से	2	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर समावेश / प्रतिनियुक्त द्वारा दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	पदोन्नति — वेतनमान ₹ 20,800 /— — 46,800 /— के ग्रेड में 4 वर्षों का नियुक्ति सेवा वाले सहायक प्रबंधक, आई एच सीएफ प्रमाण से सहायक असलोक, ईप्रबं सक, आईएच सीएफ प्रमाण प्रबंधक, आई से पदोन्नति	सहायक प्रबंधक (आईएचसीए फ) तथा सहायक अभियंता (आईए चसीएफ) का विद्यमान पदों को सहायक प्रबंधक (आईएचए सीएफ) के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा
2	उप प्रबंधक	6	1	24,900 / — 59,500 / —	चयन	35	अतिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल इजीनियरिंग में डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) या उसके समतुल्य । (ii) किसी वैश्वविद्यालय / या शिक्षिक / संस्थान से उत्कृष्ट	(क) नहीं (ख) नहीं यदि किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय / संस्था से सिविल इजीनियरिंग यदि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से	2	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर समावेश / प्रतिनियुक्त द्वारा दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	पदोन्नति — वेतनमान ₹ 20,800 /— — 46,800 /— के ग्रेड में 4 वर्षों का नियुक्ति सेवा वाले सहायक प्रबंधक, आई एच सीएफ प्रमाण से सहायक असलोक, ईप्रबं सक, आईएच सीएफ प्रमाण प्रबंधक, आई से पदोन्नति	सहायक प्रबंधक (आईएचसीए फ) तथा सहायक अभियंता (आईए चसीएफ) का विद्यमान पदों को सहायक प्रबंधक (आईएचए सीएफ) के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा

3	वरिष्ठ उपायुक्त	3	1	32,900 / — 56,000 / —	चयन	39	अभिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सिबिल इंजीनियरिंग में डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) या उसके	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	लागू नहीं	सामासिक विधि के माध्यम से समावेशन द्वारा, इसके न होने पर प्रति नियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा ।	सामासिक विधि के जरिए समावेशन के लिए वेतनमान रु 24,900 /— 50,500 /— के पद पर हो या उसके सदृ श पदधारक	समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के लिए वेतनमान 20,600 /— — 46,500 /— के ग्रेड में और उसके सदृश पदधारी या उक्त फ्रीडर पदों के पदधारी (या समतुल्य) ग्रेड में जिनके पास किसी महापत्तन के सिबिल इंजीनियरिंग के विधा में 5 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो, पात्र होंगे ।	वेतनमान रु 29,100 /— के 54,500 /— के उप प्रबंधक (आईएण्ड सीएफ) के विद्यमान पदधारी को वरिष्ठ उप प्रबंधक (आई एण्ड सीएफ) के
---	-----------------	---	---	--------------------------------	-----	----	---	---------------------------------	--------------	---	--	--	---

समतुल्य ।								
(i). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में, बेहतर हो, पत्तन व समुद्री संरचना से योजना/डीजाईन/अनुसंधान में 12 वर्षों का अनुभव हो ।								
अधिकारियों को जिनके पास उक्त ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो या वेतनमान रु. 24,900-50,500/- के पदधारी अधिकारी जिनके पास उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो और वेतनमान रु. 24,900-50,500/- एवं रु. 20,600-46,500/- पर संयुक्त रूप से किसी महापत्तन व्यास के पोत परिवहन के सिविल इंजीनियरिंग विद्या में 7 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव हो, पात्र होंगे								
तौर पर पुनः पदनामित किया जाएगा और वेतनमान रु. 32,900/-								
—								
58,000/-								
पर अपग्रेड किया जाएगा								
।								

महाप्रबन्धक (मरीन प्रबालन एवं इंजीनियरिंग) के तहत संयंत्र एवं उपकरण प्रभाग के श्रेणी-I पदों के लिए नियुक्ति नियम

क्रम सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु)	क्या चयन या गैरचयन पद है	सौधी नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा (वर्षों में)	सौधी नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	सौधी नियुक्ति के लिए उम्र (ख) शैक्षिक योग्यताएं (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे	परिवर्द्धा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की पद्धति (क्या सीधी नियुक्ति या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वर्ग, जिससे यह किया जाना है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक प्रबन्धक	50	I	20,800-48,500/-	चयन	30	द्वानिर्धार्य -- (1). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यांत्रिक / इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री (4 वर्षों का डिग्री कोर्स) या उसके समतुल्य ।	क) नहीं ख) नहीं फिर भी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सम्बद्ध विभाग में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा अनिवार्य है। ग) नहीं	2	सौधी नियुक्ति के द्वारा - 86.2/3% पदोन्नति के द्वारा - 33.1/3%	पदोन्नति : वेतनमान रु. 16,400-40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले सहा. कार्यपालक अभियंता तथा पी एण्ड ई प्रभाग के समतुल्य पदों से पदोन्नति ।	संयंत्र अभियंता (पीएण्डई) और सहा. संयंत्र अभियंता (पीएण्डई) के विद्यमान पदनामों को सहा. कार्यपालक अभियंता (पी एण्ड ई के तौर पर पुनः पदनामित किया जाएगा ।

2	उप प्रबन्धक	5	I	24,900-5 0,500/-	चयन	35	वाञ्छनीय- (i) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यपालक कैडर में संबद्ध क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव । अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यात्रिक/इलेक्ट्रिकल इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री (4 वर्षों का डिग्री या कोर्स) या उसके समतुल्य । (ii). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में संबद्ध क्षेत्र में कार्यपालक	क) नहीं ख) नहीं फिर भी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या / संस्थान से संबद्ध विभाग में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा अनिवार्य है । ग) नहीं	2	पदोन्नति के द्वारा, जिसके न होने पर, समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	पदोन्नति वेतनमान रु. 20,800-46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा वाले पीएई प्रभाग के सहा. प्रबन्धक से पदोन्नति । वेतनमान रु. 24,900-50,500/- के पद पर या उसके समतुल्य पदधारक अधिकारियों या किसी महापत्तन में यात्रिक व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उक्त ग्रेड में	वेतनमान रु. 24900-25500/- के ग्रेड के वर्तमान सहा. प्रबन्धक (सा.प्र.) के पद को उप प्रबन्धक (सा.प्र.) के तौर पर पुनरुपदनामित किया जाएगा ।
---	-------------	---	---	---------------------	-----	----	---	--	---	--	---	--

3	वरी उप प्रबन्धक	4	I	32,900— 58,000 / —	चयन	37	सर्वग में पाँच वर्षों अनुभव	क) नहीं ख) हों ग) नहीं	लागू नहीं	सामासिक विधि के जरिए, समावेशन के द्वारा, जिसके न होने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों के माध्यम से न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	सामासिक विधि के जरिए, समावेशन के लिए, वेतनमान रु 24,900—50,500 /— के पद पर या उसके सदृश पदधारक अधिकारी या उक्त ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले पदधारक या वे अधिकारी जो वेतनमान रु. 24,900—50,500 /— के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों और किसी	4 वर्षों की नियमित सेवा वाले उपर्युक्त फीडर पदों (या समतुल्य) पदधारकों से समावेशन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	वेतनमान रु 29,100—54,500 /— पर उपप्रबंधक (पी एंड ई) के वर्तमान पद को वेतनमान रु. 32,900—58,000 /— के पद पर अपग्रेड करते हुए वरी उपप्रबंधक (पी एंड ई) के रूप पुनः पदनामित किया जाएगा।
							अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यात्रिक/इलो क्लक इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री (4 वर्षों का डिग्री या कोर्स) या उसके समतुल्य। (ii). किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में संबद्ध क्षेत्र में कार्यपालक सर्वग में नौ वर्षों का						

इजीनियरिंग की विभाग में वेतनमान रु. 24,900-50,500/- के वेतनमान और उसके ऊपर के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, पात्र होंगे। घयन गुणागुण के अनुसार किया जाएगा, जिसके लिए एपीएआर में समग्र श्रेडिंग का बैचमार्क बहुत अच्छा से नीचे नहीं होगा।																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्रम सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु)	क्या घयन या गैरघयन पद है	सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	सीधी नियुक्ति के लिए उम्र छ	शैक्षिक	परिवर्द्धा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की पद्धति (क्या सीधी नियुक्ति या पदोन्नति/समावेशन/)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वर्ग, जिससे यह	टिप्पणी
---------	-----------	----------------	----------	---------------	--------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------	---------	---------------------------------	--	--	---------

1	2	3	4	5	8	7	8	9	10	11	12	13
4	सहायक प्रबन्धक (सुरक्षा)	1	1	20,600 - 46,500 /	चयन	30	अनिवार्य या (i). इजीनियरिंग/ तकनीकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिग्री हो या पत्तन या अनुरूप जगह में पर्यवेक्षी हैसियत में कार्य करने का कम से कम 2 वर्षों का व्यवहारिक अनुभव हो। भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र में मान्यता प्राप्त डिग्री हो और किसी पत्तन पर्यवेक्षी की हैसियत में कम से कम 5 वर्षों का व्यवहारिक	9 (क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	पदोन्नति के द्वारा, जिसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	पदोन्नति रु. 16,400-40500/- के वेतनमान के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले सहायक कर्तपालक अभियंता(पीएण्डई) से पदोन्नति। किसी महापत्तन न्यास के यांत्रिक एवं इलेक्ट्रिकल इजीनियरिंग के क्षेत्र में वेतनमान रु. 16,400 / -- 40,500 / -- के वर्ग में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले पदों के	किया जाना है

	<p>धारक या समतुल्य पद धारक अधिकारियों से समावेशन/प्रतिनियुक्ति होगी।</p>
<p>अनुभव हो / इजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त हो किसी या अन्य जगह में 5 वर्षों की अवधि के लिए पर्यवेक्षी हैसियत से वास्तविक अनुभव हो, और, (ii). केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक सुखा डिग्री डिप्लोमा हो और (iii). पत्तन के अधिकांश कामगारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो जहाँ उन्हें नियुक्त किया जाना है अथवा, (i). इजीनियरिंग या तकनीकी मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा हो तथा</p>	

महाप्रबन्धक (मरीन प्रचालन एवं इंजीनियरिंग) के तहत सामग्री प्रबन्धन प्रभाग के श्रेणी-I पदों के लिए नियुक्ति नियम

क्रम सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु)	वया चयन या गैरचयन पद है	सौधी नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा (वर्षों में)	सौधी नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	सौधी नियुक्ति के लिए (क) शैक्षिक योग्यताएं (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगे	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की पद्धति (क्या सौधी नियुक्ति या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वर्ग, जिससे यह किया जाना है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक प्रबन्धक	6	I	20,600-4 6,500/-	चयन	30	अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यात्रिक/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष - वांछनीय (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सामग्री प्रबन्धन में स्नातकोत्तर	क) नहीं ख) नहीं फिर भी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से संबद्ध विधा में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा अनिवार्य है। ग) नहीं	2	सौधी नियुक्ति के द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति के द्वारा - 33.1/3%	पदोन्नति वेतनमान रु. 16,400-40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले सामग्री प्रबन्धन प्रभाग के भण्डार / क्रय अधिकारी से पदोन्नति, जिसके न होने पर, वेतनमान रु. 16,400-40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा	सहा. भण्डारी / क्रय अधिकारी ग्रेड-I (सा.प्रब.) और सहा. भण्डारी / क्रय अधिकारी ग्रेड-II (सा.प्रब.) के विद्यमान पदनामों को भण्डारी/ क्रय अधिकारी (सा.प्रब.) के तौर पर पुनः पदनामित किया जाएगा। साथ ही, भण्डारी / क्रय अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	उप प्रबन्धक	2	I	24,900— 0,500 / —	चयन	35 वर्ष	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यात्रिक / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या उसके समतुल्य (ii). किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबन्धन / यात्रिक / इलेक्ट्रिक	क) नहीं ख) नहीं फिर भी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यात्रिक / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सम्बद्ध विद्या में इजीनियरिंग का डिप्लोमा अनिवार्य है। ग) नहीं	2	पदोन्नति के द्वारा, जिसके न होने पर, समावेशन / प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के माध्यम से न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	पदोन्नति वैतनमान रु. 20,600—46,500 / — के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा वाले सहा. प्रबन्धक सामग्री प्रबन्धन प्रभाग से पदोन्नति जिसके न होने पर 20,600—46,500 / — के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा वाले पी एड ई प्रभाग के सहा. प्रबंधक	वैतनमान रु. 24,900— 50,500 / — के ग्रेड के वर्तमान सहा. प्रबन्धक (सा.प्रब.) के पद को उप प्रबन्धक(सा.प्रब.) के तौर पर पुनः पदनामित किया जाएगा।
							डिग्री / डिप्लोमा। (ii). किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबन्धन के क्षेत्र में अर्हता पश्चात् दो वर्षों का अनुभव				वाले पीएडईई प्रभाग के सहा. कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पदों से।	(सा.प्रब.) और कनिष्ठ सहा. प्रबन्धक (सा.प्रब.) के विद्यमान पदनामों को सहा. प्रबंधक (सा.प्रब.) के तौर पर पुनःपदनामित किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	वरि उप प्रबन्धक	1	I	32,900-56,000 / -	चयन	37	अतिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से यात्रिक/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	लागू नहीं	सामासिक विधि के समावेशन के द्वारा, जिसके न होने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों के	सामासिक विधि के जरिए, समावेशन के लिए, वेतनमान रु 24,900-50,500 /- के पद पर या उसके	वेतनमान रु. 29,100-54,500 /- पर विद्यमान उप प्रबंधक (सा.प्रब) के पद को वरि. उप
							ल इंजीनियरिंग के संबद्ध क्षेत्र में कार्यपालक कैडर में 5 वर्षों का अनुभव वाछनीय 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सामग्री प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा				से पदोन्नति । वेतनमान रु. 20,800-46,500 /- के पद पर या उसके सदृश पदधारक अधिकारियों या किसी महापत्तन में सामग्री प्रबन्धन/ यात्रिक व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विधा में उक्त ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा वाले उपर्युक्त फीडर पदों (या समतुल्य) पदधारकों से समावेशन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।	

<p>में स्नातक की डिग्री या उसके समतुल्य (ii). किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबन्धन / यांत्रिक / इलेक्ट्रिक ल इंजीनियरिंग के संबद्ध क्षेत्र में कार्यपालक कैडर में नौ वर्षों का अनुभव । वांछनीय 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सामग्री प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा ।</p>					<p>माध्यम से न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा</p>	<p>सदृश पदधारक अधिकारी या उक्त ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले पदधारक या वे अधिकारी जो वेतनमान रु. 24,900-50,500 /- के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों और किसी महापत्तन में सामग्री प्रबन्धन / यांत्रिक व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विद्या में वेतनमान रु. 24,900-50,500 /- एवं 20,800-46,500 /- पर 7 वर्षों की नियमित सम्मिलित सेवा वाले पात्र होंगे । प्रतियुक्ति के लिए वे अधिकारी, जो वेतनमानरु.</p>	<p>प्रबन्धक(सा.प्रब.) के तौर पर वेतनमान रु. 32,900-58,000 /- पर अपग्रेड कर पुनः पदनामित किया जाएगा ।</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

	<p>24,900—50,500/- तथा उसके उर्ध्व के ग्रेड पर 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले जिन्होंने उक्त ग्रेड पर सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वातंत्र्यासी निकायों के सामग्री प्रबन्धन/यांत्रिक व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विधा में वर्तमान रु 24,900—50,500/- के वेतनमान और उसके ऊपर के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो, पात्र होंगे।</p>

महाप्रबंधक (एम एंड एस) के तहत चिकित्सा प्रभाग के श्रेणी-1 पदों हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयनित अथवा नैरे चयनित	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए (क) उम्र (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रयोज्य होगा	परिवर्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/प्रतिनियुक्ति के मामले में यह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वरिष्ठ चिकित्सक सा अधिकारी	14	1	20,600 0 46,500/-	चयन	30	अनिवार्य : i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम बीएस की डिग्री अथवा चिकित्सा अधिकारी (डेंटल) के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बीडीएस की डिग्री। ii) एक वर्षों के	लागू नहीं।	2	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	चिकित्सा अधिकारी वर्तमान पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रूप पुनर्पदनामित किया जाएगा।

2	उप चिकित्सा सा अधीक्षक क (सामान्य कर्तव्य)	1	24,900 - 50,500/-	चयन	35	अनिवार्य : i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान एमबीबीएस की डिग्री अथवा चिकित्सा अधिकारी (डिप्लोमा) के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान बीडीएस की डिग्री। ii) एक वर्षों के इन्टरशिप पूरी होने के बाद किसी अस्पताल में 5 वर्षों का	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	वरि. चिकित्सा अधिकारी वेतनमान रु.20,600 - 46,500/- के ग्रेड पर 4 वर्षों की नियमित सेवा से पदोन्नति। समावेशन / प्रतिनियुक्ति किसी महा पत्तन क्षेत्र में समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा उपरोक्त फीडर पद अथवा समतुल्य, जो वेतनमान रु.20,600 - 46,500/- के ग्रेड में 4 वर्षों के नियमित सेवा में हो।
---	---	---	----------------------	-----	----	--	------------------------------	---	--	---

3	उप चिकित्सा अधीक्षक के (विशेष ज्ञ)	2	1	24,90 0 50,50 0/-	चयन	35	अनिवार्य : i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री अथवा चिकित्सा अधीक्षक (डेंटल) के लिए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से बीडीएस की डिग्री। ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से निर्धारित विशेषज्ञता स्नातकोत्तर (मेडिकल डिग्री/डिप्लोमा)।	लागू नहीं।	?	लागू नहीं। नोट : सीली भर्ती के रूप में विद्युक्ति हेतु संकटकाल में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त जो प्रथम दृष्टया आयातीय चिकित्सक अधिकारी हो, विचार किया जाएगा। जिसके न होने पर खुले विज्ञापन द्वारा पद को भरा जाएगा।	मेडिकल, सर्जरी, अर्थोपेडिक, मेडियाटिक और गयनोकोलोजी व अकस्टेट्रीक बिधा में क्रिडबल अभ्यता जाएगी।												
---	---	---	---	----------------------------	-----	----	--	---------------	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	चिकित्सक	3	श्रेणी- I	32,900 - 58,500 /-	चयन	37	<p>iii) पीजी डिग्री धारकों के लिए तीन वर्षों का अर्हता पश्चात अनुभव अथवा पीजी डिप्लोमा धारकों के लिए पाँच वर्षों का अर्हता पश्चात अनुभव सम्बन्ध विशेषज्ञता में किसी ख्यातिप्राप्त अस्पताल से</p> <p>अतिवार्यः (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री (ii). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से निर्धारित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री / डिप्लोमा (iii). डिप्लोमा किसी अस्पताल में स्नातकोत्तर की डिग्री धारकों के लिए डिग्री प्राप्ति के बाद 7 वर्षों या स्नातकोत्तर</p>	क) नहीं ख) नहीं ग) नहीं	लागू नहीं	सामासिक विधि के जरिए समावेशन के द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति के द्वारा, दोनों के माध्यम से न होने पर, सीधी नियुक्ति द्वारा	सामासिक विधि के जरिए समावेशन के लिए, सदृश पदधारक अधिकारियों या रु. 24,900-50,500 / - के वेतनमान के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले पदधारकों या किसी महापत्तन की चिकित्सा विधा के रु. 24,900-50,500 / - के ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा वाले और वेतनमान रु. 24,900-50,500 / - एवं 20,600-46,500 / - के 7 वर्षों की नियमित एकीकृत सेवा वाले पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के लिए, अधिकारी, जो कि समतुल्य पद के धारक हैं या किसी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की चिकित्सा विधा के रु. 24,900-50,500 / - और उससे ऊपर के ग्रेड में 3	वेतनमानः 29,100- 54,500 / - के चिकित्सा अधीक्षक के पद को वेतनमान रु. 32,900-58,000 / - पर अपग्रेड किया जाएगा।
---	----------	---	--------------	-----------------------------	-----	----	---	-------------------------------	-----------	---	--	---

2	उप प्रबन्धक	4	I	24,900-50,500	चयन	35	अनुभव। अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (ii). किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में पोत परिवहन एवं माल संचालन कार्य के क्षेत्र के कार्यपालक संवर्ग में 5 वर्षों का	क) नहीं ख) हां ग) नहीं	पदोन्नति के द्वारा, जिसके न होने पर, समावेशन/प्रतिन्युक्ति द्वारा, दोनों के माध्यम से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति वेतनमान रु. 20,600-46,500/- पर 4 वर्षों की नियमित सेवा वाले सहायक प्रबन्धक, टी. ओ.(एसएच व सीएच) प्रभाग से पदोन्नति, वेतनमान रु. 20,600-46500/- के पद में या उसके सदृश पद के धारक अधिकारियों	यातायात अधिकारी (एसएच व सीएच) और कनिष्ठ सहा. प्रबन्धक (एसएच व सीएच) के विद्यमान पदनामों को सहा.प्रबन्धक (एसएच व सीएच) के तौर पर पुनः पदनामित किया जाएगा। - वेतनमान रु. 24,900-50,500 /- पर विद्यमान सहायक प्रबन्धक (एसएच व सीएच) के पद को उप प्रबन्धक (एसएच व सीएच) के तौर पर पुनः पदनामित किया जाएगा। -
---	-------------	---	---	---------------	-----	----	---	------------------------------	---	--	---

3	वरि उप प्रबन्धक	2	I	32,900— 58,000 / —	चयन	37	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (ii). किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम में पोत परिवहन एवं माल संचालन कार्य के क्षेत्र के कार्यपालक संवर्ग में नौ वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) हों ग) नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति के द्वारा जिसके न होने पर, समावेशन / प्रतिलिपि न्युक्ति द्वारा, दोनों के माध्यम से न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	या किसी महापत्तन न्यास में पोत परिवहन एवं माल संचालन क्षेत्र के ग्रेड में 4 वर्षों की नियमित सेवा वाले पदधारकों की समावेशन / प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	वैतनमान रु. 29100—54500 के उपप्रबन्धक(एस एच व सीएच) के वर्तमान पदधारी को वरि. उपप्रबन्धक (एसएच व सीएच) के तौर पर पुनः पदनामित किया जाएगा और वैतनमान रु. 32,900—58,000 0 /— पर अपग्रेड किया जाएगा।
---	-----------------	---	---	--------------------------	-----	----	--	------------------------------	-----------	--	--	---

जिनके पास	उक्त ग्रेड पर	किसी	सरकारी/सा	वैज्ञानिक	उपक्रमों/	स्वायत्तशासी	निकायों के	पोत परिवहन	एवं माल	संचालन विद्या	में 3 वर्षों की	नियमित सेवा	वाले पदधारक	पात्र होंगे ।	क्षयन गुणागुण	के अनुसार	किया जाएगा,	जिसके लिए	एपीएआर में	समग्र ट्रेडिंग	का बैचमार्क "	बहुत अच्छा"	से नीचे नहीं	होगा ।																																																

नोट: वर्तमान अधिकारीगण, जिन्होंने 20.03.96 के पहले यातायात प्रचालन (एसएच व सीएच) एवं यातायात प्रचालन (रेलवे) दोनों प्रभागों, अपनी वरीयता बनाए रखने का विकल्प ग्रहण किया था, वे उपर्युक्त सूची के अनुसार उक्त दोनों प्रभागों, में पदोन्नति हेतु विचारार्थ पात्र होंगे ।

महाप्रबन्धक (यातायात प्रचालन) के तहत यातायात प्रचालनों (रेलवे प्रभाग) के श्रेणी-1 पदों के लिए नियुक्ति नियम

क्रम सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान (रु)	व्यय या गैरव्ययन पद है	सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा (वर्षों में)	सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	9	10	11	12	13
1	सहायक प्रबन्धक	9	I	20,600-4 6,500/-	व्यय	30	अनिवार्य (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री <u>वांछनीय</u> किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में रेलवे माल परिवहन कार्य में कार्यपालक कैंडिडेट में 2 वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) हों ग) नहीं	2	सीधी नियुक्ति- 86.2/3 % पदोन्नति द्वारा- 33.1/3%	पदोन्नति वेतनमान रु. 16,400-40,500/- के उक्त ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले यातायात अधिकारी, टी.ओ. (रेलवे) प्रभाग से पदोन्नति	सहा. यातायात अधिकारी ग्रेड-I (रेलवे) एवं सहा. यातायात अधिकारी ग्रेड-II (रेलवे) के विद्यमान पदनामों को यातायात अधिकारी, टी.ओ. (रेलवे) प्रभाग के तौर पर पुनः पदनामित किया जाएगा। साथ ही, और कनिष्ठ सहा.प्रबन्धक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	उप प्रबन्धक	2	I	24,900-5 0,500/-	चयन	35	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री (ii). किसी औद्योगिक/ वारिष्यिक/ सरकारी उपक्रम में रेलवे माल परिवहन कार्य के क्षेत्र के कार्यपालक कैडर में 5 वर्षों का अनुभव ।	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	2	पदोन्नति के द्वारा, जिसके न होने पर, समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा ।	पदोन्नति वैतनमान रु. 20,600- 46,500/- वर्षों की नियमित सेवा वाले सहायक प्रबन्धक, टी. ओ. (रेलवे) प्रभाग से पदोन्नति । वैतनमान रु. 20,600-4650 0/- पर या उसके सदृश पद के धारक अधिकारियों या किसी महापत्तन न्यास में रेलवे माल परिवहन	वैतनमान रु. 24,900-50,50 0 के सहायक प्रबन्धक (रेलवे) के विद्यमान पद को उप प्रबन्धक (रेलवे) के तौर पर पुनः पदनामित किया जाएगा ।

3	बरी उप प्रबन्धक	1	1	32,900-58,000/-	चयन	37	अनिवार्य (i). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; (ii). किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में रेलवे माल परिवहन कार्य में कार्यपालक केडर के क्षेत्र में नौ वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	लागू नहीं	सामासिक विधि के माफ़त समावेशन द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	सामासिक विधि के जरिए समावेशन के लिए, वर्तमान वेतनमान 24,900-50,500/- के पद पर या उसके सदृश पदधारक अधिकारियों जिन्होंने उक्त ग्रेड पर 3 वर्षों की नियुक्ति सेवा की हो या रु. 24,900-50,500/- के ग्रेड में या उसके सदृश पद पर 2 वर्षों की नियुक्ति सेवा करने वाले और किसी महापतन में रेलवे माल परिवहन विधा में वेतनमान रु. 24,900-50,500/- एवं	वेतनमान रु. 29,100-54,500 के उप प्रबन्धक (रेलवे) के वर्तमान पदनाम को वरि. उप प्रबन्धक (रेलवे) के तौर पर पुनरुपनामित किया जाएगा और वेतनमान रु. 32,900-58,000/- में अपग्रेड किया जाएगा।	विधा में उक्त ग्रेड में 4 वर्षों की नियुक्ति सेवा वाले पदधारकों से होगा।
---	-----------------	---	---	-----------------	-----	----	---	------------------------------	-----------	---	--	---	--

20,600—46,500/- में	7 वर्षों की नियमित सम्मिलित सेवा वाले पात्र होंगे।	प्रतिनियुक्ति के लिए, वे अधिकारी, जो कि रु.	24,900—50,500/-के	वर्तमान पर या उसके	उर्ध्व अथवा उसके सदृश	पद के धारक हैं या किसी	सरकारी/सांख्यिक	उपक्रमों/स्वायत्तशासी	निकायों के रेलवे माल	परिवहन विधा में 3 वर्षों की	नियमित सेवा वाले पात्र होंगे।	।	चयन गुणागुण के अनुसार	किया जाएगा, जिसके लिए	एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग का बैचमार्क	बहुत अच्छा से नीचे नहीं होगा।
---------------------	--	---	-------------------	--------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------------	---	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------

नोट: वर्तमान अधिकारी, जिन्होंने 20.03.96 के पहले यातायात प्रचालन (एसएच व सीएच) एवं यातायात (रेलवे) प्रचालन प्रभागों, दोनों में, अपनी दरियता बनाए रखने का विकल्प ग्रहण किया था, वे उपर्युक्त सूची के अनुसार उक्त दोनों प्रभागों, में पदोन्नति हेतु विचारार्थ पात्र होंगे।

सतर्कता विभाग के श्रेणी- I पद हेतु नियुक्ति नियम

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन त अथवा चयन त	सीधी भर्ती के लिए उर्ध्व उन्न सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य अर्हता	सीधी भर्ती के लिए (क) उन्न (ख) शैक्षिक योग्यता (ग) अनुभव क्या पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रयोज्य होगा	परवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	नियुक्ति की विधि (क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/ समावेशन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/समावेशन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में यह ग्रेड जिससे यह किया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	सहायक सतर्कता अधिकारी ग्रेड - I	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सहायक सतर्कता अधिकारी ग्रेड - I	1	1	20,600 - 46,500/-	चयन	लागू नहीं।	लागू नहीं।	क)..... ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री। ग).....	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा किसी महापत्तन न्यास/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय में वेतनमान रु. 16,400 -- 40,500/- के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा से प्रतिनियुक्ति। सतर्कता कार्य में अनुभव वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।	प्रतिनियुक्ति सामान्यतः 3 वर्षों के लिए होगी और किसी भी मामले में 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी।
2	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	1	32,900 - 58,000/-	चयन	लागू नहीं।	लागू नहीं।	क)..... ख) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री। ग)	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	समतुल्य पदधारी अधिकारी अथवा किसी महापत्तन में वेतनमान 24,900 - 50,500/- के ग्रेड पर 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित प्रतिनियुक्ति। अधिकारी अथवा वेतनमान रु. 24,900 - 50,500/- तथा रु. 20,600 - 46,500/- में समेत 7 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 24,900 -	प्रतिनियुक्ति सामान्यतः 3 वर्षों के लिए होगी और किसी भी मामले में 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

3	उप.	1	।	36,600/-	चयन	38	अनिवार्य	(क) नहीं	लागू	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति:	
							द्वारा जारी किया गया विदेशगामी जलयान के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र अवश्य हो अथवा भारत सरकार के एमओएस द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रिज मास्टर ग्रेड-I, या समतुल्य अर्हता। (ii). अर्हता प्राप्त के पश्चात् विदेशगामी जलयान के मास्टर के रूप में एक वर्ष का अनुभव	(क) नहीं		पायलट/टीएम ओके द्वारा या केओपीटी के अन्य मरीन सेवाओं के अधिकारियों के स्थानान्तरण द्वारा से, इसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्ति/सी धी भर्ती द्वारा	निर्धारित अर्हता अर्जित करने पर उसके समावेशन द्वारा, इसके न होने पर पदाधिकारियों द्वारा अपेक्षित परीक्षाएं पास करने पर तथा निर्धारित अर्हता अर्जित करने पर उनके पदोन्नति/समावेशन द्वारा, इसके न होने पर महापत्तनों के उन पदाधिकारियों के समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो मरीन सेवाओं में सद्दृश पदधारी तथा अपेक्षित अनुभव प्राप्त हों।	

प्रबंधक (समुद्दी प्रचालनों)	62,000 / --	भारत सरकार के एमओएस द्वारा जारी किया गया विदेशगामी जलयान के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र अवश्य हो अथवा भारत सरकार के एमओएस द्वारा मान्यता प्राप्त ड्रेज मास्टर ग्रेड-I या समतुल्य अर्हता । (ii).अवश्य ही पाइलट लाइसेंस धारक हो और विदेशगामी जलयान के मास्टर के रूप में या पाइलेटींग	(ख) हो फिर भी जो अधिकारीगण फर्स्ट मेंट (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड-I / सैकंड मेंट (एफजी) ड्रेज मास्टर ग्रेड-I / बीएससी नौटिकल साइंस / टी एस राजेन्द्रा / टी एस डफरीन से उत्तीर्ण किया हो या जो विज्ञान में स्नातक हो तथा साथ प्रशिक्षित पाइलट हो, भी पात्र होंगे । (ग) नहीं ।	नहीं	इसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्त द्वारा दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	रु 32,900 / --- 58,000 / -- के वेतनमान पर जिस पाइलट ने उक्त ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा की हो, से पदोन्नति । समावेशन/ प्रतिनियुक्ति उन अधिकारियों में से होगी जो किसी महापत्तन में वेतनमान रु 32,900- 58,000 / -- पर सदृश पदधारी हों या वे अधिकारी जो उक्त फीडर पद का पदधारी हों (या समतुल्य डेक साइडपदधारी हों, तथा उक्त ग्रेड में
-----------------------------------	-------------	---	--	------	---	--

4	प्रशिक्षु गोदी पाइलट	गोदी पाइलट के पदों की उपलब्धता के अनुसार	1	प्रथम वर्ष स्टाइपेंडरू 1800/- द्वितीय वर्ष स्टाइपेंडरू 2000/- तृतीय वर्ष स्टाइपेंडरू 2500/- (इस के अलावा भत्ता) (संशोधित होने वाला)	चयन	25	अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (भौतिकी व रसायनशास्त्र और सांख्यिकी सहित/कम्प्युटर साइंस/गणित के साथ जोड़) की डिग्री	लागू नहीं	लागू नहीं	सीधी नियुक्ति	5 वर्षों की नियमित सेवा की हो।
5	गोदी पाइलट		1	20,600/- 46,500/- (गोदी पाइलट के रूप में संतोषजनक निष्पादन के साथ 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरा करने पर रू 24,900/- 50,500/-	चयन	30	अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (भौतिकी व रसायनशास्त्र और सांख्यिकी सहित/कम्प्युटर साइंस/गणित के साथ जोड़) की डिग्री	(क)नहीं (ख)हां, यद्यपि, इस विनियम के अधिपूवना की तिथि के अनुसार रोल पर एचडीसी ऑफिसियल स के लिए उच्च माध्यमिक	2	समावेशन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	अपेक्षित प्रशिक्षण/परीक्षा पास करने और निर्धारित अर्हता प्राप्त करने के एचडीसी के प्रशिक्षु गोदी पाइलट के समावेश द्वारा इसके न होने पर, अपेक्षित

8	सहायक गोदी मास्टर	4	I	24,900 / - 50,500 / - (प्रस्तावित रु. 29,100 / - 54,500 / - में उन्नयन)	चयन	35	अनिवार्य (i). सेकेण्ड नेट एफजी) / मास्टर (होम ट्रेड) प्रमाण पत्र (ii). डेक केडर के रूप में 3 वर्षों का अनुभव / प्रशिक्षु (iii). अनुभव: 10 वर्षों के लिए	(क) नहीं (ख) हां, यद्यपि, पदोन्नति के लिए छूट है - (ग) नहीं	परीक्षा (विज्ञान) या उसके समतुल्य) पर्याय के रूप में होगी (ग) लागू नहीं	2	पदोन्नति के द्वारा इसके न होने पर समावेशन । प्रतिनियुक्त द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	प्रशिक्षण/ परीक्षा प्राप्त करने के बाद एचडीसी के अन्य अधिकारी समावेश द्वारा, इसके न होने पर, अन्य पदानों के समुद्री सेवा के समतुल्य पदों के अधिकारियों का समावेशन/प्रि त नियुक्ति द्वारा । वेतनमान 20,600 / - के 46,500 / -पर गोदी पाइलट जो उक्त ग्रेड में 4 वर्षों नियमित सेवा सहित पदोन्नति । समावेशन/प्रि तनियुक्त किस्ती महापतन से
---	-------------------------	---	---	---	-----	----	--	---	---	---	---	---

7	उप गोदी मास्टर	1	I	29,100/- - 54,500/- (प्रस्तावित रु. 32,900/- -58,000/ - के उत्पन्न)	चयन	36	अनिवार्य (i). सेकेण्ड नेट एफजी)/ मास्टर (होम ट्रेड) प्रमाण पत्र (ii). डेक कैडड/ प्रशिक्षु के रूप में 5 वर्षों के अनुभव/ (iii). अनुभव: 12 वर्षों के लिए आबद्ध गोदी प्रणाली में सभी आकार के जलयानों के	(क) नहीं (ख) हां, यद्यपि, पदोन्नति के लिए छूट है (ग) नहीं	2	पदोन्नति के द्वारा इसके न होने पर समावेशन/ प्रतिनियुक्त द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	रु 20,600 / - 46,500 / - के वेतनमान में 4 वर्षों के नियमित सेवा सहित अधिकारी समनुल्य पद धारक हो या गोदी पाइलट का पद धारक हो (या समनुल्य) हो इस ग्रेड में 3 वर्षों के नियमित सेवा सहित रु 24,900 / - 50,500 / -के वेतनमान में सहायक गोदी मास्टर से पदोन्नति। समावेशन/प्रति नियुक्त किन्ती महापत्तन से इस ग्रेड में 3 वर्षों के नियमित सेवा	
---	----------------------	---	---	--	-----	----	---	--	---	--	--	--

8	अभियंता प्रमारी	8	I	20,600 / - 46,500 / -	लागू नहीं	30	अनिवार्य (i). मर्चेंट शिपिंग 1958 के तहत जारी किए गए एम्ओटी सेकेण्ड क्लास (कम्पाइण्ड या मोटर) प्रमाण पत्र (ii). विदेशगामी जलयान पर स्वतंत्र वाह कीर्षी अभियंता रूप में वर्षों अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं	2	सीधी नियुक्ति द्वारा, इसके न होने पर समावेशन / प्रतिनियुक्त द्वारा	सहित रु 24,900 / - 50,500 / - के तैतनमान में अधिकारी समतुल्य पद धारक हो या सहायक गोदी मास्टर(या समकक्ष) का पद धारक हो -	समावेशन / प्रतिनियुक्त किसी माहपतन में समतुल्य पद धारक अधिकारियों से -
---	-----------------	---	---	--------------------------	-----------	----	---	---------------------------------	---	--	--	--

9	मुख्य अभियंता	11	1	32,900/- — 58,000/-	चयन	37	(i). मर्चेट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत एमओटी सेकेण्ड क्लास (कम्वाइण्ड या मोटर) जारी प्रमाणपत्र (ii). मुख्य अभियंता के रूप में 3 वर्षों का अनुभव हो अथवा मुख्य अभियंता के रूप और विदेशगामी जलयान पर द्वितीय अभियंता के रूप में 4 वर्षों का सम्मिलित अनुभव	(क) नहीं (ख) हैं (ग) नहीं	2	सीधी नियुक्ति द्वारा, इसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्त द्वारा	समावेशन/प्रतिनियुक्त हेतु वे अधिकारीगण जो किसी महापत्तन न्यास में वेतनमान रु 29,100/- 54,500/- के उक्त ग्रेड पर समुद्री अभियंता विधा में या 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हो, के साथ उक्त पद पर उल्लेख्य पद पर हो,
10	उप प्रबंधक (समुद्री अभियंता)	1	1	36,600/- — 62,000/-	चयन	38	(i). मर्चेट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत जारी किए गए एमओटी सेकेण्ड क्लास (कम्वाइण्ड या मोटर) प्रमाण पत्र	(क) नहीं (ख) हैं (ग) नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर समावेशन/प्रतिनियुक्त द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा	पदोन्नति: वेतनमान रु 32,900/- 58,000/- पर उक्त ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित मुख्य अभियंता, एम.

11	प्रबंधक	1	I	43,200 / -- -66,000 / --	चयन	39	अनिवार्य या (i). भारत सरकार के एमओएस द्वारा जारी विदेश-गामी जलयान के मास्टर के रूप में क्षमता प्रमाण पत्र अवश्य होना	(क) नहीं (ख)हाँ यद्यपि अधिकारी प्रथम मेट (एफजी) प्रमाण पत्र सहित/इं ज मास्टर ग्रेड-II / सेकेण्ड मेट	लागू नहीं	समावेश विधिक माध्यम से द्वारा, इसके न होने प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा ।	समावेश विधि के माध्यम से समावेश हेतु वे अधिकारी जो वेतनमान रु 36,800 / -- 62,000 / -- पर किसी महापत्तन में समुद्री विधा	ओ. प्रभाग से पदोन्नति । समावेश/प्रतिनियुक्ति उन अधिकारियों से होगी जो किसी महापत्तन प्यास में वेतनमान 32,900 से 58,000 / -- पर 2 वर्षों की नियमित सेवा के साथ उपयुक्त फीडर पोस्ट (या उसके समकक्ष) पर रह चुके हो ।
----	---------	---	---	-----------------------------	-----	----	--	--	-----------	--	---	---

<p>चाहिए अथवा ग्रेड मास्टर ग्रेड-1 या भारत सरकार के एम्प्लॉयस द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता के समकक्ष (ii). पाइलट लाइसेंस अवरय होना चाहिए तथा विदेशगामी जलयान या पाइलटिंग के मास्टर के रूप में 8 वर्षों का अनुभव या समग्र अथवा (i). सर्वेंट सिपिंग एक्ट 1958 के तहत जारी किए गए एम्प्लॉटी सेकेण्ड क्लास (कम्पाइण्ड या मोटर) प्रमाण पत्र (ii). विदेशगामी जलयान पर मुख्य अभियंता के रूप में पांच वर्षों का अनुभव</p>	<p>(एफजी) ग्रेजुएट ग्रेड-I/बी एसी नॉटिकल साइंस/टी. एस. राजेन्द्र/टी. एस. बाणक्य/टी.एस. बुफरीन से उत्तीर्ण हो या साइंस ग्रेजुएट जो पाइलटस के रूप में अर्हता प्राप्त हो, भी पात्र होंगे। (ग) नहीं</p>	<p>उक्त ग्रेड में दो वर्षों की नियमित सेवा के साथ पदकारी हो या उसके समकक्ष पद पर हो, पात्र होंगे प्रतिनियुक्ति हेतु वे अधिकारीगण जो वेतनमान 30,800/- 62,000/- पर किसी सरकारी/सा रजिस्ट्रार/ उपक्रम/ स्वायत्तवासी निकाय में समुद्री विद्या में उक्त ग्रेड पर 2 वर्षों की नियमित सेवा सहित पदकारी हो, या उसके समकक्ष पद पर हो, पात्र होंगे। बचन गुणागुण आधार पर होगा, जिसके एपीएआर में समग्र प्रोबिंग का बेचमार्क बहुत अच्छा से कम नहीं होगा।</p>
--	---	---

[फा. सं. पीआर-12012/1/2009-पीई-1]

एन. मुरगन्धम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2013

G.S.R. 687(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulation, 2013 made by the Board of Trustees of Kolkata Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE**KOLKATA PORT TRUST EMPLOYEES' (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) REGULATIONS, 2013**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963) and in supersession of all previous rules, regulations, bye-laws, framed in this respect, except things done or omitted to be done under the said rules, regulations or bye-laws before such supersession, the Board of Trustees of Port of Kolkata hereby makes the following regulations, namely:-

Short Title and Commencement:

1. (i) These Regulations may be called the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 & 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

Application

2. These Regulations shall apply to all posts created under Section 27 of the Act under the Board including those covered by clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act.

Definition

3. In these regulations, unless the context otherwise requires
 - (a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963).
 - (b) "Analogous post" means a post of which the duties and level of responsibilities and the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made.
 - (c) "Appointing Authority" in relation to any grade or post means the authority empowered under the Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987 along with subsequent amendments, to make appointment to that grade or post.
 - (d) (i) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of Department" have the meanings respectively assigned to them under the Act.
 - (ii) "Head of Division" means the Officer-in-Charge of the respective division at Haldia Dock Complex.
 - (e) "Class I Posts", "Class II Posts", "Class-III posts" and "Class-IV posts" shall have the same meaning as assigned to them in Regulation 4 of the Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987, and as amended from time to time.

(f) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted from time to time under regulation 26 of these regulations for the purpose of making recommendation for promotion to or confirmation in any grade or post.

(g) "Direct Recruit" means a person recruited on the basis of a competitive examination or test and/or interview by Services Selection Committee.

(h) "Employee" means an employee of the Board.

(i) 'Grade' means any of the grades specified in the Schedule of Employees prepared and sanctioned under Section 23 of the Act.

(j) "Lien" means the title of an employee to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation.

Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior-most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade.

(k) "Permanent Employee" means an employee who has been substantively appointed to a permanent post.

(l) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations.

(m) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in Clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.

(n) "Select list in relation to any grade or posts means the select list prepared in accordance with Regulation 13 for that grade or posts..

(o) "Selection Post" means a post declared as such under regulation 5 of these regulations.

(p) "Services Selection Committee" means the Committee constituted under regulation 12 of these regulations for the selection of candidates by means of a written test, a trade test and/or interview for appointment to posts reserved for direct recruitment.

(q) "Temporary Employee" means an employee holding a temporary post or officiating in a permanent post or on probation in his appointment in the service of the Board.

(r) "Cadre" means the strength of a service, or a part of a service sanctioned as a separate unit, consisting of posts or categories of posts in the Kolkata Port Trust, the incumbents of which are eligible to be considered for transfer or for promotion by selection or non-selection basis.

MANNER OF APPOINTMENT

4. All appointments to the posts to which these regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment. Deputation will be of employees from Central Govt., State Govts., autonomous bodies, Govt. Companies fulfilling the criteria of eligibility prescribed for the post. The normal period of deputation is 3 years which is extendable to four years. In exceptional circumstances, this can be extended to five years.

4. (A) Provided that the appointment in respect of posts treated as Heads of Department and posts one level below the HOD, all the vacancies shall be filled by 'Composite method of recruitment "i.e. through promotion/absorption failing which by deputation and failing both by direct recruitment. The promotion/absorption will be from the officers from Major Port Trusts fulfilling the criteria of eligibility prescribed in the schedule annexed to the regulation."

4. (B) Officiating appointment to a higher post whether on "selection" or "non-selection" basis will not confer on any such appointee any right of future appointment to the post.

SCHEDULES

5. The manner of appointment i.e. whether by direct recruitment or by departmental promotion or absorption or deputation, the qualification, age, education, training, requirements of experience, classification of posts as selection posts or non-selection posts and other matters connected with the appointments to various posts shall be shown in the Schedule annexed to these Regulations in respect of Class-I posts. In respect of Class-II, Class-III and Class-IV posts the manner of appointment shall be as laid down by the Board from time to time. The Schedule shall also show the authorized permanent and temporary strength of the various grades as shown in the Schedule of Employees prepared under the provisions of Section 23 of the Major Port Trusts Act, 1963. This strength is liable to change from time to time under the provisions of Section 27 of the Major Port Trusts Act, 1963. The eligibility requirements prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion to the extent mentioned in Column 9 of the schedule and requirement of experience for promotion will be as prescribed in Column 12 of the schedule.

Provided that the prescribed upper age limits may be relaxed by the Central Govt. in case of HODs and by Chairman in all other cases for reasons to be recorded in writing for direct recruitment / absorption/deputation as under: -

- (i) up to 5 years where the minimum experience prescribed is 10 years or more and up to 3 years where the minimum experience prescribed is 5 to 9 years.
- (ii) in the case of a candidate who is an ex-serviceman, i.e. ex-employee of India's Defence Forces, and who has put in not less than 6 months continuous service in the Defence Forces, up to the extent of the service rendered by him in the Defence Forces plus three years where the vacancy to be filled is a vacancy reserved for such ex-servicemen and dependants of those killed in action and up to the extent of the service rendered by him in the Defence Forces, where the vacancy to be filled is an unreserved vacancy; and
- (iii) in the case of a candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or other backward classes in accordance with such orders as the Central Government may issue from time to time in this regard.

Provided further that the requirement of experience is relaxable at the discretion of the Central Govt. in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBC if at any stage of selection the Central Govt. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

ROSTER OF VACANCIES

6. A roster shall be maintained for each grade to show whether a particular vacancy should be filled by direct recruitment or promotion. However, if a vacancy which is reserved for direct recruitment cannot be filled by direct recruitment, it may be filled by promotion and the next vacancy shall be filled by direct recruitment. Similar practice can be followed in the case of a vacancy reserved for promotion but cannot be filled by promotion method.

RESERVATION

7. (1) Orders issued by the Central Government from time to time for reservation of posts under it, whether to be filled by direct recruitment or promotion in favour of the Scheduled Castes and the

Scheduled Tribes shall apply mutatis mutandis to all appointments covered by these regulations.

(2) Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of posts under it in favour of other backward classes, ex-servicemen and dependants of those killed in action, sportsmen and physically handicapped persons and any other categories to be specific by Central Govt. shall also apply mutatis mutandis to appointments covered by these regulations and to which direct recruitment is made.

NATIONALITY, CHARACTER, PHYSICAL FITNESS ETC. FOR DIRECT RECRUITMENT:

8. (1) In order to be eligible for direct recruitment to any grade or post, a candidate must be -
- a) Citizen of India; or
 - b) a subject of Nepal; or
 - c) a subject of Bhutan; or
 - d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
 - e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Bangladesh, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (a) shall produce such proof of his nationality as the Chairman may, from time to time require. Provided further that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India;

Provided also that a candidate in whose case the proof of nationality or a certificate of eligibility is necessary may be provisionally appointed, pending the production by him of the necessary certificate in his favour from the Central Government, as the case may be. In such cases the provisional appointment shall not exceed a period of one year.

- (2) The Chairman may, with the prior approval of the Central Government, modify or waive any of the requirements of sub regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfils the requirements of these regulations.

- (3) No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person. shall be eligible for appointment to any grade or post to which these regulations apply.;

Provided that the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub regulation.

(4) A candidate must satisfy the appointing authority that his character and antecedents are such as to make him suitable for appointment to any grade or post. No candidate who has been convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment to a grade or post.

(5) A candidate shall be in good mental and physical health and free from any physical defects likely to

interfere with the discharge of his duties as an employee of the Board. A candidate who after such medical examination as the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may specify, is found not to satisfy those requirements, shall not be appointed.

(6) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any of the requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases.

ELIGIBILITY OF EXISTING EMPLOYEES FOR DIRECT RECRUITMENT

9. When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees already in service may also apply, provided they possess the prescribed qualifications and experience. Age limit in such cases will not apply.

ADVERTISEMENT OF VACANCIES

10. (1) Vacancies of Class-III and Class-IV posts to be filled by direct recruitment shall be notified to the local Employment Exchange. In case sufficient number of eligible and suitable candidates are not available, the vacancies are to be advertised in Newspapers published within the State. Class-I, Class-II and posts intended to be filled by direct recruitment shall be advertised in national and local dailies and/or Employment News.

(2) The crucial date for determining the qualification, experience and age shall be the first day of the month in which the post is notified / advertised unless otherwise specified.

CONDUCT OF WRITTEN OR SKILL TESTS IN CERTAIN CASES:

11. The Appointing Authority may decide whether a written or a skill test or both should be held and also name the officer who should hold the said test and the manner in which the test should be held and other details thereof. It shall be open to the Appointing Authority to engage a consultant or a firm of consultants to conduct a written or skill test.

SERVICES SELECTION COMMITTEE:

12. (1) There shall be a Services Selection Committee for each grade or post, as mentioned in sub regulation (2) for making selection including interview and /or written test of candidates for appointment to different posts by direct recruitment.

(2) The category of posts and the composition of the Services Selection Committees referred to in sub regulation (1) shall be the following, namely:

a (i) For HODs

- | | | |
|-------|---|------------|
| (i) | Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping | - Chairman |
| (ii) | Chairman of the Port | - Member |
| (iii) | Any other Port Chairman or an officer having wide experience in the field to be nominated by the Ministry of Shipping | - Member |

- (iv) Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Ministry of Shipping, if applicable - Member

a (ii) For GMs, HDC

- i) Chairman - Chairman
 ii) Dy. Chairman (KDS) - Member
 iii) Dy. Chairman (HOC) - Member
 iv) Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman, if applicable. - Member

b (i) For Class I posts the maximum of pay scale of which exceeds Rs. 50,500/- (in the pay structure from 1.1.2007) KDS:-

- i) Dy. Chairman - Chairman
 ii) HOD in charge of the Department in which the vacancy occurs. - Member
 iii) HOD in charge of the GAD - Member
 iv) Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/ Dy. Chairman, if applicable. - Member

(Any other Head of Department to be nominated by Chairman in case vacancy occurs under HOD in charge of the GAD.)

b(ii) For Class I posts other than those covered above and class-II posts KDS:-

- i) HOD in charge of the GAD - Chairman
 ii) HOD in charge of the Department in which the vacancy occurs. - Member
 iii) FA&CAO - Member
 iv) Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/ Dy. Chairman, if applicable. - Member

(Any other Head of Department to be nominated by Chairman in case vacancy occurs under HOD in charge of the GAD/ Finance Department.)

c (i) For Class I posts the maximum of pay scale of which exceeds Rs. 58,000/- (in the pay structure from 1.1.2007) HDC:-

- i) Dy. Chairman - Chairman
 ii) GM - in-charge of the Division in which the vacancy occurs - Member
 iii) GM in charge of P&IR Division - Member
 iv) Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable. - Member

(Any other GM –in - charge to be nominated by Dy. Chairman (H) in case vacancy occurs under GM- in - charge of the P&IR Division)

c (ii) For Class I posts other than those covered above and class-II posts HDC:-

- | | | | |
|------|---|---|----------|
| i) | GM - in-charge of the Division in which the vacancy occurs | – | Chairman |
| ii) | GM in charge of P&IR Division | – | Member |
| iii) | Any other GM to be nominated by DC(H) | - | Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable. | - | Member |

(Any other GM –in - charge to be nominated by Dy. Chairman (H) in case vacancy occurs under GM- in - charge of the P&IR Division)

d. For Class-III posts , KDS

- | | | | |
|------|---|---|----------|
| i) | An officer of the rank not below that of Deputy to the Head of GAD | - | Chairman |
| ii) | An officer of the rank not below that of Deputy to the Head of the department in which the vacancy occurs | - | Member |
| iii) | One officer of the rank not below that of Deputy to Head Finance Department. | - | Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable. | - | Member |

(One officer of the rank not below that of Deputy of Head to be nominated by Chairman in case vacancy occurs under HOD in charge of the GAD/ Finance Department.)

e. For Class-IV posts , KDS

- | | | | |
|------|---|---|----------|
| i) | A Class-I officer of the GAD below the rank of Deputy to the HOD | - | Chairman |
| ii) | A Class-I officer below the rank of Deputy to the HOD of the department in which the vacancy occurs | - | Member |
| iii) | A Class-I officer of the rank below the Deputy to the HOD of Finance Department. | - | Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable. | - | Member |

(One officer of the rank below that of Deputy of Head to be nominated by Chairman in case vacancy occurs under HOD in charge of the GAD/ Finance Department.)

f. For Class-III posts , HDC

- i) An officer , in the grade not below Rs. 32,900-58,000
of the Division in which the vacancy occurs - Chairman
- ii) An officer , in the grade not below Rs. 32,900-58,000
of the P&IR Division - Member
- iii) An officer , in the grade not below Rs. 32,900-58,000
of any other Division , to be nominated by DC(H) - Member
- iv) Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable, - Member

(Any other officer of equivalent rank, to be nominated by DC(H), in case
The vacancy occurs under the P&IR Division)

g) For Class-IV posts , HDC

- i) A class-I officer in the grade not below Rs. 24,900-50,500/-
of the Division in which the vacancy occurs - Chairman
- ii) A class-I officer , in the grade not below Rs. 24,900-50,500/-
of the P&IR Division - Member
- iii) A class-I officer in the grade not below Rs. 24,900-50,500/-
of any other Division , to be nominated by DC(H) - Member
- iv) Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable, - Member

(Any other officer of equivalent rank, to be nominated by DC(H), in case
The vacancy occurs under the P&IR Division)

The Appointing Authority may also nominate any person not in the service of the Board to be a member of a Services Selection Committee if such a person is specialised in the relevant field. Where any member of a Services Selection Committee is not available, the Appointing Authority may nominate another officer of appropriate level in his place to attend the meeting.

3. Where recruitment to vacancies in grades common to more than one department is made in a common selection, the composition of the committee shall be decided by the Chairman in each case.

13. SELECT LIST

The Services Selection Committee may recommend, in the order of merit, as adjudged by it, the names of the selected candidates to be kept on a select list for consideration of appointment to posts earmarked for direct recruits/ promotion. Such a list shall be deemed to be valid for a period of 12 months from the date on which the list is approved by the Appointing Authority. It is open to the Appointing Authority to extend the validity of the list for a period not exceeding six months or until a fresh select list is approved, whichever is earlier.

14. CONSIDERATION OF RECOMMENDATIONS OF SERVICES SELECTION COMMITTEE AND ADHOC APPOINTMENTS

All appointments by direct recruitment shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the concerned Services Selection Committee.

Provided that it shall be open to the Appointing Authority, for reasons to be recorded in writing, not to accept the recommendations of Services Selection Committee.

Provided further that where the Appointing Authority is an authority subordinate to the Chairman and the authority disagrees with such recommendations in any case, it shall record its reasons for such disagreement and submit the case to the Chairman who shall decide the same.

Provided also that in the case of a purely temporary post, a leave vacancy or a vacancy earmarked for direct recruitment requiring immediate filling up, the Chairman may appoint a person who is eligible to fill the vacant post for a period of six months at a time and not exceeding one year on ad hoc basis subject to the condition that:

- (1) Ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the Recruitment Rules.
- (2) Total period of appointment to a temporary post will not exceed the tenure of the post.
- (3) In other cases the temporary appointment should be replaced by a regular appointment from the select list as soon as possible.

15. CANVASSING SUPPORT - A DISQUALIFICATION

Any endeavour on the part of a person to canvass support by direct or indirect method for appointment to a post or for promotion to a higher post shall disqualify him for the appointment or promotion.

16. SUPPRESSION OF FACTS - A DISQUALIFICATION

Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or have suppressed material information of a character, which if known would ordinarily have debarred him from getting an appointment to a grade or post, is liable to be disqualified, and, if appointed, to be dismissed from service.

17. CANCELLATION OF APPOINTMENT ORDER

If a candidate selected for the post earmarked for direct recruits fails to join duty within the date mentioned in the offer of appointment and where no such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the offer of appointment or within such extended period as the Appointing Authority may agree, the offer of appointment shall be deemed to have been cancelled.

18. PAYMENT OF TRAVELLING ALLOWANCE FOR ATTENDING INTERVIEW

In the case of posts filled by direct recruitment, all journeys which the candidates (including persons already in the service of the Board) may have to perform for the purpose of written and practical tests or interviews shall be at their own cost. However, candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes called for written or trade tests or interview shall be granted travelling allowance as per orders in this regard issued by the Central Govt. from time to time.

19. PROBATION PERIOD

(1) Every person appointed to a post by direct recruitment or promotion or absorption shall, subject to the provisions of sub-regulation (2) & (3), be on probation for a period of two years except in case of persons appointed on absorption basis through composite method of recruitment in the posts of HODs and Dy. HODs carrying the scales of pay of Rs. 32,900-58,000/- and above:

Provided that where the appointment itself is for a period specified in the appointment order, such appointment shall stand terminated on the expiry of such period, unless such period is extended by the appointing authority.

Provided that, when the appointment is made by the direct recruitment and the posts carries a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs. 32,400/-, the period of probation shall be one year.

Provided that, there shall not be any probation in case of appointment by promotion within class-III and class-IV grades.

Provided further that, if an employee on probation to a grade or post is appointed to officiate in a higher grade or post, he shall be eligible to count the duration of his appointment to a higher grade or post to complete probation in his lower grade or post. Similarly, if an employee has previously been appointed to officiate in a grade or post, he may on appointment to the similar grade or post on probation will be eligible to count such officiating period (excluding Ad-hoc service) to complete probation in the grade or post.

(2) The period of probation may, if the appointing authority deems fit, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extensions shall not, save where any extension is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the employee, exceed one year.

(3) During the period of his probation an employee may be required to undergo such departmental training and pass such departmental tests as the appointing authority may, from time to time, specify in this behalf.

20. CONFIRMATION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) General

- (i) Confirmation will be made only once in the service of an employee which will be in the entry grade.
- (ii) Confirmation is de-linked from the availability of permanent vacancy in the grade. In other words an officer who has successfully completed the probation may be considered for confirmation.

(2) Confirmation in the grade to which initially recruited

- (i) As at present, the appointee should satisfactorily complete the probation.
- (ii) The case will be placed before DPC (for confirmation).
- (iii) A specific order of confirmation will be issued when the case is cleared from all angles.

(3) On Promotion

- (i) If the recruitment rules do not prescribe any probation, an officer promoted on regular basis (after following the prescribed DPC, etc., procedure) will have all the benefits that the person confirmed in that grade would have.

(ii) Where probation is prescribed, the appointing authority will on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the officer himself and in case the conclusion is that the officer is fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If, work of the officer has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation as the case may be.

Since there will be no confirmation on promotion before an official is declared to have completed the probation satisfactorily, a rigorous screening of his performance should be made and there should be no hesitation to revert a person to the post or grade from which he was promoted if the work of the officer during probation has not been satisfactory.

Confirmation of probationers: A person appointed against a permanent post as a direct recruit with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. The decision whether he should be confirmed or his probation extended should be taken soon after the expiry of the initial probationary period, i.e., ordinarily within 6 to 8 weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of extension. Even though the meetings of the DPC may be held after the termination of the period of probation of direct recruits, a person appointed against a permanent post with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. A probationer who is not making satisfactory progress or who shows himself to be inadequate for the service should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make severe efforts at self-improvement.

In the case of probation, the DPC should not determine the relative grading of officers but only decide whether they should be declared to have completed the probation satisfactorily. If the performance of any probationer is not satisfactory, the DPC may advise whether the period of probation should be extended or whether he should be discharged from service.

21. DISCHARGE OR REVERSION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) If an employee on probation in his first appointment is not considered fit, on the basis of his conduct or performance, for confirmation at the end of the period of probation prescribed in regulation 19, he shall be discharged from the service of the Board.

(2) If an employee on probation who holds a lien on a post and does not complete the period of probation as specified under Regulation 19 to the satisfaction of the appointing authority, he may be reverted to the post on which he holds a lien.

(3) If an employee during the period of probation on a post is considered unfit for further retention in that post on the basis of performance or conduct or failure to pass the departmental test if prescribed, he shall be liable to be discharged from service at any time if he has no lien on any post or reverted to the post in which he holds a lien.

22. DEPARTMENTAL TEST FOR PROMOTION, CONFIRMATION IN CERTAIN CASES:

The Chairman may specify, from time to time, the posts, confirmation in or promotion to which shall be subject to the passing of a qualifying departmental tests, if any. The Chairman may also specify, from time to time, the details of the qualifying departmental test such as the procedure for holding the test, the syllabus for the test, the intervals at which the test shall be held, the maximum period within which the test shall be passed by the candidates, etc.

23. REVERSION DUE TO FAILURE IN DEPARTMENTAL TEST

An employee promoted to a post shall pass such qualifying departmental test, if any, as may be specified by the Chairman from time to time, within such period, as may be specified by him failing which the employee shall be reverted. When the passing of a test is specified as a condition precedent to promotion to a higher post, no employee shall be considered for promotion to such a post, until he passes the prescribed test.

24. SENIORITY LIST

An up-to-date gradation list indicating the inter-se seniority of the employees shall be maintained for each grade. The list shall indicate separately the permanent and temporary employees in each grade. The list shall be circulated every year.

25. FIXATION OF SENIORITY

(1) The seniority of persons directly recruited to a grade and persons appointed on the basis of departmental promotion shall be assigned inter se seniority according to rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies in the grade reserved for direct recruitment and promotion as indicated in the schedule. In cases where exchange of vacancies has been resorted to as per Regulation 6, the seniority will be as per the mode of filling up.

(2) Direct recruits shall be ranked *inter-se* in the order of merit in which they are placed in the select list on the basis of their performance in the examination or interview or both, the recruits of an earlier select list being ranked senior to those of a later select list.

(3) Persons appointed against promotion quota of vacancies shall be ranked *inter-se* according to the order in which they are approved for promotion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (3) above, the seniority already determined prior to the commencement of these regulations shall remain unaffected.

26. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

(1) There shall be a Departmental Promotion Committee for each grade or post to recommend a panel of employees for appointment to different posts by promotion in accordance with these regulations.

(2) The composition of the Departmental Promotion Committee will be the same as that of the Services Selection Committee as laid down in Regulation 12 and the validity of the panel shall be the same as mentioned in Regulation 13.

27. FIELD OF SELECTION FOR PROMOTION

(1) Where one or more posts in a grade are required to be filled by promotion through selection method from employees holding posts in the feeder grade in accordance with the prescribed recruitment rules employees holding the eligible posts and having the prescribed qualifications and experience for promotion shall be considered for promotion if they fall within the zone of consideration.

(2) The following procedure shall be observed while recommending employees for promotion through selection method:

a) The Departmental Promotion Committee (DPC) shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the prescribed benchmark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit'. Only those who are graded 'fit' by the DPC shall be included and arranged in the select list in order of their

inter se seniority in the feeder grade. Those Officers who are graded as 'unfit' by the DPC shall not be included in the select list.

- b) The Departmental Promotion Committees shall also consider the cases of eligible employees who are on Foreign Service or on study leave.
- c) The instructions issued by the Govt. from time to time on procedure to be followed in DPC proceedings in respect of Govt. servants shall mutatis mutandis apply.

Note:- For absorption to the post carrying pay scale of Rs 32,900-58,000/- and above and for which composite method of recruitment is adopted, the benchmark in the overall grading shall be 'Very Good'. In all other cases, the benchmark shall be "Good".

- (3) For promotion to non-selection posts, where no bench mark is specified, the criteria for selection shall be seniority-cum-fitness.

28. ADHOC APPOINTMENTS

In case of immediate necessity when a panel recommended by the Departmental Promotion Committee has been used up, the appointing authority may make a purely ad hoc appointment to a post, by appointing the senior most eligible and suitable employee in the feeder grade or post up to a period of six months at a time and not exceeding one year or till a new panel is recommended by the Departmental Promotion Committee whichever is earlier. The ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the Recruitment Rules.

29. COMPASSIONATE APPOINTMENTS

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Chairman may dispense with the normal procedure of recruitment prescribed in these regulations and appoint to a Class-III or Class-IV post the legitimate son or daughter or the surviving spouse of an employee of the Board, who dies while in service, if the person to be so appointed possesses the prescribed qualifications and experience and is otherwise found suitable.

30. INTERPRETATION

In the application of these Regulations all the instructions of the Central Government as amended from time to time which are not contrary to any of the provisions of these Regulations and all instructions issued from time to time by the Central Government which cover matters not specifically covered will be followed.

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these regulations, the matter shall be referred to the Chairman for a decision.

This Regulation will be applicable for the various Pay Scales and Pay points etc. as existing on the date of notification and as may be revised from time to time in future.

31. REPEAL AND SAVINGS

All the regulations namely the Calcutta Port Trust Employees' (other than Haldia Dock Complex) (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1985, Calcutta Port Trust Employees' (Haldia Dock Complex) (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1985 and the Calcutta Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) Regulations, 1990-91, procedures, practices, and customs corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the regulations, procedures, practices, and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE
KOLKATA PORT TRUST EMPLOYEES' (RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION) REGULATIONS, 2013

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963) and in supersession of all previous rules, regulations, bye-laws, framed in this respect, except things done or omitted to be done under the said rules, regulations or bye-laws before such supersession, the Board of Trustees of Port of Kolkata hereby makes the following regulations, namely:-

Short Title and Commencement:

1. (i) These Regulations may be called the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 & 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

Application

2. These Regulations shall apply to all posts created under Section 27 of the Act under the Board including those covered by clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act.

Definition

3. In these regulations, unless the context otherwise requires
 - (a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963).
 - (b) "Analogous post" means a post of which the duties and level of responsibilities and the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made.
 - (c) "Appointing Authority" in relation to any grade or post means the authority empowered under the Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987 along with subsequent amendments, to make appointment to that grade or post.
 - (d) (i) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of Department" have the meanings respectively assigned to them under the Act.
 - (ii) "Head of Division" means the Officer- in - Charge of the respective division at Haldia Dock Complex.
 - (e) "Class I Posts", "Class II Posts", "Class-III posts" and "Class-IV posts" shall have the same meaning as assigned to them in Regulation 4 of the Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987, and as amended from time to time.
 - (f) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted from time to time under regulation 26 of these regulation for the purpose of making recommendation for promotion to or confirmation in any grade or post.
 - (g) "Direct Recruit" means a person recruited on the basis of a competitive examination or test and/or interview by Services Selection Committee.
 - (h) "Employee" means an employee of the Board.
 - (i) 'Grade' means any of the grades specified in the Schedule of Employees prepared and sanctioned under Section 23 of the Act.
 - (j) "Lien" means the title of an employee to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation.

Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior-most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade.

- (k) "Permanent Employee" means an employee who has been substantively appointed to a permanent post.
- (l) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations.
- (m) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in Clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.
- (n) "Select list in relation to any grade or posts means the select list prepared in accordance with Regulation 13 for that grade or posts..
- (o) "Selection Post" means a post declared as such under regulation 5 of these regulations.
- (p) "Services Selection Committee" means the Committee constituted under regulation 12 of these regulations for the selection of candidates by means of a written test , a trade test and/or interview for appointment to posts reserved for direct recruitment.
- (q) "Temporary Employee" means an employee holding a temporary post or officiating in a permanent post or on probation in his appointment in the service of the Board.
- (r) "Cadre" means the strength of a service, or a part of a service sanctioned as a separate unit, consisting of posts or categories of posts in the Kolkata Port Trust, the incumbents of which are eligible to be considered for transfer or for promotion by selection or non- selection basis.

MANNER OF APPOINTMENT

4. All appointments to the posts to which these regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment. Deputation will be of employees from Central Govt., State Govts., autonomous bodies, Govt. Companies fulfilling the criteria of eligibility prescribed for the post. The normal period of deputation is 3 years which is extendable to four years. In exceptional circumstances, this can be extended to five years.

4. (A) Provided that the appointment in respect of posts treated as Heads of Department and posts one level below the HOD, all the vacancies shall be filled by 'Composite method of recruitment "i.e. through promotion/absorption failing which by deputation and failing both by direct recruitment. The promotion/absorption will be from the officers from Major Port Trusts fulfilling the criteria of eligibility prescribed in the schedule annexed to the regulation."

4. (B) Officiating appointment to a higher post whether on "selection" or "non-selection" basis will not confer on any such appointee any right of future appointment to the post.

SCHEDULES

5. The manner of appointment i.e. whether by direct recruitment or by departmental promotion or absorption or deputation, the qualification, age, education, training, requirements of experience, classification of posts as selection posts or non-selection posts and other matters connected with the appointments to various posts shall be shown in the Schedule annexed to these Regulations in respect of Class-I posts. In respect of Class-II, Class-III and Class-IV posts the manner of appointment shall be as laid down by the Board from time to time. The Schedule shall also show the authorized permanent and temporary strength of the various grades as shown in the Schedule of Employees prepared under the provisions of Section 23 of the Major Port Trusts Act, 1965. This strength is liable to change from time to time under the provisions of Section 27 of the Major Port Trusts Act, 1965. The eligibility requirements prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion to the extent mentioned in Column 9 of the schedule and requirement of experience for promotion will be as prescribed in Column 12 of the schedule.

Provided that the prescribed upper age limits may be relaxed by the Central Govt. in case of HODs and by Chairman in all other cases for reasons to be recorded in writing for direct recruitment / absorption/deputation as under: -

- (i) up to 5 years where the minimum experience prescribed is 10 years or more and up to 3 years where the minimum experience prescribed is 5 to 9 years.
- (ii) in the case of a candidate who is an ex-serviceman, i.e. ex-employee of India's Defence Forces, and who has put in not less than 6 months continuous service in the Defence Forces, up to the extent of the service rendered by him in the Defence Forces plus three years where the vacancy to be filled is a vacancy reserved for such ex-servicemen and dependants of those killed in action and up to the extent of the service rendered by him in the Defence Forces, where the vacancy to be filled is an unreserved vacancy; and
- (iii) in the case of a candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or other backward classes in accordance with such orders as the Central Government may issue from time to time in this regard.

Provided further that the requirement of experience is relaxable at the discretion of the Central Govt. in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBC if at any stage of selection the Central Govt. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

ROSTER OF VACANCIES

6. A roster shall be maintained for each grade to show whether a particular vacancy should be filled by direct recruitment or promotion. However, if a vacancy which is reserved for direct recruitment cannot be filled by direct recruitment, it may be filled by promotion and the next vacancy shall be filled by direct recruitment. Similar practice can be followed in the case of a vacancy reserved for promotion but cannot be filled by promotion method.

RESERVATION

7. (1) Orders issued by the Central Government from time to time for reservation of posts under it, whether to be filled by direct recruitment or promotion in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall apply mutatis mutandis to all appointments covered by these regulations.
- (2) Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of posts under it in favour of other backward classes, ex-servicemen and dependants of those killed in action, sportsmen and physically handicapped persons and any other categories to be specific by Central Govt. shall also apply mutatis mutandis to appointments covered by these regulations and to which direct recruitment is made.

NATIONALITY, CHARACTER, PHYSICAL FITNESS ETC. FOR DIRECT RECRUITMENT:

8. (1) In order to be eligible for direct recruitment to any grade or post, a candidate must be -
 - a) Citizen of India; or
 - b) a subject of Nepal; or
 - c) a subject of Bhutan; or
 - d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
 - e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Bangladesh, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (a) shall produce such proof of his nationality as the Chairman may, from time to time require. Provided further that a candidate belonging to categories (b), (c), d)

and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India:

Provided also that a candidate in whose case the proof of nationality or a certificate of eligibility is necessary may be provisionally appointed, pending the production by him of the necessary certificate in his favour from the Central Government, as the case may be. In such cases the provisional appointment shall not exceed a period of one year.

- (2) The Chairman may, with the prior approval of the Central Government, modify or waive any of the requirements of sub regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfils the requirements of these regulations.
- (3) No person,
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any grade or post to which these regulations apply.;

Provided that the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub regulation.

- (4) A candidate must satisfy the appointing authority that his character and antecedents are such as to make him suitable for appointment to any grade or post. No candidate who has been convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment to a grade or post.
- (5) A candidate shall be in good mental and physical health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as an employee of the Board. A candidate who after such medical examination as the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may specify, is found not to satisfy those requirements, shall not be appointed.
- (6) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any of the requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases.

ELIGIBILITY OF EXISTING EMPLOYEES FOR DIRECT RECRUITMENT

9. When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees already in service may also apply, provided they possess the prescribed qualifications and experience. Age limit in such cases will not apply.

ADVERTISEMENT OF VACANCIES

10. (1) Vacancies of Class-III and Class-IV posts to be filled by direct recruitment shall be notified to the local Employment Exchange. In case sufficient number of eligible and suitable candidates are not available, the vacancies are to be advertised in Newspapers published within the State. Class-I, Class-II and posts intended to be filled by direct recruitment shall be advertised in national and local dailies and/or Employment News.
- (2) The crucial date for determining the qualification, experience and age shall be the first day of the month in which the post is notified / advertised unless otherwise specified.

CONDUCT OF WRITTEN OR SKILL TESTS IN CERTAIN CASES:

11. The Appointing Authority may decide whether a written or a skill test or both should be held and also name the officer who should hold the said test and the manner in which the test should be held and other details thereof. It shall be open to the Appointing Authority to engage a consultant or a firm of consultants to conduct a written or skill test.

SERVICES SELECTION COMMITTEE:

12. (1) There shall be a Services Selection Committee for each grade or post, as mentioned in sub regulation (2) for making selection including interview and /or written test of candidates for appointment to different posts by direct recruitment.

(2) The category of posts and the composition of the Services Selection Committees referred to in sub regulation (1) shall be the following, namely:

a (i) For HODs

- | | | |
|-------|---|------------|
| (i) | Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping | - Chairman |
| (ii) | Chairman of the Port | - Member |
| (iii) | Any other Port Chairman or an officer having wide experience in the field to be nominated by the Ministry of Shipping | - Member |
| (iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Ministry of Shipping, if applicable | - Member |

a (ii) For GMs, HDC

- | | | |
|------|--|------------|
| i) | Chairman | - Chairman |
| ii) | Dy. Chairman (KDS) | - Member |
| iii) | Dy. Chairman (HDC) | - Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman, if applicable. | - Member |

h (i) For Class I posts the maximum of pay scale of which exceeds Rs. 50,500/- (in the pay structure from 1.1.2007) KDS:-

- | | | |
|------|--|----------|
| i) | Dy. Chairman | Chairman |
| ii) | HOD in charge of the Department in which the vacancy occurs. | - Member |
| iii) | HOD in charge of the GAD | - Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/ Dy. Chairman, if applicable. | - Member |

(Any other Head of Department to be nominated by Chairman in case vacancy occurs under HOD in charge of the GAD.)

b(ii) For Class I posts other than those covered above and class-II posts KDS:-

- | | | |
|------|--|------------|
| i) | HOD in charge of the GAD | - Chairman |
| ii) | HOD in charge of the Department in which the vacancy occurs. | - Member |
| iii) | FA&CAO | - Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/ Dy. Chairman, if applicable. | - Member |

(Any other Head of Department to be nominated by Chairman in case vacancy occurs under HOD in charge of the GAD/ Finance Department.)

c (i) For Class I posts the maximum of pay scale of which exceeds Rs. 58,000/- in the pay structure from 1.1.2007) HDC:-

- | | | | |
|------|---|---|----------|
| i) | Dy. Chairman | - | Chairman |
| ii) | GM - in-charge of the Division in which the vacancy occurs | - | Member |
| iii) | GM in charge of P&IR Division | - | Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable. | - | Member |
- (Any other GM -in - charge to be nominated by Dy. Chairman (H) in case vacancy occurs under GM- in - charge of the P&IR Division)

c (ii) For Class I posts other than those covered above and class-II posts HDC:-

- | | | | |
|------|---|---|----------|
| i) | GM - in-charge of the Division in which the vacancy occurs | - | Chairman |
| ii) | GM in charge of P&IR Division | - | Member |
| iii) | Any other GM to be nominated by DC(H) | - | Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable. | - | Member |
- (Any other GM -in - charge to be nominated by Dy. Chairman (H) in case vacancy occurs under GM- in - charge of the P&IR Division)

d. For Class-III posts, KDS

- | | | | |
|------|---|---|----------|
| i) | An officer of the rank not below that of Deputy to the Head of GAD | - | Chairman |
| ii) | An officer of the rank not below that of Deputy to the Head of the department in which the vacancy occurs | - | Member |
| iii) | One officer of the rank not below that of Deputy to Head Finance Department. | - | Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable. | - | Member |

(One officer of the rank not below that of Deputy of Head to be nominated by Chairman in case vacancy occurs under HOD in charge of the GAD/ Finance Department.)

e. For Class-IV posts, KDS

- | | | | |
|------|---|---|----------|
| i) | A Class-I officer of the GAD below the rank of Deputy to the HOD | - | Chairman |
| ii) | A Class-I officer below the rank of Deputy to the HOD of the department in which the vacancy occurs | - | Member |
| iii) | A Class-I officer of the rank below the Deputy to the HOD of Finance Department. | - | Member |
| iv) | Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable. | - | Member |

(One officer of the rank below that of Deputy of Head to be nominated by Chairman in case vacancy occurs under HOD in charge of the GAD/ Finance Department.)

f. For Class-III posts, HDC

- | | | | |
|------|--|---|----------|
| i) | An officer, in the grade not below Rs. 32,900-58,000 of the Division in which the vacancy occurs | - | Chairman |
| ii) | An officer, in the grade not below Rs. 32,900-58,000 of the P&IR Division | - | Member |
| iii) | An officer, in the grade not below Rs. 32,900-58,000 of any other Division, to be nominated by DC(H) | - | Member |

- iv) Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable. Member
- (Any other officer of equivalent rank, to be nominated by DC(H), in case The vacancy occurs under the P&IR Division)
- g) **For Class-IV posts, HDC**
- i) A class-I officer in the grade not below Rs. 24,900-50,500/- of the Division in which the vacancy occurs - Chairman
- ii) A class-I officer, in the grade not below Rs. 24,900-50,500/- of the P&IR Division - Member
- iii) A class-I officer in the grade not below Rs. 24,900-50,500/- of any other Division, to be nominated by DC(H) - Member
- iv) Representative of SC/ST & OBCs nominated by the Chairman/Dy. Chairman, if applicable. - Member
- (Any other officer of equivalent rank, to be nominated by DC(H), in case The vacancy occurs under the P&IR Division)

The Appointing Authority may also nominate any person not in the service of the Board to be a member of a Services Selection Committee if such a person is specialised in the relevant field. Where any member of a Services Selection Committee is not available, the Appointing Authority may nominate another officer of appropriate level in his place to attend the meeting.

3. Where recruitment to vacancies in grades common to more than one department is made in a common selection, the composition of the committee shall be decided by the Chairman in each case.

13. **SELECT LIST**

The Services Selection Committee may recommend, in the order of merit, as adjudged by it, the names of the selected candidates to be kept on a select list for consideration of appointment to posts earmarked for direct recruits/ promotion. Such a list shall be deemed to be valid for a period of 12 months from the date on which the list is approved by the Appointing Authority. It is open to the Appointing Authority to extend the validity of the list for a period not exceeding six months or until a fresh select list is approved, whichever is earlier.

14. **CONSIDERATION OF RECOMMENDATIONS OF SERVICES SELECTION COMMITTEE AND ADHOC APPOINTMENTS**

All appointments by direct recruitment shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the concerned Services Selection Committee.

Provided that it shall be open to the Appointing Authority, for reasons to be recorded in writing, not to accept the recommendations of Services Selection Committee.

Provided further that where the Appointing Authority is an authority subordinate to the Chairman and the authority disagrees with such recommendations in any case, it shall record its reasons for such disagreement and submit the case to the Chairman who shall decide the same.

Provided also that in the case of a purely temporary post, a leave vacancy or a vacancy earmarked for direct recruitment requiring immediate filling up, the Chairman may appoint a person who is eligible to fill the vacant post for a period of six months at a time and not exceeding one year on ad hoc basis subject to the condition that:

- (1) Ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the Recruitment Rules.
- (2) Total period of appointment to a temporary post will not exceed the tenure of the post.
- (3) In other cases the temporary appointment should be replaced by a regular appointment from the select list as soon as possible.

15. **CANVASSING SUPPORT - A DISQUALIFICATION**

Any endeavour on the part of a person to canvass support by direct or indirect method for appointment to a post or for promotion to a higher post shall disqualify him for the appointment or promotion.

16. SUPPRESSION OF FACTS - A DISQUALIFICATION

Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or have suppressed material information of a character, which if known would ordinarily have debarred him from getting an appointment to a grade or post, is liable to be disqualified, and, if appointed, to be dismissed from service.

17. CANCELLATION OF APPOINTMENT ORDER

If a candidate selected for the post earmarked for direct recruits fails to join duty within the date mentioned in the offer of appointment and where no such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the offer of appointment or within such extended period as the Appointing Authority may agree, the offer of appointment shall be deemed to have been cancelled.

18. PAYMENT OF TRAVELLING ALLOWANCE FOR ATTENDING INTERVIEW

In the case of posts filled by direct recruitment, all journeys which the candidates (including persons already in the service of the Board) may have to perform for the purpose of written and practical tests or interviews shall be at their own cost. However, candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes called for written or trade tests or interview shall be granted travelling allowance as per orders in this regard issued by the Central Govt. from time to time.

19. PROBATION PERIOD

(1) Every person appointed to a post by direct recruitment or promotion or absorption shall, subject to the provisions of sub-regulation (2) & (3), be on probation for a period of two years except in case of persons appointed on absorption basis through composite method of recruitment in the posts of HODs and Dy. HODs carrying the scales of pay of Rs. 32,900-58,000/- and above.

Provided that where the appointment itself is for a period specified in the appointment order, such appointment shall stand terminated on the expiry of such period, unless such period is extended by the appointing authority.

Provided that, when the appointment is made by the direct recruitment and the posts carries a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs. 32,400/-, the period of probation shall be one year.

Provided that, there shall not be any probation in case of appointment by promotion within class-III and class-IV grades.

Provided further that, if an employee on probation to a grade or post is appointed to officiate in a higher grade or post, he shall be eligible to count the duration of his appointment to a higher grade or post to complete probation in his lower grade or post. Similarly, if an employee has previously been appointed to officiate in a grade or post, he may on appointment to the similar grade or post on probation will be eligible to count such officiating period (excluding Ad-hoc service) to complete probation in the grade or post.

(2) The period of probation may, if the appointing authority deems fit, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extensions shall not, save where any extension is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the employee, exceed one year.

(3) During the period of his probation an employee may be required to undergo such departmental training and pass such departmental tests as the appointing authority may, from time to time, specify in this behalf.

20. CONFIRMATION OF EMPLOYEES ON PROBATION**(1) General**

- (i) Confirmation will be made only once in the service of an employee which will be in the entry grade.
- (ii) Confirmation is de-linked from the availability of permanent vacancy in the grade. In other

words an officer who has successfully completed the probation may be considered for confirmation.

(2) Confirmation in the grade to which initially recruited

- (i) As at present, the appointee should satisfactorily complete the probation.
- (ii) The case will be placed before DPC (for confirmation).
- (iii) A specific order of confirmation will be issued when the case is cleared from all angles.

(3) On Promotion

(i) If the recruitment rules do not prescribe any probation, an officer promoted on regular basis (after following the prescribed DPC, etc., procedure) will have all the benefits that the person confirmed in that grade would have.

(ii) Where probation is prescribed, the appointing authority will on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the officer himself and in case the conclusion is that the officer is fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If, work of the officer has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation as the case may be.

Since there will be no confirmation on promotion before an official is declared to have completed the probation satisfactorily, a rigorous screening of his performance should be made and there should be no hesitation to revert a person to the post or grade from which he was promoted if the work of the officer during probation has not been satisfactory.

Confirmation of probationers: A person appointed against a permanent post as a direct recruit with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. The decision whether he should be confirmed or his probation extended should be taken soon after the expiry of the initial probationary period, i.e., ordinarily within 6 to 8 weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of extension. Even though the meetings of the DPC may be held after the termination of the period of probation of direct recruits, a person appointed against a permanent post with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. A probationer who is not making satisfactory progress or who shows himself to be inadequate for the service should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make severe efforts at self-improvement.

In the case of probation, the DPC should not determine the relative grading of officers but only decide whether they should be declared to have completed the probation satisfactorily. If the performance of any probationer is not satisfactory, the DPC may advise whether the period of probation should be extended or whether he should be discharged from service.

21. DISCHARGE OR REVERSION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) If an employee on probation in his first appointment is not considered fit, on the basis of his conduct or performance, for confirmation at the end of the period of probation prescribed in regulation 19, he shall be discharged from the service of the Board.

(2) If an employee on probation who holds a lien on a post and does not complete the period of probation as specified under Regulation 19 to the satisfaction of the appointing authority, he may be reverted to the post on which he holds a lien.

(3) If an employee during the period of probation on a post is considered unfit for further retention in that post on the basis of performance or conduct or failure to pass the departmental test if prescribed, he shall be liable to be discharged from service at any time if he has no lien on any post or reverted to the post in which he holds a lien.

22. DEPARTMENTAL TEST FOR PROMOTION, CONFIRMATION IN CERTAIN CASES:

The Chairman may specify, from time to time, the posts, confirmation in or promotion to which shall be subject to the passing of a qualifying departmental tests, if any. The Chairman may also specify, from time to time, the details of the qualifying departmental test such as the procedure for holding the test, the syllabus for the test, the intervals at which the test shall be held, the maximum period within which the test shall be passed by the candidates, etc.

23. REVERSION DUE TO FAILURE IN DEPARTMENTAL TEST

An employee promoted to a post shall pass such qualifying departmental test, if any, as may be specified by the Chairman from time to time, within such period, as may be specified by him failing which the employee shall be reverted. When the passing of a test is specified as a condition precedent to promotion to a higher post, no employee shall be considered for promotion to such a post, until he passes the prescribed test.

24. SENIORITY LIST

An up-to-date gradation list indicating the inter-se seniority of the employees shall be maintained for each grade. The list shall indicate separately the permanent and temporary employees in each grade. The list shall be circulated every year.

25. FIXATION OF SENIORITY

(1) The seniority of persons directly recruited to a grade and persons appointed on the basis of departmental promotion shall be assigned inter se seniority according to rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies in the grade reserved for direct recruitment and promotion as indicated in the schedule. In cases where exchange of vacancies has been resorted to as per Regulation 6, the seniority will be as per the mode of filling up.

(2) Direct recruits shall be ranked *inter-se* in the order of merit in which they are placed in the select list on the basis of their performance in the examination or interview or both, the recruits of an earlier select list being ranked senior to those of a later select list.

(3) Persons appointed against promotion quota of vacancies shall be ranked *inter-se* according to the order in which they are approved for promotion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (3) above, the seniority already determined prior to the commencement of these regulations shall remain unaffected.

26. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

(1) There shall be a Departmental Promotion Committee for each grade or post to recommend a panel of employees for appointment to different posts by promotion in accordance with these regulations.

(2) The composition of the Departmental Promotion Committee will be the same as that of the Services Selection Committee as laid down in Regulation 12 and the validity of the panel shall be the same as mentioned in Regulation 13.

27. FIELD OF SELECTION FOR PROMOTION

(1) Where one or more posts in a grade are required to be filled by promotion through selection method from employees holding posts in the feeder grade in accordance with the prescribed recruitment rules employees holding the eligible posts and having the prescribed qualifications and experience for promotion shall be considered for promotion if they fall within the zone of consideration.

(2) The following procedure shall be observed while recommending employees for promotion through selection method:

a) The Departmental Promotion Committee (DPC) shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the prescribed benchmark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit'. Only those who are graded 'fit' by the DPC shall be included and arranged in the select list in order of their inter se seniority in the feeder grade. Those Officers who are graded as 'unfit' by the DPC shall not be included in the select list.

b) The Departmental Promotion Committees shall also consider the cases of eligible employees who are on Foreign Service or on study leave.

c) The instructions issued by the Govt. from time to time on procedure to be followed in DPC proceedings in respect of Govt. servants shall *mutatis mutandis* apply.

Note: - For absorption to the post carrying pay scale of Rs 32,900-58,000/- and above and for which composite method of recruitment is adopted, the benchmark in the overall grading shall be 'Very Good'. In all other cases, the benchmark shall be "Good".

(3) For promotion to non-selection posts, where no bench mark is specified, the criteria for selection shall be seniority-cum-fitness.

28. ADHOC APPOINTMENTS

In case of immediate necessity when a panel recommended by the Departmental Promotion Committee has been used up, the appointing authority may make a purely ad hoc appointment to a post, by appointing the senior most eligible and suitable employee in the feeder grade or post up to a period of six months at a time and not exceeding one year or till a new panel is recommended by the Departmental Promotion Committee whichever is earlier. The ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the Recruitment Rules.

29. COMPASSIONATE APPOINTMENTS

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Chairman may dispense with the normal procedure of recruitment prescribed in these regulations and appoint to a Class-III or Class-IV post the legitimate son or daughter or the surviving spouse of an employee of the Board, who dies while in service, if the person to be so appointed possesses the prescribed qualifications and experience and is otherwise found suitable.

30. INTERPRETATION

In the application of these Regulations all the instructions of the Central Government as amended from time to time which are not contrary to any of the provisions of these Regulations and all instructions issued from time to time by the Central Government which cover matters not specifically covered will be followed.

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these regulations, the matter shall be referred to the Chairman for a decision.

This Regulation will be applicable for the various Pay Scales and Pay points etc. as existing on the date of notification and as may be revised from time to time in future.

31. REPEAL AND SAVINGS

All the regulations namely the Calcutta Port Trust Employees' (other than Haldia Dock Complex) (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1985, Calcutta Port Trust Employees' (Haldia Dock Complex) (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1985 and the Calcutta Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) Regulations, 1990-91, procedures, practices, and customs corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed.

RSP 2013

Seen finally on 31/5/2013

**SCHEDULE
OF
KOLKATA DOCK SYSTEM**

Recruitment Rules for Class-I posts of General Administration Department. (Main Administration)

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruit ment (in years)	Educational and other qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the cases of promotion/ absorption/ deputation	Period of probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/ absorption/ deputation)	In case of promotion/ absorption/ deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	Sr. Asstt. Secretary/ Sr. Asstt. Secretary (PR)	4	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	Essential A Degree in any discipline from a recognised University. Desirable i) Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/ Social Work/ Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/ institution. (ii) Two years experience in executive cadre	(a) No. (b) Yes (c) No	2	By direct recruitment - 66.2/3% . By promotion - 33.1/3%	Promotion from Asstt. Secretary in the scale of pay of Rs.16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade failing which officers holding equivalent post of Asstt. Secretary, in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs.16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade.	Existing posts of Jr. Asstt. Secretary, PRO and Asstt. Secretary will be re-designated as Sr. Asstt. Secretary/ Sr. Asstt. Secretary (PR)

3	Sr. Dy. Secretary	2	Class-I	32900-58000/-	Selection	37	<p>an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable</p> <p>i) Post Graduate degree/ diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/ Social Work/ Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognized university/ institution. OR</p> <p>(ii) Post Graduate Degree/ Diploma in Public Relation is also desirable and Five years experience in executive cadre in the field of Public Relation.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which deputation from other Govt. organizations	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs.24900-50500/-	Existing posts of OSD(O&W) will be re-designated as Sr. Dy. Secretary.
							regular service in the grade. Absorption/ deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Sr. Asstt. Secretary and other equivalent post in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- with 4 years regular service in the grade in GAD in a Major Port Trust.					

	<p>in the field of General Adminis-tration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking <u>Desirable</u> i) Post Graduate degree/ diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/ Social Work / Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognized university/ institution. <u>OR</u> (ii) Post Graduate Degree/ Diploma in Public Relation is also desirable and 9 years experience in executive cadre in the field of Public Relation.</p>		<p>and failing both by direct recruitment.</p>	<p>with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Secretary and equivalent post in the respective discipline of GAD with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. Rs. 20600- 46500/- and Rs. 24900- 50500/- in the respective discipline of GAD in a Major Port Trust will be eligible.. For deputation, Officers holding analogous posts or post of Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs. 24900- 50500/- in Govt./ PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARS will not be below "very good".</p>
--	--	--	--	---

4	Secretary	1	Class-I (HOD)	51,300- 73,000/	Selection	40	<p><u>Essential</u></p> <p>i) A Degree in any discipline from a recognised University.</p> <p>ii) 13 years' experience in executive cadre in the field of</p> <p>General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking</p> <p><u>Desirable</u></p> <p>i) Post Graduate degree/ diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/ Social Work/ Labour Welfare or allied subjects or degree in law from a recognised university /institution.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	<p>For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Secretary in Category-II ports with two years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.36,600-62,000/- with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs.32,900-58,000/- with 5 years regular service in the grade of a Major Port Trust will be eligible.</p> <p>For deputation, Officers holding analogous posts or post of Secretary and equivalent posts in GAD in the scale of pay of Rs.43200-66,000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Sr.Dy. Secretary and equivalent posts in GAD in the scale of pay of Rs.32900-</p>
---	-----------	---	------------------	--------------------	-----------	----	--	-----------------------------	------	--	--

Recruitment Rules for Hindi Officer & Welfare Officer (Sports) of General Administration Department (Main Admn.)

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the cases of promotion/absorption/deputation	Period of probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	Hindi Officer	1	Class-I	Rs. 20600-46500/-	Selection	30	8 i) Must be an M.A. of a University in Hindi with English as a subject at the degree level or B.A. Honours in English with a degree or a post graduate in Hindi. ii) Must have 5 years experience in terminological works in Hindi and translation work from English to Hindi or vice versa or 5 years experience in teaching/ research, writing	9 a) No. b) Yes. c) No.	10 2	11 By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	12 Promotion from Sr. Hindi Translator in the Scale of Pay of Rs. 13,600-32,400/- with 6 years regular service. or Hindi Assistant in the scale of pay of Rs. 11000-29400/- with 10 years regular service in the post in Administration Department.	13 Existing of posts of Hindi Officer will be re-designated as Sr. Asst. Secretary (Hindi).

2.	Welfare Officer (Sports)	I	Class-I	Rs. 20600-46500/-	Selection	30	or journalism in Hindi. Essential: i) degree in any discipline. Relaxable in the case of an outstanding sports man. ii) Must have represented any State at National level in any Major Sport and Games. iii) Experience in organising sports/ games at local level. Desirable: Degree or diploma in social work/ personnel management/ Industrial Relation from a University or a recognised Institute.	N.A.	2	Direct Recruitment	N.A.
----	--------------------------	---	---------	-------------------	-----------	----	--	------	---	--------------------	------

Recruitment Rules for Class-I posts of General Administration Department (Main Admn.) (Security Wing)

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the cases of promotion/absorption/deputation	Period of probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Asstt. Superintendent (Security)	1	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	Essential: A degree from a recognized university. Experience: An ex -Army officer not below the rank of Lieutenant or equivalent or ex-Police Officer not below the rank of Inspector with at least 8 years experience.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By direct recruitment - 66.2/3%. By promotion - 33.1/3% failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment. (*)	Promotion from Security Officer in the scale of pay of Rs. 16400-40500/- with 3 years regular service in the grade. Absorption/Deputation will be officers holding analogous post or post of Security Officer in the scale of pay of Rs. 16400-40500/- with 3 years regular service in the grade in a major Port Trust.	

(*) In Departments/ Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue

Recruitment Rules for Private Secretaries in General Administration Department (Main Admn.)												
Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruit ment (in years)	Educational and other qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the cases of promotion/ absorption/ deputation	Period of probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/ absorption/ deputation)	In case of promotion/ absorption/deputati on, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PS to Dy.CH/ Chairman	2	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	Essential i) A degree from a recognised university. ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively iii) Knowledge of Computer Application. iv) Five years experience as stenographer/ PA in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking	(a) No (b) No (c) No	2	By promotion failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from PA to HOD in the scale of pay of Rs.16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade. Absorption/ deputation will be of Officers holding analogous post or feeder post with 3 years regular service in the grade in a Major Post.	

2	Sr. PS to Chairmen	1	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	Essential i) A degree from a recognised university. ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively iii) Knowledge of Computer Application.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption, failing both by direct recruitment	Promotion from PS to Dy. CH/CH in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 5 years regular service in the grade failing which PS to Dy.CH/PS to CH with 2 years regular service in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/- and a combined regular service of 8 years in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/- and Rs. 16,400-40,500/- Absorption/ deputation will be of Officers holding analogous post or holding posts of PS to Dy. CH/ PS to CH in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 5 years regular service in the grade in a Major Post.	PS-cum-EA to Chairman will be redesignated as Sr. PS to Chairman.
---	--------------------	---	---------	-----------------	-----------	----	--	-----------------------------	---	--	---	---

Recruitment Rules for Class-I posts of Legal Division under the General Administration Department

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the cases of promotions/absorption/deputation	Period of probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sr. Law Officer	5	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	<p>Essential (i) Degree in Law from a recognised university</p> <p>Desirable (i) Two years executive experience in a Legal Establishment of an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking</p> <p>(ii) Post Graduate degree in Law from a recognized university.</p>	(a) No (b) Yes. (c) No	2	By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Class-III employees in the scale of pay of Office Supdt. in the discipline of Legal Div. With 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in that discipline, failing which officers holding	The existing posts of Asstt. Legal Adviser and Dy. Legal Adviser in the Scale of Pay of Rs. 20,600/-46,500/- will be redesignated as Sr. Law Officer.

3	Chief Law Officer	1	Class-I	32,900- 58,000/-	Selection	37	Essential (i) Degree in Law from a recognised university (ii) Nine years executive experience in a Legal Establishment of	(a) No (b) Yes. (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organizations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or the post of Dy. Chief Law Officer.	Existing post of Legal Adviser will be redesignated as Chief Law Officer.
										Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade. Absorption/ deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Sr. Law Officer and other equivalent post in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.		

Recruitment Rules for Class-I posts of Labour and Industrial Relations Division (L&IR) under the General Administration Department

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the cases of promotion/absorption/deputation	Period of probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Dy. Personnel Officer	9 (posts to be seconded to Marine and Mech. Engg. Deptt.)	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	Essential:- Degree from a recognized university/institution. Desirable:- (i) Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution. i) Two years experience in executive	(a) No (b) Yes (c) No	2	By direct recruitment - 66.2/3% . By promotion - 33.1/3%	Promotion from Asstt. Personnel Officer in the scale of pay of Rs.16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade OR From Class-III employees in the scale of pay of Office Supdt. in the respective discipline of L&IR Division with 5 years regular service in the grade where there are no Class-II posts in that discipline, failing which officers holding equivalent post of Asstt. Personnel	Existing posts of Labour Officer, Welfare Officer, Personnel Officer in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- will be redesignated as Dy. Personnel Officer

2.	Personnel Officer	1	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	<p>cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p> <p>Essential:- (i) Degree from a recognized university/institution. (ii) Five years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/commercial / Govt. Undertaking</p> <p>Desirable Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment.	<p>Officer in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs. 16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade.</p>	<p>Existing post of Dy. LA&IRO in the scale of pay of Rs. 24,900-50,500/- will be redesignated as Personnel Officer.</p>
										<p>Promotion from (i) Dy. Personnel Officer in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade failing which (ii) officers holding equivalent post of Dy. Personnel Officer, in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade., Absorption/ deputation will be of Officers holding analogous posts or Dy. Personnel Officer/ Dy. Welfare Officer or equivalent posts in</p>		

3.	Sr. Personnel Officer	I	Class-I	32,900-58,000/-	Selection	37	<p>Relations/ Social Work/ Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognized university/ institution.</p> <p>Essential:- (i) Degree from a recognized university/ institution (ii) Nine years experience in executive cadre in the field of General Administration, personnel, Industrial Relations etc. in Industrial/ commercial/ Govt. Undertaking</p> <p>Desirable:- Post Graduate degree/ diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/ Social Work/</p>	(a) No (b) Yes. (c) No	2	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organizations and failing both by direct recruitment.	<p>the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.</p>	<p>Existing post of LA & IRO will be redesignated as Sr. Personnel Officer.</p> <p>For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Personnel Officer or officers holding equivalent posts in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Personnel Officer and equivalent post in the respective discipline of GAD with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/- and Rs. 24,900-50,500/- in</p>
----	-----------------------	---	---------	-----------------	-----------	----	---	------------------------------	---	---	--	---

						<p>Labour or allied subjects or degree in Law from a recognized university/ institution.</p>							<p>the respective discipline of GAD in a major Post Test will be eligible.</p> <p>For deputation, officers holding analogous posts or holding posts of Personnel Officer or equivalent posts in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- in Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible.</p> <p>The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the ACRs will not be below 75%.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(* In Departmental Disputes, the percentage of direct promotion is higher than what has been prescribed in this study compare

Recruitment Rules of Safety Officer in L&IR Division under the General Administration Department

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the cases of promotion/absorption/deputation	Period of probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Safety Officer	1	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	i) recognised degree in any branch of engineering or technology and must have practical experience of working in a post or similar place in a supervisory capacity for a period not less than 2 years. Or ii) A recognised degree in Physics and Chemistry and must have practical experience of	N.A.	2	By temporary transfer from the rank of Executive Engineer failing which by deputation/direct recruitment.	N.A.	

Recruitment Rules for Class-I posts in Estate Division under the General Administration Department

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the cases of promotion/absorption/deputation	Period of probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sr. Assistant Estate Manager	4	Class -I	20,600-46,500/	Selection	30	Essential Degree with a Post Graduate diploma in Architecture/Town and Country Planning or degree in Civil Engineering from a recognised university/institution or corporate membership of Institution of Surveyor (India). Desirable (i) A degree in Law from a recognised university.	(a) No (b) No, however Diploma from a recognized University/Institution is essential. But, this diploma will also not be essential for the KoPT officials on roll as on date of notification of this RSP Regulation and in their case a degree in any discipline is essential. (c) No	2	By direct recruitment - 66.2/3% . By promotion - 33.1/3%	Promotion from Assistant Estate Manager in the scale of pay of Rs.16,400-40,500/- -with 3 years regular service in the grade failing which officers holding equivalent post of Asstt. Estate Manager, in respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs. 16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade.	Existing posts of Asstt. Land Manager and Deputy Land Manager in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/- will be redesignated as Sr. Asstt. Estate Manager.

2	Deputy Estate Manager	1	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	(ii) Two years executive experience in Estate Management, Valuation or Land Records in Industrial/Commercial/Govt. Undertaking	(a) No (b) No, however Diploma from a recognized University/Institution is essential. But, this diploma will also not be essential for the KoPT officials on roll as on date of notification of this RSP Regulation and in their case a degree in any discipline is essential. (c) No	2	By promotion / falling which by absorption / deputation falling both by direct recruitment.	Promotion from (i) Sr. Assistant Estate Manager in the scale of pay of Rs 20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade falling which (ii) officers holding equivalent post of Sr. Assistant Estate Manager in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/-with 4 years regular service in the grade.
							Essential (i) Degree with a Post Graduate degree/ diploma in Architecture/ Town and Country Planning or degree in Civil Engineering from a recognised university/ institution or corporate membership of Institution of Surveyor (India). (ii) Five years executive experience in Estate Management, Valuation or Land Records				Absorption/ deputation will be of Officers

3	Estate Manager	1	Class-I	32,900-58,000/-	Selection	37	in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable (i) A degree in Law from a recognised university.	(a) No (b) Yes, But, this will not be essential for the KoPT officials on roll as on date of notification of this RSP Regulation and in their case a degree in any discipline is essential. (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organizations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous post or the post of Dy. Estate Manager and equivalent posts in the respective discipline of GAD in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Estate Manager and equivalent post in the respective discipline of GAD with 2	holding analogous posts or post of Sr. Assistant Estate Manager and other equivalent post in the scale of pay of Rs. 10,750-16,750/- with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	Post of Land Manager will be redesignated as Estate Manager
---	----------------	---	---------	-----------------	-----------	----	--	--	------	---	--	---	---

Management, Valuation or Land Records in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking

years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. 20

1	Assistant Estate Manager (Legal)	1	Class-I	20,600- 46,500/-	Selection	30	i) Must be a Law graduate of five years standing. ii) Must have experience in drafting of documents. Knowledge of procedures and practice in Civil and Commercial Laws and also knowledge of Labour Laws and practice and procedures in labour Court's and tribunals.	For deputation/tran sfer. a) No. b) Yes. c) No.	2	Not applicable.	By transfer/ deputation/ direct recruitment.	Existing post of Asstt. Land Manager (L) will be redesignated as Asstt. Estate Manager (Legal)	overall grading in the ACRs will not be below "very good".
---	---	---	---------	---------------------	-----------	----	---	--	---	-----------------	---	---	--

(*) In Departments/ Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue.

Recruitment Rules of Class-I Posts of Traffic Department

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper age limit for direct recruitment (in year)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualification (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in year)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sr. Assistant Traffic Manager	40	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	<u>Essential:</u> Degree in any discipline recognised University. <u>Desirable:</u> Two years executive experience in shipping/cargo operations/railway transportation in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking	(a) No (b) Yes. (c) No	2	By direct recruitment - 66.2/3% By promotion - 33.1/3%	Promotion from Assistant Traffic Manager in the scale of pay of Rs.16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade or from Class III employees in the scale of pay of Office Supdt. of Traffic Dept. with 5 years regular service in the grade where there are no Class II posts in the pay scale of Rs.16,400-40,500/- will be redesignated as Sr. Assistant Traffic Manager.	Existing posts of Asst. Supdt./ Asst. Railway Manager/ Supdt. /Dy. Railway Manager in the Office of the Manager in the scale of pay of Rs.20,600/-	

2	Deputy Traffic Manager	8	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	(i) Degree in any discipline (ii) Five years experience in shipping/cargo operations/railway transportation in executive cadre in Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment	Promotion from Sr. Assistant Traffic Manager in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade.	Existing post of Dy. Traffic Manager will be designated as Dy. Traffic Manager
3	Sr. Dy. Traffic Manager	2	Class-I	32,900-58,000/-	Selection	37	(i) Degree in any discipline (ii) Nine years experience in shipping/cargo operations/railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method which failing by deputation from other Govt. organizations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method. Officers holding analogous post of Deputy Traffic Manager and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in a	Existing post of Docks Manager/Railway Manager will be designated as Sr.Dy. Traffic Manager.

4.	Traffic Manager	I	Class-I (HOD)	51,300-75,000/-	Selection	40	(i) Degree in any discipline (ii) Thirteen years experience in shipping/ cargo operations/ railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous post or Officers holding post of Traffic Manager in Category-II ports with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.36,600-62,000/- with 4 years regular service in the grade or officers holding post in the scale of pay of Rs.32,900-58,000/- with 5 years regular service in the grade in the Traffic Deptt. of a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Traffic Manager and equivalent post in Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs.43,200-66,000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding
----	-----------------	---	---------------	-----------------	-----------	----	---	-----------------------------	------	--	--

4413/6/113-30

Sl. No.	Name of The Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitm ent (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputat ion.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/ deputation)	In case of Promotion /absorption/ deputation, grades from which it should be made	Remarks
											post of Addl. Traffic Manager and equivalent post in Traffic Deptt., in the scale of pay of Rs.32,900-58,000/- and above with 5 years regular service in the grade in Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which Overall grading in the APARs will not be below "very good".	
Recruitment Rules for Class-I posts of Mechanical and Electrical Engineering Department												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Executive Engineer (Mechanica l/ Electrical/ Electronics & Communic ation)	55	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	Essential: Degree or equivalent in Mechanical/ Electrical/Electro nics and Communication, Engineering	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised	2	By direct recruitment - 66.2/3% . By promotion - 33.1/3%	Promotion from Asstt. Executive Engineer or Safety Officer in the scale of pay of Rs. 16,400-40,500/- with 5 years regular service in the	Existing posts of Asstt. Engineer in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- will be

2	Superintending Engineer (Mechanical/ Electrical/ Electronics and Communication)	10	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	<p>Essential: -</p> <p>(i) Degree or equivalent in Mechanical/ Electrical/ Electronics and Communication Engineering from a recognized university/ institution (4 year Degree course).</p> <p>(ii) Five years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. undertaking.</p>	<p>university/ institution is essential (c) No</p> <p>(a) No</p> <p>(b) No, however a Diploma in Engineering in relevant discipline from a recognised University/ Institute is essential.</p> <p>(c) No</p>	2	By Promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment.	<p>grade failing which officers holding equivalent post of Asstt. Executive Engineer in Materials Management Divn. in the scale of pay of Rs. 16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade.</p> <p>Promotion from Executive Engineer of Mechanical Engg. Deptt. or Safety Officer of Mechanical Engg./Personnel Division of GAD in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade failing which officers holding equivalent post of Executive Engr. in Materials Management Divn. in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade.</p> <p>Absorption/deputation will be of</p>	<p>re-designated as Executive Engineer.</p> <p>Existing posts of Sr. Executive Engineer will be re-designated as Superintending Engineer</p>
---	---	----	---------	-----------------	-----------	----	---	---	---	--	--	--

3	Dy. Chief Mechanical Engineer	4	Class-I	32,900-58,000/-	Selection	37	Essential: - (i) Degree or equivalent in Mechanical/ Electrical / Electronics and Communication Engineering from a recognized university/ institution (4 year Degree course). (ii) Nine years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite notified falling which by deputation from other Govt. organizations and falling both by direct recruitment.	Officers holding analogous posts or the feeder post with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	Existing posts of Dy. Chief Mechanical Engineer and Terminal Manager will be redesignated as Dy. Chief Mechanical Engineer.
										For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Engg. Dept./ M.M.Division in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in the respective discipline in a Major Port Trust or Superintending Engineer and equivalent post in the respective discipline of M&E Engineering Department with 2 years regular service in the		

	<p>grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.20,600-46,500/- and Rs.24,900-50,500/- in the respective discipline in a Major Port Trust will be eligible.</p> <p>For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of M&E Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in the respective discipline in Govt./ PSUs/ Autonomous bodies etc. will be eligible. The selection is by merit for</p>

4	Chief Mechanical Engineer	1	Class-I (HOD)	51,300-73,000/-	Selection	40	Essential: - (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics and Communication Engineering /Naval Architecture from a recognized university/institution (4 year Degree course) or MOT 1st class Motor certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. (ii) Thirteen years experience in managerial capacity dealing with Mechanical/Electrical/Marine/Electronics Engg. works, out of which 10 years experience shall be in	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method failing which by deputation failing both by direct recruitment.	which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below "very good".	For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or the post of Chief Mechanical Engineer in Category II Ports with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.36,600-62,000/- with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32,900-58,000/- with 5 years regular service in the grade in the Mechanical & Electrical Engg. Deptt. and Marine Deptt.
---	---------------------------	---	---------------	-----------------	-----------	----	---	-----------------------------	------	--	--	---

						<p>workshops undertaking maintenance of cargo handling equipment/ electrical installations/ ship repairs in any Major Port Trust/Major Port Trust/Industrial/ Commercial/Gov t. undertaking.</p>					<p>(applicable to categories of marine engineers only) in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Dy. Chief Mechanical Engineer and equivalent posts in the Mech. & Elec. Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.43,200- 66,000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Dy. Chief Mechanical Engineer and equivalent posts in the Mech. & Elec. Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.32,900- 58,000/- and above with 5 years regular service in the grade in Govt./ PSUs or</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Recruitment Rules for Mechanical Engg. & Electrical Engg. Department (Establishment Wing)

Sl. No.	Name of The Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection Post	Upper limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Establishment Officer	1	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	A diploma in Social Welfare (Labour Welfare) with 3 years experience in dealing with labour problems or Graduate in any discipline with atleast 10 years experience in dealing with Personnel matters.	a) NO. b) Yes.	2 years	By transfer/seconding.	By transfer/seconding of Personnel Officer from General Administration Department.	

Recruitment Rules for Class-I posts of Materials Management Division under Mechanical and Electrical Engineering Department

Sl. No.	Name of The Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection Post	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1.	Dy. Materials Manager	9	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	Essential: - Degree or equivalent in Mechanical/Electrical Engineering from a recognized university/institution. Desirable: - (i) Post Graduate Degree/Diploma in Materials Management from a recognized university/institution. (ii) Two years post	(a) No (b) However a Diploma in relevant discipline from a recognized University/Institution is essential. But, this diploma will also not be essential for the KoPT officials on roll as on date of notification of this RSP Regulation and in their case a degree	10. 2	11. By direct recruitment - 66.2/3% . By promotion - 33.1/3%	12. Promotion from Assistant Materials Manager in the scale of pay of Rs.16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade OR from Class-III employees in the scale of pay of Office Supdt. in the respective discipline of M.M. Div. with 5 years regulars service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs.16,400-40,500/- in that discipline, failing officers holding equivalent post of Asstt.	13. The existing posts of Asstt. Materials Manager in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- will be re-designated as Dy. Materials Manager.

2	Sr.Dy. Materials Manager	2	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	<p>qualification experience in Materials Management in an industrial/commercial/Govt. undertaking.</p> <p>Essential: - (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical Engineering from a recognized university/institution. (ii) Five years experience in Executive Cadre in the field of Materials Management/Mechanical Engineering/Electrical Engineering in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable: - (i) Post Graduate Degree/Diploma in Materials Management</p>	<p>in discipline is essential. (c) No</p> <p>(a) No (b) No, however a Diploma in relevant discipline from a recognized University/Institution is essential. But, this diploma will also not be essential for the KoPT officials on roll as on date of notification of this RSP Regulation and in their case a degree in any discipline is essential. (c) No</p>	2	<p>By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.</p>	<p>Materials Manager in the Mechanical Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade.</p> <p>Promotion from Dy. Materials Manager in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade failing which officers holding equivalent post of Sr. Dy. Materials Manager in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade in Mechanical Engg. Deptt.</p> <p>Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or feeder post with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.</p>
---	--------------------------	---	---------	-----------------	-----------	----	--	---	---	---	---

3	Materials Manager	1	Class-I	32,900-58,000/-	Selection	37	from a recognized university/institution.	Essential: - (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical Engineering from a recognized university/institution. (ii) Nine years experience in Executive Cadre in the field of Materials Management/Mechanical Engineering/Electrical Engineering in Industrial/Commercial/Govt. Undertaking. Desirable: - (i) Post Graduate Degree/Diploma in Materials Management from a recognized university/institution.	(a) No (b) Yes, but, this will not be essential for the KoPT officials on roll as on date of notification of this RSP Regulation and in their case a degree in any discipline is essential. (c) No	N.A.	By absorption through Composite method failing which by deputation from other Govt. organizations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, analogous posts or Sr. Dy. Materials Manager and equivalent posts in M.M. Div. in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or the post of Supdt. Engineer (Mech./Elect.) in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Sr. Dy. Materials Manager and equivalent post in MM Divn./Superintending Engineer (Mech./Elect.) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.20,600-46,500/- and Rs.24,900-50,500/- in the	The existing posts of Chief Materials Manager in the scale of pay of Rs.32,900-58,000/- will be redesignated as Materials Manager.
---	-------------------	---	---------	-----------------	-----------	----	---	---	--	------	---	--	--

<p>respective discipline of MM Divn./M&E Engg. Dept in a Major Port Trust will be eligible.</p> <p>For deputation, officers holding analogous posts or officers holding posts of Sr. Dy. Materials Manager/Supdt. Engineer (Mech./Elect.) and equivalent posts in M.M. Div./ M&E Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in Govt./PSUs/ Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below "Very Good".</p>													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*)In Departments/ Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue

Recruitment Rules for Class-I posts of Finance Department

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitm ent (in years)	Educational and other qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the cases of promotion/ absorption/ deputation	Period of probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/ absorption/ deputation)	In case of promotion/ absorption/deputati on, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sr. Accounts Officer	22	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	Essential of Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost Works Accountants of India. Desirable Two years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/	(a) No (b) No, however a degree from a recognised university is essential. (c) No	2	By direct recruitment - 66.2/3% . By promotion - 33.1/3%	Promotion from Accounts Officer in the scale of pay of Rs.16, 400-40,500/- with 3 years regular service in the grade. Existing posts of Accounts Officer in the scale of pay Rs.20,600-46,500/- will be redesignated as Sr. Accounts Officer .	

2.	Treasurer	1	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	Degree in Commerce.	a) No b) Yes c) No	2 years	By promotion which failing absorption/ deputation failing both by direct recruitment	Promotion from the rank of Asstt. Treasurer having a minimum of 15 years regular service of which 2 years should be in the rank of Asstt. Treasurer failing which by transfer/ deputation/ direct recruitment.
3.	Dy. Chief Accounts Officer	5	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	<u>Essential</u> i) Member of Institute Chartered Accountants of India or Institute of Cost Works Accountants of India. (ii) Five years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/ Commercial/ Govt.	(a) No (b) No, however a degree from a recognised university is essential. (c) No	2	By promotion failing which by absorption/ deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from (i) Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade, failing which (ii) officers holding equivalent post of Sr. Account Officer in the respective discipline of Finance Department in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade. Absorption / deputation will be

4.	Sr.Dy. Chief Accounts Officer	2	Class-I	32,900- 58,000/-	Selection	37	Undertaking	(a) No (b) Yes. However for the KoPT Officials on roll on the date of notification of this RSP Regulations, M.Com/ MBA (Finance) would also suffice. (c) No	N.A	By absorption through composite method which failing by deputation and failing both by direct recruitment	of Officers holding analogous posts or post of Sr. Accounts Officer in the scale of pay of Rs.20,600- 46,500/- with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	One post of Sr. Dy. C A O will be re- designated as Sr. Dy. CAO
							Essential i) Member of Institute Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Nine years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking			For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Department in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in a Major Port Trust or Dy. CAO and equivalent post in respective discipline of Finance Department with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/-		

	<p>and Rs. 24,900-50,500/- in the respective discipline of Finance Deptt. In a Major Port Trust will be eligible.</p> <p>For deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- in Govt./ PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible.</p> <p>The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below "very good".</p>

5.	Financial Adviser & Chief Accounts Officer	I	Class-I (HOD)	51,300-75,000/-	Selection	40	<p><u>Essential</u></p> <p>i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India.</p> <p>(ii) 13 years experience in Executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking</p>	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of FA & CAO in Category- II posts with two years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 36,600-62,000/- with 4 years regular service in the grade or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 32,900-58,000/- with 5 years regular service in the grade in the Finance Deptt. of a Major port Trust will be eligible.	For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding posts of FA & CAO and equivalent posts in the Finance Deptt. in the scale of pay of Rs. 43,200-66,000/- with 2 years regular service in the grade
----	--	---	---------------	-----------------	-----------	----	---	-----------------------------	------	--	---	--

	<p>or officers holding post of Addl. Chief Accounts Officers and equivalent posts in the Finance Deptt. In the scale of pay of Rs. 32,900-58,000/- and above with 5 years regular service in the grade in Govt. //PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below "very good".</p>

Recruitment Rules for Class-I posts of Planning and Research Division under Finance Department

EDP WING												
Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper age limit for direct recruitment (in year)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualification (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in year)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dy. Director (EDP)	13	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	Essential: Degree in Computer Engineering /Computer Science/MCA or in allied subjects like Computer Application, Software Engineering, E-commerce, IT etc. from a recognized university/institution . Or Degree in Maths/Statistics/Operational Research/Economics with Post Graduate Diploma in Computer	(a) No (b) No, however a degree in any discipline is essential for the KoPT officials on roll as on date of notification of this RSP Regulation (c) No	2	By direct recruitment - 66.2/3% . By promotion - 33.1/3%	Promotion from Programmer/Data Processing Officer in the scale of pay of Rs.16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade. or Promotion from Class III employees in the scale of pay of Office Supdt. in the respective	Existing posts of Programmer and Assistant Systems Manager in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- will be redesignated as Dy. Director (EDP).

2	Senior Deputy Director (EDP)	2	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	<p>degree/diploma) with specialization in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognized university/institution</p> <p>(ii) Two years experience in Programming/Electronic Data Processing/Systems Analysis etc.</p>	<p>(a) No</p> <p>(b) Yes.</p> <p>(c) No</p>			By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	<p>Promotion from Deputy Manager (System) in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade failing which officers holding equivalent post of Dy. Manager (System) in the respective discipline of Finance Department in</p>	<p>Existing of posts Systems Manager and Dy. Director Computer in the scale of pay of 24,900-50,500/- will be redesignated as Sr. Dy. Director (EDP).</p>
---	------------------------------	---	---------	-----------------	-----------	----	---	---	--	--	--	--	---

	<p>application/ Computer Science/ Information Technology from a recognized university/Institution or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma computer Application/ Computer Science/Information Technology from a recognized university/ institution.</p> <p>(ii) Five years experience in Programming/ Electronic Data Processing / System Design & analysis and related fields.</p> <p>Desirable: (i) Post Graduate Degree in Maths/Statistics/ Operational Research/Economics or Post Graduate degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems</p>	<p>the scale of pay of Rs. 20,600- 46,500/- with 4 years regular service in the grade.</p> <p>Absorption/de putation will be of Officers holding analogous posts or Deputy Manager (System)/Depu ty Director (Research) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs.20,600- 46,500/- with 4 years regular service in the grade in Finance Deptt. a Major Port Trust.</p>
--	--	---

2	Senior Deputy Director (Research)	2	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	<p>or in conducting field surveys, investigations etc.</p> <p>(i) Knowledge of computer operations.</p> <p>(ii) MBA/PGDM or Post Graduate degree/diploma in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research and allied subjects from a recognized university/institution.</p>	<p>(a) No</p> <p>(b) Yes, however in case of KoPT officials on roll as on date of notification of this RSP regulation, post graduate degree in any discipline is essential.</p> <p>(c) No</p>	2	By Promotion failing which by absorption/deputati on failing both by direct recruitment.	<p>Promotion from Deputy Director (Research) in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/-with 4 years regular service in the grade failing which officers holding equivalent post of Dy. Director (Research) in the respective</p>	<p>Existing of post Dy. Director in the scale of pay of Rs. 24,900-50,500/- will be redesignated as Sr. Dy. Director (Research).</p>	40,500/- with 3 years regular service in the grade.
---	-----------------------------------	---	---------	-----------------	-----------	----	--	---	---	--	--	--	---

discipline of	Finance	Department in	the scale of	pay of Rs.	20,600-	46,500/-	with	4 years regular	service in the	grade.	<u>Absorption/</u>	deputation will	be of Officers	holding	analogous	posts or	Deputy	Director	(Research)	/Deputy	Manager	(Systems)and	other	equivalent	posts in the	scale of pay of	Rs.10750-	16750/-	with 4	years regular	service in the	grade in	Finance Deptt.	In a Major	Port Trust.																																	
or in conducting	field surveys,	investigations etc.	Desirable:	(i) MBA/PGDM or	Post Graduate	degree/diploma in	Economics or	Statistics or	Mathematics or	operational research	and allied subjects	from a recognized	university/institution	(ii) Knowledge of	Computer	Operations.																																																				

3	Jt. Director	1	Class-I	32,900-58,000/-	Selection	37	<p>Essential: (i) Degree in Economics or Statistics or Mathematics or Computer Engineering or in allied subjects from a recognized university/institution.</p> <p>(ii) Nine years executive experience in planning or in collection, compilation and interpretation of data or in conducting field surveys, investigations etc. or in the field of Electronic Data Processing/Information Technology.</p> <p>Desirable: Post Graduate degree/diploma in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research or Post Graduate degree in Computer Science or Computer Engineering or Information Technology or Information systems</p>	(a) No (b) Yes, however in case of KoPT officials on roll as on date of notification of this RSP Regulation, post graduate degree in any discipline will suffice. (c) No	N.A.	By absorption through composite method which deputation from other organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or Sr. Dy. Director (Research)/Sr. Dy. Manager (System) and officers holding equivalent posts in the respective discipline of Finance Dept. in the pay scale of Rs. 24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Post Trust or Sr. Dy. Director (Research/Sytems) and other equivalent posts with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of	The post of Deputy Director (P & R) will be designated as Joint Director.
---	--------------	---	---------	-----------------	-----------	----	---	--	------	--	--	---

<p>pay of Rs. 20,600-46,500- and Rs. 24,900-50,500/- in P&R Division/Finance Department in a Major Post Trust will be eligible.</p>										
<p>For deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Sr. Dy. Director (Research)/Sr. Dy. Manager (System) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- in P&R Div./Finance Dept. in Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible.</p>										
<p>or MIS or Systems or Computer Applications or Business Admn.(PG degree/diploma with specialization in Systems or Information systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a university/ institution.</p>										

(*) In Departments/ Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age (b) Educational Qualifications (c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Executive Engineer (Civil)	44	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	<p><u>Essential</u>: - Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognized University/Institution. (4 year Degree course).</p> <p><u>Desirable</u>: - Two years Experience in executive cadre in Planning/Construction/Design/Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an industrial/Commercial/Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No</p> <p>(b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognized University/Institution is essential.</p> <p>(c) No</p>	2	<p>By direct recruitment - 66.2/3%.</p> <p>By promotion - 33.1/3%</p>	<p>Promotion from Class II post of Assistant Engineer in the scale of pay of Rs. 16, 400-40, 500 with 3 years regular service or Class-III employees in the scale of pay of Supervisor in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. with 5 years regular service in the grade.</p>	<p>Existing posts of Asstt. Engineer in the scale of pay of Rs.20,600, 46,500/- will be redesignated as Executive Engineer ** out of the total posts of Executive Engineers first 35% from the seniority list will be regarded as Executive</p>

2	Superintending Engineer (Civil)	10	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	(i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognized University/Institution. (4 year Degree course). (ii) Five years experience in executive cadre in Planning/Construction/Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial/ Govt.	(a) No (b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognized University/Institution is essential. (c) No	2	By Promotion falling which by absorption/dep utation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Executive Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs.20, 600-46,500/- with 4 years regular service in the grade. <u>Absorption/de putation will be of Officers holding analogous posts or feeder post with experience as</u>	Engineer Group - I, next 15% will be designated as Executive Engineer Group - II and rest 40% will be designated as Executive Engineer Group - III for work convenience.	Existing post of Sr. Executive Engineer will be redesignated as Superintending Engineer (Civil).
---	---------------------------------	----	---------	-----------------	-----------	----	---	---	---	---	--	--	--

3	Dy. Chief Engineer (Civil)	4	Class-I	32,900- 58,000/-	Selection	37	Undertaking: (i) Degree or equivalent in Civil Engg from a recognized University/Institution (4 year Degree course). (ii) Nine years experience in executive cadre in Planning/Construction/Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method falling which by deputation from other Govt. organizations and falling both by direct recruitment	mentioned above in a Major Port Trust.	Existing post of Dy. CE (Civil) will be redesignated as Dy. Chief Engineer (Civil).
										For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust. Or Superintending Engr. and equivalent post in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. With 2 years regular service in the		

	<p>grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/-and Rs. 24,900-46,500/- in Civil Engg. Department of any Major Port Trust will be eligible.</p> <p>For deputation Officers holding analogous posts or officers holding post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in Govt./PSUs/A utonomous bodies will be</p>

4.	Chief Engineer	1	Class-I (HOD)	51,300- 73,000/-	Selection	40	Essential: (A) (i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognized University/Institution (4 year Degree course). (ii) Thirteen years experience in executive cadre in Planning/Construction/Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking. Or (B) Master degree in Environment Engineering.	(a) No. (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method failing which by deputation failing both by direct recruitment	For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or the post of Chief Engineer in Category II posts with two years regular service in the grade or Officers holding posts in the scale of pay of Rs.36,600-62,000/- with 4 years regular service in the grade or Officers holding posts in the scale of pay of Rs.22,900-	eligible. The selection is by merit for which the bench-mark in overall grading in the APARs will not be below "very good".
----	----------------	---	---------------	---------------------	-----------	----	---	------------------------------	------	---	--	--

with thirteen years experience in related field.																													
58,000/- with 5 years regular service in the grade in the Civil Engineering Deptt. in a Major Post Trust will be eligible. Or officers holding post in the scale of pay of Rs. 32,900- 58,000/- with the prescribed educational qualification with 5 years regular service in the grade in environment section in a Major Post Trust will be eligible. For deputation. Officers holding analogous posts or officers holding post of Chief Engineer and equivalent posts in Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of																													

										Rs.43,200- 66,000/- with 2 years regular service in the grade or Officers holding post of Dy.Chief Engineer or equivalent posts in Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.32,900- 58,000/- and above with 5 years regular service in the grade. In Govt./ PSUs/Autono mous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below "very good".	

(*In Departments/ Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue

Recruitment Rules for Civil Engineering Department (Environment Wing)

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitent (in years)	Educational and other qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the cases of promotion/absorption/deputation	Period of probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Manager (Env.)	1	Class-I	32,900-58,000/-	Selection	37	Essential: Masters' Degree in Environmental Engineering or Doctorate in Ecology / Environment or Degree in Civil Engineering with Corporate Membership of approved Engineering Institute, with 9 years experience in related field.	a) No. b) Yes c) Yes	2	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organizations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust. Or Superintending Engr. And equivalent post in the respective discipline of Civil Engg. Deptt. With 2 years regular service in the grade	

and a confirmed regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. 20,600-26,500/- and Rs. 24,900-50,500/- in Civil Engg. Department of any Major Port Trust will be eligible.

For deputation Officers Holding analogous posts or officers holding post of Subordinate Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade in Govt./PSUs/Autonomous bodies will be eligible. The selection will be made on the basis of merit. If overall grading of the AECs will not be better than the

Recruitment Rules for Class-I posts of Medical Department

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the cases of promotion/absorption/deputation	Period of probation (in years)	Method of recruitment: (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Matron	1	Class-I	20600-46500	Selection	40	<p><u>Essential</u></p> <p>i) Sr. Diploma in General Nursing and Midwifery and must be registered under a Staff Nursing Council.</p> <p>ii) Must have not less than 10 years experience in a First Grade Hospital inclusive of 4 years as an Asstt. Matron or in an equivalent position.</p> <p><u>Desirable</u></p> <p>B.Sc (Nursing)</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion	By promotion from the rank of Asstt. Matron or equivalent position with a minimum of 4 years regular service in the grade.	

2.	Sr. Medical Officer	37	Class-I	20,600-46,500/-	N.A.	35	Essential (i) MBBS degree from a recognised university or for Sr. Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) One year experience in a hospital, after completion of internship of one year. <u>Desirable</u> A post graduate medical degree from a recognised university.	N.A.	2	By direct recruitment	N.A.	Existing post of Medical Officer in the scale of pay of Rs. 20,600-46,500/- will be redesignated as Sr. Medical Officer.
3.	Dy. Chief Medical Officer (General Duty)	6	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	40	Essential (i) MBBS degree from a recognised university or for Dy. Chief Medical Officer (Dental), BDS degree of a recognised university. (ii) Five years experience in a hospital, after completion of internship of one year. <u>Desirable</u> A postgraduate medical degree from a recognised university.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Medical Officer (G.D.) in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade. <u>Absorption/Deputation</u> will be of Officers holding analogous posts or feeder post with 4 years experience in the grade in a Major Port Trust.	

4.	Dy. Chief Medical Officer (Specialist) [At least 1 from the each of the discipline of Medicine, Surgery, Gynaecology & Obstetrics, Paediatric and Orthopaedics]	6	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	40	(i) MBBS Degree from a recognised University. (ii) A Post-Graduate Medical Degree or Post Graduate Diploma (Medical Stream) in the specified speciality from a recognised University. (iii) Post qualification experience of 7 years in case of Post Graduate Diploma holder in a reputed Hospital in the relevant field of specialisation.	(a) No (b) Yes, (c) No	2	By direct recruitment.	N.A.
5.	Sr. Dy. Chief Medical Officer (Specialist)	5	Class-I	32,900-58,000/-	Selection	42	(i) MBBS degree from a recognised university. (ii) A post-graduate medical degree or Post Graduate Diploma (Medical Stream) in the specified speciality from a recognized university. (iii) A degree/diploma in Hospital Management from recognised institute. (iv) Post qualification	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method failing which by deputation from other Govt. organizations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or holding the post of Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in Medical Deptt. in the scale of pay of Rs.24,900-50,500/- with 3 years regular service in the

experience of 9	years	(11	years	in	case	of	Post	Graduate	Diploma	holder	in	the	relevant	field	of	specialisation.																														
grade in a Major	Port Trust or Dy.	CMO (Specialist)	and equivalent	Specialist post in	medical	Department with	2 years regular	service in the	grade and a	combined regular	service of 7 years	in the scale of pay	of Rs. 20,600-	46,500/- and Rs.	24,900-50,500/-	in Specialist cadre	of Medical	Department in a	Major Port Trust	will be eligible.	For deputation,	Officer holding	analogous posts	or holding posts	of Dy. Chief	Medical Officer	(Specialist) and	equivalent	Specialist posts in	the scale of pay of	Rs.24,900-	50,500/- in	Medical Deptt. in	a Govt./ PSUs or	Autonomous	Bodies with 3	years regular	service in the	grade will be	eligible. The						

6.	Chief Medical Officer	I	Class-I (HOD)	51,300-73,000/-	Selection	45	(i) MBBS degree from a recognised university. (ii) A post-graduate medical degree or Post Graduate Diploma (Medical Stream) from a recognised university. (iii) Post qualification experience of 13 years (15 years in case of Post Graduate Diploma holder) in a hospital.	(a) No (b) Yes (c) No	2.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Chief Medical Officer in Category-II Post of equivalent with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.36,600-62,000/- with regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32,900-58,000/- with 5 years regular service in the grade in the Medical Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation. Officers holding analogous post or	Selection is by merit for which the benchmark in the overall grading in the APARs will not be below "very good".
----	-----------------------	---	---------------	-----------------	-----------	----	---	-----------------------------	----	--	--	--

	<p>officers holding post of Chief Medical Officer and equivalent post in Medical Deptt. in the scale of pay of Rs.43,200-66,000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding posts of Addl. Chief Medical Officer and equivalent Specialist Posts in the scale of pay of Rs.32,900-58,000/- and above in Medical Deptt. with 5 years regular service in the grade in Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the APARs will not be below "very good".</p>

Recruitment Rules for Class-I posts of Vigilance Department

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper age limit for direct recruitment (in year)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualification (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in year)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/adsorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Asstt. Vigilance Officer Gr-I	2	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	N.A.	N.A.	(a) (b) Degree of a recognized university. (c)	N.A.	By deputation.	Deputation will be from officers holding analogous posts or officers holding posts in the scale of pay of Rs.16,400-40,500/- with 3 years regular services in the grade from Major Port Trusts/ Central Govt./State Govt./ PSU/ Autonomous bodies. Preference will be given to persons having experience in vigilance work.	Deputation will normally be for a period of 3 years and, in any case not to exceed 5 years.
2	Dy. Chief Vigilance Officer	1	Class-I	32,900-58,000/-	Selection	N.A.	N.A.	(a) (b) Degree of a recognized university. (c)	N.A.	By deputation.	Officers holding analogous posts or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 24,900-50,500/- with 3 years regular service in the grade or officers having a combined regular	Deputation will normally be for a period of 3 years and, in any case not to exceed 5 years.

3.	Chief Vigilance Officer	I	Class-I (HOD)	51,300- 73,000/-	Selection	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	By deputation of Officers of All India/ Central Services.	Officers who are eligible for appointment at the level of Dy, Secretary/ Director in the Govt. of India.	Deputation will normally be for a period of 3 years and, in any case not to exceed 5 years.
											service of 7 years in the scale of pay of Rs. 24,900-50,500 7- and Rs. 20,600- 26,500/- with atleast one year regular service in the pay scale of Rs. 24,900- 50,500/- in any major Port Trust/ Central Govt./ State Govt./ PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. Preference will be given to the persons having experience in Vigilance work. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.	

Recruitment Rules for Class-I posts of Hydraulic Study Department

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay (RS.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) Age Qualifications (b) Educational Qualifications (c) Experience will apply in the case of promotion/absorption/deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of Promotion/Absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Senior Scientific Officer/ Executive Engineer/ Assistant Hydraulic Engineer/ Electronic Instrumentation Engineer	18	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	Essential: 1 st Class or Degree equivalent in Civil Engineering/ Electrical/ Computer Science/Information Technology or a Graduate degree in Mathematics/Statistics/Physics/ Geology/ Environmental Engineering/Electronics or any other relevant subject connected with Hydraulic	(a) No (b) No, Diploma in Engineering in relevant discipline from recognised University. (c) No	2	By direct recruitment - 66.2/3% . By promotion - 33.1/3%	Promotion from Jr. Asstt. Engineer/ Scientific Asstt. Or equivalent post in the scale of pay of Rs. 16,400-40,500/- with 3 years regular service in the grade.	

2	Deputy Director	7	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	<p>Essential: 1st Class Degree or equivalent in Civil Engineering/Electronics/Computer Science/Information Technology or a Post Graduate degree in Mathematics/Statistics/Physics/Geology/Environmental Engineering/Electronics or any other relevant subject connected with Hydraulic Engineering and research.</p> <p>Desirable: 5 years experience in engineering or research work in fields allied to tidal or river Hydraulics/Hydrology/Civil/ Electronics/Telecommunication/Information</p>	(a) No (b) No. Diploma in Engineering in relevant discipline from recognised University. (c) No	2	By Promotion failing which by absorption, deputation, failing both by direct recruitment	Promotion from Senior Scientific Officer/EE/AH E/E/E in the scale of pay of Rs.20,600-46,500/- with 4 years regular service in the grade. Absorption/ deputation will be from officers holding analogous posts or feeder post with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.
---	-----------------	---	---------	-----------------	-----------	----	---	---	---	--	--

3	Dy. Chief Hydraulic Engineer	4	Class-I	32,900-58,000/-	Selection	37	<p>Technology/Mathematical Sciences/Hydraulic Engineering/Soils/Mechanics/Structural Engineering/Geology/Ocean Physics/Computer Engineering In an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking (with application of remote sensing and GIS in river hydrology)</p> <p>Essential: 1st Class Degree or equivalent in Civil Engineering/Electronics/Computer Science/Information Technology or a Post Graduate degree in Mathematics/Statistics</p>	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organization and both by direct recruitment	For absorption through composite method. Officers holding analogous post or post of Deputy Director and equivalent posts in HSD, in the scale of pay Rs. 24,900-50,500/- with 3 years regular	Existing posts of Deputy Chief Hydraulic Engineer in the scale of pay of Rs. 14500-18750/- will be upgraded in the scale of pay of Rs. 16000-26800/- and will be redesignated as Dy. Chief Hydraulic Engineer
---	------------------------------	---	---------	-----------------	-----------	----	---	-----------------------------	------	---	---	---

Geology/Envir	nmental	Engineering/El	ectronics or	any other	relevant	subject	connected with	Hydraulic	Engineering	and research.	Desirable:	9	years	experience in	engineering or	research work	in fields allied	to tidal or river	Hydraulics/Hy	drology/Civil/	Electronics/Tel	ecommunicati	on/	Information	Technology/M	athematical	Sciences/Hydr	omechanics/So	il-	Mechanics/Sed	iment	logy/Marine	Geology/	Ocean	Physics/	Computer	Engineering In	an Industrial/	Commercial/	Govt.	, ,	undertaking																																																																																																																																																																																					
service in the	grade in a	Major Port	Trust or Dy	Director and	equivalent post	in Hydraulic	Study	Department	with 2 years	regular service	in the grade	and a	combined	regular service	of 7 years in	the scale of	pay of rs.	20,600-	46,500/-	and	Rs. 24,400-	50,500/-	in	Hydraulic	Study	Department of	any major Port	Trust will be	eligible.	For deputation,	Officers	holding	analogous	posts or	holding post of	Dy. Director	and equivalent	posts in the	respective	discipline of	HSD, in the	scale of pay of																																																																																																																																																																																					

4	Chief Hydraulic Engineer	1	Class-I (HOD)	51,300-73,000/-	Selection	40	<p>Essential: 1st Class Graduate Degree or equivalent in Civil Engineering/EI electronics/Computer Science/Information Technology or a 1st Class Post Graduate degree in Mathematics/Statistics/Physics/Chemistry/Geology/Environmental Engineering/EI electronics or any other relevant subject connected with Hydraulic Engineering and research.</p> <p>Desirable: 13 years experience with proven ability in engineering research or investigation in the form of original</p>	<p>(a) No (b) Yes (c) No</p>	2	<p>By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisation and failing both by direct recruitment.</p>	<p>For absorption through composite method. Officers holding analogous post or Officers holding post of Chief Hydraulic Engineer in Category-II posts with 2 years regular service or officers holding posts in the scale of pay Rs36,600-62,000/- with 4 years regular service in the grade or officers holding post in the scale of pay Rs.32,900-58,000/- with 5 years regular service in the grade in the Hydraulic Study Deptt. of a Major Port Trust will be eligible. For deputation.</p>
---	--------------------------	---	---------------	-----------------	-----------	----	--	--------------------------------------	---	---	--

	<p>officers holding analogous posts or officers holding post of Chief Hydraulic Engineer and equivalent post in Hydraulic Study Deptt. in the scale of pay of Rs.43,200-66,000 /-with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Dy. CHE and equivalent post in Hydraulic Study Deptt., in the scale of pay of Rs.32,900-58,000/- and above with 5 years regular service in the grade in Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which overall grading in the APARs will not be below "very good".</p>		
<p>publication in the area of vocation in fields allied to tidal or river Hydraulics/Hydrology/Civil/Electronics./Telecommunication/Information Technology/Soil Mechanics/Mathematical Sciences/Sedimentology / Marine Geology/ Coastal Engineering/Ocean Physics. In an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking (with application of remote sensing and GIS in river hydrolics)</p>			

Recruitment Rules for Class-I posts of Marine Department

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper age limit for direct recruitment (in year)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualification (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in year)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Deputy Director-II	1	Class-I	36,600-62,000/-	Selection	38	<p>Essential</p> <p>Certificate of competency as Master (FG) issued by MOS/Dredge Master Gr.I or equivalent or 1st Class MOT.</p> <p>i) 10 years experience in the Marine Services of a port of which atleast 5 years in senior administrative position.</p>	<p>a) No.</p> <p>b) Exceeding with qualification prescribed for graduate entry scheme or with passing out certificates from T.S.Dufferin or T.S.Rajendra, T.S. Chanakya or B.Sc (Nautical Science) or a Dredge Mate Gr. I certificate. Or a Second Mate (FG) certificate or a First Mate (FG) Dredge Master Gr. II certificate and had qualified and served as</p>	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	By Promotion from the rank of Grade 1 Pilot as per Calcutta Pilot Service (other than Haldia Dock Complex) (Training and Grading and Seniority) Regulations 1990 or Commander from D&D service or Commander from Hydrographic Service or Chief Engineers from Marine Engineering service with 1 st Class Certificate having a total of 15 years regular service in the port failing which by absorption/deputation and failing both by direct recruitment.	Existing post of Dy.DM(D-II) will be redelegated as Dy. Director Marine Department

2.	Dy Director- Marine Department	1	Class-I	36,600- 62,000/-	Selection	39	Essential Certificate of competency as Master (FG) /Dredge Master Gr.I issued by or MOS, equivalent or 1 st Class MOT. ii) 12 years experience in the Marine Services of a port of which atleast 5 years in senior administra-tive position.	Pilot Commander, Chief Engineer. c) Yes. a) No. b) Yes. Excepting serving officers with entry qualification for graduate entry scheme or with passing out certificates from T.S.Dufferin or T.S.Rajendra, T.S. Chanakya or B.Sc (Nautica Science)a Dredge Mate Gr. I certificate. Or a Second Mate (FG) certificate or a First Mate(FG) certificate/ Dredge Master Grade II. (C) Yes.	2	By absorption through composite method failing which by deputation from Govt. Organisation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method :- Officers holding analogous post or the post of Dy. Director- II and equivalent post with 3 years regular service in the the grade in a major Port Trust.. For deputation, officers holding analogous post or post of Dy. Director- II and equivalent post in the Scale of Pay of Rs. 36,600-62,000/- having 3 years regular service in the grade in any Govt./ Public Sector undertaking or Autonomous Bodies. The selection is by merit for which overall grading in the APARs will not be below "very good".
----	--------------------------------------	---	---------	---------------------	-----------	----	--	---	---	--	--

3.	Director, Marine Department	1	Class-I (HOD)	51,500- 73,000/-	Selection	40	Essential Certificate of competency as Master (FG) issued by MOS, /Dredge Master Gr.I or equivalent or 1 st Class MOT. ii) 15 years experience in the marine services of a port of which at least 5 years in senior administrative position.	a) No. b) Yes. Excepting officers with entry qualification for graduate scheme or with passing out certificates from T.S.Dufferin or T.S.Rajendra, T.S.Chanakya or B.Sc (Nautical Science) or Dredge Mate Gr. I certificate. or a Second Mate (FG) certificate or a First Mate(FG)/ Dredge Master Gr.II certificate will also be eligible. c) Yes.	2	By absorption through composite method failing by deputation from Govt. Organisation and failing both by direct recruitment	For absorption by composite method :- Officers having 5 years regular service as Dy. DMD-I or Harbour Master (Port) or Harbour Master (River) or Superintendent Dredger & Despatch Service or Engineer Superintendent or Chief Hydrographer in KDS or Manager (Marine Operations) in Haldia Dock Complex with five years regular service in any of the above posts and the immediate next below post taken together. For deputation, officers holding analogous posts or having 5 years regular service in the post equivalent to Dy. DMD -I / Harbour Master (Port)/ Harbour Master (River)/ Superintendent Dredger & Despatch Service/ Engineer Superintendent/ Chief Hydrographer or above in Kolkata Port Trust or any Govt./
----	-----------------------------------	---	------------------	---------------------	-----------	----	--	--	---	--	--

			<p>qualification. Adjust ment in higher stage is subject to passing requisit e examina tion. Science Graduat es will start at 16,400-; B.Sc Nautical Science / 2nd Mate /Dredge Mate Gr.I will start at 20,600/- ; 1st Mate FG/ Dredge Masters Grade-II will start at 24,900/- ; Master (FG)</p>	<p>Graduat es; b)Not exceedi ng 30 yrs. In case of candidat e possessi ng 2nd Mates (FG) 1st Mate's (F.G.) /Dredge Master Gr.II/ Dredge Mate Gr.I; c) Not exceedi ng 35 yrs. For Master (FG) candide s/ Dredge Master Gr.I.</p>	<p>(F.G.) / Dredge Master Gr.II or 2nd mate's (F.G.) / Dredge Mate Gr.I or B.Sc Nautical Science or Science Graduates with 50 % marks in each of the subjects, Physics and Mathematics or Honours Graduate with Honours in Physics with Mathematics as Pass subject or Honours in Mathematics with Physics as Pass subject.</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

6.	Pilot	74	1	and Dredge Master Gr.1 will start in regular pay scale of 32,900 -58, 000/-	Selection:	37	(i) Master's (F.G.) certificate/ or First Mate's (F.G.) Certificate or Second Mate's (F.G.) certificate or Dredge Mate Gr.1 certificate from T.S. Dufferin, T.S. Rajendra or T.S. Charayka or pass Graduate with 50% marks in each of the subjects, Physics and Mathematics or Honours Graduates with Honours in Physics with Mathematics as Pass subject	a) No. b) No. c) No.	2	By adjustment of Trainee Pilot/TMOs on successful completion of training as Pilot or by transfer of officers from other Marine Services of KoPT, failing which by absorption/ deputation/ direct recruitment.		
----	-------	----	---	---	------------	----	--	----------------------------	---	---	--	--

7.	Asstt. Mooring Master	1	Class-I	36,600- 62,000/-	Selection	38	or Honours in Mathematics with Physics as subjects. (ii) Qualified as Pilot.	Essential i) Masters (FG) Certificate/Dredge Master Gr.I ii) 10 years experience in pilotage in a port.	a) No. Yes but officers with 1 st Mate Certificate or Dredge Master Gr.II 2 nd Mates FG certificate or Dredge Master Gr.I certificate or passing out certificate from T.S.Dufferin or T.S.Rajendra, T.S. Chanakya or B.Sc (Nautical Science) or Science Graduate who have qualified as Pilot will be eligible. c) Yes.	2	By promotion from the rank of Calcutta Pilot having a minimum of total 5 years service as Calcutta Pilot failing which by absorption / deputation failing both by direct recruitment.	By promotion from the rank of Asstt. Mooring Master having a minimum of total 3 years regular service as Asstt. Mooring Master or a total of 8 years
8.	Mooring Master	1	Class-I	36,600- 62,000/-	Selection	38	Essential i) Masters (FG) Certificate/Dredge Master Gr.I ii) 10 years experience in pilotage in a port.	a) No. Yes, but officers with 1 st Mate Certificate or Dredge Master Gr.II 2 nd Mates FG certificate or Dredge Master	2	By promotion which failing by absorption/ deputation failing both by direct recruitment.	By promotion from the rank of Asstt. Mooring Master having a minimum of total 3 years regular service as Asstt. Mooring Master or a total of 8 years	

1/10

9.	Commander Pilot Vessel	2	Class-I	36,600- 62,000/-	Selection	38	port.	Gr.I certificate or passing out certificate from T.S.Dufferin or T.S.Rajendra, T.S.Chanakya or B.Sc (Nautical Science) or Science Graduate who have qualified as Pilot will be eligible. c) Yes.	2	By promotion which failing by absorption/ deputation failing both by direct recruitment.	service as Asstt. Mooring Master and Calcutta Pilot Gr.I taken together failing which by absorption / deputation failing both by direct recruitment.
							i) Masters FG Certificate./Dr edge Master Gr.I ii) 5 years experience in pilotage in riverine port.	a) No. b) Yes, but officers with 1 st Mates Certificate or Dredge Master Gr.II or 2 nd Mates Certificate or Dredge Mate Gr.I certificate or passing out certificate from T.S.Dufferin or T.S.Rajendra/, T.S.Chanakya or B.Sc (Nautical Science) or Science Graduate who has qualified as Pilot will be eligible. c) Yes.		By promotion from the rank of Mooring Master having a minimum of total 10 years regular service, as Mooring Master, Asstt. Mooring Master or Pilot taken together.	

10.	Dock Master	1	Class-I	36,600- 62,000/-	Selection	38	<p>i) Masters FG Certificate./Dr edge Master Gr.I</p> <p>ii) 5 years experience in pilotage in riverine port.</p>	<p>a) No. b) Yes, but officers with 1st Mates Certificate or Dredge Gr.II or Mates certificate or Dredge Gr.I certificate or passing out certificate from T.S.Dufferin or T.S.Rajendra/, T.S. Chanakya or B.Sc (Nautical Science) or Science Graduate who has qualified as Pilot will be eligible.</p> <p>c) Yes.</p>	2	By promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment.	By promotion from the rank of Dy. Dock Master/Commander PV having a minimum of total 3 years service in the grade, failing both by transfer/ deputation/ direct recruitment.
11	Dy. Harbour Master (Port)/ (River)	2	Class-I	43,200- 66,000/-	Selection	39	<p>i) Masters FG Certificate./Dr edge Master Gr.I</p> <p>ii) 7 years experience in pilotage in riverine port.</p>	<p>a) No. b) Yes, but officers with 1st Mates Certificate or 2nd Mates certificate or Dredge Gr.II or Dredge Mate certificate or passing out certificate from T.S.Dufferin or T.S.Rajendra, T.S. Chanakya or</p>	2	By absorption through composite method failing by deputation from Govt. Organisation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method :- Officers holding analogous post or the post of Dock Master/Commander Pilot Vessel and equivalent post with 2 years regular service either as Dock Master or in the post of Dock Master/Commander, Pilot Vessel and Mooring Master taken together in the grade for 2 years in a

12.	Harbour Master (Port) (River)	2	Class-I	43,200-66,000/-	Selection	39	<p>i) Masters FG Certificate or Dredge Master Gr.I</p> <p>ii) 8 years experience in pilotage in a port.</p>	<p>a) No.</p> <p>b) Yes, but officers with 1st Mates Certificate or Dredge Master Gr.II or 2nd Mates certificate or Dredge Mate Gr.I certificate or passing out certificate from T.S.Dufferin or</p>	2	<p>By absorption through composite method failing by deputation from Govt. Organisation and failing both by direct recruitment.</p>	<p>For absorption through composite method :- Officers holding analogous post or the post of Dy. Harbour Master (Port)/(River) and equivalent post with 3 years regular service in the grade in a major Port Trust..</p> <p>For deputation, holding officers</p>	<p>major Port Trust.. For deputation, officers holding analogous post or post of Dock Master with 2 years experience or Dock Master/Commander, PV and Mooring Master taken together in the grade for 2 years and equivalent post in the Scale of Pay of Rs. 36,600-62,000/-having 2 years regular service in the grade in any major Port Trust/ Govt./ Public Sector undertaking or Autonomous Bodies. The selection is by merit for which overall grading in the APARs will not be below "very good".</p>	
-----	-------------------------------	---	---------	-----------------	-----------	----	---	--	---	---	--	--	--

15	Jr. Chief Officer	9	Class-I	20,600- 46,500/-	Selection	30	N.A.	N.A.	2	By promotion.	By promotion from the rank of 2 nd Officer holding Second Mates (FG) or Master / Mate (Home Trade) or Dredge Mates Grade-I certificate having a minimum of total 5 years service as 2 nd Officer.
16	Chief Officer	10	Class-I	24,900- 50,500/-	Selection	35 (40 for ex. Naval Officer)	Certificate of competency of Masters (Home Trade)/ First Mates (FG) or Dredge Master Gr.II certificate or Master (NCV) Certificate of competency.	a) No. b) Yes. c) N.A.	2 years after obtaining Tug Pilots Certificate.	By promotion which failing by absorption/ deputation failing both by direct recruitment.	By promotion from the rank of Jr. Chief Officers possessing Dredge Master Gr.II/ First Mates (FG) Certificate/ Dredge Mates Gr.I certificate along with Tug Pilot licence and qualifying in departmental examination with a minimum of 3 years of regular service as Second officer / Jr. Chief Officer, failing which by direct recruitment.

17	Commander /Commodore (Sr most commander will be designated as commodore)	26	1	36,600- 62,000/-	Selection	38 (45 years for ex. Naval Officers)	i) Master FG Certificate or service certificate as Master FG from India Navy or Dredge Master Gr. I Certificate.	a) No. b) Yes. c) N.A.	2 years after passing Commander examina tion.	By promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment.	Promotees -A candidate possessing Master's (FG) Certificate or Service Certificate as Master (FG) from Indian Navy or Dredge Master Gr. I certificate with a minimum experience of 2 years as Chief Officer on Dredger and Despatch Vessels who have passed Tug Pilots Examination may also be promoted as Commander (on training). Note: A candidate processing Master's (FG) certificate or service certificate as Master (FG) from Indian Navy or Dredge Master's Gr.I certificate shall enter the Dredger & Despatch Service of the Kolkata Port Trust directly as Commander (on training). After undergoing necessary training and passing necessary examinations as prescribed for them in the Scheme for training of Officers in
----	---	----	---	---------------------	-----------	---	---	------------------------------	--	--	---

18	Dy. Superintendent D&D Service.	1	Class-1	36,600-62,000/-	Selection	38					a) No. b) No. c) No.	2	By promotion failing which by absorption/ deputation both by direct recruitment.	By promotion from the grade of Commodore/Commander having a minimum of total five years regular service as Commodore/Commander, failing which by transfer/deputation / direct recruitment.	the Dredger & Despatch Service of Kolkata Port Trust, they shall be eligible for independent Command. Serving from Hydrographic Service will also be eligible for the post of Commander D & D Service
19.	Superintendent D&D Service.	1	Class-1	43,200-66,000/-	Selection	39					a) No. b) No. c) No.	2	By absorption through composite method failing from Govt. Organisation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method :- Officers holding analogous post or the post of Dy. SDDS and equivalent post with 3 years regular service in the grade in a major Port Trust.. For deputation,	

21	Officer-in-charge (Survey)	2	Class-I	24,900-50,500/-	Selection	35	N.A.	N.A.	2	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment	By promotion from the rank of Master Hydrographer having a minimum of total 3 years regular service as master Hydrographer and Sr. Hydrographer taken together failing which by transfer/deputation/direct recruitment.
22	Commodore / Commander (officers working as Commanders for 10 years would be redesignated as Commodore)	16	Class-I	32,900-58,000/-	Selection	37	a) No. b) No. c) Yes.	i) Atleast five years experience in the hydro-graphic branch of Indian Navy in the rank of Lt. Commander ii) Must be a corporate member of Institutions of Surveyors India or equivalent as accepted by Govt. of India. iii) Experience in a riverine waterway is desirable.	2	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment	By promotion from the rank of OC, Surveyors/ Master Hydrographer having a minimum of total five years regular service as OC, Surveyors/ Master Hydrographer and Sr. Hydrographer taken together failing which by transfer/deputation/direct recruitment.
23	Dy. Chief Hydrographer (one post belongs to Hydraulic Study Department)	2	Class-I	36,600-62,000/-	Selection	38	a) No. b) No. c) Yes.	i) Atleast eight years experience in the hydro-graphic branch of Indian Navy in the rank of Commander ii) Must be a corporate member of Institutions of	2	By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment	By promotion from the rank of Commodore/ Commander of Hydrographic Service having minimum of total two years regular service in the grade of Commodore and Commander taken together failing

24	Chief Hydrographer	1	Class-1	43,200-66,000/-	Selection	39	<p>Surveyors (India) or equivalent as accepted by Govt. of India.</p> <p>i) Atleast ten years experience in the Hydrographic branch of Indian Navy in the rank of Captain ii) Must be a corporate member of Institutions of Surveyors (India) or equivalent as accepted by Govt. of India. iii) Experience in a riverine waterway is desirable.</p>	<p>a) No. b) No. c) Yes.</p>	2	<p>By absorption through composite method failing by deputation from Govt. Organisation and failing both by direct recruitment..</p>	<p>which by transfer/ deputation/ direct recruitment.</p> <p>For absorption through composite method :- Officers holding analogous post or the post of Dy. Chief Hydrographer and equivalent post with 3 years regular service in the grade in a major Port Trust.. For deputation, officers holding analogous post or post of Dy. Chief Hydrographer and equivalent post in the Scale of Pay of Rs. 36,600-62,000/- having 3 years regular service in the grade in any major Port Trust/ Govt./ Public Sector or undertaking Autonomous Bodies. The selection is by merit for which overall grading in the APARs will not be below "very good".</p>
----	--------------------	---	---------	-----------------	-----------	----	---	--	---	--	--

25 A	Apprentice Dock Pilot	As per availability of post of Dock Pilot	Class-1	(1st 3 rd year) stipend- Rs1800/- -2000/- ,2500/- +allowance(to be revised)	Selection	25	Essential Graduate (with Physics, Chemistry & Statistics/Computer Sc/Maths as a combination) from a recognized university	N.A.	N.A.	By direct recruitment	
25	Dock Pilot	36	Class-1	20,600-46,500/- (on completion of 5 years of service and satisfactory performance, Berthing Masters will be given the scale of pay of Rs. 24,900-50,500/-	Selection	30	i) 2 nd Mate FG certificate or Masters Home Trade Certificate or ii) 3 years experience as Deck Cadet - 25 years. or iii) Pure Science Graduates - 25 years.	a) No. b) Yes. c) NA.	2	N.A.	a) By adjustment of Apprentice Dock Pilot on successful completion of 3 years training under the Port Training Scheme b) By direct recruitment of candidates possessing qualification mentioned in column 8. They will undergo training in handling ships in docks for a period of one year and will be required to pass departmental examinations.

26	Asstt. Dock Master	7	Class-I	29,100- 54,500/-	Selection	36	i) 2 nd Mate (FG)/ Master (HT) certificate. ii) 3 years experience as Deck Cadet/ Apprentice. iii) Experience: Handling ships of all sizes in impounded dock system for 10 years.	a) No. b) Yes. , but relaxable departmental candidates. c) Yes.	2	By promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment	By promotion from the rank of Dock Pilot having a minimum of total 10 years regular service as Dock Pilot failing which by transfer/ deputation/ direct recruitment.
27	Dy. Dock Master	3	Class-I	32,900- 58,000/-	Selection	37	i) 2 nd Mate (FG)/ Master (HT) certificate. ii) 3 years experience as Deck Cadet/ Apprentice. iii) Experience: Handling ships of all sizes in impounded dock system for 12 years.	a) No. b) Yes. , but relaxable departmental candidates. c) Yes.	2	By promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment	By promotion from the rank of Asstt. Dock Master having a minimum of total 2 years regular service in the grade failing which by transfer/ deputation/ direct recruitment.
28	St. Radio Officer	7	Class-I	20,600- 46,500/-	Selection	30	i) Atleast 2 nd class certificate of proficiency as Wireless Operator issued by Ministry of	a) No. b) Yes. c) NA.	2	By promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment	By promotion from the rank of Radio Officer having a minimum of total 3 years regular service in the grade failing which by transfer/ deputation/ direct

29	Dy. Chief Radio Officer	1	Class-t	20,600-46,500/-	Selection	30	Communication or equivalent as notified by MOC or DG Shipping with general operator certificate in GMDSS.	i) Atleast 2 nd class certificate of proficiency as Wireless Operator issued by Ministry of Communication or equivalent as notified by MOC or DG Shipping with general operator certificate in GMDSS. ii) Must have administrative experience of 2 years in a Wireless Station.	a) No. b) Yes. c) No.	2	By promotion from the rank of Dy. Chief Radio Officer having a minimum of 3 years regular service as Sr. Radio Officer and Radio Officer taken together which by transfer/ deputation/ direct recruitment.	By promotion from the rank of Dy. Chief Radio Officer having a minimum of 3 years regular service as Dy. Chief Radio Officer
30	Chief Radio Officer	1	Class-1	24,900-50,500/-	Selection	35	Communication or equivalent as notified by MOC or DG Shipping with general operator certificate in GMDSS.	i) Atleast 2 nd class certificate of proficiency as Wireless Operator	a) No. b) Yes. c) No.	2	By promotion from the rank of Dy. Chief Radio Officer having a minimum of 3 years regular service as Dy. Chief Radio Officer taken together which by transfer/ deputation/ direct recruitment.	By promotion from the rank of Dy. Chief Radio Officer having a minimum of 3 years regular service as Dy. Chief Radio Officer

32	EIC Class-I Vessel	26	Class-I	20,600-46,500/-	Selection	30	Entry for Marine Engineers with 2 nd class MOT certificate with experience as watch keeping engineer on board a vessel for atleast 3 years / or with MOT Class-IV certificate with experience as watch keeping engineer on board a vessel for atleast 4 years or NCV class-III /Class IV/certificate with experience as watch keeping engineer on board a vessel for atleast 3 years or by promotion from Inland Certified	a) No. b) No. c) No.	2	By promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment	By promotion from the rank of Jr. Engineer In-charge, Class-II Vessel with a minimum of total five years regular service in the grade failing which by transfer/ deputation/ direct recruitment.
----	--------------------	----	---------	-----------------	-----------	----	---	----------------------------	---	---	--

34	2 nd Engineer, Class-I Vessel	33	Class-I	29,100- 54,500/-	Selection	36	i) 1 st Class MOT (Combined or Motor) certificate ii) 3 years experience of work in a Sea Going vessel thereafter.	a) No. b) Yes. c) No.	2	By adjustment failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment	By adjustment of the senior most relieving Engineer, Class-I vessel failing which by transfer/ deputation/ direct recruitment.
35	Chief Engineer, Class-I Vessel	33	Class-I	32,900- 58,000/-	Selection	37	i) 1 st Class MOT (Combined or Motor) certificate ii) 3 years experience of work in a Sea Going vessel thereafter.	a) No. b) Yes. c) No.	2	By promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment	By promotion from the rank of 2 nd Class-I Engineer, Class-I vessel having a minimum of 3 years regular service in the grade, failing which by transfer/ deputation/ direct recruitment.
36	Commodore Chief Engineer, Class-I Vessel.	1	Class-I	36,600- 62,000/-	Selection	38	i) 1 st Class MOT (Combined or Motor) certificate ii) 3 years experience of work in a Sea Going vessel thereafter.	a) No. b) Yes. c) No.	2	By adjustment failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment	By adjustment of the senior most Chief Engineer, Class-I Vessel failing which by transfer/ deputation/ direct recruitment.
37	Asstt. Engineer Superintend ent,	1	Class-I	36,600- 62,000/-	Selection	38	Essential: i) 1 st Class MOT (Combined or Motor) certificate.	a) No. b) Yes. c) No.	2	By promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct	By promotion from the rank of Commodore Chief Engineer or Chief Engineer, Class-I Vessel having a

38	Dy. Engineer. Superintendent OC (Port Dredging)	1	Class-I	36,600-62,000/-	Selection	38	<p>ii) As Chief Engineer of a foreign sea going vessel or of a large vessel in riverine port for a period of atleast 3 years. Desirable: Extra 1st Class.</p> <p>Essential: i) 1st Class MOT (Combined or Motor) certificate. ii) As Chief Engineer of a foreign sea going vessel or of a large vessel in riverine port for a period of atleast 4 years. Desirable: Extra 1st Class.</p>	a) No. b) Yes. c) No.	2	<p>recruitment</p> <p>By promotion failing which by absorption/ deputation failing both by direct recruitment</p>	<p>minimum of total 2 years regular service as Commodore Chief Engineer and Chief Engineer Class-I vessel taken together, failing which by transfer/ deputation/ direct recruitment.</p> <p>By promotion from the rank of Asstt. E.S. or Supdt. New Construction having a minimum of total 3 years regular service as Asstt. E.S., Supdt. New Construction, Commodore Chief Engineer and Chief Engineer Class-I Vessel taken together, failing which by transfer/ deputation/ direct recruitment.</p>	
39	Engineer Superintendent	1	Class-I	43,200-66,000/-	Selection	39	<p>Essential: i) 1st Class MOT (Combined or Motor) certificate. ii) As Chief Engineer of a foreign sea going vessel or of a large</p>	a) No. b) Yes. c) No.	2	<p>By absorption through composite method failing which by deputation from Govt. Organisation and failing both by direct recruitment.</p>	<p>For absorption through composite method :- Officers holding analogous post or the post of Dy. E.S./OCPD and Asstt. ES taken together with 5 years regular service in the grade in a major Port</p>	

2.	General Manager (Engineering)	1	1	51300-73000	Selection	40	Essential:- (i) Degree (or equivalent) in Civil/ Mechanical/ Electrical/	a) No b) Yes c) No	Not applicable	By Absorption through composite method,	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the	service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32900 - 58000/- with 5 years regular service in the grade in the Traffic department in a major Port Trust, will be eligible. For deputation, officers holding analogous post or officers holding posts in the scale of pay of Rs.43200 - 66000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32900 - 58000/- and above with 5 years regular service in the grade in Traffic department in Govt./ PSUs/ Autonomous Bodies, will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.
----	-------------------------------	---	---	-------------	-----------	----	---	--------------------------	----------------	---	---	---

				<p>Electronics and communication/ Naval Architecture from a recognised University/ Institutions.</p> <p>(ii) Thirteen years experience in an executive cadre in Mechanical/ Electrical/ Electronics and communication Engineering works, out of which 10 years experience shall be in workshops undertaking maintenance of cargo handling equipment/ electrical installation/ ship repairers in any industrial/ commercial/ Govt. Undertaking.</p> <p>OR, 13 years experience in an executive cadre in Planning/ Construction/ Design / maintenance, preferably in Port and Marine</p>				<p>failing which, by Deputation and failing both, by Direct Recruitment</p>	<p>scale of pay of Rs.43200 - 66000/- with 2 years regular service in the grade, or officers holding posts in the scale of pay of Rs.36600 - 62000/- with 4 years regular service in the grade, or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32900 - 58000/- with 5 years regular service in the grade in the Civil/ Mechanical/ Electrical/ Electronics & communication Engineering/ Materials Management department in a major Port Trust, will be eligible.</p> <p>For deputation, officers holding analogous post or officers holding posts in the scale of pay of Rs.43200 - 66000/- with 2 years regular service in the grade, or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32900 - 58000/- and above with 5 years regular service in the grade in Civil/ Mechanical/ Electrical/ Electronics & communication</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

3.	General Manager (Marine)	1	1	51300-73000	Selection	40	<p>structures, in any industrial/commercial/ Govt. Undertaking.</p> <p>Essential:- (i) Must either hold a certificate of competency as Master of Foreign Going Ship issued by the MOS, Govt. Of India or Dredge Master Gr.1 or an equivalent qualification recognised by the MOS, Govt. Of India or MOT 1st Class (Combined or Motor) certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. (ii) 15 years experience in the Marine services of a Port, of which, atleast 5 years, in a senior administrative</p>	<p>a) No b) Yes, however officers with certificate of 1st Mate (F.G.)/ Dredge Master Gr.II/ 2nd Mate (F.G.)/ Dredge Mate Gr.I/ B.Sc Nautical Science/ passing out from T.S.Rajendra/ T.S. Chanaky a / T.S.</p>	Not applicable	By Absorption through composite method, failing which, by Deputation and failing both, by Direct Recruitment	<p>Engineering/ Materials Management department in Govt./ PSUs/ Autonomous Bodies, will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARS will not be below 'Very Good'.</p> <p>For absorption through composite method, officers holding analogous posts in the holding posts in the scale of pay of Rs.43200 - 66000/- with 2 years regular service in the grade, or officers holding posts in the scale of pay of Rs.36600 - 62000/- with 4 years regular service in the grade in Marine department in a major Port Trust will be eligible.</p> <p>For deputation, officers holding analogous post or officers holding posts in the scale of pay of Rs.43200 - 66000/- with 2 years regular service in the grade, or officers holding posts in the scale of pay of Rs.36,600-62,000/- and</p>
----	--------------------------	---	---	-------------	-----------	----	--	---	----------------	--	---

4.	General Manager (M&S)	1	1	51300- 73000	Selection	40	position. Dufferin , or , Science Graduat es who have qualified as Pilots, will also be eligible. C)No.	Not applicable	By Absorption through composite method, failing which, by Deputation and failing both, by Direct Recruitment	above with 4 years regular service in the grade in Marine department in Govt./ PSUs/ Autonomous bodies, will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs.43200 - 66000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.36600 - 62000/- with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32900 - 58000/- with 5 years regular service in the grade in the GAD / Human Resource Development / Medical department in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, officers holding analogous post or officers holding posts in
							Essential:- (i) Degree from a recognised University/ Institutions Or MBBS Degree from a recognised University/Institio n, along with a post graduate Medical Degree/Diploma from a recognised University/ Institution (ii) Thirteen years experience in the field of General Administration/HRD / Personnel/ Industrial Relations in an executive cadre in an industrial/ commercial/ Govt. Undertaking. OR post qualification experience of 12 years in a hospital in the relevant field of specialisation.	a) No b) Yes c) No			

5	General Manager (Finance)	I	I	51300- 73000	Selection	40		<p>Desirable</p> <p>Post Graduate Degree / Diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/ Social Work/ Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognised University/ Institution.</p>	<p>a) No b) Yes c) No</p>	Not applicable	<p>By Absorption through composite method, failing which, by Deputation and failing both, by Direct Recruitment</p>	<p>For absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs.43200 - 66000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.36600 - 62000/- with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32900 - 58000/- with 5 years regular service in the grade in the Finance discipline</p>	<p>the scale of pay of Rs.43200 - 66000/- with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32900 - 58000/- and above with 5 years regular service in the grade in GAD / Human Resource Development / Medical department in Govt./ PSUs/ Autonomous Bodies, will be eligible.</p> <p>The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.</p>
---	---------------------------------	---	---	-----------------	-----------	----	--	---	-----------------------------------	----------------	---	---	---

	<p>in a Major Port Trust, will be eligible. For deputation, officers holding analogous post or officers holding posts in the scale of pay of Rs.43200 - 66000/- in the Finance discipline with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.32900 - 58000/- and above with 5 years regular service in the grade in the Finance discipline in Govt./ PSUs/ Autonomous Bodies, will be eligible.</p> <p>The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.</p>

SCHEDULE
OF
HALDIA DOCK COMPLEX
RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF ADMINISTRATION DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (M&S)

(As on 26.05.2013)

Sl No	Name of the post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational & Other Qualifications prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age b) Educational Qualifications c) Experience for direct recruits will apply in the case of Promotion / Absorption / Deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by direct recruitment or by Promotion / Absorption / Deputation)	In case of Promotion / Absorption / Deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	Asst. Manager	7	1	20600 - 46500	Selection	30	<p>Essential: Degree from a recognised University.</p> <p>Desirable: (i) Post Graduate Degree/ Diploma in Personnel Management / Industrial Relations / Social Work / Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognised University / Institution. (ii) Two years experience in an executive cadre in the field of General Administration / Personnel & Industrial Relations etc. in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking</p>	(a) No (b) Yes. (c) No	2	By Direct Recruitment- 66 2/3% By Promotion- 33 1/3%	Promotion from Administrative Officer or other equivalent posts in the Admin. Division in the scale of pay of Rs. 16400-40500/- with 3 years regular service in the post, failing which, from Personnel Officer in the P&IR Division in the scale of pay of Rs. 16400-40500/- with 3 years regular service in the post.	Existing designations of Asstt. Administrative Officer Gr. I, Asstt. Administrative Officer Gr. II are to be redesignated as Administrative Officer. Also Administrative Officer. Also existing designation of Jr. Asstt. Manager (Admn.), Admn. Officer and Admn. Officer (Computer), Admn. Division will be redesignated as Asstt. Manager (Admn.).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Field Officer	1	1	20600 - 46500	Selection	30	<p>Essential :</p> <p>(i) Degree with a Post Graduate Degree / Diploma in Architecture/ Town and Country Planning or Degree in Civil Engineering from a recognised University / Institution or Corporate Membership of the Institution of Surveyors (India).</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) A Degree in Law from a recognised University.</p> <p>(ii) Two years executive experience in Estate Management, valuation and land records in an Industrial / Commercial/ Govt Undertaking.</p>	<p>(a) No (b) No. However, a Diploma from a recognised University / Institution is essential. (c) No</p>	2	By Promotion failing which, by Absorption / Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Jr. Field Officer / Estate Surveyor in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500 /- with 3 years regular service in the grade. Absorption / Deputation will be of Officers holding analogous post or holding the aforesaid feeder posts (or equivalent) in the scale of pay of Rs.16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade in the Estate / Land Wing in a Major Port Trust.	13
3	Asstt. Manager (Legal)	1	1	20600 - 46500	Selection	30	<p>Essential :</p> <p>Degree in Law from a recognised University / Institution.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Two years experience in an executive cadre in the legal establishment in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.</p> <p>(ii) Post Graduate Degree in Law from a recognised University.</p>	<p>(a) No (b) Yes (c) No</p>	2	By Absorption / Deputation, failing which, by Direct Recruitment	Absorption / Deputation will be of Officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade in the Legal discipline in a Major Port Trust.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Asstt. Manager (OL)	1	1	20600 - 46500	Selection	30	<p>Essential :- Degree in Hindi with English as a subject, from a recognised University/ Institution.</p> <p>Desirable :-</p> <p>(i) Post Graduate Degree in Hindi with English as a subject at the Graduate level from a recognised University/ Institution.</p> <p>(ii) Two years experience in an executive cadre in the relevant discipline dealing with terminological works in Hindi and translation work in Hindi to English or vice versa in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking or five years experience of Teaching/ Research/ Writing or Journalism in Hindi.</p>	Not applicable.	2	By Direct Recruitment.	Not applicable.	
5	Dy. Manager	4	1	24900 - 50500	Selection	35	<p>Essential :-</p> <p>(i) Degree from a recognised University.</p> <p>(ii) Five years experience in an executive cadre in the field of General Administration / Personnel & Industrial Relations etc. in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable :-</p> <p>(i) Post Graduate Degree / Diploma in Personnel Management / Industrial Relations / Social Work / Labour Welfare or allied subjects or a Degree in Law from a recognised University / Institution.</p>	<p>(a) No</p> <p>(b) Yes</p> <p>(c) No</p>		By Promotion failing which by Absorption / Deputation, failing both by Direct Recruitment.	<p>Promotion from Asstt. Manager / Asstt. Manager (Legal) / Asstt. Manager (OL) / Field Officer in Administration Division in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500 with 4 years regular service in the grade, failing which, from Asstt. Manager, P&IR Division in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade.</p> <p>Absorption/ Deputation will be of Officers holding analogous posts or holding the aforesaid feeder posts (or equivalent) in the Administration / P&IR discipline in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.</p>	<p>Existing designations of Dy. Secretary (Admin.) and Asstt. Manager (Admin.) in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- will be redesignated as Dy. Manager (Admin.).</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Sr. Dy. Manager	3	1	32900-58000	Selection	37	<p>Essential :</p> <p>(i) Degree from a recognised University / Institution.</p> <p>(ii) Nine years experience in an executive cadre in the field of General Administration / Personnel & Industrial Relations in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable :-</p> <p>(i) Post Graduate Degree / Diploma in Personnel Management / Industrial Relations / Social Work / Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognised University / Institution.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	Not applicable	By Absorption through composite method, failing which, by deputation, failing both, by Direct Recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs.24900-50500/- with 3 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.24900-50500/- with 2 years regular service in the grade, and a combined regular service of 7 years in the pay scales of Rs.24900-50500/- and Rs.20600-46500/- in the Administration / P&IR discipline in a Major Port Trust will be eligible. For Deputation, officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs.24900-50500/- and above with 3 years regular service in the grade in the Administration / P&IR discipline in Govt./ PSU/ Autonomous Bodies, will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.	Existing designation of Dy. Manager (Admn.) will be redesignated as Sr. Dy. Manager (Admn.) and will be upgraded to the pay scale of Rs. 32,900 - 58,000/-.
7	Plantation & Gardening Officer	1	1	20600 - 46500	Selection	30	<p>Essential :</p> <p>Degree in Botany/ Agriculture from a recognised University/Institution.</p> <p>Desirable :-</p> <p>(i) Post Graduate Degree in Botany/ Agriculture from a recognised University/Institution.</p> <p>(ii) Two years experience in an executive cadre in the relevant discipline dealing with management of Farms/ Plantations/ Gardening in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion, failing which, by Absorption/ Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Jr. Plantation & Gardening Officer in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade. Absorption/ Deputation will be of officers holding analogous posts or holding the aforesaid feeder post (or equivalent), in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade in the Plantation & Gardening discipline in a Major Port Trust.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
g	Sr. Fire & Security Officer	3	1	20600 - 46500	Selection	30	<p>Essential:</p> <p>(i) Degree from a recognised University/ Institution.</p> <p>(ii) Degree in Fire Engineering (or equivalent) from a recognised University/ Institution, or Divisional Officer's Certificate in Fire Fighting from NFSC, Nagpur (or equivalent).</p> <p>Desirable:-</p> <p>Two years experience in an executive cadre in an organisation handling Fire/ Security/ Defence/ Police/ Para-Military forces.</p>	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion, failing which, by Absorption/ Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Fire & Security Officer in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous posts or holding the aforesaid feeder post (or equivalent), in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade in the Fire / Security service in a Major Port Trust.	Existing designation of Dy. Fire Officer in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- is to be redesignated as Fire & Security Officer under Admn. Division.

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF ADMINISTRATION DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (M&S)

4/4/13
355

(EDP UNIT)

Sl. No.	Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational & Other Qualifications prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age & Educational Qualifications b) Experience for direct recruits will apply in the case of Promotion / Absorption / Deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by direct recruitment or by Promotion / Absorption / Deputation)	In case of Promotion / Absorption / Deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	Asstt. Manager (Systems)	3	4	20600-46500	Selection	30	<p>Essential :- Degree in Computer Engg./ Computer Science / MCA from a recognised University / Institution, OR, Degree in Maths / Statistics / Operational Research / Economics with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science / Information Technology from recognised University / Institution, OR, Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science / Information Technology from a recognised University / Institution.</p> <p>Desirable:- i) Post Graduate Degree in Mathematics / Statistics / Operational Research / Economics, OR, Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engg. or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Administration (PG Degree / Diploma) with specialisation in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised University / Institution. ii) Two years experience in Programming / Electronic Data Processing / Systems Analysis etc.</p>	a) No b) Yes c) No	2	By promotion, failing which, by absorption / deputation, failing both, by direct recruitment	Promotion from officers of EDP Unit, Administration Division in the scale of pay of Rs.16400 - 40500/- with 3 years regular service in that post. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs.16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade in EDP Unit (or equivalent) in the field of IT / Computer-related functions in a Major Port Trust.	Existing designations of Programmer / Administrative Officer (Computer) / Asstt. Systems Manager in the scale of pay of Rs.20600 - 46500/- will be redesignated as Asstt. Manager (Systems).

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF PRIVATE SECRETARIES UNDER GENERAL MANAGER (M&S)

(As on 26.05.2013)

Sl No	Name of the post	No of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-selection post	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational & Other Qualification Prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age & b) Educational Qualifications c) Experience for Direct Recruits will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by Direct Recruitment or by Promotion/ Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/ Deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PS to Dy. Chairman	1	1	20600 - 46500	Selection	30	Essential: (i) A Degree from a recognised University. (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively. (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) 5 years experience as PA in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) No. (c) No	2	By promotion, failing which, by Absorption/ Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from PA to GMs in the scale of pay of Rs.16400-40500/- with 3 years regular service in the grade. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous post or holding the post of PA to HOD / PS to Dy. Chairman (and equivalent) in the scale of pay of Rs.16400-40500/- with 3 years regular service in a Major Port Trust.	

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF P&R DIVISION, UNDER GENERAL MANAGER (M&S)

Sl. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for Direct Recruitment (in years)	Educational & Other Qualifications prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age b) Educational Qualifications c) Experience for direct recruits will apply in the case of Promotion / Absorption / Deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by Direct Recruitment or by Promotion / Absorption / Deputation)	In case of Promotion / Absorption / Deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Asst. Manager	12	I	20600 - 46500	Selection	30	<p>Essential: (i) Degree from a recognised University/Institution.</p> <p>Desirable: (i) Post Graduate Degree/ Diploma in Personnel Management / Industrial Relations / Social Work / Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognised University / Institution. (ii) Two years experience in an executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. from an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.</p>	a) No. b) Yes. c) No.	2	By Direct Recruitment- 66 2/3% By Promotion- 33 1/3%	Promotion from Personnel Officer, P&R Division in the scale of pay of Rs. 16400-40500 with 3 years regular service in the grade.	Existing designations of Asst. Personnel Officer Gr.-I & Asst. Personnel Officer Gr.-II will be re-designated as Personnel Officer. Also existing designations of Jr. Asst. Manager (P&R) and Personnel Officer will be re-designated as Asst. Manager (P&R).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Dy. Manager	3	1	24900 - 50500	Selection	35	<p>Essential :</p> <p>(i) Degree from a recognised University/Institution.</p> <p>(ii) Five years experience in an executive cadre in the field of General Administration, Personnel & Industrial Relation etc., from an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable:</p> <p>Post Graduate Degree/ Diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/ Social Work/ Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognised University/ Institution.</p>	a) No. b) Yes. c) No.	2	By Promotion, failing which, by Absorption / Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Asstt. Manager, P&IR Division in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous post or holding the aforesaid feeder posts (or equivalent) in the scale of pay of Rs.20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade in the P&IR discipline in a Major Port Trust.	Existing designation of Asstt. Manager (P&IR) will be redesignated as Dy. Manager (P&IR).
3	Sr. Dy. Manager	2	1	32900 - 58000	Selection	37	<p>Essential :</p> <p>(i) Degree from a recognised University/Institution.</p> <p>(ii) Nine years experience in an executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations, etc., from an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.</p> <p>Desirable:</p> <p>Post Graduate Degree / Diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/ Social Work/ Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognised University / Institution.</p>	a) No. b) Yes. c) No.	Not applicable	By Absorption through composite method, failing which, by Deputation and failing both, by Direct Recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 3 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.24900 -50500/- with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the pay scales of Rs.24900-50500/- and Rs.20600-46500/- in the P&IR discipline in a Major Port Trust will be eligible. For Deputation, officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs.24900 - 50500/- and above with 3 years regular service in the grade in the P&IR discipline in Govt. / PSU / Autonomous Bodies, will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.	Existing designation of Dy. Manager (P&IR) in the scale of pay of Rs. 29100-54500/- will be redesignated as Sr. Dy. Manager (P&IR) and upgraded to the pay scale of Rs. 32,900 - 58,000/-.

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF FINANCE DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (M&S).

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational & Other Qualifications prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age b) Educational Qualifications c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion / absorption / deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by Direct Recruitment or by Promotion / Absorption / Deputation)	In case of Promotion / Absorption / Deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Asst. Manager	10	1	20600 - 46500	Selection	30	Essential:- Member of Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost and Works Accountants of India. Desirable:- Two years experience in an executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	a) No b) No. However from a Degree from a recognised University / Institution is essential. c) No	2	By Direct Recruitment - 66 2/3% By Promotion - 33 1/3%	Promotion from Accounts / Audit Officer, Finance Division in the scale of pay of Rs.16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade.	Existing designations of Inspector of Accounts, Gr-I (Finance) & Inspector of Accounts, Gr.-II (Finance) will be re-designated as Accounts / Audit Officer (Finance). Also existing designations of Jr. Asstt. Manager (Finance) and Accounts / Audit Officer (Finance) will be redesignated as Asstt. Manager (Finance).

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dy. Manager	3	1	24900 - 50500	Selection	35	<p>Essential:-</p> <p>i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India.</p> <p>ii) Five years experience in an executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.</p>	<p>a) No</p> <p>b) No. However a Degree from a recognised University / Institution is essential.</p> <p>c) No</p>	2	By Promotion, failing which, by Absorption / Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Asstt. Manager, Finance Division in the scale of pay of Rs.20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous post or holding the aforesaid feeder post (or equivalent) in the scale of pay of Rs.20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade in the Finance discipline in a Major Port Trust.	Existing designation of Asstt. Manager in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- will be redesignated as Dy. Manager.
Sr. Dy. Manager	2	1	32900 - 58000	Selection	37	<p>Essential:-</p> <p>i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India.</p> <p>ii) Nine years experience in an executive cadre in the field of Finance, Accounting in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.</p>	<p>a) No.</p> <p>b) Yes. However, for the KoPT officials on roll on the date of notification of this RSP Regulations, M. Com. / MBA (Finance) would also suffice.</p> <p>c) No.</p>	Not Applicable	By Absorption through composite method, failing which, by Deputation and failing both, by Direct Recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 3 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.24900 -50500/- with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the pay scales of Rs.24900-50500/- and Rs.20600-46500/- in the Finance discipline in a Major Port Trust will be eligible. For Deputation, officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs.24900 - 50500/- and above with 3 years regular service in the grade in the P&IR discipline in Govt. / PSU / Autonomous Bodies, will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.	Existing designation of Dy. Manager (Finance) in the scale of pay of Rs. 29100 - 54500/- will be redesignated as Sr. Dy. Manager (Finance) and upgraded to the pay scale of Rs. 32900 - 58000/-.

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MEDICAL DIVISION, UNDER GENERAL MANAGER (M&S)

(As on 26.05.2013)												
Sl. No.	Name of the post	No of posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for Direct Recruitment (in years)	Educational & Other Qualifications Prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age b) Educational Qualifications c) Experience for Direct Recruits will apply in the case of Promotion / Absorption/ Deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment. (Whether by Direct Recruitment or by Promotion / Absorption / Deputation)	In case of Promotion / Absorption / Deputation. Grades from which it should be made.	Remarks
1	Sr. Medical Officer	3	1	5 20600 - 46500	6 Selection	7 30	8 Essential :- i) MBBS Degree from a recognised University / institution, or. for Medical Officer (Dental), BDS Degree of a recognized University / Institution. ii) One year experience in a Hospital, after completion of internship of one year. Desirable :- A Post Graduate Medical Degree from a recognised University / Institution.	9 Not Applicable	10 2	11 By Direct Recruitment.	12 Not Applicable.	13 Existing designation of Medical Officer will be redesignated as Sr. Medical Officer.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Dy. Medical Supdt. (General Duty)	2	1	24900 - 50500	Selection	35	<p>Essential:- i) MBBS Degree from a recognised University / Institution, or, for Dy. Medical Supdt. (Dental), BDS Degree from a recognized University / Institution. ii) Five years experience in a Hospital after completion of internship of one year.</p> <p>Desirable:- A Post Graduate Medical Degree from a recognised University / Institution.</p>	(a) No. (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by Absorption / Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Sr. Medical Officer in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous posts or holding the aforesaid feeder post (or equivalent) in the scale of pay of Rs.20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade in the Medical discipline in a Major Port Trust.	
3	Dy. Medical Supdt. (Specialist)	2	1	24900 - 50500	Selection	35	<p>Essential: i) MBBS Degree from a recognised University / Institution. ii) A Post Graduate Medical Degree / Diploma in the specified speciality from a recognised University / Institution. iii) Post qualification experience of three years for PG Degree holders or five years for PG Diploma holders in a reputed Hospital in the relevant field of specialisation.</p>	Not applicable	2	By Direct Recruitment.	Not applicable. N. B. In the first instance, in-house Medical Officers having Post Graduate qualification in the relevant field will be considered for appointment as direct recruits, failing which, the post will be filled up by open advertisement.	Preference will be given to Specialists from Medicine, Surgery, Orthopaedics, Paediatrics and Gynaecology & Obstetric disciplines

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Medical Supdt	3	1	32900 - 58000	Selection	37	<p>Essential:</p> <p>i) MBBS Degree from a recognised University / Institution.</p> <p>ii) A Post Graduate Medical Degree / Diploma in the specified speciality from a recognised University / Institution.</p> <p>iii) Post qualification experience of seven years for PG Degree holders or nine years for PG Diploma holders in a Hospital in the relevant field of specialisation.</p>	(a) No. (b) Yes. (c) No.	Not Applicable	By Absorption through composite method, failing which, by Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs.24900-50500/- with 3 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.24900-50500/- with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 24900-50500/- and Rs.20600-46500/- in the Medical discipline in a Major Port Trust will be eligible. For Deputation, officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs.24900-50500/- and above with 3 years regular service in the grade in the Medical Discipline in Govt. / PSUs / Autonomous Bodies, will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.	Existing designation of Medical Supdt. in the scale of pay of Rs. 29100 - 54500/- will be upgraded to the pay scale of Rs. 32900 - 58000/-.

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF TRAFFIC OPERATIONS (SH&CH) DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (TRAFFIC OPERATIONS)

(As on 26.05.2013)

Sl No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational & Other Qualifications prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age b) Educational Qualifications c) Experience for direct recruits will apply in the case of Promotion / Absorption / Deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by Direct Recruitment or by Promotion / Absorption / Deputation)	In case of Promotion / Absorption / Deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	Asst. Manager	13	1	20600 - 46500	Selection	30	<p>Essential:- i) A Degree from a recognised University.</p> <p>Desirable :- Two years experience in an Executive cadre in Shipping & Cargo Handling Operations in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.</p>	a) No b) Yes. c) No	2	By Direct Recruitment - 66.2/3% By Promotion - 33.1/3%	Promotion from Traffic Officer, T.O. (Sh & CH) Division, in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade.	Existing designations of Asst. Traffic Officer Gr.-I (Sh&CH) & Asstt. Traffic Officer Gr.-II (Sh&CH) will be re-designated as Traffic Officer (SH&CH). Also existing designations of Traffic Officer (Sh&CH) and Jr. Asstt. Manager (Sh&CH) will be redesignated as Asstt. Manager (Sh&CH)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Dy. Manager	4	1	24900 - 50500	Selection	35	<p>Essential :</p> <p>i) A Degree from a recognised University.</p> <p>ii) Five years experience in an Executive cadre in Shipping & Cargo Handling operations in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.</p>	a) No b) Yes c) No	2	By Promotion, failing which, by Absorption, / Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Asstt. Manager, T.O. (Sh&CH) Division, in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade, Absorption / Deputation will be of officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs.20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade in the Shipping & Cargo Handling discipline in a Major Port Trust.	Existing designation of Asstt. Manager (Sh&CH) in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- will be redesignated as Dy. Manager (Sh&CH).
3	Sr. Dy. Manager	2	1	32900 - 58000	Selection	37	<p>Essential:</p> <p>i) A Degree from a recognised University.</p> <p>ii) Nine years experience in an Executive cadre in Shipping / Cargo handling Operations in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.</p>	a) No b) Yes c) No	Not applicable	By promotion, failing which, by Absorption / Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- with 3 years regular service in the grade, or officers holding posts in the scale of pay of Rs.24900 - 50500/- with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.24900 - 50500/- and Rs.20600 - 46500/- in the Shipping & Cargo Handling Discipline in a Major Port Trust will be eligible. For Deputation, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- and above with 3 yrs. regular service in the grade, in the Shipping & Cargo Handling discipline in Govt. / PSUs / Autonomous Bodies, will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.	Existing designation of Dy. Manager (Sh&CH) in the scale of pay of Rs. 29100 - 54500/- will be redesignated as Sr. Dy. Manager (Sh&CH) and upgraded to the pay scale of Rs. 32900 - 58000/-.

N.B. The existing officers who had opted to maintain their seniority in both Traffic Operations (Sh&CH) and Traffic Operations (Rly) Divisions before 20/03/96, will be eligible for consideration for promotion in both the said Divisions as per the aforesaid Schedule.

RECRUITMENT RULES FOR CLASS - I POSTS OF TRAFFIC OPERATIONS (R.LYS) DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (TRAFFIC OPERATIONS)

(As on 28.05.2013)

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for Direct Recruitment (in years)	Educational & Other Qualifications prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age b) Educational Qualifications c) Experience for Direct Recruits will apply in the case of Promotion / Absorption / Deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by Direct Recruitment or by Promotion / Absorption / Deputation)	In case of Promotion / Absorption / Deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Asst. Manager		1	20600 - 40500	Selection	30	Essential:- i) A Degree from a recognised University. Desirable:- Two years experience in Railway Transportation in an executive cadre in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	a) No b) Yes c) No	2	By Direct Recruitment - 66.2/3% By Promotion 33.1/3%	Promotion from Traffic Officer, T.O. (Rly.) Division, in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade.	Existing designations of Asstt. Traffic Officer Gr.-I (Rly.) & Asstt. Traffic Officer Gr.-II (Rly.) will be redesignated as Traffic Officer, TO (Rly.) Division. Also existing designations of Jr Asstt. Manager (Rly.) & Traffic Officer (Rly.) will be redesignated as Asstt. Manager (Rly.).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Dy. Manager	2	1	24900 - 50500	Selection	35	Essential: i) A Degree from a recognised University. ii) Five years experience in Railway Transportation in an Executive cadre in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	a) No b) Yes c) No	2	By Promotion, failing which, by Absorption / Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Asstt. Manager, T.O. (Rly) Division, in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs.20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade in the Railway Transportation discipline in a Major Port Trust.	Existing designation of Asstt. Manager (Rly.) in the scale of pay of Rs.24900-50500/- will be redesignated as Dy. Manager (Rly.).
3	Sr. Dy. Manager	1	1	32900 - 58000	Selection	37	Essential: i) A Degree from a recognised University. ii) Nine years experience in an Executive cadre in Railway Transportation in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	a) No b) Yes c) No	Not applicable	By Absorption through composite method, failing which, by Deputation and failing both, by Direct Recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- with 3 years regular service in the grade, or officers holding posts in the scale of pay of Rs.24900 - 50500/- with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.24900 - 50500/- and Rs.20600 - 46500/- in the Railway Transportation discipline in a Major Port Trust, will be eligible. For Deputation, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- and above with 3 yrs. regular service in the grade, in the Railway Transportation discipline in Govt. / PSUs / Autonomous Bodies, will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.	Existing designation of Dy. Manager (Rly.) in the scale of pay of Rs. 29100 - 54500/- will be redesignated as Sr. Dy. Manager (Rly.) and upgraded to the pay scale of Rs. 32900 - 58000/-.

N. B. The existing officers who had opted to maintain their seniority in both Traffic Operations (Sh&CH) and Traffic Operations (Rly) Divisions before 20/03/96, will be eligible for consideration for promotion in both the said Divisions as per the aforesaid Schedule.

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF PLANT & EQUIPMENT DIVISION, UNDER GENERAL MANAGER (MARINE OPERATIONS & ENGINEERING)

No.	Name of the post	No of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational & Other Qualification Prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age & b) Educational Qualifications c) Experience for Direct Recruits will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	in case of Promotion / Absorption/ Deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	Asstt. Manager	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Asstt. Manager	50	1	20600 46500	Selection	30	<p>Essential: Degree or equivalent in Mechanical / Electrical / Electronics & Telecommunication / Instrumentation Engineering from a recognised University / Institution.</p> <p>Desirable: Two years experience in relevant discipline in an executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	(a) No (b) No. However, Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised University / Institution is essential. (c) No	2	By Direct Recruitment- 66.2/3% By Promotion- 33.1/3%	Promotion from Asstt. Executive Engineer and other equivalent posts of P&E Division in the scale of pay of Rs. 16400-40500/- with 3 years regular service in the grade.	Existing designations of Plant Engineer (P&E) & Asstt. Plant Engineer (P&E) will be re-designated as Asstt. Executive Engineer (P&E). Also existing designations of Jr. Asstt. Manager (P&E) & Asstt. Ex. Engineer (P&E) will be redesignated as Asstt. Manager (P&E).

(As on 26.05.2013)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Dy. Manager	5	1	24900-50500	Selection	35	<p>Essential:</p> <p>(i) Degree or equivalent in Mechanical/ Electrical/ Electronics & Telecommunication / Instrumentation Engineering from a recognised University/Institution.</p> <p>(ii) Five years experience in the relevant discipline in an executive cadre from an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No (b) No. However, Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised University / Institution is essential. (c) No</p>	2	By Promotion, failing which, by Absorption/ Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Asstt. Manager, P&E Division in the scale of pay of Rs.20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade. Absorption/ Deputation will be of officers holding analogous posts or holding the aforesaid feeder post (or equivalent) in the scale of pay of Rs.20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade in the Mechanical & Electrical Engineering discipline in a Major Port Trust.	Existing designation of Asstt. Manager (P&E) in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- will be redesignated as Dy. Manager (P&E).
3	Sr. Dy. Manager	4	1	32900-58000	Selection	37	<p>Essential :-</p> <p>(i) Degree or equivalent in Mechanical / Electrical/ Electronics & Telecommunication / Instrumentation Engineering from a recognised University/ Institution.</p> <p>(ii) Nine years experience in the relevant discipline in an executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	<p>a) No. b) Yes. c) No.</p>	No Applicable	By Absorption through composite method, failing which, by Deputation and failing both, by Direct Recruitment.	For Absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 3 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 2 years regular service in the grade, and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 24900-50500/- and Rs. 20600-46500/- in the Mechanical & Electrical Engineering discipline in a Major Port Trust will be eligible. For Deputation, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- and above with 3 years regular service in the grade, in the Mechanical & Electrical Engineering discipline in Govt./ PSU/ Autonomous Bodies, will be eligible. The selection is by method in which the benchmark in every grading in the scale will not be below 4 years fixed.	Existing designation of Dy. Manager (P&E) in the scale of pay of Rs.29100-54500/- will be redesignated as Sr. Dy. Manager (P&E) and upgraded to the pay scale of Rs.32900-58000/-.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Asst. Manager (Safety)	1	1	20650-46500	Selection	30	<p>Essential</p> <p>EITHER (i) Possess a recognised Degree in any branch of Engineering / Technology & has practical experience of working in a Port or similar place in a supervisory capacity for a period of not less than 2 years / Possess a recognised Degree in Physics & Chemistry & has had practical experience of working in a Port or similar place in a supervisory capacity for a period of not less than 5 years / Possess a recognised Diploma in any branch of engineering or technology & has had a practical experience of working in a port or similar place in a supervisory capacity for a period of not less than 5 years, and,</p> <p>(ii) Possess a Degree or Diploma in Industrial Safety recognised by the Central Govt., and,</p> <p>(iii) Has adequate knowledge of the language spoken by majority of the workers in the port in which he is to be appointed.</p> <p>OR (i) Possess a recognised Degree or Diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 years in a department of Central Govt. which deals with the administration of Indian Dock Labourers Act, 1934 & the Dock Workers' (Safety, Health & Welfare) Act, 1986. (ii) Possesses a recognised Degree or Diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 yrs. full time, on training, education, consultancy or research in the field of accident prevention in Industry or in any Port or any Institution.</p>	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By Promotion, failing which, by Absorption/ Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Asstt. Executive Engineer (P&E) in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade in the Mechanical & Electrical Engineering discipline in a Major Port Trust.	Existing designations of Safety Officer (Jr.) & Safety Officer will be redesignated as Asstt. Manager (Safety).

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF PLANT & EQUIPMENT DIVISION, UNDER GENERAL MANAGER (MARINE OPERATIONS & ENGINEERING)

Sl. No.	Name of the post	No of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational & Other Qualification Prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age & b) Educational Qualifications c) Experience for Direct Recruits will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by direct recruitment or by Promotion/ Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/ Deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	Asst. Manager	50	1	20600 46500	Selection	30	<p>Essential: Degree or equivalent in Mechanical / Electrical / Electronics & Communication Engineering from a recognised University / Institution (4 year degree course).</p> <p>Desirable: Two years experience in relevant department in an executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	(a) No (b) No. However, Diploma in Engineering in the relevant department from a recognised University / Institution is essential. (c) No	2	By Direct Recruitment- 66.2/3% By Promotion- 33.1/3%	Promotion from Asstt. Executive Engineer and other equivalent posts of P&E Division in the scale of pay of Rs.16400-40500/- with 3 years regular service in the grade.	13 Existing designations of Plant Engineer (P&E) & Asstt. Plant Engineer (P&E) will be re-designated as Asstt. Executive Engineer (P&E). Also existing designations of Jr. Asstt. Manager (P&E) & Asstt. Ex. Engineer (P&E) will be redesignated as Asstt. Manager (P&E).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Dy. Manager	5	1	24900 50500	Selection	35	<p>Essential:</p> <p>(i) Degree or equivalent in Mechanical/ Electrical/ Electronics & Communication Engineering from a recognised University/Institution (4 year degree course);</p> <p>(ii) Five years experience in the relevant discipline in an executive cadre from an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No (b) No. However, Diploma in Engineering in the relevant department from a recognised University / Institution is essential. (c) No</p>	2	By Promotion, failing which, by Absorption/ Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Asstt. Manager, P&E Division in the scale of pay of Rs. 20600-46500/- with 4 years regular service in the grade. Absorption/ Deputation will be of officers holding analogous posts or holding the aforesaid feeder post (or equivalent) in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade in the Mechanical & Electrical Engineering department in a Major Port Trust.	Existing designation of Asstt. Manager (P&E) in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- will be redesignated as Dy. Manager (P&E).
3	Sr. Dy. Manager	4	1	32900- 58000	Selection	37	<p>Essential:</p> <p>(i) Degree or equivalent in Mechanical / Electrical/ Electronics & Communication Engineering from a recognised University/ Institution (4 year degree course).</p> <p>(ii) Nine years experience in the relevant discipline in an executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	<p>a) No. b) Yes c) No.</p>	Not Applicable	By Absorption through composite method, failing which, by Deputation and failing both, by Direct Recruitment.	For Absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 3 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- with 2 years regular service in the grade, and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 24900-50500/- and Rs. 20600-46500/- in the Mechanical & Electrical Engineering department in a Major Port Trust will be eligible. For Deputation, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs. 24900-50500/- and above with 3 years regular service in the grade, in the Mechanical & Electrical Engineering department in Govt./ PSU's/ Autonomous Bodies, will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the APARS will not be below 'Very Good'.	Existing designation of Dy. Manager (P&E) in the scale of pay of Rs. 29100-54500/- will be redesignated as Sr. Dy. Manager (P&E) and upgraded to the pay scale of Rs. 32900-58000/-.

1	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Asstt. Manager (Safety)	1	1	20600 46500	Selection	30	Essential: (i) Possess a recognised Degree in any branch of Engineering / Technology & has practical experience of working in a Port or similar place in a supervisory capacity for a period of not less than 2 years / Possess a recognised Degree in Physics & Chemistry & has had practical experience of working in a Port or similar place in a supervisory capacity for a period of not less than 3 years / Possess a recognised Diploma in any branch of engineering or technology & has had a practical experience of working in a port or similar place in a supervisory capacity for a period of not less than 5 years, and, (ii) Possess a Degree or Diploma in Industrial Safety recognised by the Central Govt., and, (iii) Has adequate knowledge of the language spoken by majority of the workers in the port in which he is to be appointed. OR (i) Possess a recognised Degree or Diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 years in a department of Central Govt. which deals with the administration of Indian Dock Labourers Act, 1934 & the Dock Workers' (Safety, Health & Welfare) Act, 1986. (ii) Possesses a recognised Degree or Diploma in engineering or technology and has had experience of not less than 5 yrs., full time, on training, education, consultancy or research in the field of accident prevention in Industry or in any Port or any Institution.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By Promotion, failing which, by Absorption/ Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	Promotion from Asstt. Executive Engineer (P&E) in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs. 16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade in the Mechanical & Electrical Engineering discipline in a Major Port Trust.	Existing designations of Safety Officer (Jr.) & Safety Officer will be redesignated as Asstt. Manager (Safety).	

RECRUITMENT RULES FOR CLASS - I POSTS OF I&CF DIVISION, UNDER GENERAL MANAGER (MARINE OPERATIONS & ENGINEERING)

Sl No	Name of the post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection post	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational & Other Qualification Prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age & b) Educational Qualifications c) Experience for Direct Recruits will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by Direct Recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/ Deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Asstt. Manager	28	I	20600 - 46500	Selection	30	Essential: Degree or equivalent in Civil Engineering from a recognised University/ Institution (4 year degree course). Desirable: Two years experience in an executive cadre in Planning/ Design/ Maintenance, preferably of Port & Marine Structures, in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) No. However, Diploma in Civil Engineering from a recognised University/ Institution is essential. (c) No	2	By Direct Recruitment - 66 2/3% By Promotion - 33 1/3%	Promotion from Asstt. Engineer and other equivalent posts of I&CF Division in the scale of pay of Rs.16400-40500/- with 3 years regular service in the grade.	Existing designations of Jr. Asstt. Engineer Gr.-I (I&CF) and Jr. Asstt. Engineer Gr.-II (I&CF) will be redesignated as Asstt. Engineer (I&CF). Also existing designations of Jr. Asstt. Manager (I&CF) and Asstt. Engineer (I&CF) will be redesignated as Asstt. Manager (I&CF).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Dy. Manager	6	1	24900 - 50500	Selection	35	<p>Essential: (i) Degree or equivalent in Civil Engineering from a recognised University/Institution (4 year degree course). (ii) Five years experience in an executive cadre in Planning/ Construction/ Design/ Maintenance, preferably of Port & Marine Structures, in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No (b) No. However, Diploma in Civil Engineering / Construction Engineering from a recognised University/Institution is essential. (c) No</p>	2	By Promotion, failing which, by Absorption/ Deputation, failing both, by Direct Recruitment.	<p>Promotion from Asstt. Manager, I&CF Division in the scale of pay of Rs.20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade. Absorption/ Deputation will be of officers holding analogous posts or holding the aforesaid feeder post (or equivalent) in the scale of pay of Rs.20600 - 46500/- with 5 years regular service in the grade in the Civil Engineering department in a Major Port Trust.</p>	<p>Existing designation of Asstt. Manager (I&CF) in the scale of pay of Rs.24900 - 50500/- will be redesignated as Dy. Manager (I&CF).</p>
3	Sr. Dy. Manager	3	1	32900 - 58000	Selection	39	<p>Essential :- (i) Degree or equivalent in Civil Engineering from a recognised University/Institution (4 year degree course). (ii) Twelve years experience in Planning/ Construction/ Design/ Maintenance, preferably of Port & Marine Structures in an executive cadre, in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.</p>	<p>(a) No (b) Yes. (c) No</p>	Not applicable	By Absorption through composite method, failing which, by Deputation and failing both, by Direct Recruitment.	<p>For absorption through composite method, officers holding analogous posts or holding posts in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- with 3 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the pay scales of Rs. 24900-50500/- and Rs.20600-46500/- in the Civil Engineering department in a Major Port Trust will be eligible. For Deputation, officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs.24900 - 50500/- and above with 3 years regular service in the grade, in the Civil Engineering department in Govt./ PSUs / Autonomous Bodies, will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.</p>	<p>Existing designation of Dy. Manager (I&CF) will be redesignated as Sr. Dy. Manager (I&CF) in the scale of pay of Rs. 29100-54500/- and will be upgraded to the pay scale of Rs. 32,900 - 58,000/-.</p>

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF MARINE OPERATIONS DIVISION, UNDER GENERAL MANAGER (MARINE OPERATIONS & ENGINEERING)

Sl No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational & Other Qualifications prescribed for Direct Recruitment	Whether (a) Age b) Educational Qualifications c) Experience for direct recruits will apply in the case of promotion / absorption / deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by direct recruitment or by promotion / absorption / deputation)	In case of promotion / absorption / deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Trainee Pilot	As per availability of posts of Pilot	1	Stipend of Rs. 16400/-; Rs. 20600/-, Rs. 24900/- depending on entry qualification. Adjustment in higher stage is subject to passing requisite examination.	Selection	(a) Not exceeding 25 years for Science Graduates, B.Sc. Nautical Science Graduates and candidates possessing T.S. Rajendra / T.S. Chanakya / T.S. Dufferin passing out certificate; (b) Not exceeding 30 years in case of candidates possessing 2nd Mate FG / Dredge Master Gr-I / 1st Mate Gr-II / Dredge Master Gr-II will start at Rs. 24900/-; B.Sc. Nautical Science / 2nd Mate (FG) / Dredge Master Gr-I will start at Rs. 20600/-; 1st Mate FG / Dredge Master Gr-II will start at Rs. 24900/-; Master FG and Dredge Master Gr-I will start in the regular pay scale of Rs.32900-58000/-.	Essential: Master (F.G.) / Dredge Master Gr-I or equivalent certificate issued by the Indian Navy / Coast Guard or First Mate (F.G.) / Dredge Master Gr-I or B. Sc. Nautical Science or T.S. Rajendra / T.S. Chanakya / T.S. Dufferin passing out certificate, or, Science Graduates with 50% marks in both Physics & Mathematics, or, Physics (Hons) Graduate with Mathematics as pass subject, or, Mathematics (Hons) Graduate with Physics as pass subject.	N.A.	N.A.	By direct recruitment, or, by transfer of suitable officers from other Marine Services of KoPT in possession of the required essential qualification.		

(As on 26.05.2013)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Pilot	9	1	32900-58000	Selection	37	<p>Essential:</p> <p>(i) Must hold a certificate of competency as Master of Foreign-going ship issued by the MOS, Govt. of India, or, Dredge Master Gr. I, or, an equivalent qualification recognised by the MOS, Govt. of India</p> <p>(ii) One year post Master of a Foreign-going ship.</p>	<p>a) No</p> <p>b) No</p> <p>c) No</p>	2	By Absorption of Trainee Pilot on successful completion of training as Pilot, or, by transfer of officers from other Marine Services of KoPT, failing which, by Absorption / Deputation / Direct Recruitment	Absorption of Trainee Pilot after passing of requisite examination and acquiring prescribed qualification, failing which, promotion / absorption of officials after passing of requisite examination and acquiring prescribed qualification, failing which, absorption / deputation of officers of Major Port Trusts holding analogous posts in the Marine Services and having the requisite experience / qualification.	
3	Dy. Manager (Marine Operations)		1	36600 - 62000	Selection	38	<p>Essential:</p> <p>(i) Must hold a certificate of competency as Master of Foreign-going ship issued by the MOS, Govt. of India, or, Dredge Master Gr. I, or, an equivalent qualification recognised by the MOS, Govt. of India</p> <p>(ii) Must hold Pilot License and have six years experience as Master of a Foreign-going ship or in Piloting or cumulative.</p>	<p>a) No</p> <p>b) Yes. However, officers with Certificate of 1st Mate (FG) / Dredge Master Gr. II / 2nd Mate (FG) / Dredge Mate Gr-I / B. Sc. Nautical Science / Passing out from T.S. Rajendra / T.S. Chamakya / T. S. Dufferin, or, Science Graduates who have qualified as Pilots, will also be eligible.</p> <p>c) No.</p>	NA	By Promotion, failing which, by Absorption / Deputation and failing both, by Direct Recruitment	Promotion from Pilot in the scale of pay of Rs. 32900-58000/- with 5 years regular service in the grade. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous posts or officers holding the aforesaid feeder post (or equivalent Deck side post) in the scale of pay of Rs. 32900-58000/- with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Apprentice Dock Pilot	As per availability of posts of Dock Pilot.	1	1st year stipend: 1800/-; 2nd year stipend: Rs.2000/-; 3rd year stipend: Rs.2500/- (plus allowances) (to be revised)	Selection	25	Essential: Graduate (with Physics & Chemistry and Statistics / Computer Science/ Mathematics as a combination) from a recognised University.	N.A.	NA	By direct recruitment.		
5	Dock Pilot	15	1	20600 - 46500 (The Dock Pilots would be allowed the pay scale of Rs. 24900 - 50500/- upon completion of 5 years of regular service with satisfactory performance.)	Selection	30	Essential: Graduate (with Physics, Chemistry and Mathematics / Statistics/ Computer Science) from a recognised University.	a) No b) Yes. However, for HDC officials on roll as on the date of notification of this Regulation, Higher Secondary Exam. (Science) (or, equivalent) pass would suffice. c) Not applicable.	2	By Absorption/ Deputation, failing both by Direct Recruitment.	By absorption of Apprentice Dock Pilot / examination and acquiring the prescribed qualification, failing which, from other Officers of HDC after passing of requisite training / examination, failing which, Absorption / Deputation of officers of other Major Ports holding analogous posts in the Marine Services.	
6	Asst. Dock Master	4	1	24900 - 50500 (upgradation to Rs. 29100-54500/- proposed)	Selection	35	Essential: i) Second Mate (FG) / Master (Home Trade) Certificate ii) Three Years experience as Deck Cadet / Apprentice iii) Experience: Handling ships of all sizes in impounded dock system for 10 years	a) No b) Yes. However, for promotion, it is relaxable. c) No.	2	By promotion failing which by absorption / deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Dock Pilot in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500/- with 4 years regular service in the grade. Absorption/ deputation will be from officers holding analogous posts or holding the post of Dock Pilot (or, equivalent) with 4 years regular service in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500/- in a Major Port Trust.	
7	Dy Dock Master	1	1	29100 - 54500 (upgradation to Rs. 32900-58000/- proposed)	Selection	36	Essential: i) Second Mate (FG) / Master (Home Trade) Certificate ii) Five Years experience as Deck Cadet / Apprentice iii) Experience: Handling ships of all sizes in impounded dock system for 12 years	a) No b) Yes. However, for promotion, it is relaxable. c) No.	2	By promotion failing which by absorption / deputation failing both by direct recruitment.	Promotion from Asst. Dock Master in the scale of pay of Rs.24900 - 50500/- with 3 years regular service in the grade. Absorption / deputation will be from officers holding analogous posts or holding the post of Asst Dock Master (or, equivalent) in the scale of pay of Rs. 24900 - 50500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Engineer-In-Charge	8	1	20600 - 46500	N.A	30	<p>Essential:</p> <p>i) MOT 2nd Class (Combined or Motor) Certificate issued under the Merchant Shipping Act, 1958</p> <p>ii) Two years experience as Independent Watch - Keeping Engineer on board a Foreign-going ship.</p>	a) No. b) Yes. c) No.	2	By direct recruitment, failing which, by absorption / deputation.	Absorption / deputation will be from officers holding analogous posts in a Major Port Trust.	
9	Chief Engineer	11	1	32900 - 58000	Selection	37	<p>Essential:</p> <p>i) MOT 1st class (Combined or Motor) Certificate issued under the Merchant Shipping Act, 1958 .</p> <p>ii) 3 years experience as Chief Engineer or 4 years combined experience as Chief Engineer and 2nd. Engineer on board a Foreign going ship.</p>	a) No. b) Yes. c) No.	2	By direct recruitment, failing which, by absorption / deputation.	For absorption / deputation, officers holding analogous posts or holding posts in the Marine Engineering discipline in the scale of pay of Rs. 29100-54500/- with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust, will be eligible.	
10	Dy. Manager (Marine Engineering)	1	1	36600 - 62000	Selection	38	<p>Essential:</p> <p>i) MOT 1st Class (Combined or Motor) Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958.</p> <p>ii) Five years experience as Chief Engineer on board a Foreign-going ship.</p>	a) No. b) Yes. c) No.	NA	By Promotion, failing which, by Absorption / Deputation and failing both, by direct recruitment.	Promotion from Chief Engineer, M.O Division in the scale of pay of Rs. 32900 - 58000/- with 2 years regular service in the grade. Absorption / Deputation will be of officers holding analogous posts or officers holding the aforesaid feeder post (or equivalent) in the pay scale of Rs. 32900 - 58000/- with 2 years regular service in a Major Port Trust.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Manager	1	1	43200 - 66000	Selection	39	<p>Essential: EITHER (i) Must hold a Certificate of Competency as Master of Foreign-going ship issued by the MOS, Govt. of India, or Dredge Master Gr. I, or, an equivalent qualification recognized by the MOS, Govt. of India (ii) Must hold Pilot License and have eight years experience as Master of a Foreign-going ship or in Piloting or cumulative. OR (i) MOT 1st Class (Combined or Motor) certificate issued under the Merchant Shipping Act, 1958 (ii) Five years experience as Chief Engineer on board a Foreign-going ship</p>	<p>a) No. b) Yes. However, officers with Certificate of 1st Mate (FG) / Dredge Master Gr. II / 2nd Mate (FG) / Dredge Mate Gr-I / B. Sc. Nautical Science / Passing out from T.S. Rajendra / T.S. Chamakya / T.S. Dufferin, or Science Graduates who have qualified as Pilots, will also be eligible. c) No.</p>	NA	<p>By Absorption through composite method, which, by deputation and tailing both, by direct recruitment.</p>	<p>For absorption through composite method, officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs.36600 - 62000/- with 2 years regular service in the grade in a Major Port Trust, will be eligible. For deputation, officers holding analogous post or holding posts in the scale of pay of Rs.36600 - 62000/- with 2 years regular service in the grade in Marine discipline in Govt. / PSUs / Autonomous Bodies, will be eligible. Selection is by merit for which the benchmark in overall grading in APARs will not be below 'Very Good'.</p>	

RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF VIGILANCE SECTION

(As on 26.05.2013)

Sl No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational & Other Qualifications prescribed for Direct Recruitment	Whether a) Age b) Educational Qualifications c) Experience for direct recruits will apply in the case of Promotion / Absorption / Deputation	Period of probation (in years)	Method of Recruitment (whether by direct recruitment or by Promotion / Absorption / Deputation)	In case of Promotion / Absorption / Deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	Asst Vigilance Officer Gr.I	3	1	20600 - 46500/-	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	10	By deputation	Deputation will be from officers holding analogous posts or officers holding posts in the scale of pay of Rs.16400 - 40500/- with 3 years regular service in the grade from Major Port Trusts / Central Govt. / State	Deputation will normally be for a period of 3 years, and, in any case not to exceed five years.

2	Dy. Chief Vigilance Officer	1	1	32900 - 58000/-	Selection	Not Applicable	Not Applicable	a) --- b) Degree of a recognised University c) ---	Not Applicable	By deputation	Govt. / PSU / Autonomous Bodies. Preference will be given to persons having experience in vigilance work.	Deputation will normally be for a period of 3 years, and, in any case not to exceed 5 years.
											Officers holding analogous posts or officers holding posts in the pay scale of Rs. 24900 - 50500/- with 3 years of regular service in the grade or officers having a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 24900 - 50500/- and Rs. 20600 - 46500/- with atleast 1 year regular service in the pay scale of Rs. 24900 - 50500/- in any Major Port Trust/ Central Govt./ State Govt./ Public Sector Undertakings or Autonomous bodies will be eligible. Preference will be given to the persons having experience in vigilance work. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the APARs will not be below 'Very Good'.	

[F. No. PR-12012/1/2009-PE-I]

N. MURUGANANDAM, Jr. Secy.